छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष 2022-23

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष 2022-23

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर

प्राक्कथन

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, 2022–23''नामक प्रकाशन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, द्वारा तैयार किया गया है। जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, सामाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति की विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, 2022–23 प्रकाशन को परिमार्जन एवं नवीनता प्रदान करने में श्री हिमशिखर गुप्ता, सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निर्देशन में संचालनालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों जिन्होंने इस प्रकाशन को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं।

संबंधित विभागाध्यक्षों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।

नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

दिनांकः– मार्च 2023

संचालक

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर

विषय

स.क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	आर्थिक स्थिति – एक समीक्षा	1 - 6
2	जनसंख्या	9 - 25
3	राज्यीय आय	29 - 44
4	मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	45 - 56
5	लोक वित्त	59 - 65
6	संस्थागत वित्त एवं विनियोजन	69 - 87
7	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	91 - 144
8	वानिकी	147 - 160
9	खनिज	163 - 179
10	उद्योग	183 - 222
11	विद्युत एवं आधारभूत संरचना	225 - 246
12	ग्रामीण विकास एवं रोजगार	249 - 269
13	नगरीय विकास	273 - 294
14	शिक्षा	297 - 321
15	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	325 - 364
16	सामाजिक सेवाएं	367 - 398

आर्थिक स्थिति एक समीक्षा

01

आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन :

1 भारत

भारत वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्ष मनाया जा रहा है। वहीं आर्थिक मापदण्ड में भारत तीव्रगति से विकास करता हुआ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। वैश्विक महामारी को मात देकर सफल टीकाकरण पश्चात् आर्थिक विकास वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में क्रमशः 8.7 एवं 7.0 प्रतिशत अनुमानित है। भारत जननांकिकी में भी सबसे युवा देश है, जिसमें 65 प्रतिशत युवा आबादी निवास करती है। इसके साथ ही सुशासन, आधारभूत संरचना का विकास, ऊर्जा, विकसित स्वास्थ्य सुविधाएं, आंतरिक प्रौद्योगिकी वे उत्प्रेरक हैं, जो 21वीं सदी में देश को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

2 छत्तीसगढ़

22 वर्ष का युवा छत्तीसगढ़ पुरे देश का अग्रदूत बनने अग्रसर है। देश का 4.1 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को समाहित कर विपुल खनिज संपदा और वन बाहुल्य से परिपूर्ण शांतिप्रिय राज्य का दर्जा छत्तीसगढ़ ने हासिल किया है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ राज्य ''धान का कटोरा'' नाम को चरितार्थ करता है। जिसने अभी वर्ष 2022–23 खरीफ सीजन में कुल 107 लाख 51 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर रिकार्ड बनाया है।

भगवान श्री राम अयोध्या के राजा के ननिहाल होने का गौरव छत्तीसगढ़ राज्य (दक्षिण कोसल) को प्राप्त है। जिसमें राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट के रूप में पर्यटन का विकास हो रहा है। राज्य में कार्य सहभागिता का अनुपात 47.68 प्रतिशत है एवं न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य की गिनती अग्रिम क्रम पर है।

उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं छत्तीसगढ़ की पहचान बन रही है। एक ओर जहॉ 2001–03 में मातृ मृत्यु दर 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर 379 थी, यह घटकर 137 (SRS Report 2018-20) हो गयी, बढ़ते संस्थागत प्रसव एवं गिरते कुपोषण के कारण शिशु मृत्यु दर वर्ष 2022 के स्थिति में घटकर 38 हो गई है। जो कि राज्य निर्माण के समय यह प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 77 था। वहीं सतत् विकास लक्ष्य में वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 15 रखा गया है।

छत्तीसगढ जैविक राज्य बनने की पथ पर अग्रसर है। गौठानों के माध्यम से गोबर की खरीदी एवं इससे बनने वाले खाद से रासायनिक उर्वरकों को प्रतिस्थापित कर रहा है। राज्य में इथेनाल उत्पादन की दिशा में तीव्रगति से पहल की जा रही है। राज्य में कृषि उत्पादों के साथ–साथ उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में साल दर साल वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ भारत में मिलेट हब बन रहा है। मोटे अनाजों एवं लघु अनाजों की पैदावार बढ़ाने से किसानों की आय में वृद्धि हो रही, वही जन सामान्य का पूर्ण पोषण सुनिश्चित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के 14 जिले मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित हैं। मिलेट कैफे के माध्यम से नवीन रोजगार और पोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है।

3.1 छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) –

किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद–स्थिर भाव पर **(GSDP)** वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में वृद्धि क्रमशः 5.00, 10.00, 1.77, 2.57, 12.13, 3.01, 11.10, 2.76, –1.80, 8.46 एवं 8.00 तथा औसत वृद्धि 5.73 प्रतिशत दर्ज की गई।

वर्ष 2022–23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 16.91 प्रतिशत एवं उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 49.88 प्रतिशत अनुमानित है। इसी अवधि में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 33.21 प्रतिशत रहने की संभावना है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है:–

छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग समूहवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर

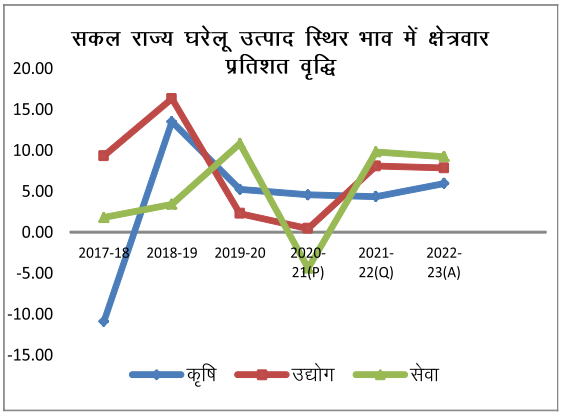

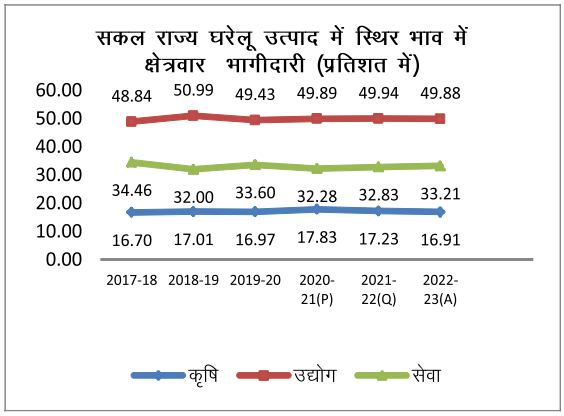

3.1.1 कृषिः— इस क्षेत्र में वर्ष 2017—18, 2018—19 ,2019—20, 2020—21, 2021—22 एवं 2022—23 में वृद्धि (स्थिर भाव पर) क्रमशः —10.90, 13.49 5.22, 4.56, 4.33 एवं 5.93 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2012—13 से 2022—23 तक औसत वृद्धि 5.31 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2016—17 में अच्छी फसल होने के कारण वृद्धिदर 21.28 प्रतिशत रही। वर्ष 2017—18 में प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के कमी के कारण कृषि क्षेत्र में —10.90 प्रतिशत कमी रही। वर्ष 2011—12 में जहॉ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10 प्रतिशत थी, वहीं निरंतर किंतु धीमी गति से घटते हुए वर्ष 2022—23 में 16.91 प्रतिशत पर आ गई है।

3.1.2. उद्योगः— इस क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति एवं निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2017—18, 2018—19 ,2019—20, 2020—21, 2021—22 एवं 2022—23 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि (स्थिर भाव पर) क्रमशः 9.31, 16.29, 2.27, 0.44, 8.07 एवं 7.83 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2012—13 से 2022—23 तक औसत वृद्धि 6.34 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2011—12 में जहॉ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 47.27 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2022—23 में 49.88 प्रतिशत सम्भावित है।

3.1.3 सेवा क्षेत्रः— छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, स्थावर संपदा एवं अन्य सेवाओं की सर्वाधिक भागीदारी है।वर्ष 2017—18, 2018—19 ,2019—20, 2020—21, 2021—22 एवं 2022—23 में (स्थिर भाव पर) क्रमशः 1.79, 3.40, 10.82, —4.41, 9.80 तथा 9.21 के वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2012—13 से 2022—23 तक औसत वृद्धि 5.37 प्रतिशत परिलक्षित हो रही है। वर्ष 2011—12 में जहॉ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 34.63 प्रतिशत थी, यह वर्ष 2022—23 में 33.21 होना अनुमानित है।

4. वर्ष 2022—23 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड—ए) के समर्थन मूल्य क्रमशः 2,040 एवं 2,060 रू. प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। खरीफ खरीफ वर्ष 2021—22 में 21.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 97.99 टन धान की खरीदी की गई थी। किसानों को 24,49,841.81 लाख रूपये धान का समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है। इस वर्ष किसानों से 120.9 टन मक्का की खरीदी की गई तथा 22.60 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। नवम्बर, 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,678 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 कुल 13,507 उचित मूल्य दुकानें संचालित है। वर्तमान में कुल 72.71 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं।

5.1 वित्तीय वर्ष वर्ष 2022–23 में राजस्व प्राप्ति रू. 8,90,73.25 करोड़ एवं राजस्व व्यय रू. 8,83,71.61 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व घाटा रू. 701.64 करोड़ दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के कुल कर राजस्व में 7.55 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है। वर्ष 2022–23 के कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 51.94 प्रतिशत अनुमानित है।

5.2.1 वर्ष 2021–22 में वैट (प्रान्तीय) कर संग्रहण से सितंबर 2021 तक 2,242.51 करोड़ रू प्राप्त हुआ, तथा 31 मार्च 2022 की स्थिति में 3,088.74 करोड़ रू. प्राप्त हुआ। वर्ष 2022–23 में माह सितंबर 2022 तक 2,801.91 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.2 वर्ष 2021–22 में केन्द्रीय विक्रय कर संग्रहण से सितंबर 2021 तक 6.83 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, तथा 31 मार्च 2022 की स्थिति में 10.25 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हुई। साथ ही वर्ष 2022–23 में माह सितंबर 2022 तक 7.17 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.3 वर्ष 2021–22 में प्रवेश कर संग्रहण से सितंबर 2021 तक 15.06 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है, तथा 31 मार्च 2022 की स्थिति में 30.51 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हुई है। साथ ही वर्ष 2022–23 में माह सितंबर 2022 तक 18.22 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.4 वर्ष 2021–22 में स्थानीय कर संग्रहण से सितंबर 2021 तक 0.09 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है, तथा 31 मार्च 2022 की स्थिति में 0.24 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हुई है। साथ ही वर्ष 2022–23 में माह सितंबर 2022 तक 0.46 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.5 वर्ष 2021–22 में SGST संग्रहण से माह सितंबर 2021 तक 3,110.52 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, तथा ISGST संग्रहण से 1,176.66 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को 633.82 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

5.2.6 वर्ष 2021–22 में SGST संग्रहण से 31 मार्च 2022 तक 3,607.69 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, तथा IGST संग्रहण से 1,588.61 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को 583.03 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जून 2022 की स्थिति में बैंक जमा राशि 2,14,424.87 करोड़ है, जो कि जून 2021 की तुलना में 11.84

प्रतिशत अधिक है। इस संदर्भ अवधि में कृषि क्षेत्र में क्रेडिट (अग्रिम) में 20.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.1 वर्तमान में प्रदेश में मार्च 2022 की स्थिति में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 21.47 लाख हेक्टेयर हो गई है। वर्तमान में 08 वृहद, 38 मध्यम, 2,477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट/स्टॉपडेम निर्मित हैं।

7.2 राज्य में मत्स्योत्पादन समस्त स्त्रोतों से वर्ष 2021–22 में 5,91,284 मे. टन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 2.42 प्रतिशत अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.999 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 1.961 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 98.09 प्रतिशत है।

7.3 गोधन न्याय योजना के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल 21647 पशुपालकों से 23,54,513.47 क्विंटल गोबर की खरीदी किया जा चुका है वर्तमान में कुल 5,82,361.024 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 24,781.768 क्विंटल गोकाष्ठ, 2,06,79017 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट तैयार किया जा चुका है तथा इनके विक्रय से कुल राशि रू. 24,72,98,410.2 प्राप्त किया जा चुका है।

8.1 31 मार्च 2022 की स्थिति में कोयले का उत्पादन 1,54,120 हजार टन, लौह अयस्क का 41,313 हजार टन, चूना पत्थर का 41,888 हजार टन, बाक्साइट का 968 हजार टन, तथा टिन का 26,383 कि.ग्राम उत्पादन हुआ है।

8.2 विगत वर्ष 2021–22 में छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्य खनिज से 7,320.35 करोड़ रू. आय हुई, वहीं गौण खनिजों से इसी अवधि में 252.85 करोड़ रू. आय हुई है। राज्य की खनिज राजस्व आय मूलतः कोयला एवं लौह अयस्क से ही प्राप्त होती है।

9.1 राज्य में सुनियोजित विकास के लिये वर्तमान में ''औद्योगिक नीति 2019–24'' अपनायी गई है। राज्य में वर्ष 2021–22 में लगभग 19,725 करघों पर लगभग 59,175 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं।

10.1 राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 17,953.18 मिलियन यूनिट (तापीय 17515.518 जलीय 431.39 एवं अन्य सह–उत्पादन 6.270 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया। अक्टूबर 2022 की स्थिति में कुल स्थापित

क्षमता 2,984.70 मेगावाट है। इसमें 2,840 मेगावाट ताप विद्युत, 138.7 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पा.) की स्थापित क्षमता है। वर्ष 2021–22 में वितरण हानि का प्रतिशत 18.13 रहा।

10.2 हॉफ बिजली बिल स्कीम अंतर्गत वर्ष 2021–22 में सितंबर 2021 तक राज्य के लगभग 41.94 लाख उपभोक्ताओं को रू. 548.77 करोड़ की छूट दी जा चुकी है।

11. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अंतर्गत वर्ष 2022–23 में सितम्बर तक 13.55 लाख परिवारों को रोजगार, 325.57 लाख मानव दिवस सृजित, महिलाओं का प्रतिशत 52 है। वर्ष 2022–23 में सितम्बर तक 6,185 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।

12. वर्ष 2022–23 में सितंबर 2022 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 19,678 ग्रामों के 75,233 बसाहटों में 2,51,042 हैंडपंप, शालाओं में 16,716 एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में 14,577 हैण्डपम्प इस प्रकार कुल 2,82,335 हैण्डपम्प स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022–23 में सितंबर, 2022 की स्थिति में कुल 4,83,034 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

13. वर्ष 2021–22, माह अगस्त 2021 तक 1,17,360 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है तथा (31 मार्च 22) तक 4,06,857 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 22 तक 1,85,571 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

जनसंख्या

02

जनसंख्या

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2011 (वास्तविक) एवं वर्ष 2021 (अनुमानित) लिंगानुपात भारत के क्रमशः 943 व 900 है इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के क्रमशः 991 व 955 है।
- वर्ष 2021 से 2025 हेतु पुरूष एवं महिला की अनुमानित जीवन प्रत्याशा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये क्रमशः 69.40 एवं 72.70 है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के लिये वर्ष 2010–11 (वास्तविक) तथा वर्ष 2021–25 (अनुमानित) अशोधित जनमदर क्रमशः 22.5 तथा 17.8 है, इसी प्रकार अशोधित मृत्यु दर क्रमशः 8.1 तथा 7.3 है।
- वर्ष 2011 (वास्तविक) एवं 2023 (अनुमानित) हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर क्रमशः 70.28 प्रतिशत तथा 74.53 प्रतिशत है।
- जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 (वास्तविक) तथा 2023 (अनुमानित) जनसंख्या घनत्व क्रमशः 189 तथा 223 है।

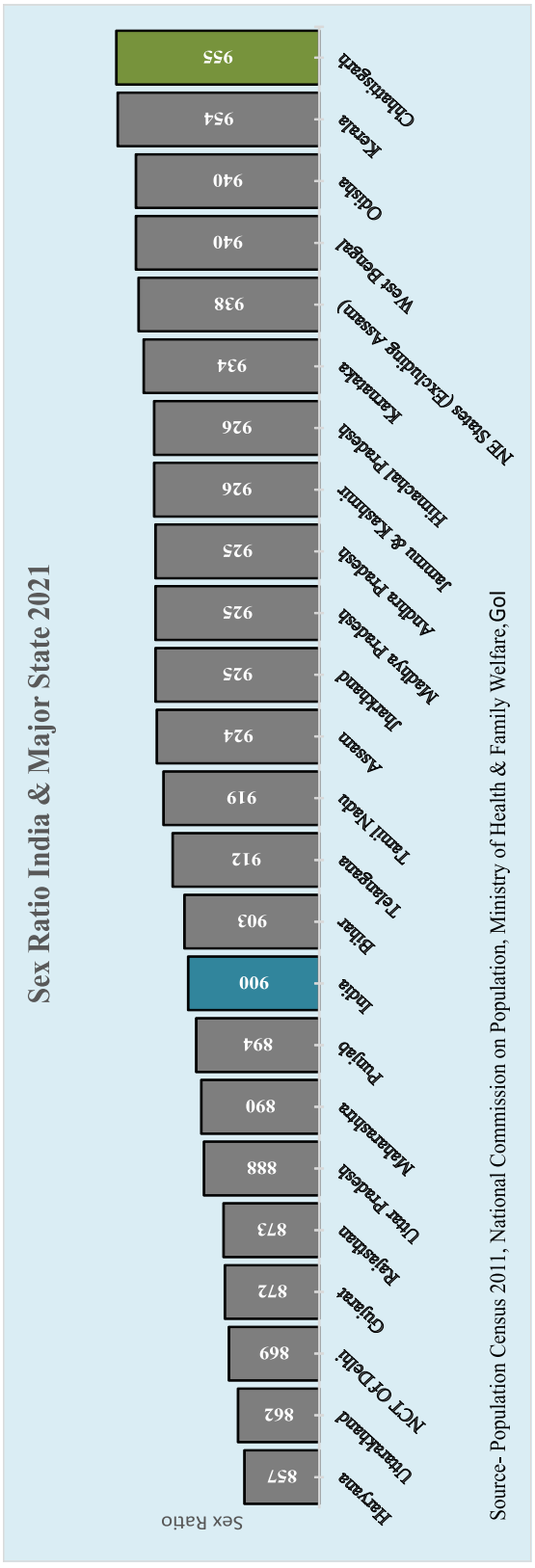
Sex Ratio India & Major State 2021
Haryana 857
Uttarakhand 862
NCT Of Delhi 869
Gujarat 872
Rajasthan 873
Uttar Pradesh 888
Maharashtra 890
Punjab 894
India 900
Bihar 903
Telangana 912
Tamil Nadu 919
Assam 924
Jharkhand 925
Madhya Pradesh 925
Andhra Pradesh 925
Jammu & Kashmir 926
Himachal Pradesh 926
Karnataka 934
NE States (Excluding Assam) 938
West Bengal 940
Odisha 940
Kerala 954
Chhattisgarh 955
Sex Ratio
Source- Population Census 2011, National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

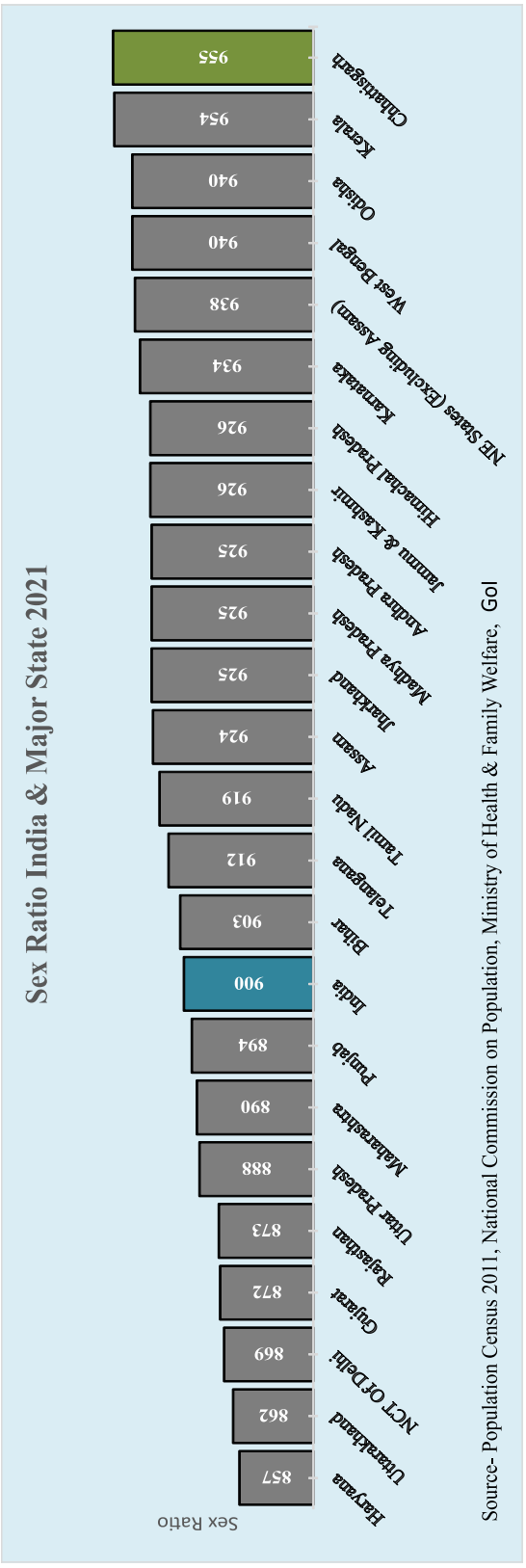
Sex Ratio India & Major State 2021
Haryana 857
Uttarakhand 862
NCT Of Delhi 869
Gujarat 872
Rajasthan 873
Uttar Pradesh 888
Maharashtra 890
Punjab 894
India 900
Bihar 903
Telangana 912
Tamil Nadu 919
Assam 924
Jharkhand 925
Madhya Pradesh 925
Andhra Pradesh 925
Jammu & Kashmir 926
Himachal Pradesh 926
Karnataka 934
NE States (Excluding Assam) 938
West Bengal 940
Odisha 940
Kerala 954
Chhattisgarh 955
Sex Ratio
Source- Population Census 2011, National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

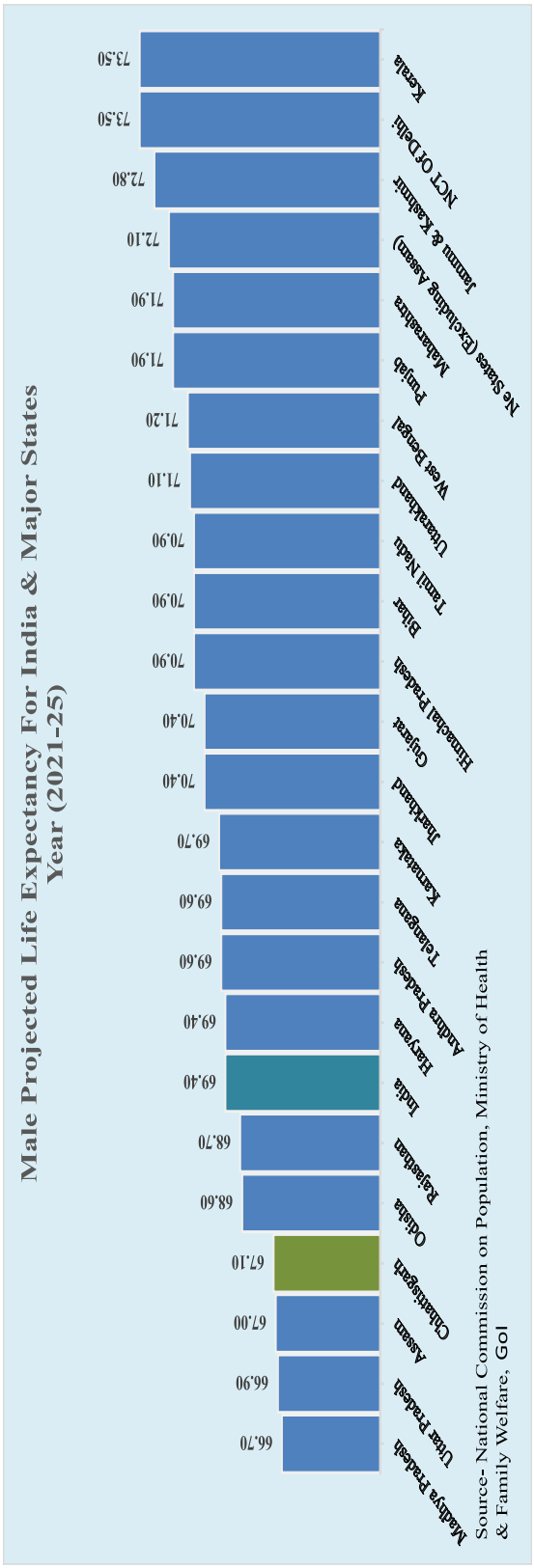
Male Projected Life Expectancy For India & Major States
Year (2021-25)
Madhya Pradesh 66.70
Uttar Pradesh 66.90
Assam 67.00
Chhattisgarh 67.10
Odisha 68.60
Rajasthan 68.70
India 69.40
Haryana 69.40
Andhra Pradesh 69.60
Telangana 69.60
Karnataka 69.70
Jharkhand 70.40
Gujarat 70.40
Himachal Pradesh 70.90
Bihar 70.90
Tamil Nadu 70.90
Uttarakhand 71.10
West Bengal 71.20
Punjab 71.90
Maharashtra 71.90
Ne States (Excluding Assam) 72.10
Jammu & Kashmir 72.80
NCT Of Delhi 73.50
Kerala 73.50
Source- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

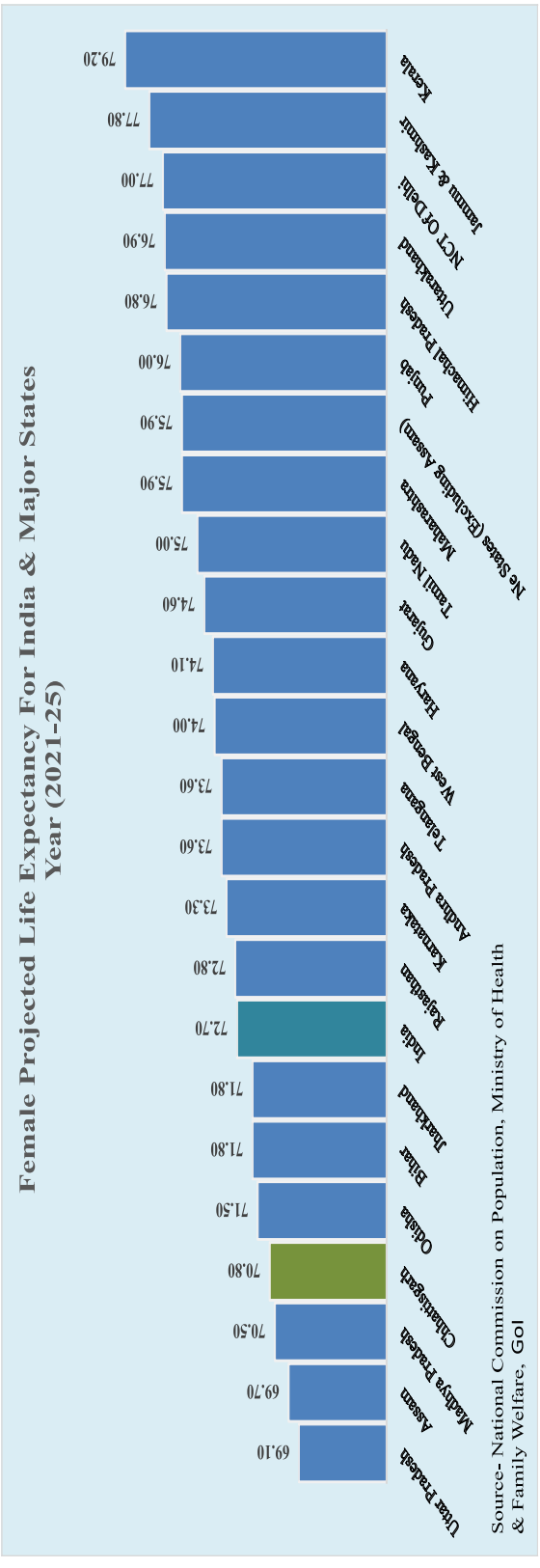
Female Projected Life Expectancy For India & Major States
Year (2021-25)
Uttar Pradesh 69.10
Assam 69.70
Madhya Pradesh 70.50
Chhattisgarh 70.80
Odisha 71.50
Bihar 71.80
Jharkhand 71.80
India 72.70
Rajasthan 72.80
Karnataka 73.30
Andhra Pradesh 73.60
Telangana 73.60
West Bengal 74.00
Haryana 74.10
Gujarat 74.60
Tamil Nadu 75.00
Maharashtra 75.90
Ne States (Excluding Assam) 75.90
Punjab 76.00
Himachal Pradesh 76.80
Uttarakhand 76.90
NCT Of Delhi 77.00
Jammu & Kashmir 77.80
Kerala 79.20
Source- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

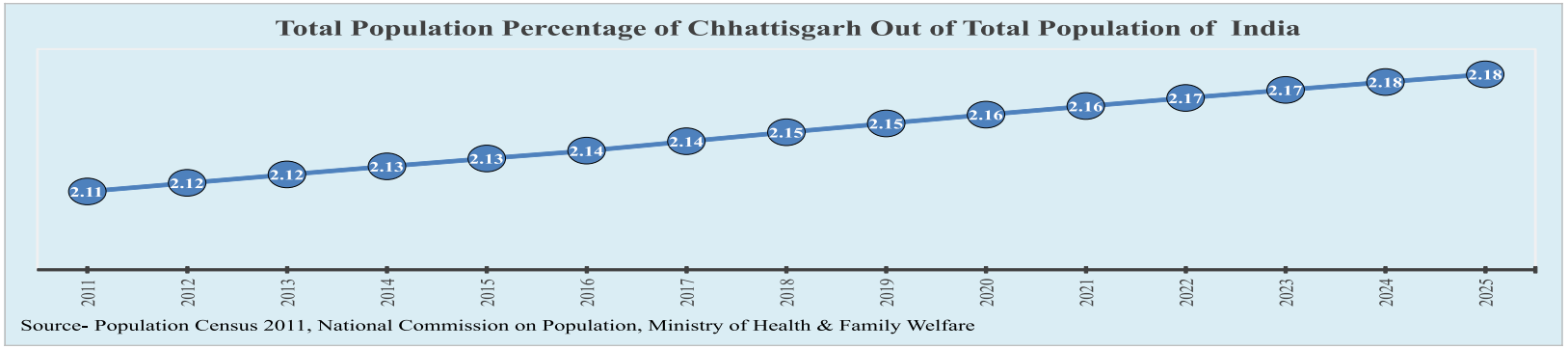

Source- Population Census 2011, National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare

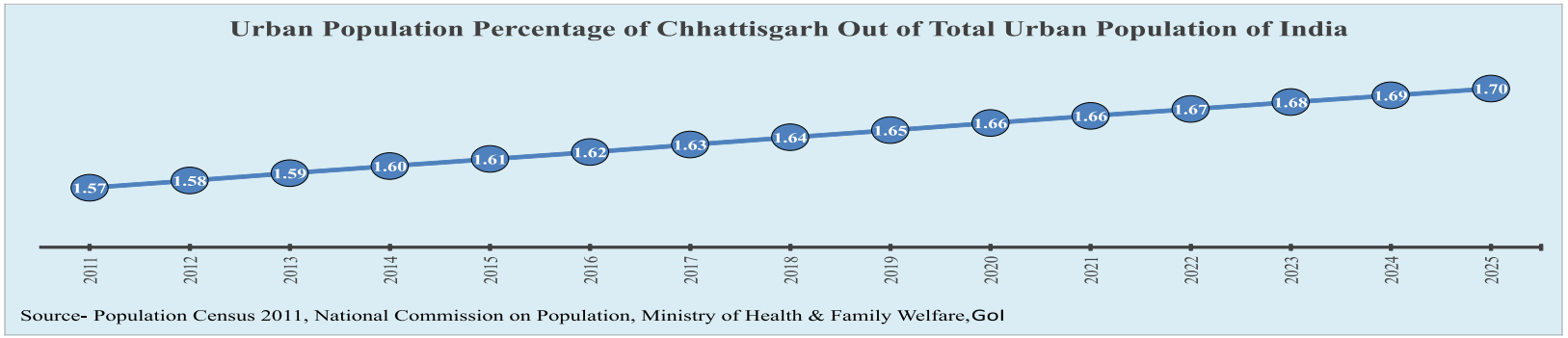

Source- Population Census 2011, National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare,GoI

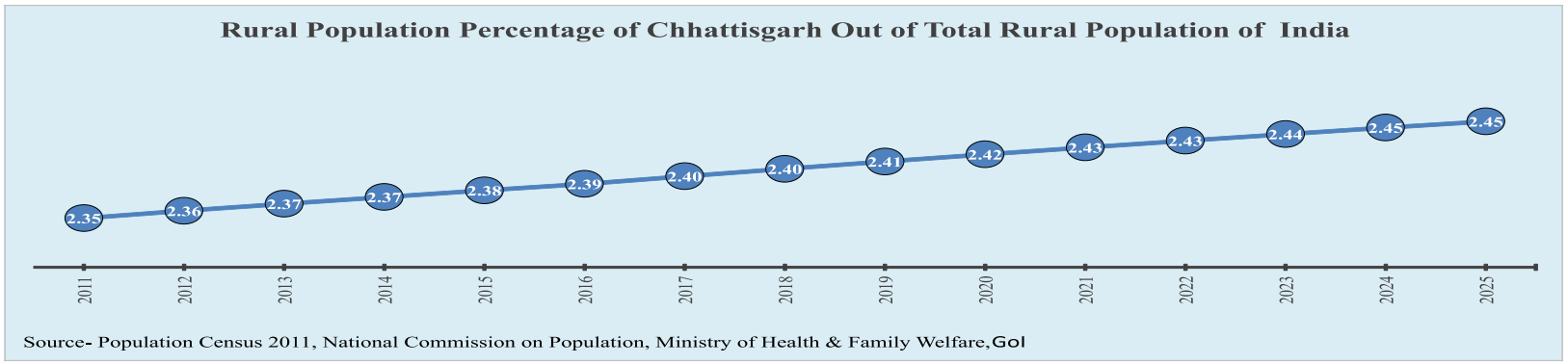

Source- Population Census 2011, National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare,GoI

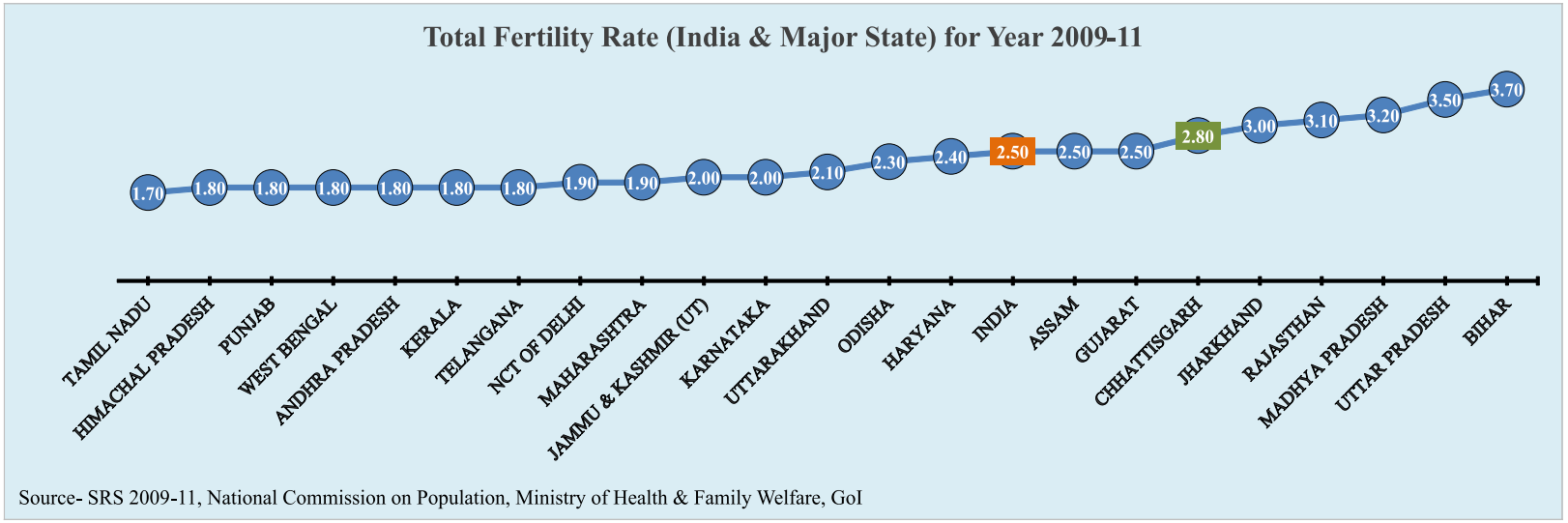

Source- SRS 2009-11, National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

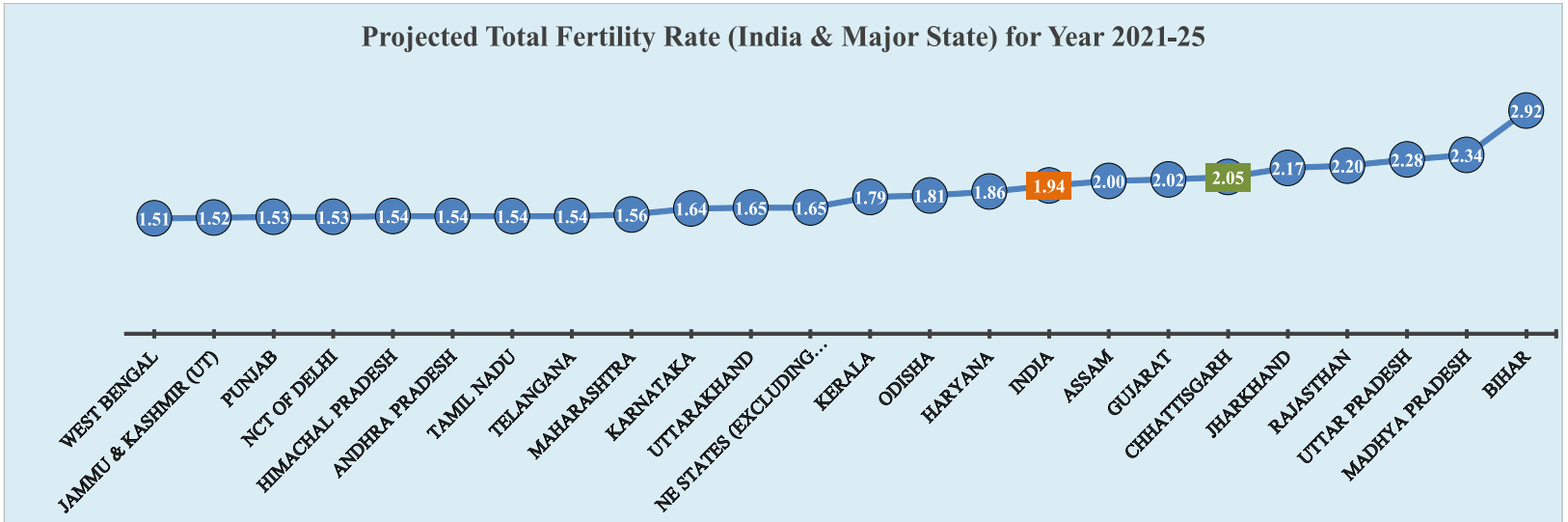

Source- SRS 2009-11, National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

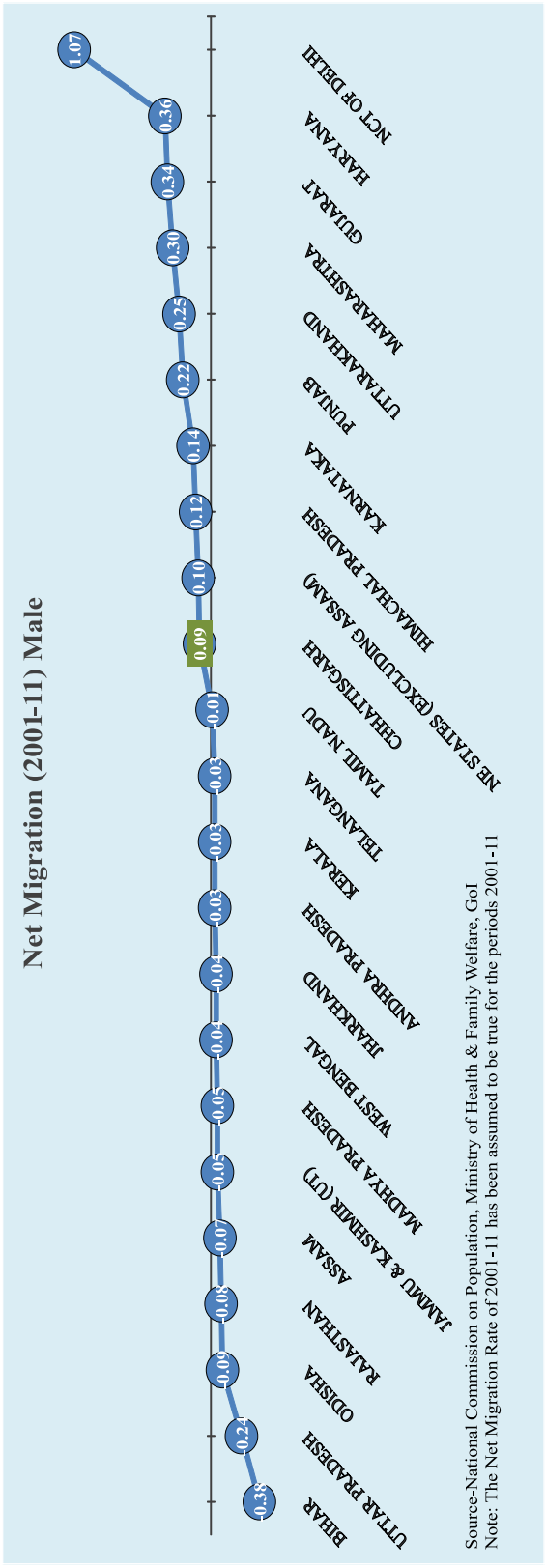
Net Migration (2001-11) Male
1.07
0.36
0.34
0.30
0.25
0.22
0.14
0.12
0.10
0.09
-0.01
-0.03
-0.03
-0.03
-0.04
-0.04
-0.05
-0.05
-0.06
-0.07
-0.08
-0.09
-0.24
-0.38
BIHAR
UTTAR PRADESH
ODISHA
RAJASTHAN
ASSAM
JAMMU & KASHMIR (UT)
MADHYA PRADESH
WEST BENGAL
JHARKHAND
ANDHRA PRADESH
KERALA
TELANGANA
TAMIL NADU
CHHATTISGARH
NE STATES (EXCLUDING ASSAM)
HIMACHAL PRADESH
KARNATAKA
PUNJAB
UTTARAKHAND
MAHARASHTRA
GUJARAT
HARYANA
NCT OF DELHI
Source-National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI
Note: The Net Migration Rate of 2001-11 has been assumed to be true for the periods 2001-11

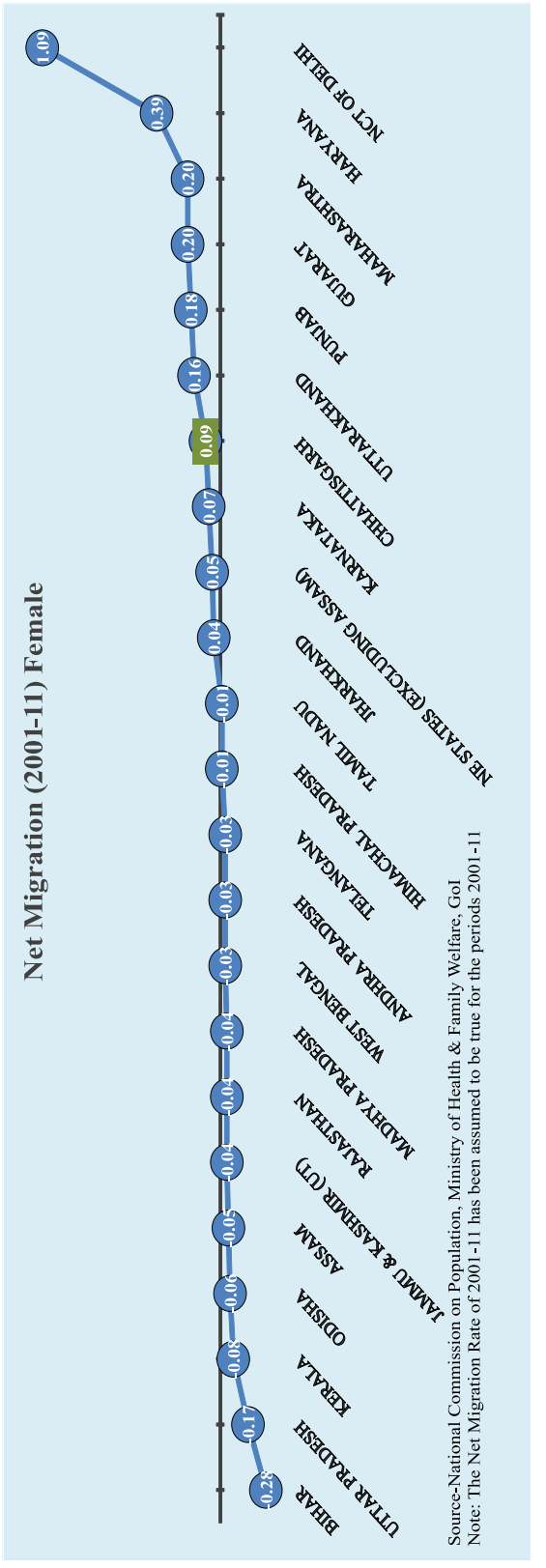
Net Migration (2001-11) Female
1.09
0.39
0.20
0.20
0.18
0.16
0.09
0.07
0.05
0.04
-0.0
-0.0
-0.03
-0.03
-0.03
-0.04
-0.04
-0.05
-0.07
-0.08
-0.17
-0.28
BIHAR
UTTAR PRADESH
KERALA
ODISHA
ASSAM
JAMMU & KASHMIR (UT)
RAJASTHAN
MADHYA PRADESH
WEST BENGAL
ANDHRA PRADESH
TELANGANA
HIMACHAL PRADESH
TAMIL NADU
JHARKHAND
NE STATES (EXCLUDING ASSAM)
KARNATAKA
CHHATTISGARH
UTTARAKHAND
PUNJAB
GUJARAT
MAHARASHTRA
HARYANA
NCT OF DELHI
Source-National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI
Note: The Net Migration Rate of 2001-11 has been assumed to be true for the periods 2001-11

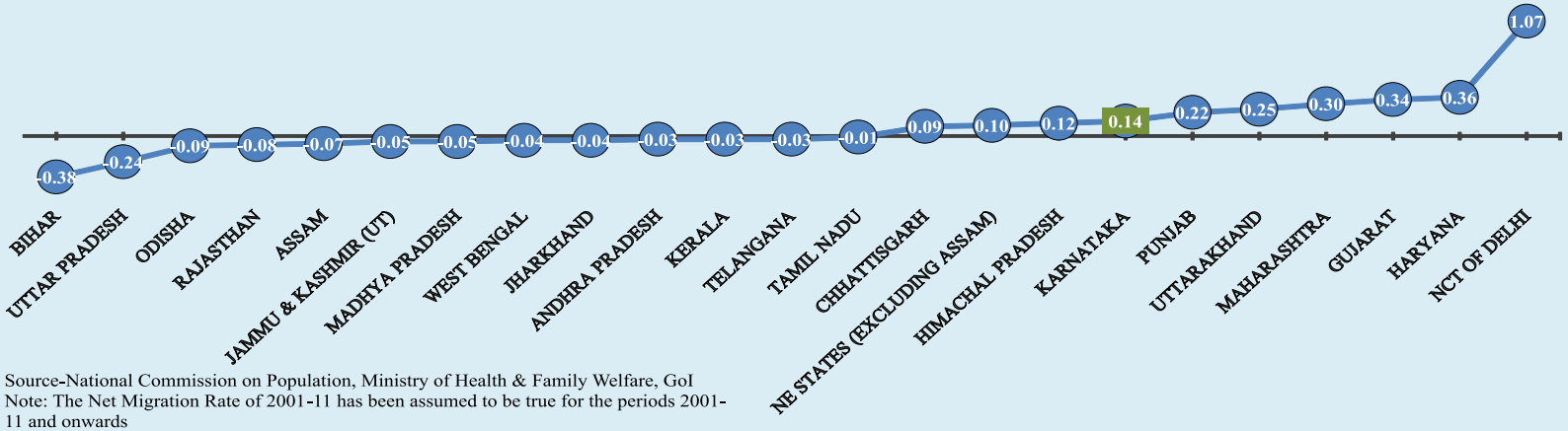

Source-National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI
Note: The Net Migration Rate of 2001-11 has been assumed to be true for the periods 2001-11 and onwards

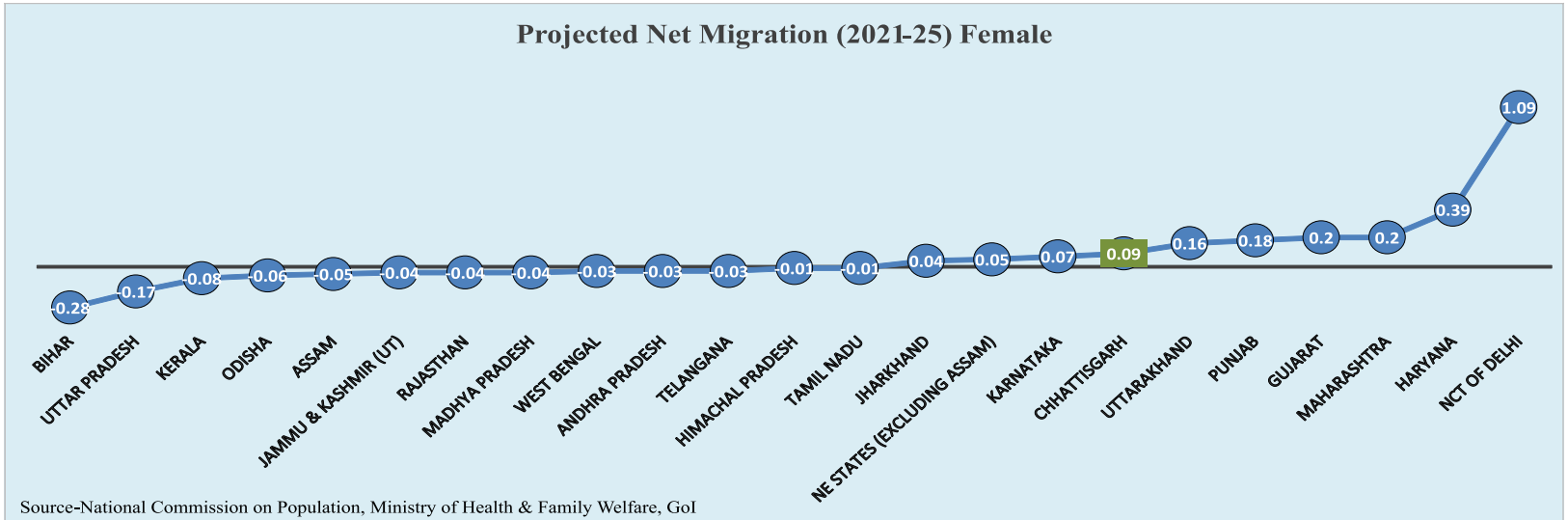

Source-National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI
Note: The Net Migration Rate of 2001-11 has been assumed to be true for the periods 2001-11 and onwards

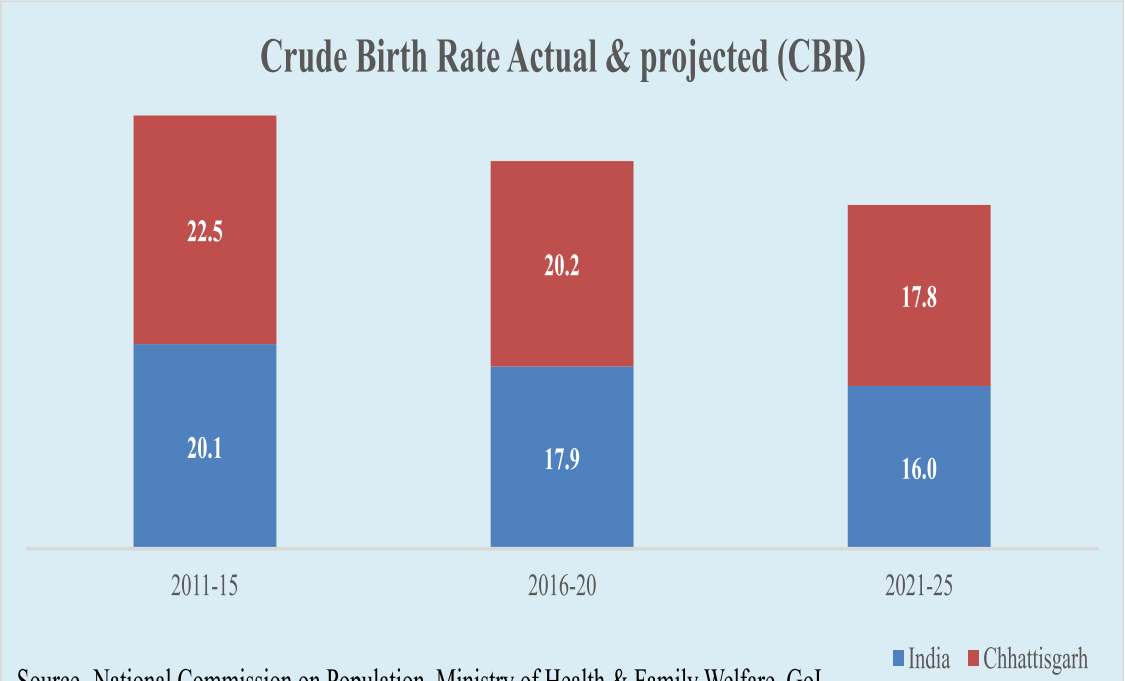

Source- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

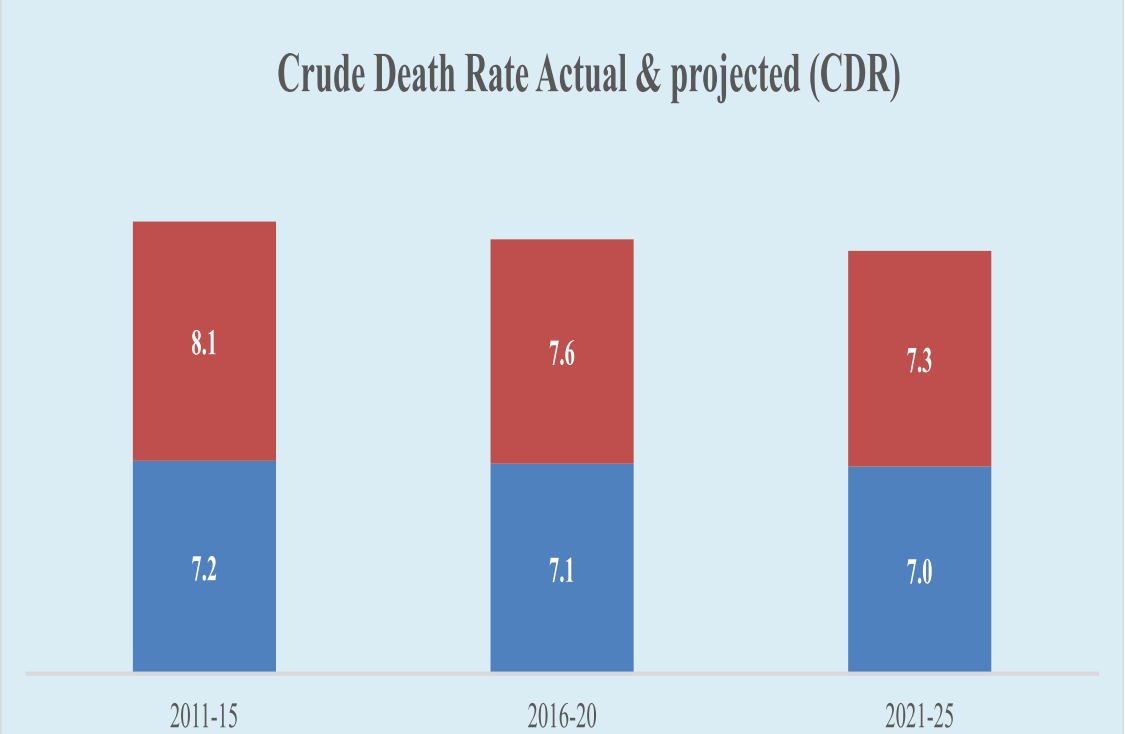

Source- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

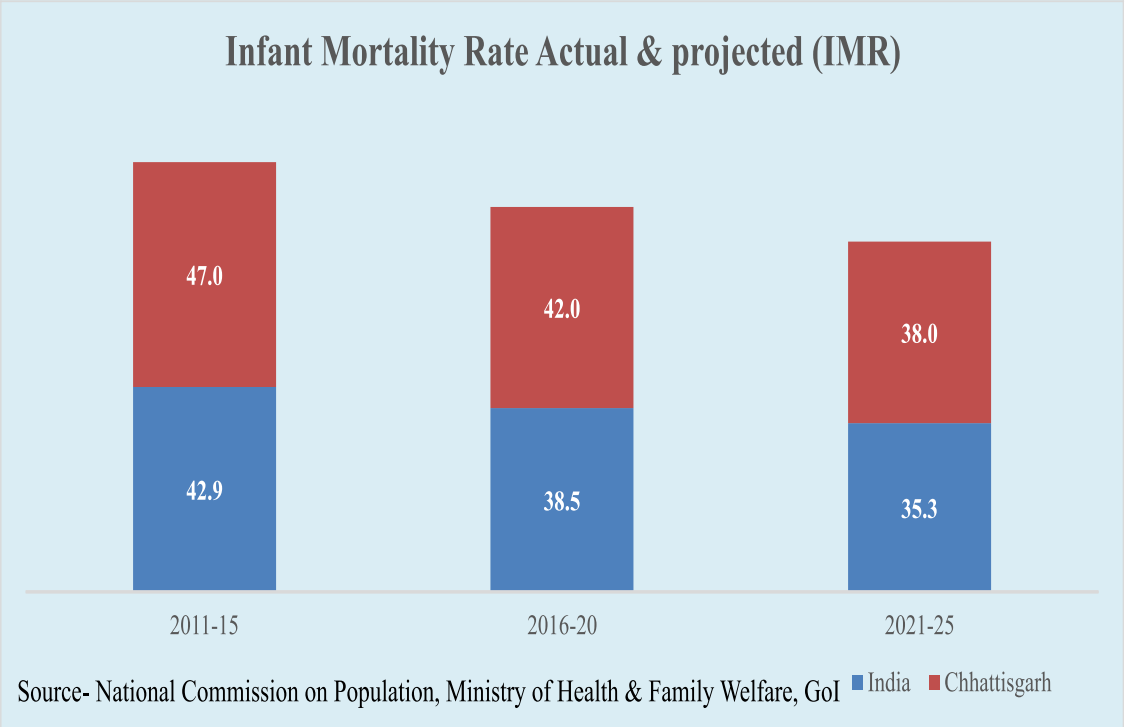
Infant Mortality Rate Actual & projected (IMR)
47.0
42.9
42.0
38.5
38.0
35.3
2011-15
2016-20
2021-25
Source- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI
India
Chhattisgarh

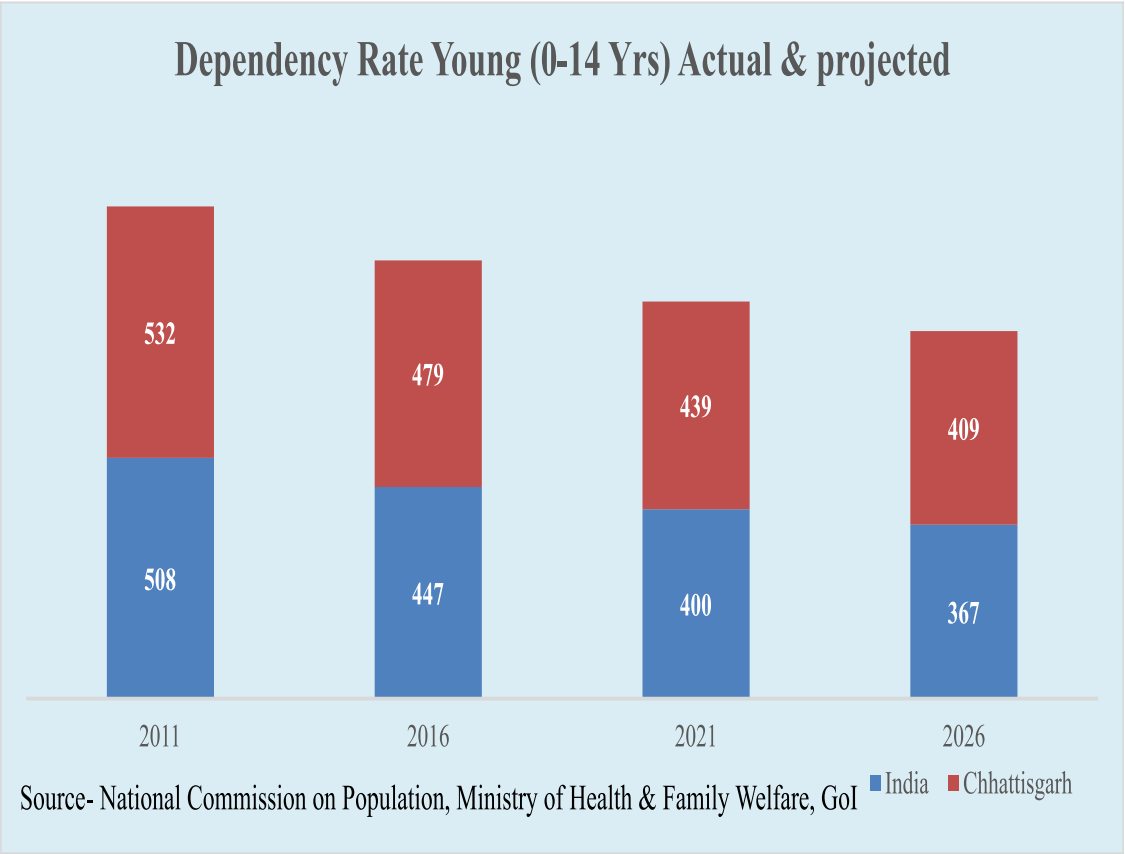
Dependency Rate Young (0-14 Yrs) Actual & projected
532
508
479
447
439
400
409
367
2011
2016
2021
2026
Source- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI
India
Chhattisgarh

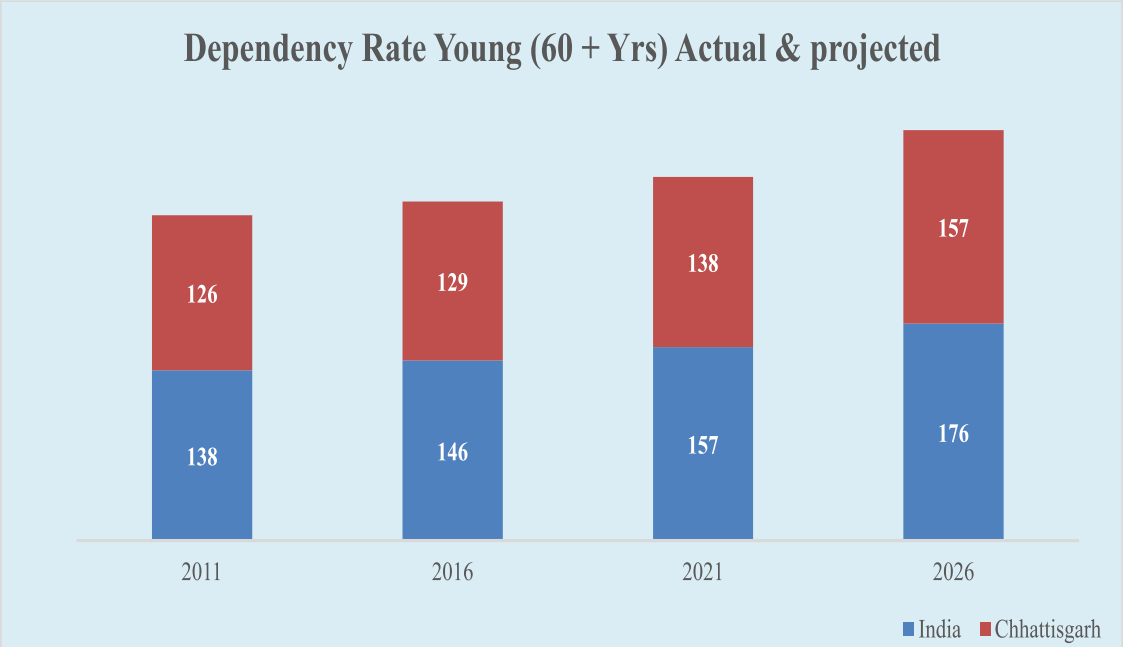

Source- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

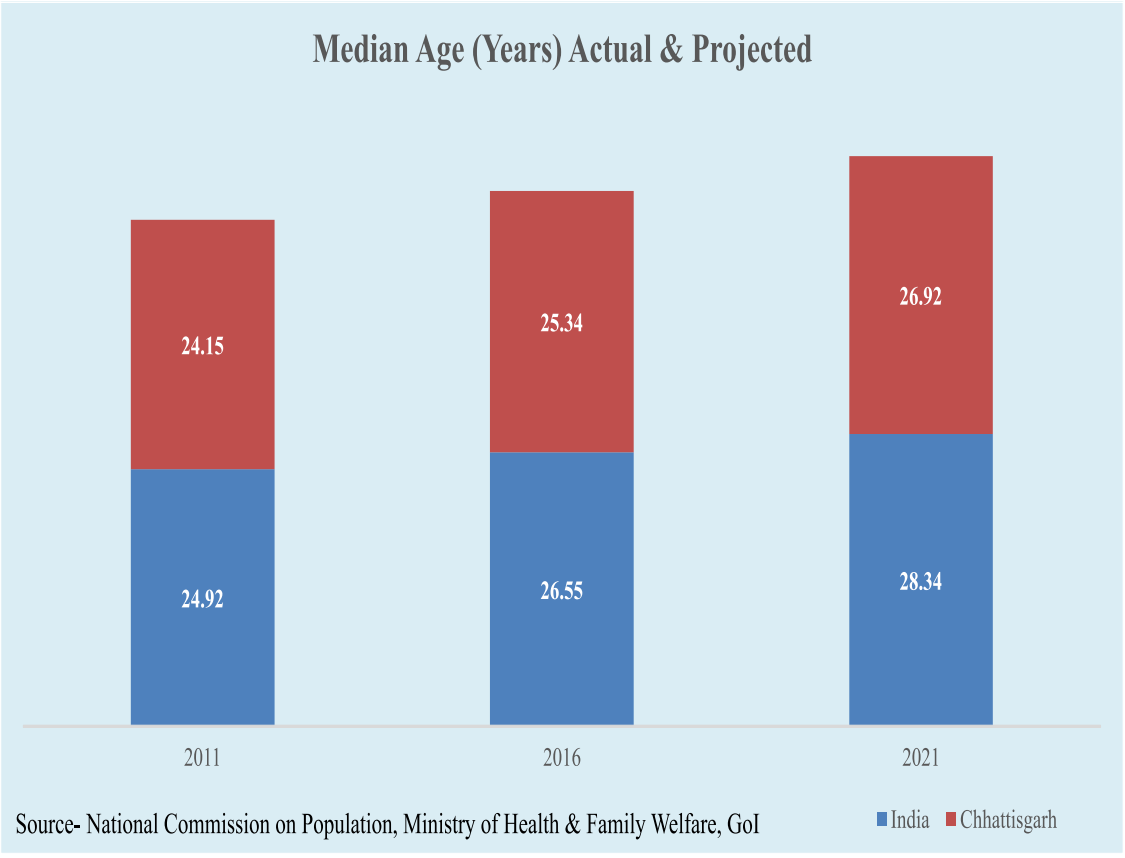

Source- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

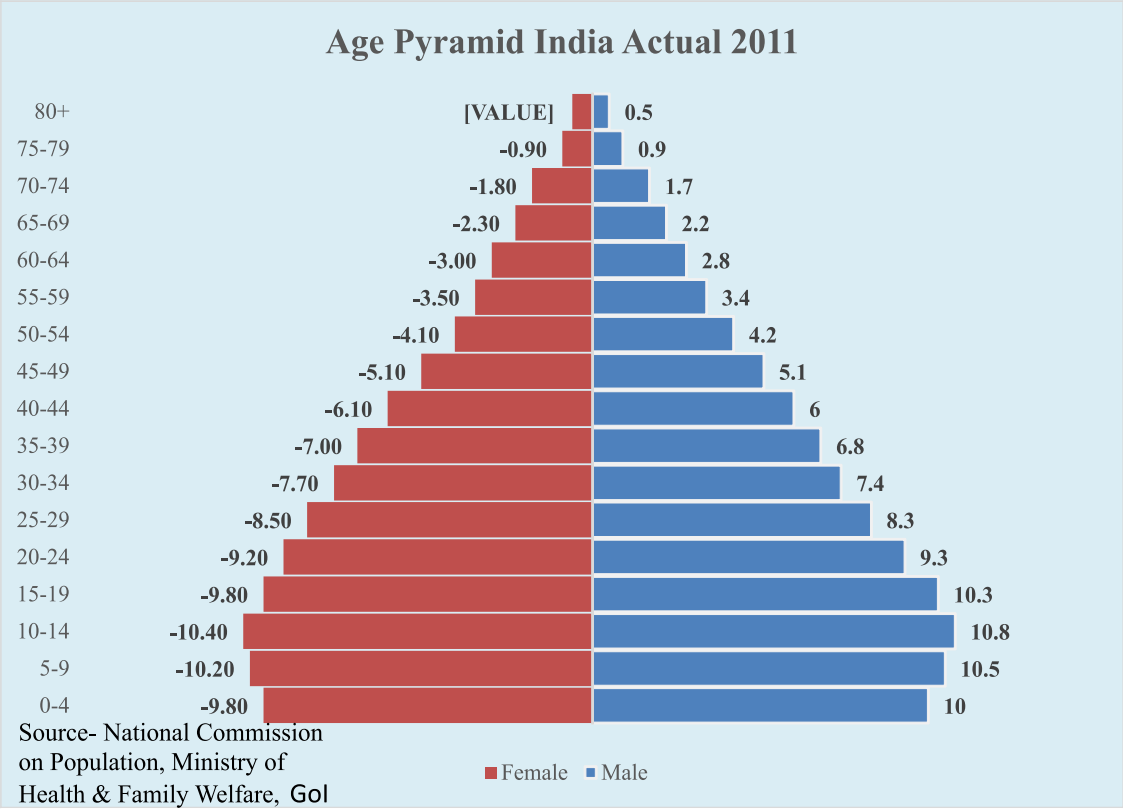

Source- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

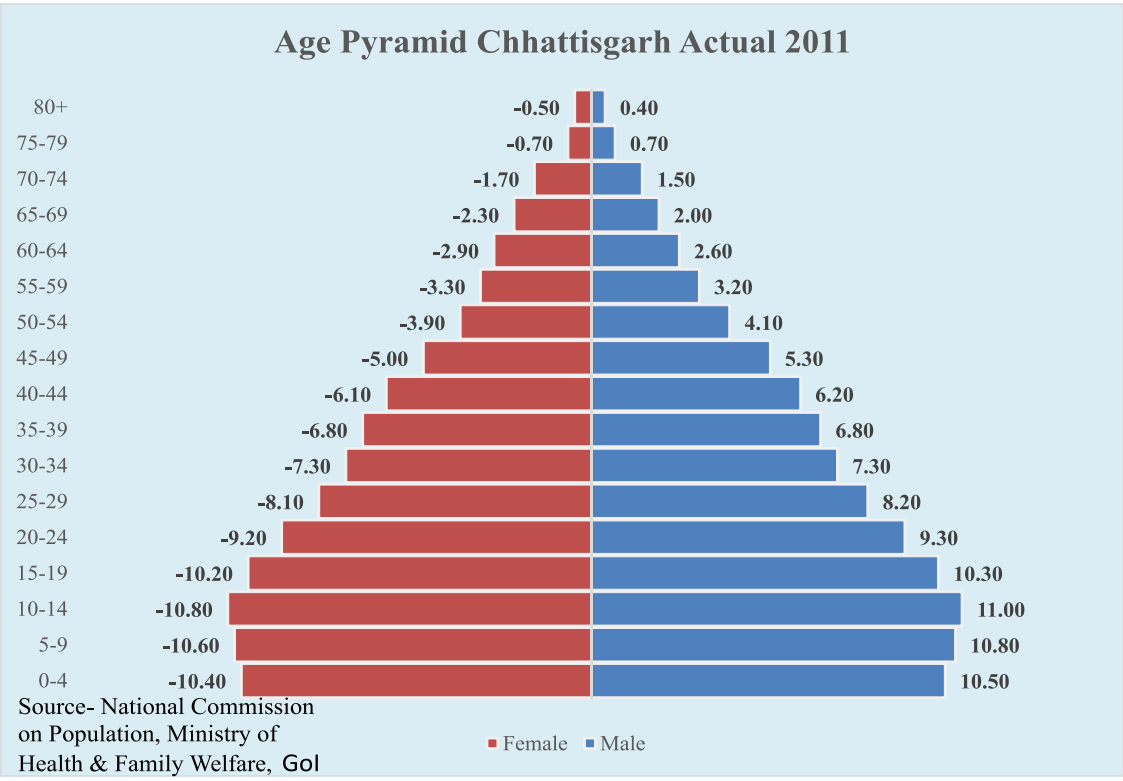

Source- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

Age Pyramid India Projected 2021

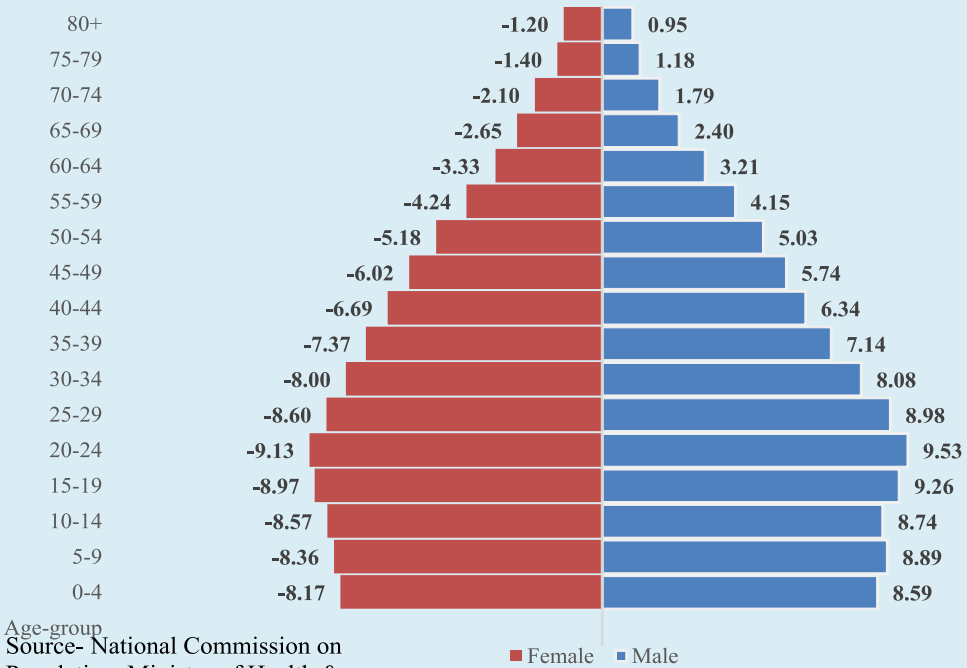

Source- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare

Age Pyramid Chhattisgarh Projected 2021

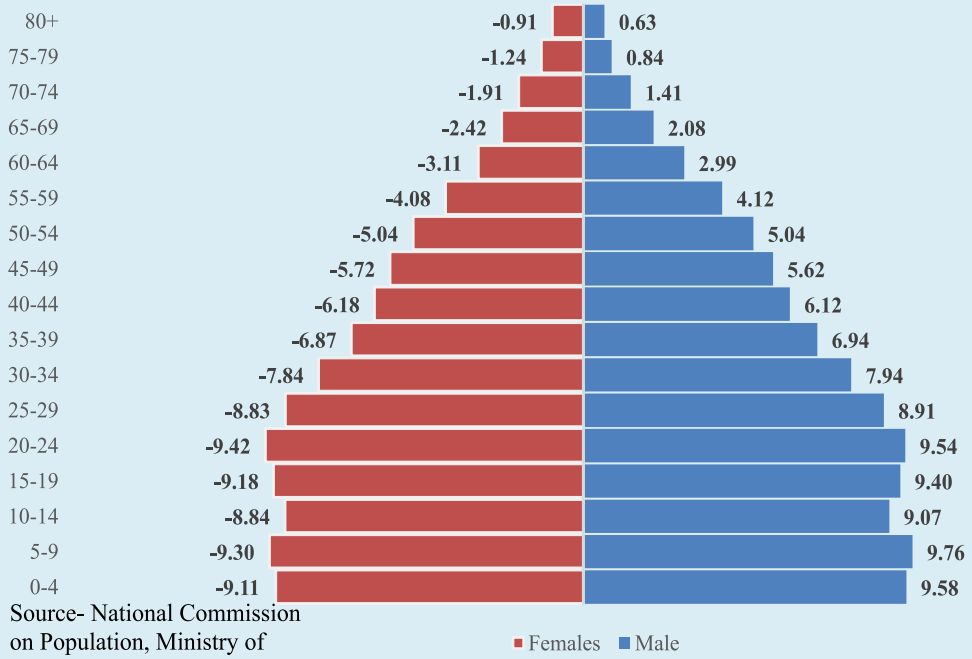

Source- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

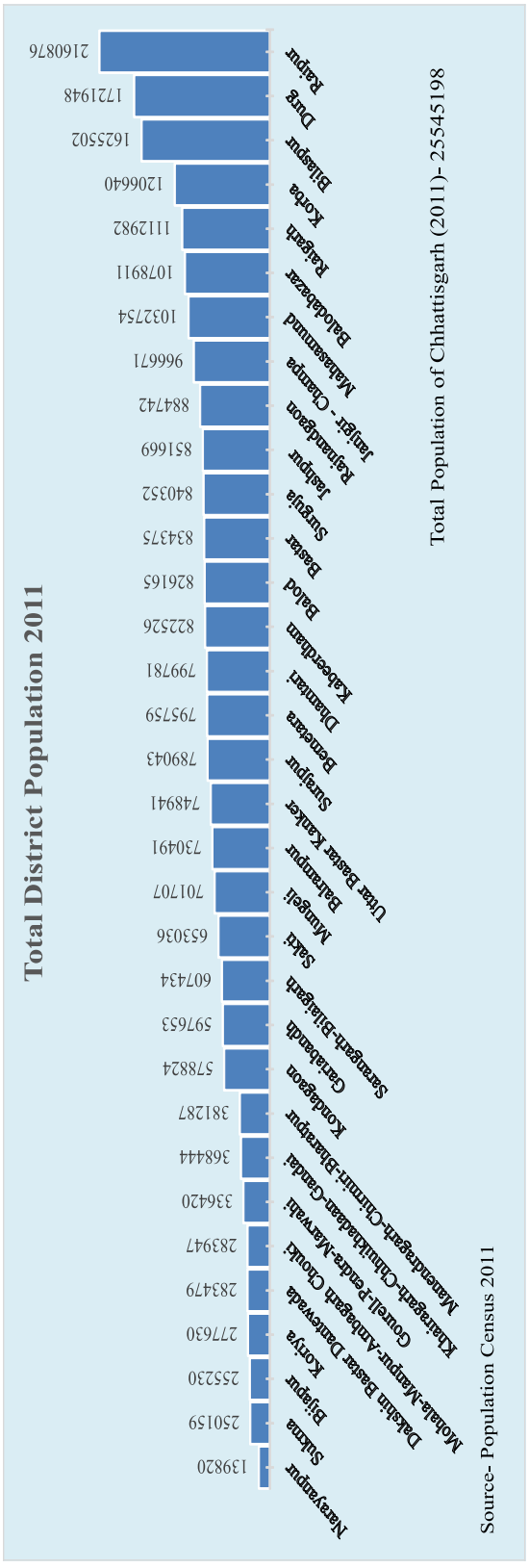
Total District Population 2011
Total Population of Chhattisgarh (2011)- 2554519
Source- Population Census 2011
Narayanpur 139820
Sukma 250159
Bijapur 255230
Korya 277630
Dakshin Bastar Dantewada 283479
Gourel-P endra-Marwahi 283947
Mohala-Manpur-Ambagarh Chouki 336420
Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai 368444
Kawardha 381287
Garibandh 578824
Sarangarh-Bilaigarh 597653
Sakti 607434
Mungeli 653036
Balrampur 701707
Uttar Bastar Kanker 730491
Surajpur 748941
Bemetara 789043
Dhamtari 795759
Kabeerdham 799781
Balod 822526
Bastar 826165
Surguja 834375
Jashpur 840352
Rajnandgaon 851669
Janjgir - Champa 884742
Mahasamund 966671
Balodabazar 1032754
Raigarh 1078911
Kanker 1112982
Baloda 1206640
Bilaspur 1625502
Durg 1721948
Raipur 2160876
Projected Total Districts Population 2023
Projected Total Population of Chhattisgarh (2011) - 30180000
Source- (a)- Population Census 2011, (b)- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI
Narayanpur 159170
Sukma 263899
Bijapur 270799
Korya 315863
Dakshin Bastar Dantewada 316236
Gourel-P endra-Marwahi 321263
Mohala-Manpur-Ambagarh Chouki 382609
Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai 405799
Kawardha 440813
Garibandh 661391
Sarangarh-Bilaigarh 680276
Uttar Bastar Kanker 717928
Sakti 786418
Balrampur 838250
Dhamtari 859440
Balod 881838
Mungeli 888248
Surajpur 904305
Jashpur 912744
Bastar 949814
Surguja 955384
Rajnandgaon 960788
Bemetara 1024626
Kabeerdham 1045939
Janjgir - Champa 1071907
Mahasamund 1131279
Raigarh 1199263
Kanker 1282512
Baloda 1393380
Balodabazar 1476890
Durg 1919702
Bilaspur 2061985
Raipur 2699240

Total SC Population 2011 (District Level)
Raipur 358674
Bilaspur 337420
Durg 245587
Janjgir - Champa 238520
Baloda Bazar 229792
Mungeli 194770
Sarangarh-Bilaigarh 173819
Sakti 159388
Bemetara 144022
Mahasamund 139581
Raigarh 126349
Korba 124679
Kabeerdham 119798
Rajnandgaon 95782
Baloda 68431
Gariaband 60558
Dhamtari 58581
Jashpur 48844
Surguja 42830
Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai 40119
Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur 40090
Kondagaon 32936
Balrampur 32732
Uttar Bastar Kanker 31543
Gowell-P endra-Marwahi 23204
Koriya 21840
Mohala-Manpur-Ambagarh Chouki 20802
Bastar 20722
Dakshin Bastar Dantewada 14759
Bijapur 10220
Narayanpur 10122
Sukma 4979
2776
Total SC Population of Chhattisgarh (2011) - 327469
Source- Population Census 2011
Total SC Population (%) 2011 (District Level)
Saranggarh-Bilaigarh 28.62
Janjgir - Champa 27.76
Mungeli 24.67
Sakti 24.41
Baloda Bazar 21.30
Bilaspur 20.76
Bemetara 18.10
Raipur 16.60
Kabeerdham 14.56
Durg 14.26
Mahasamund 13.52
Raigarh 11.35
Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai 10.89
Rajnandgaon 10.83
Korba 10.33
Gariaband 10.13
Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur 8.64
Baloda 8.28
Korriya 7.87
Dhamtari 7.32
Mohala-Manpur-Ambagarh Chouki 7.30
Gowell-P endra-Marwahi 6.18
Jashpur 5.74
Surguja 5.43
Balrampur 4.77
Uttar Bastar Kanker 4.48
Kondagaon 4.21
Bijapur 4.01
Dakshin Bastar Dantewada 3.97
Bastar 3.61
Narayanpur 3.56
Sukma 1.77
1.11
Total SC Population % of Chhattisgarh (2011) - 12.82
Source- Population Census 2011

Total Projected ST Population (%) 2023 (Distric Level)
Raigarh 4.38
Bemetara 4.59
Durg 5.87
Janjgir - Champa 8.01
Mungeli 10.11
Saranggarh-Bilaigarh 12.54
Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai 13.82
Baloda Bazar 13.90
Bilaspur 14.09
Kabeerdham 16.54
Rajnandgaon 19.96
Dhamtari 20.11
Mahasamund 25.69
Baloda 27.17
Gariaband 31.55
Raigarh 35.65
Korba 38.20
Koriya 40.40
Surjpur 44.79
Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur 45.81
Uttar Bastar Kanker 50.32
Gouel-P-enda-Marwahi 54.75
Surguja 56.93
Jashpur 57.74
Bastar 61.40
Mohala-Manpur-Ambagarh Chouki 62.73
Balrampur 62.83
Dakshin Bastar Dantewada 63.44
Kondagaon 71.63
Narayanpur 71.65
Bijapur 77.68
Sukma 79.10
82.63
Projected Total SC Population (%) of Chhattisgarh (2023)- 29.71
Source- (a)- Population Census 2011, (b)- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI
Total Projected ST Population 2023 (Distric Level)
Bemetara 4818
Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai 6090
Saranggarh-Bilaigarh 9005
Janjgir - Champa 9062
Mungeli 9144
Durg 11260
Raipur 11835
Narayanpur 12363
Sakti 13006
Korba 14148
Mohala-Manpur-Ambagarh Chouki 19869
Baloda Bazar 20421
Rajnandgaon 20534
Kabeerdham 20607
Bijapur 21392
Gouel-P-enda-Marwahi 21420
Sukma 21781
Dhamtari 21805
Dakshin Bastar Dantewada 22652
Gariaband 23011
Baloda 24253
Bilaspur 28025
Mahasamund 29059
Surjpur 32579
Uttar Bastar Kanker 41813
Kondagaon 45896
Raigarh 47385
Balrampur 48997
Surguja 54480
Korba 56295
Jashpur 58319
Bastar 59930
Projected Total SC Population of Chhattisgarh (2023) - 8967720
Source- (a)- Population Census 2011, (b)- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare, GoI

Total Literacy Rate (%) 2011 (District Level)
Sukma 34.81
Bijapur 40.86
Narayanpur 48.62
Dakshin Bastar Dantewada 48.63
Bastar 53.15
Kondagaon 56.21
Balrampur 57.98
Kabeerdham 60.85
Surguja 60.86
Mungeli 60.95
Gaurella-Pendra-Marwahi 64.75
Jashpur 65.21
Gariaband 67.92
Bemetara 68.26
Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai 69.87
Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur 70.01
Uttar Bastar Kanker 70.04
Sakti 70.29
Sarangarh-Bilaigarh 71.00
Mahasamund 71.01
Baloda Bazar 71.02
Koriya 71.07
Korba 71.47
Raigarh 72.37
Bilaspur 73.56
Janjgir - Champa 74.46
Mohala-Manpur-Ambagarh Chouki 74.49
Dhamtari 75.69
Rajnandgaon 78.36
Balod 78.46
Raipur 80.28
Durg 80.52
82.56
Source- Population Census 2011
Total Literacy Rate (%) of Chhattisgarh (2011) - 70.28
Projected Total Literacy Rate (%) 2023 District Level
Sukma 44.35
Bijapur 50.69
Narayanpur 57.00
Dakshin Bastar Dantewada 59.63
Bastar 60.74
Balrampur 60.82
Surguja 63.43
Kabeerdham 64.33
Kondagaon 65.49
Uttar Bastar Kanker 67.59
Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai 68.05
Mungeli 69.02
Gaurella-Pendra-Marwahi 69.65
Jashpur 71.13
Bemetara 71.51
Sarangarh-Bilaigarh 72.64
Mohala-Manpur-Ambagarh Chouki 72.77
Gariaband 73.18
Mahasamund 74.05
Baloda Bazar 74.16
Sakti 74.31
Koriya 75.59
Raigarh 76.56
Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur 77.23
Rajnandgaon 77.98
Bilaspur 78.05
Janjgir - Champa 78.97
Korba 80.34
Dhamtari 80.84
Balod 81.32
Raipur 82.57
Durg 85.34
86.21
Source- (a)- Population Census 2011, (b)- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare,
Projected Total Literacy Rate (%) of Chhattisgarh (2023) - 74.53

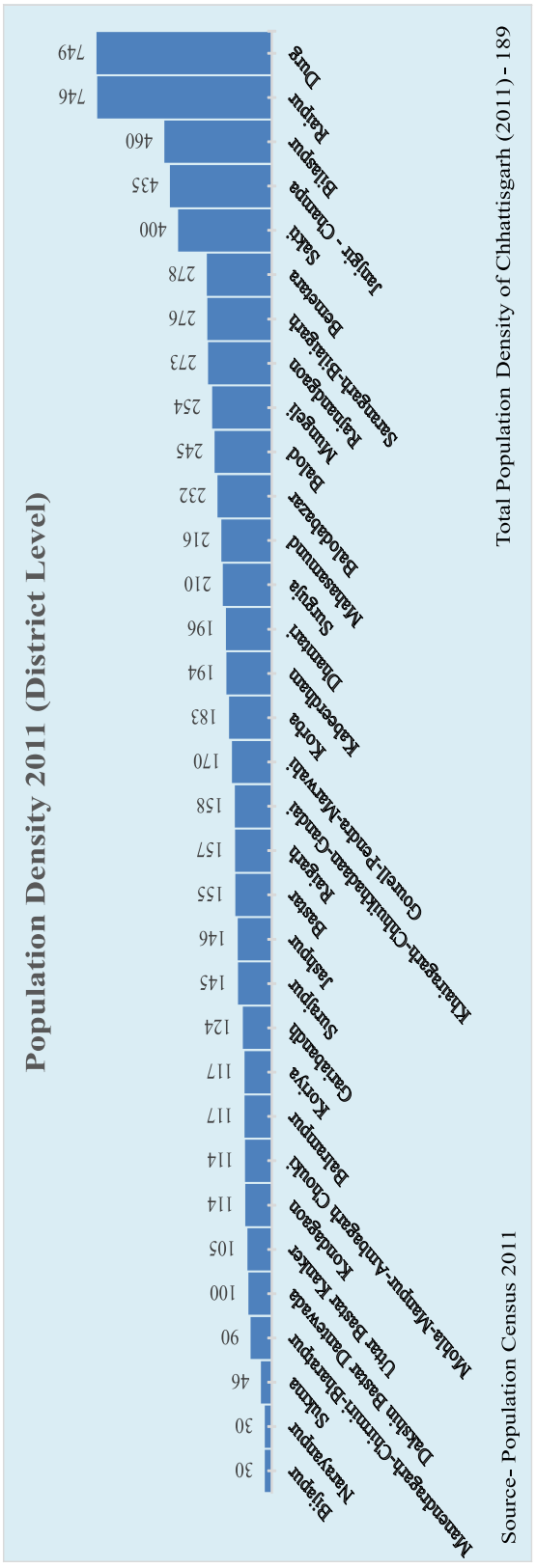
Population Density 2011 (District Level)
Bijapur 30
Narayanpur 30
Sukma 46
Dakshin Bastar Dantewada 90
Uttar Bastar Kanker 100
Kondagaon 105
Mohla-Manpur-Ambagarh Chouki 114
Balrampur 114
Koriya 117
Garhbendh 117
Surajpur 124
Jashpur 145
Basatar 146
Raigarh 155
Gourella-Pendra-Marwahi 157
Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai 158
Korba 170
Kabeerdham 183
Dhamtari 194
Surguja 196
Mahasamund 210
Baloda bazar 216
Baloda 232
Mungeli 245
Rajnandgaon 254
Saranggarh-Bilaigarh 273
Bemetara 276
Sakti 278
Janjgir - Champa 400
Bilaspur 435
Kaipur 460
Durg 746
749
Total Population Density of Chhattisgarh (2011)- 189
Source- Population Census 2011

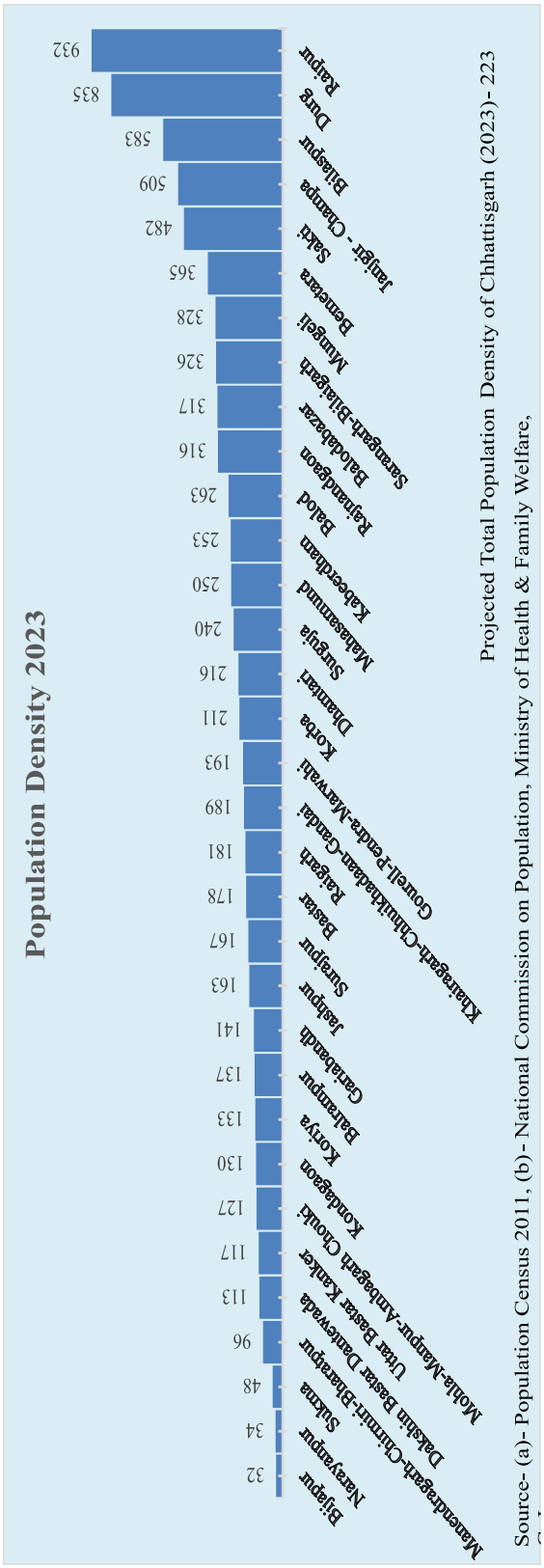
Population Density 2023
Bijapur 32
Narayanpur 34
Sukma 48
Dakshin Bastar Dantewada 96
Uttar Bastar Kanker 113
Kondagaon 117
Mohla-Manpur-Ambagarh Chouki 127
Balrampur 130
Koriya 133
Garhbendh 137
Jashpur 141
Surajpur 163
Basatar 167
Raigarh 178
Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai 181
Gourella-Pendra-Marwahi 189
Korba 193
Dhamtari 211
Surguja 216
Mahasamund 240
Kabeerdham 250
Baloda 253
Rajnandgaon 263
Baloda bazar 316
Saranggarh-Bilaigarh 317
Mungeli 326
Bemetara 328
Sakti 365
Janjgir - Champa 482
Bilaspur 509
Durg 583
Raipur 835
932
Projected Total Population Density of Chhattisgarh (2023)- 223
Source- (a)- Population Census 2011, (b)- National Commission on Population, Ministry of Health & Family Welfare,

राज्यीय आय

03

राज्यीय आय

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2022–23 के प्रचलित भावों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में 4,57,60,826 लाख रू. अनुमानित है जो कि वर्ष 2021–22 से 12.60 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2022–23 के स्थिर भाव (2011–12) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर 2,89,08,241 लाख रू. अनुमानित है जो कि वर्ष 2021–22 से 8.00 प्रतिशत अधिक है।
- राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि वर्ष 2022–23 के लिए स्थिर भाव (2011–12) पर कृषि 5.93, उद्योग 7.83, सेवा 9.21 प्रतिशत अनुमानित है।
- वर्ष 2022–23 में अखिल भारत के स्थिर भाव (2011–12) में सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में 7.0 प्रतिशत वृद्धि जिसमें कृषि क्षेत्र का 3.5, उद्योग क्षेत्र में 4.1 एवं सेवा क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत वृद्धि (आधार मूल्यों) पर अनुमानित।
- पूर्व वर्षों की भांति उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव आधार वर्ष (2011–12) 2022–23 में सर्वाधिक 49.88 प्रतिशत होना अनुमानित।
- वर्ष 2021–22 की तुलना में 2022–23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव (2011–12) में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक व्यापार, होटल एवं जलपान (16.95) प्रक्षेत्र एवं न्यूनतम स्थावर संपदा (1.64) प्रक्षेत्र में संभावित है।
- प्रति व्यक्ति आय (निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर) छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमान अनुसार 1,33,898 रू. वहीं अखिल भारत के लिए यह 1,70,620 रू. अनुमानित है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान वर्ष 2022–23 के लिए आधार वर्ष (2011–12) एवं प्रचलित भावों पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार अनुमानित किये गये है। यह अनुमान तालिका क्रमांक 3.1 से 3.7 में दर्शाये गये है।

राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बेंचमार्क सूचकांक दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किये जाते है। क्षेत्रवार अनुमान तैयार करने के लिए सूचकांको से बाह्यगणन के आधार पर किया जाता है। जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, वित्तीय वर्ष के प्रथम 8–9 माह के थोक मूल्य सूचकांक, कृषि फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान, पशुधन के उत्पादन लक्ष्य, वानिकी विभाग के लक्ष्य, सूचीबद्ध कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन की प्रवृत्ति, राज्य सरकार के बजट लेखा, बिक्रीकर, बैंक के अग्रिम एवं क्रेडिट लेखा, वायु यातायात आगम निर्गत यात्री संख्या, स्टाम्प शुल्क, पंजीकृत वाहनों की संख्या की जानकारी आदि।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान (2022–23), स्थिर भाव (2011–12) पर

3.1 अग्रिम अनुमान – वर्ष 2022–23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान उपलब्ध प्रवृत्तियों एवं सूचकाँकों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022–23 का अग्रिम अनुमान बाजार भाव में स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर रु. 2,89,08,241 लाख अनुमानित है जो की गत वर्ष 2021–22 से 8.00 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। क्षेत्रवार अनुमान तालिका 3.1 में दिये गये हैं।

तालिका 3.1 छत्तीसगढ़ : क्षेत्रवार अनुमान : स्थिर भाव (2011–12) (लाख रु.में)

समूह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	3341450	3792163	3990204	4172014	4352524	4610803
उद्योग (खनन, उत्खनन सहित)	9772387	11364441	11622812	11674378	12615960	13603264
सेवाएँ	6896577	7130977	7902310	7553983	8294627	9058266
सकल राज्य घेरलू उत्पाद मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	20010414	22287581	23515326	23400375	25263111	272723333
उत्पाद शुल्क (जोड़)–.सब्सिडी	2003155	2170335	1617140	1279984	1504975	1635908
सकल राज्य घेरलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	22013569	24457916	25132466	24680359	26768086	28908241

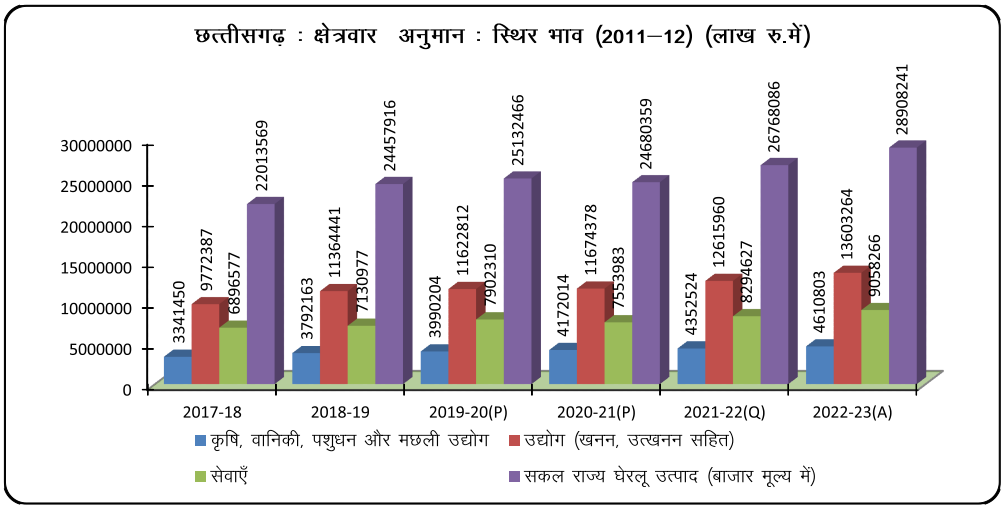

तालिका 3.2 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव (वर्ष 2011–12) पर क्षेत्रवार प्रतिशत् वृद्धि दर

उद्योग समूह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	10.90	13.49	5.22	4.56	4.33	5.93
उद्योग (खनन, उत्खनन सहित)	9.31	16.29	2.27	0.44	8.07	7.83
सेवाएँ	1.79	3.40	10.82	-4.41	9.80	9.21
सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	2.80	11.38	5.51	-0.49	7.96	7.95
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	3.01	11.10	2.76	-1.80	8.46	8.00

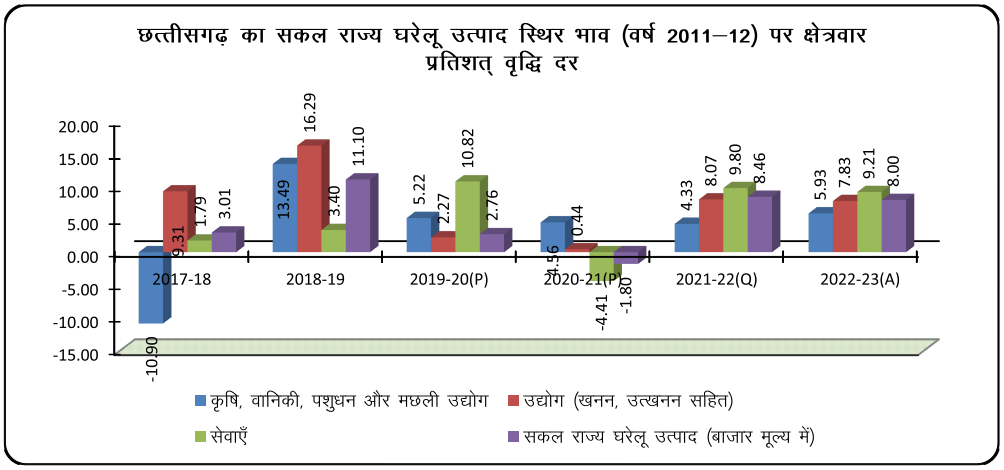

तालिका 3.3 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा–स्थिर भावों (वर्ष 2011–12) पर						
उद्योग समूह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	16.70	17.01	16.97	17.83	17.23	16.91
उद्योग	48.84	50.99	49.43	49.89	49.94	49.88
सेवाएँ	34.46	32.00	33.60	32.28	32.83	33.21

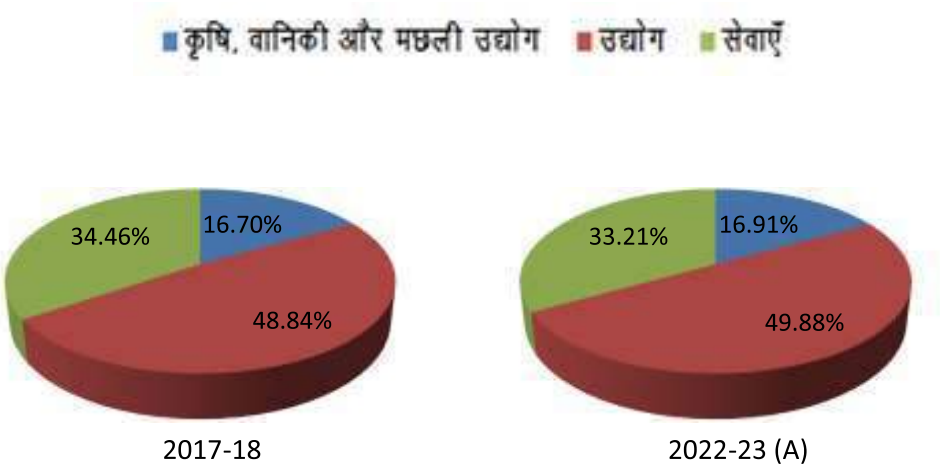

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान (2022–23), प्रचलित भाव पर

3.2 अग्रिम अनुमान – वर्ष 2022–23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान उपलब्ध प्रवृत्तियों एवं सूचकाँकों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022–23 का अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में प्रचलित भाव पर रु. 4,57,60,826 लाख अनुमानित है जो की गत वर्ष 2021–22 से 12.60 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। क्षेत्रवार अनुमान निम्नांकित तालिका में दिये गये हैं।

तालिका 3.4 छत्तीसगढ़ : क्षेत्रवार अनुमान : प्रचलित भाव पर (लाख रु.में)						
समूह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	5197657	6346941	7186254	7817765	8549180	9463522
उद्योग	11399677	13477002	13449482	13569408	16361567	18358570
सेवाएँ	9376499	10286662	11859401	11808573	13632900	15599495
सकल राज्य घेरलू उत्पाद मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	25973833	30110605	32495137	33195746	38543647	43421587
सकल राज्य घेरलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	28273744	32710666	34464813	34775246	40641582	45760826

तालिका 3.5 प्रचलित भाव पर प्रतिशत् वृद्धि दर						
उद्योग समूह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	-4.27	22.11	13.22	8.79	9.36	10.70
उद्योग	14.17	18.22	-0.20	0.89	20.58	12.21
सेवाएँ	7.28	9.71	15.29	-0.43	15.45	14.43
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	7.59	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60

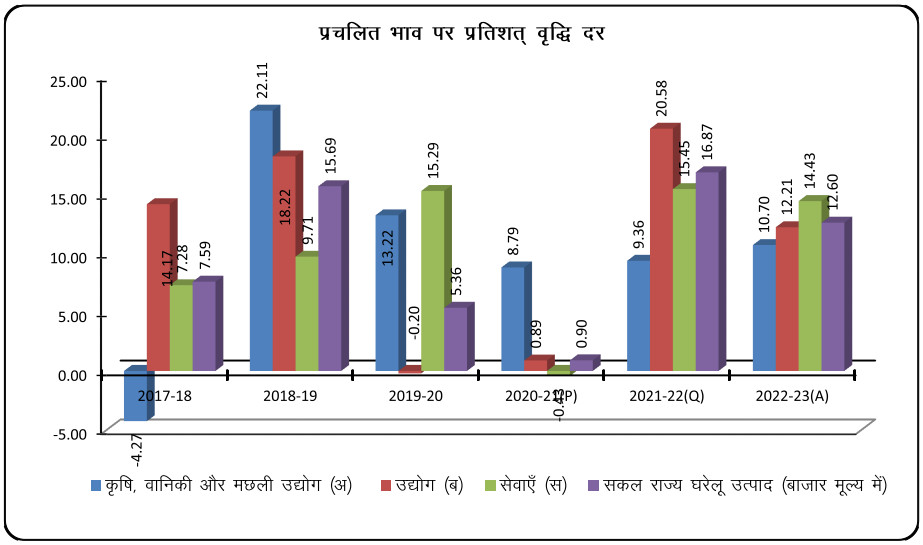

तालिका 3.6 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा– प्रचलित भाव पर						
उद्योग समूह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	20.01	21.08	22.11	23.55	22.18	21.79
उद्योग	43.89	44.76	41.39	40.88	42.45	42.28
सेवाएँ	36.10	34.16	36.50	35.57	35.37	35.93

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2021–22 (त्वरित)

3.3 स्थिर भाव – सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2021–22 के लिए स्थिर मूल्यों (2011–12) पर त्वरित अनुमान बाजार मूल्य पर रु. 2,67,68,086 लाख है। जो कि वर्ष 2020–21 के अनुमानों 8.46 प्रतिशत कुल अर्थव्यवस्था में वृद्धि आंकलित है।

3.3.1 कृषि क्षेत्र– स्थिर भाव पर वर्ष 2021–22 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि 4. 33 प्रतिशत पूर्व वर्ष 2020–21 की तुलना में परिलक्षित हुई है, इस क्षेत्र के अंतर्गत फसलों में 5.27, मत्स्य क्षेत्र में 2.41 रही जबकि वानिकी एवं पशुधन क्षेत्र में क्रमशः 3.22 एवं 3.51 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

3.3.2 उद्योग क्षेत्र– उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2021–22 में 8.07 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में 7.91 प्रतिशत वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र में 7.60 प्रतिशत वृद्धि, निर्माण गतिविधियों में 14.42 प्रतिशत वृद्धि अंकित है, जबकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 3.70 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी।

3.3.3 सेवा क्षेत्र– सेवा क्षेत्र के अधिकांश अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रदाय किये जाते है। अतः इस उप क्षेत्र के प्रारंभिक अनुमानों के लिये प्रवृत्तियों एवं अन्य परिणामों के आधार पर अनुमान तैयार किये जाते है। सेवा क्षेत्र वर्ष 2021–22 के दौरान 9.80 प्रतिशत वृद्धि आंकलित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतम हिस्सेदारी 7.74 प्रतिशत स्थावर सम्पदा इत्यादि क्षेत्र का है, जिसमें कि 1.62 प्रतिशत वृद्धि हुई। द्वितीय स्थान अन्य सेवाएँ क्षेत्र का रहा जिसका हिस्सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.79 प्रतिशत रहा, जिसमें कि 6.95 प्रतिशत वृद्धि हुई। परिवहन, भण्डार एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि 10.12 प्रतिशत हुई।

3.4 प्रचलित भाव – सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2021–22 बाजार मूल्य प्रचलित भावों पर रु. 4,06,41,582 लाख है, जो की पिछले वर्ष 2020–21 की तुलना में 16.87 प्रतिशत अधिक है।

3.4.1 कृषि क्षेत्र– प्रचलित भाव पर वर्ष 2021–22 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 9.36 प्रतिशत पूर्व वर्ष 2020–21 की तुलना में वृद्धि परिलक्षित हुई है, इस क्षेत्र के अंतर्गत फसलों में 10.79 प्रतिशत, मत्स्य क्षेत्र में 5.03 प्रतिशत, वानिकी एवं पशुधन क्षेत्र में क्रमशः 7.62 एवं 10.17 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

3.4.2 उद्योग क्षेत्र– प्रचलित भाव पर उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2021–22 में 20.58 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में 9.22 प्रतिशत वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र में 10.51 प्रतिशत वृद्धि, निर्माण गतिविधियों में 17.05 प्रतिशत वृद्धि अंकित है, जबकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 65.51 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी।

3.4.3 सेवा क्षेत्र– सेवा क्षेत्र के अधिकांश अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रदाय किये जाते है। अतः इस उप क्षेत्र के प्रारंभिक अनुमानों के लिये प्रवृत्तियों एवं अन्य परिणामों के आधार पर अनुमान तैयार किये जाते है। सेवा क्षेत्र वर्ष 2021–22 के दौरान 15.45 प्रतिशत वृद्धि आंकलित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य उपक्षेत्र यथा– स्थावर सम्पदा इत्यादि क्षेत्र में 2.60 प्रतिशत वृद्धि, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह क्षेत्र में 40.47 प्रतिशत वृद्धि एवं परिवहन, भण्डार एवं संचार क्षेत्र में 19.87 प्रतिशत वृद्धि हुई।

3.5 निवल राज्य घरेलू उत्पाद–वर्ष 2021–22 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों (बाजार मूल्य) पर अनुमानों के अनुसार रू. वृद्धि 3,58,40,737 लाख अनुमानित है, जो कि वर्ष 2020–21 के अनुमान की तुलना में 16.60 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। स्थिर भावों में वर्ष 2021–22 बाजार मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान रू. 2,32,72,542 लाख आंकलित है, जो कि वर्ष 2020–21 की तुलना में 8.30 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

3.6 प्रति व्यक्ति आय– प्रति व्यक्ति आय, निवल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रोजेक्टेड जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। वर्ष 2022–23 में प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रचलित भावों पर) बाजार मूल्य पर रू. 1,33,898 अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021–22 में प्रति व्यक्ति आय रू. 1,20,704 है। वर्ष 2022–23 में प्रति व्यक्ति आय में 10.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता हैं। वर्ष 2017–18 से 2022–23 की प्रति व्यक्ति आय निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका 3.7 प्रति व्यक्ति आय रुपये में

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
प्रति व्यक्ति आय (रु.)	88793	102024	106603	104788	120704	133898

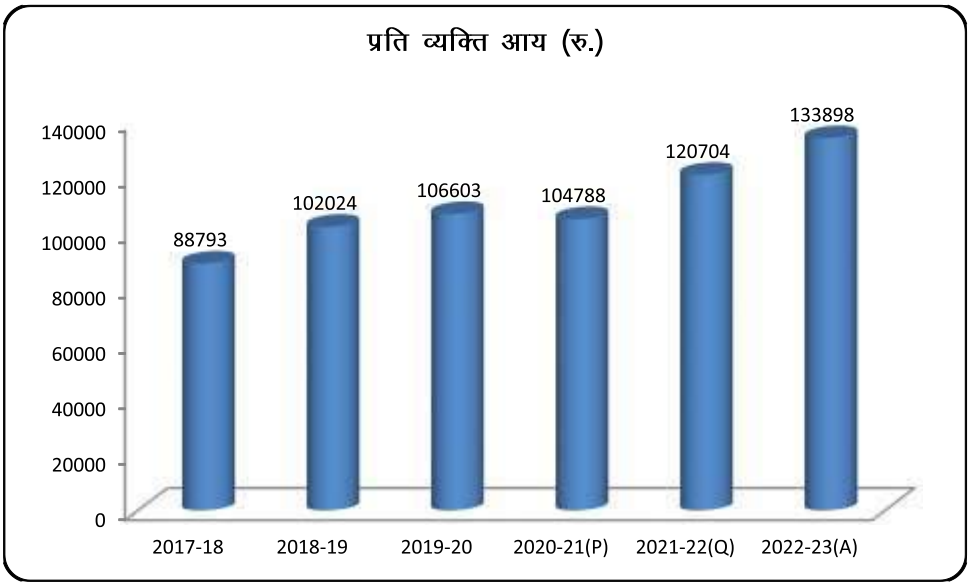

तालिका 3.8 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद– प्रचलित भाव पर							(लाख रुपये में)
क्र. सं.	उद्योग समुह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (प्रा.)	2021-22 (त्व.)	2022-23 (अ.)
1.1	फसलें	2940525	3609901	4030010	4342401	4811081	5337952
1.2	पशुपालन	571052	750524	820608	872015	960738	1067490
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	1065607	1270717	1518395	1663208	1789889	1963051
1.4	मछली उद्योग	620473	715799	817241	940141	987472	1095029
1.5	खनन तथा उत्खनन	2232979	2418579	1986224	2083662	3448714	4291924
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**7430636**	**8765520**	**9172478**	**9901427**	**11997894**	**13755446**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**5197657**	**6346941**	**7186254**	**7817765**	**8549180**	**9463522**
2	विनिर्माण	3724512	4805472	4970358	4988296	5512457	5935214
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	2046015	2201265	2330456	2614197	2855175	3199744
4	निर्माण	3396171	4051686	4162444	3883253	4545221	4931688
B	**योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**9166698**	**11058423**	**11463258**	**11485746**	**12912853**	**14066646**
	उद्योग (B+1.5)	**11399677**	**13477002**	**13449482**	**13569408**	**16361567**	**18358570**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	1855892	2166275	2360216	1883189	2645376	3267640
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	1128606	1297048	1351587	1318329	1580274	1774492
6.1	रेलवे	205817	269276	283889	306886	397046	447101
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	572415	618566	604404	488223	550122	597632
6.3	भण्डारण	20693	40085	36251	37976	41173	48112
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	329681	369121	427043	485244	591933	681647
7	वित्तीय सेवा	859451	869951	994395	1061390	1207958	1357111
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	2815613	2589911	3131290	3199401	3282452	3446323
9	लोक प्रशासन	1204495	1317723	1443985	1667538	1892415	2106504
10	अन्य सेवाएँ	1512442	2045754	2577928	2678726	3024425	3647425
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**9376499**	**10286662**	**11859401**	**11808573**	**13632900**	**15599495**
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	**25973833**	**30110605**	**32495137**	**33195746**	**38543647**	**43421587**
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	2299911	2600061	1969676	1579500	2097935	2339239
13	**स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)**	**28273744**	**32710666**	**34464813**	**34775246**	**40641582**	**45760826**
14	जनसंख्या (हजार में)	28384	28842	28948	29333	29693	30037
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु.में)	99612	113413	119058	118553	136873	152348

प्रा.=प्रावधिक अनुमान, त्व.=त्वरित अनुमान, अ.=अग्रिम अनुमान

तालिका 3.9 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद–स्थिर भावों (2011–12) पर							(लाख रुपये में)
स. क्र.	उद्योग समुह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (प्रा.)	2021-22 (त्व.)	2022-23 (अ.)
1.1	फसलें	1994483	2279945	2323058	2405990	2532798	2698261
1.2	पशुपालन	313268	380986	415694	416296	430906	450632
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	605499	673573	747645	808946	835001	868827
1.4	मछली उद्योग	428200	457659	503807	540782	553819	593083
1.5	खनन तथा उत्खनन	2349865	2536999	2481577	2551851	2646325	2930667
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**5691315**	**6329162**	**6471781**	**6723865**	**6998849**	**7541470**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**3341450**	**3792163**	**3990204**	**4172014**	**4352524**	**4610803**
2	विनिर्माण	3504001	4456271	4532028	4505123	4847319	5090529
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	1902591	2046201	2263773	2471558	2667017	2964205
4	निर्माण	2015930	2324970	2345434	2145846	2455299	2617863
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	7422522	8827442	9141235	9122527	9969635	10672597
	उद्योग (B+1.5)	**9772387**	**11364441**	**11622812**	**11674378**	**12615960**	**13603264**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	1417566	1558394	1606573	1197957	1557936	1822037
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	923225	1065485	1072732	970376	1068540	1164292
6.1	रेलवे	155598	199021	172462	150634	188676	207839
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	471786	541359	531965	440568	476402	513150
6.3	भण्डारण	17291	31915	28961	27427	25775	28506
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	278550	293190	339344	351747	377687	414797
7	वित्तीय सेवा	742683	700347	738135	794641	839512	881146
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	1890641	1607509	1918655	1923089	1954294	1986253
9	लोक प्रशासन	867720	918401	982350	1063695	1158566	1231787
10	अन्य सेवाएँ	1054742	1280841	1583865	1604225	1715779	1972751
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**6896577**	**7130977**	**7902310**	**7553983**	**8294627**	**9058266**
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	20010414	22287581	23515326	23400375	25263111	27272333
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	2003155	2170335	1617140	1279984	1504975	1635908
13	स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)	22013569	24457916	25132466	24680359	26768086	28908241
14	जनसंख्या (हजार में)	28384	28842	28948	29333	29693	30037
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु.में)	77556	84800	86819	84139	90149	96242

प्रा.=प्रावधिक अनुमान, त्व.=त्वरित अनुमान, अ.=अग्रिम अनुमान

तालिका 3.10 छत्तीसगढ़ का निवल राज्य घरेलू उत्पाद– प्रचलित भाव पर

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	उद्योग समुह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (प्रा.)	2021-22 (त्व.)	2022-23 (अ.)
1.1	फसलें	2639711	3287111	3681422	3959786	4383221	4850486
1.2	पशुपालन	562031	740293	810062	861188	946903	1057589
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	1055472	1259076	1504510	1648766	1772386	1939494
1.4	मछली उद्योग	575182	666077	764842	885065	921328	1020338
1.5	खनन तथा उत्खनन	1888107	2084381	1635512	1651903	2786934	3443079
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**6720503**	**8036938**	**8396348**	**9006708**	**10810772**	12310986
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**4832396**	**5952557**	**6760836**	**7354805**	**8023838**	8867907
2	विनिर्माण	3187833	4221725	4398883	4388821	4861693	5252565
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	1441859	1532742	1608638	1755998	1883564	2104896
4	निर्माण	3178626	3796372	3854803	3541643	4150719	4472982
B	**योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**7808318**	**9550839**	**9862324**	**9686462**	**10895976**	11830443
	उद्योग (B+1.5)	**9696425**	**11635220**	**11497836**	**11338365**	**13682910**	15273522
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	1703803	1990884	2167572	1674814	2337909	2873521
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	885554	1004963	1019361	947586	1133615	1254498
6.1	रेलवे	162332	216367	227663	243761	326176	366732
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	476965	510634	477639	355331	393724	420492
6.3	भण्डारण	17401	36471	32858	34102	36811	42688
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	228856	241491	281201	314392	376904	424586
7	वित्तीय सेवा	840895	848623	971745	1035716	1177503	1320541
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	2543901	2358025	2805225	2842619	2887105	3006196
9	लोक प्रशासन	971096	1094340	1205371	1411714	1626499	1822638
10	अन्य सेवाएँ	1429106	1941114	2461725	2552260	2873423	3460819
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**8374355**	**9237949**	**10630999**	**10464709**	**12036054**	13738213
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	**22903176**	**26825726**	**28889671**	**29157879**	**33742802**	37879642
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	2299911	2600061	1969676	1579500	2097935	2339239
13	**स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)**	**25203087**	**29425787**	**30859347**	**30737379**	**35840737**	40218881
14	जनसंख्या (हजार में)	28384	28842	28948	29333	29693	30037
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु.में)	88793	102024	106603	104788	120704	133898

प्रा.=प्रावधिक अनुमान, त्व.=त्वरित अनुमान, अ.=अग्रिम अनुमान

तालिका 3.11 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि– प्रचलित भाव पर							
क्र. सं.	उद्योग समुह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (प्रा.)	2021-22 (त्व.)	2022-23 (अ.)
1.1	फसलें	-12.82	22.76	11.64	7.75	10.79	10.95
1.2	पशुपालन	31.41	31.43	9.34	6.26	10.17	11.11
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	-6.54	19.25	19.49	9.54	7.62	9.67
1.4	मछली उद्योग	28.76	15.36	14.17	15.04	5.03	10.89
1.5	खनन तथा उत्खनन	10.82	8.31	-17.88	4.91	65.51	24.45
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**-0.19**	**17.96**	**4.64**	**7.95**	**21.17**	**14.65**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**-4.27**	**22.11**	**13.22**	**8.79**	**9.36**	**10.70**
2	विनिर्माण	20.04	29.02	3.43	0.36	10.51	7.67
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	11.88	7.59	5.87	12.18	9.22	12.07
4	निर्माण	11.77	19.30	2.73	-6.71	17.05	8.50
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	15.01	20.64	3.66	0.20	12.43	8.94
	उद्योग (B+1.5)	**14.17**	**18.22**	**-0.20**	**0.89**	**20.58**	**12.21**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	-4.78	16.72	8.95	-20.21	40.47	23.52
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	10.73	14.92	4.20	-2.46	19.87	12.29
6.1	रेलवे	8.36	30.83	5.43	8.10	29.38	12.61
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	20.63	8.06	-2.29	-19.22	12.68	8.64
6.3	भण्डारण	14.06	93.71	-9.56	4.76	8.42	16.85
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	-2.06	11.96	15.69	13.63	21.99	15.16
7	वित्तीय सेवा	15.21	1.22	14.30	6.74	13.81	12.35
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	5.56	-8.02	20.90	2.18	2.60	4.99
9	लोक प्रशासन	18.27	9.40	9.58	15.48	13.49	11.31
10	अन्य सेवाएँ	12.87	35.26	26.01	3.91	12.91	20.60
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**7.28**	**9.71**	**15.29**	**-0.43**	**15.45**	**14.43**
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	7.53	15.93	7.92	2.16	16.11	12.66
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	8.20	13.05	-24.25	-19.81	32.82	11.50
13	स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)	7.59	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60
14	जनसंख्या (हजार में)	28384	28842	28948	29333	29693	30037
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु.में)	5.88	13.86	4.98	-0.42	15.45	11.31

तालिका 3.12 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि– स्थिर भावों (2011–12) पर							
क्र.सं.	उद्योग समुह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (प्रा.)	2021-22 (त्व.)	2022-23 (अ.)
1.1	फसलें	-18.73	14.31	1.89	3.57	5.27	6.53
1.2	पशुपालन	10.21	21.62	9.11	0.14	3.51	4.58
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	-8.09	11.24	11.00	8.20	3.22	4.05
1.4	मछली उद्योग	21.34	6.88	10.08	7.34	2.41	7.09
1.5	खनन तथा उत्खनन	6.81	7.96	-2.18	2.83	3.70	10.74
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**-4.35**	**11.21**	**2.25**	**3.90**	**4.09**	**7.75**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**-10.90**	**13.49**	**5.22**	**4.56**	**4.33**	**5.93**
2	विनिर्माण	10.59	27.18	1.70	-0.59	7.60	5.02
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	12.12	7.55	10.63	9.18	7.91	11.14
4	निर्माण	7.53	15.33	0.88	-8.51	14.42	6.62
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	10.12	18.93	3.55	-0.20	9.29	7.05
	उद्योग (B+1.5)	**9.31**	**16.29**	**2.27**	**0.44**	**8.07**	**7.83**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	-7.88	9.93	3.09	-25.43	30.05	16.95
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	3.49	15.41	0.68	-9.54	10.12	8.96
6.1	रेलवे	6.47	27.91	-13.34	-12.66	25.25	10.16
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	7.82	14.75	-1.74	-17.18	8.13	7.71
6.3	भण्डारण	10.60	84.58	-9.26	-5.30	-6.02	10.60
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	-4.85	5.26	15.74	3.65	7.37	9.83
7	वित्तीय सेवा	7.32	-5.70	5.40	7.66	5.65	4.96
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	-1.42	-14.98	19.36	0.23	1.62	1.64
9	लोक प्रशासन	13.21	5.84	6.96	8.28	8.92	6.32
10	अन्य सेवाएँ	8.95	21.44	23.66	1.29	6.95	14.98
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**1.79**	**3.40**	**10.82**	**-4.41**	**9.80**	**9.21**
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	2.80	11.38	5.51	-0.49	7.96	7.95
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	5.17	8.35	-25.49	-20.85	17.58	8.70
13	स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)	3.01	11.10	2.76	-1.80	8.46	8.00
14	जनसंख्या (हजार में)	28384	28842	28948	29333	29693	30037
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु.में)	1.37	9.34	2.38	-3.09	7.14	6.76

तालिका 3.13 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण– प्रचलित भाव पर							
क्र.सं.	उद्योग समुह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (प्रा.)	2021-22 (त्व.)	2022-23 (अ.)
1.1	फसलें	11.32	11.99	12.40	13.08	12.48	12.29
1.2	पशुपालन	2.20	2.49	2.53	2.63	2.49	2.46
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	4.10	4.22	4.67	5.01	4.64	4.52
1.4	मछली उद्योग	2.39	2.38	2.51	2.83	2.56	2.52
1.5	खनन तथा उत्खनन	8.60	8.03	6.11	6.28	8.95	9.88
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**28.61**	**29.11**	**28.23**	**29.83**	**31.13**	**31.68**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**20.01**	**21.08**	**22.11**	**23.55**	**22.18**	**21.79**
2	विनिर्माण	14.34	15.96	15.30	15.03	14.30	13.67
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	7.88	7.31	7.17	7.88	7.41	7.37
4	निर्माण	13.08	13.46	12.81	11.70	11.79	11.36
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	35.29	36.73	35.28	34.60	33.50	32.40
	उद्योग (B+1.5)	**43.89**	**44.76**	**41.39**	**40.88**	**42.45**	**42.28**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	7.15	7.19	7.26	5.67	6.86	7.53
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	4.35	4.31	4.16	3.97	4.10	4.09
6.1	रेलवे	0.79	0.89	0.87	0.92	1.03	1.03
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	2.20	2.05	1.86	1.47	1.43	1.38
6.3	भण्डारण	0.08	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	1.27	1.23	1.31	1.46	1.54	1.57
7	वित्तीय सेवा	3.31	2.89	3.06	3.20	3.13	3.13
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	10.84	8.60	9.64	9.64	8.52	7.94
9	लोक प्रशासन	4.64	4.38	4.44	5.02	4.91	4.85
10	अन्य सेवाएँ	5.82	6.79	7.93	8.07	7.85	8.40
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**36.10**	**34.16**	**36.50**	**35.57**	**35.37**	**35.93**
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	100	100	100	100	100	100

तालिका 3.14 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण– स्थिर भावों (2011–12) पर							
क्र. सं.	उद्योग समुह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (प्रा.)	2021-22 (त्व.)	2022-23 (अ.)
1.1	फसलें	9.97	10.23	9.88	10.28	10.03	9.89
1.2	पशुपालन	1.57	1.71	1.77	1.78	1.71	1.65
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	3.03	3.02	3.18	3.46	3.31	3.19
1.4	मछली उद्योग	2.14	2.05	2.14	2.31	2.19	2.17
1.5	खनन तथा उत्खनन	11.74	11.38	10.55	10.91	10.48	10.75
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**28.44**	**28.40**	**27.52**	**28.73**	**27.70**	**27.65**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**16.70**	**17.01**	**16.97**	**17.83**	**17.23**	**16.91**
2	विनिर्माण	17.51	19.99	19.27	19.25	19.19	18.67
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	9.51	9.18	9.63	10.56	10.56	10.87
4	निर्माण	10.07	10.43	9.97	9.17	9.72	9.60
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	37.09	39.61	38.87	38.98	39.46	39.13
	उद्योग (B+1.5)	**48.84**	**50.99**	**49.43**	**49.89**	**49.94**	**49.88**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	7.08	6.99	6.83	5.12	6.17	6.68
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	4.61	4.78	4.56	4.15	4.23	4.27
6.1	रेलवे	0.78	0.89	0.73	0.64	0.75	0.76
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	2.36	2.43	2.26	1.88	1.89	1.88
6.3	भण्डारण	0.09	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	1.39	1.32	1.44	1.50	1.50	1.52
7	वित्तीय सेवा	3.71	3.14	3.14	3.40	3.32	3.23
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	9.45	7.21	8.16	8.22	7.74	7.28
9	लोक प्रशासन	4.34	4.12	4.18	4.55	4.59	4.52
10	अन्य सेवाएँ	5.27	5.75	6.74	6.86	6.79	7.23
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**34.46**	**32.00**	**33.60**	**32.28**	**32.83**	**33.21**
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	100	100	100	100	100	100

मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

04

मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

मुख्य बिन्दु

- राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवम्बर, 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,678 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 कुल 13,507 उचित मूल्य दुकानें संचालित है।
- वर्तमान में 72.71 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं।
- वर्ष 2022–23 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड–ए) के समर्थन मूल्य क्रमशः 2,040 एवं 2,060 केन्द्र सरकार द्वारा घोषित।
- खरीफ वर्ष 2021–22 में 21.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 97.99 टन धान की खरीदी की गई थी। किसानों को 2449841.81 लाख रूपये धान का समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2022–23 नवंबर तक 23,27,759 टन चावल, 46,600 टन शक्कर, 65,901 टन नमक एवं 42,119 टन चना का उठाव हुआ।

4.1 मूल्यः— आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन का समाज के प्रत्येक वर्ग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विक्रेता के दृष्टिकोण से, एक प्रभावी क़ीमत वह मूल्य है जो उस अधिकतम के बहुत निकट है, जितना ग्राहक भुगतान करने के लिए तैयार हैं। आर्थिक संदर्भ में, यह वही मूल्य है जो उपभोक्ता के अधिकांश अधिशेष को निर्माता को अंतरित करता है।अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय के समूह में शामिल प्रतिनिधि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन का अनुमान लगाने हेतु मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आर्थिक योजना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा विक्रेता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत आधार पर उत्पन्न वास्तविक मुद्रा स्फीति को दर्शाता है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाने वाला प्राथमिक मापक है।

4.1.1 भारत में मूल्य स्थितिः— केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदशों के ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2012) जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवम्बर 2021 में 166, 164.9 एवं 165.6 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो दिसम्बर 2022 में 170.8, 166.9 एवं 169.3 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया। नवम्बर 2021 के लिए भारत की सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 167.6, 165.6 एवं 166.7 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो दिसम्बर 2022 में 177.1, 174.1 एवं 175.7 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया।

तालिका 4.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकॉक

भारत / राज्य	नवम्बर –2021			दिसम्बर –2022		
	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त
भारत	167.6	165.6	166.7	177.1	174.1	175.7
छत्तीसगढ़	166	164.9	165.6	170.8	166.9	169.3

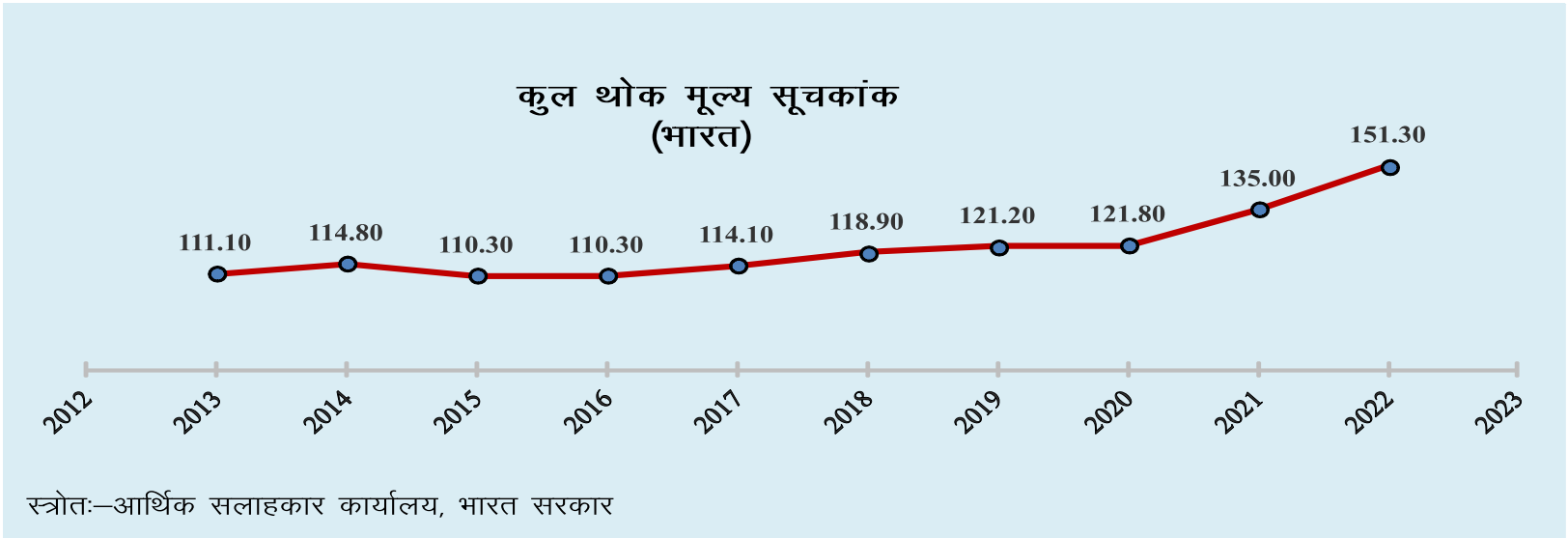

स्त्रोतः—आर्थिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार

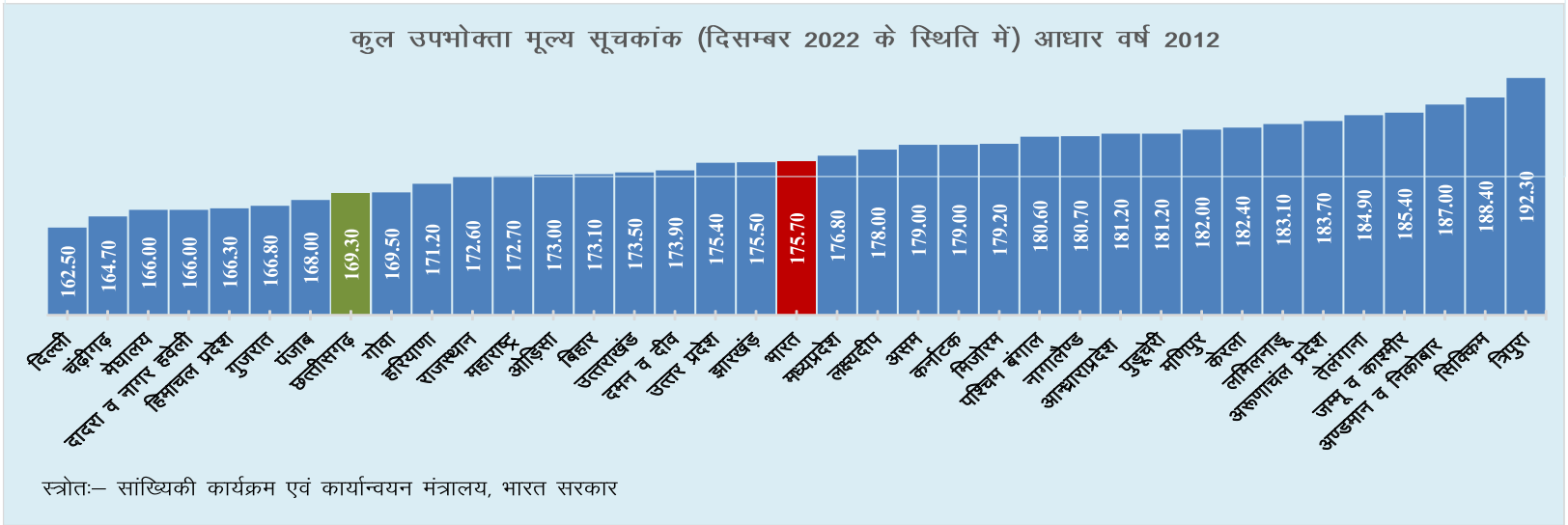

स्त्रोतः— सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जनसाधारण, विशेषतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदाय किया जाता है। राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन, नमक एवं चना आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य दुकानों से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 138 पीडीएस प्रदाय केन्द्र एवं 13,507 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रतिमाह लगभग 72.71 लाख राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

4.2 उचित मूल्य दुकान :– राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवम्बर, 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,678 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 कुल 13,507 उचित मूल्य दुकानें संचालित है। इनमें से सहकारी समितियों द्वारा 4,769 दुकान, ग्राम पंचायत द्वारा 3,867 दुकान, महिला स्व–सहायता समूह द्वारा 4,756 दुकान, वन सुरक्षा समितियों द्वारा 105 तथा नगरीय निकाय द्वारा 10 उचित मूल्य दुकान संचालित की जा रही है। उचित मूल्य दुकानों की एजेंसीवार, जिलेवार जानकारी तालिका 4.5 दर्शित है।

4.3 छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 :– प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रतानुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् लगभग 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रूपये प्रतिकिलो है, जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून में अंत्योदय एव प्राथमिकता वाले 62.96 लाख परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से तथा सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवार वाले 9.22 लाख परिवारों को 10 रूपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदाय किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 4.2 योजनांतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर

क्र.	परिवार का प्रकार	खाद्य पदार्थ	मासिक पात्रता	उपभोक्ता दर
1	अंत्योदय परिवार	चावल	35 कि.ग्रा. प्रतिमाह	रू. 1 प्रति कि.ग्रा.
		चना	2 कि.ग्रा. प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	रू. 5 प्रति कि.ग्रा.
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 कि .ग्रा. प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार	निः शुल्क
2	प्राथमिकता परिवार	चावल	01 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 किग्रा प्रतिमाह	रू. 1 प्रति कि.ग्रा.
			02 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 20 किग्रा प्रतिमाह	
			03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किग्रा प्रतिमाह	
			05 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड में प्रति सदस्य 07 किग्रा प्रतिमाह	
		चना	2 कि.ग्रा. प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	रू. 5 प्रति कि.ग्रा.
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 कि .ग्रा. प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार	निःशुल्क
3	एकल निराश्रित	चावल	10 किग्रा प्रतिमाह	निःशुल्क
4	निःशक्तजन	चावल	10 किग्रा प्रतिमाह	निःशुल्क
5	सामान्य परिवार	चावल	01 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 किग्रा प्रतिमाह	रू.10 प्रति कि.ग्रा.
			02 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 20 किग्रा प्रतिमाह	
			03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किग्रा प्रतिमाह	

टीप:–

- चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं माडा क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अन्त्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी परिवारों को है।
- उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति राशनकार्ड 17 रू. प्रति किग्रा की दर से 1 किग्रा शक्कर की पात्रता है।
- बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 02 किलो गुड़ 17 रू. प्रति किलो ग्राम की दर से प्रदाय किया जा रहा है।
- अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्डधारियों को केरोसिन की पात्रता है।

4.4 सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Universal PDS) :– राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ 02 अक्टूबर, 2019 से किया गया है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राथमिकता राशनकार्डो के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ–साथ सामान्य परिवारों के लिए भी सामान्य परिवार वाले राशनकार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित की गई है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत परिवारों (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता) को भी खाद्यान्न की पात्रता होगी। वर्तमान में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्ड जारी किया जा रहा है। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 91 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

4.5 राशनकार्ड :– राज्य में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत (नवंबर 2022 की स्थिति में) कुल 72.71 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं। इनमें से 14.43 लाख अंत्योदय राशनकार्ड, 48.53 लाख प्राथमिकता राशनकार्ड, 38,427 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 13,809 निःशक्तजन राशनकार्ड तथा 9.22 लाख सामान्य श्रेणी के राशनकार्ड प्रचलित हैं। इन राशनकार्डो में निर्धारित पात्रतानुसार प्रतिमाह राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है। राशनकार्डों की योजनवार, जिलेवार जानकारी **तालिका 4.6** में दर्शित है।

4.6 राशन सामग्री का आवंटन :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में अप्रैल से नवम्बर, 2022 तक खाद्यान्न आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 4.3 सामग्रियों का वर्षवार उठाव (मात्रा मे.टन में)									
क्र	सामग्री	वर्ष							
		2019–20		2020–21		2021–2022		2022–23 (नवम्बर, 2022 की स्थिति में)	
		आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
1	चावल	2351136	2289683	3093418	3021148	3333849	3243880	2431357	2327759
2	शक्कर	68310	65066	68106	67137	69926	68502	48608	46600
3	नमक	57062	54495	96351	94205	99007	96886	68668	65901
4	चना	37018	35320	40510	40054	62772	61865	43219	42119

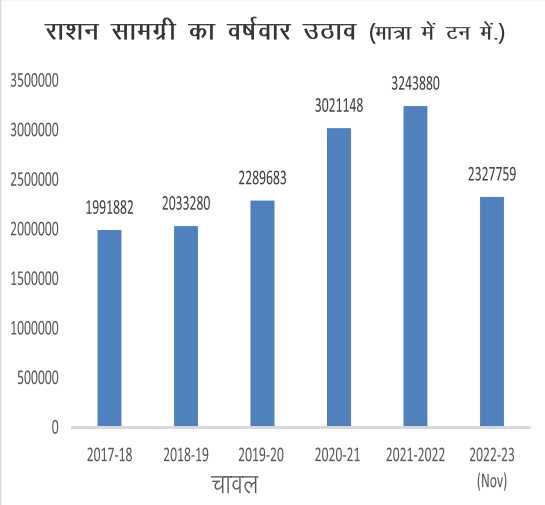

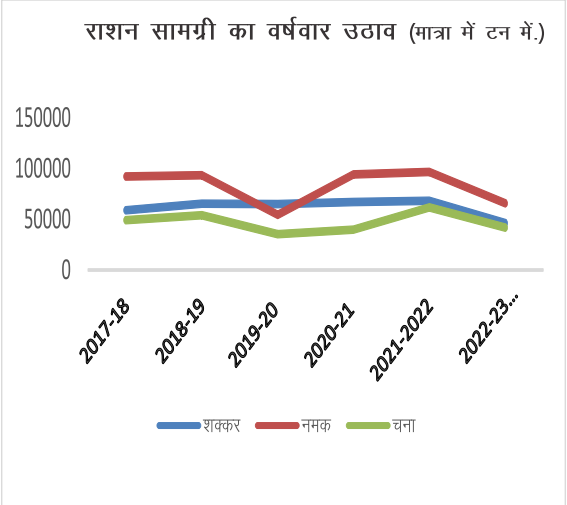

4.7 कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य – न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। समर्थन मूल्य घोषित करने के समय उत्पादन मूल्य के साथ–साथ समग्र मांग एवं पूर्ति, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर उपजीय समता एवं अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव एवं उत्पादन के साधनों यथा–भूमि एवं जल का युक्तिपूर्ण उपयोग को भी CACP द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

CACP एक विशेषज्ञ निकाय है जिसकी अनुशंसाओं को भारत शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में जैसे –किसी उपज का अधिक उत्पादन एवं किसी अन्य उपज के कम उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए अन्य उपजों के उत्पादन एवं

उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप शासन द्वारा बोनस/प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। वर्ष 2015–16 से 2022–23 तक खरीफ एवं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवरण तालिका क्र. 4.4 में दर्शित हैं।

तालिका क्र 4.4 समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल

फसल/किस्म	विपणन वर्ष							
	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	21–22	22–23
धान सामान्य	1410	1470	1550	1750	1815	1868	1940	2040
धान ग्रेड–ए	1450	1510	1590	1770	1835	1888	1960	2060
गेहूं	1450	1525	1625	–	–	–	2015	–
ज्वार	1570	1625	1700	2430	2550	2640	2738	2970
बाजरा	1275	1330	1425	1950	2000	2150	2250	2350
मक्का	1325	1365	1425	1700	1760	1850	1870	1962
रागी	1650	1725	1900	2897	1760	3295	3377	3578
अरहर	4625 (रू.200 बोनस सहित)	4625	5440 (रू.200 बोनस सहित)	5675	5800	6000	6300	6600
उड़द	4625 (रू.200 बोनस सहित)	4575	5400 (रू.200 बोनस सहित)	5600	5700	6000	6300	6600
मूंगफली	4030	4120	4500	4890	5090	5275	5550	5850
मूंग	4850 (रू.200 बोनस सहित)	4800	5575 (रू.200 बोनस सहित)	6975	7050	7196	7275	7755
सोयाबीन	2600	2675	3050 (रू.200 बोनस सहित)	3399	3710	3880	–	4300
सूर्यमुखी	3800	3850	4100 (रू.200 बोनस सहित)	5388	5650	5885	5441	6400

छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए भारत शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाता है। राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जा रही है।

खरीफ वर्ष 2021–22 में 21.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 97.99 टन धान की खरीदी की गई थी। किसानों को 2449841.81 लाख रूपये धान का समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है। इस वर्ष किसानों से 120.9 टन मक्का की खरीदी की गई तथा 22.60 लाख रूपये का भुगतान किया गया है।

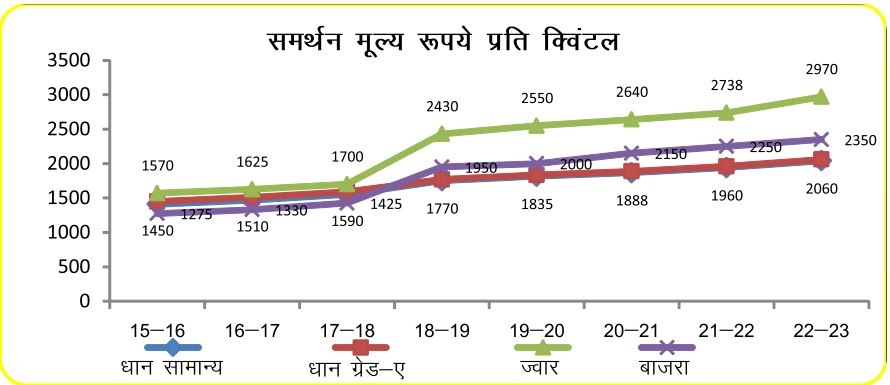

खरीफ वर्ष 2022–23 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तिथि 01 नवम्बर, 2022 से दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक तथा मक्का उपार्जन 01 नवम्बर, 2022 से 28 फरवरी, 2023 तक है। इस खरीफ वर्ष में भारत शासन द्वारा धान का समर्थन मूल्य कॉमन धान हेतु 2040 रूपये प्रति क्विंटल, ग्रेड–ए धान हेतु 2060 रूपये प्रति क्विंटल तथा मक्का हेतु 1962 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

4.8 धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरण:– खाद्य विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2007–08 में धान खरीदी की समस्त व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के अनुभव एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु इसमें नियमित सुधार किया जा रहा है।

खरीफ वर्ष 2021–22 से समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किया जा रहा है।

4.9 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :–

- **पीडीएस–ऑनलाईन व्यवस्था** :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोड़ा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 13,507 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशनकार्डों के आधार पर जनवरी, 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार आबंटन जारी किया जा रहा वित्तीय वर्ष 2022–23 में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के अंतर्गत कुल 13,443 उचित मूल्य दुकान में ई–पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकान स्तर तक कम्प्यूटरीकरण से राशनकार्डधारियों को राशन सामग्री वितरण की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध है। इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी हुई है।

- **चावल उत्सव** :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी, 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा जहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है, तथा शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित हैं, वहां प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव के आयोजन का प्रावधान है। इन उत्सव के दिन निर्धारित तिथि पर राशनकार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

- **कॉल सेंटर** :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा जनवरी, 2008 से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसका दूरभाष क्र. 1967 एवं 1800–233–3663 (टोल फ्री) है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

- **जनभागीदारी वेबसाईट**:– जनभागीदारी वेबसाईट (https:// khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome. aspx) राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है। कोई भी नागरिक इस वेबसाईट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई–मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार सहित नेशनल ई–गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई–इंडिया अवार्ड, सी.एस.आई. ई–गवर्नेंस अवार्ड, सी.एस.आई निहिलेंट ई–गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुए है।

तालिका क्रमांक 4.5 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों की एजेंसीवार संचालन की जानकारी									
क्र.	जिला	एजेंसी के प्रकार					योग	शहरी उ.मू. दु. की संख्या	ग्रामीण उ.मू.दु. की संख्या
		सहकारी समिति	ग्राम पंचायत	महिला स्व. सहायता समूह	वन सुरक्षा समिति	नगरीय निकाय			
1	बस्तर	108	241	132	4	0	485	48	437
2	बीजापुर	24	117	49	0	0	190	14	176
3	दन्तेवाड़ा	77	61	30	0	0	168	24	144
4	कांकेर	105	221	151	10	0	487	30	457
5	कोंडागांव	57	233	98	15	0	403	22	381
6	नारायणपुर	20	81	11	1	0	113	8	105
7	सुकमा	46	103	19	2	0	170	12	158
8	बिलासपुर	267	183	222	3	0	675	165	510
9	गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही	23	24	149	3	0	199	15	184
10	जांजगीर	165	48	173	0	0	386	48	338
11	कोरबा	107	165	202	4	0	478	62	416
12	मुंगेली	72	101	222	1	0	396	24	372
13	रायगढ़	87	309	247	4	0	647	89	558
14	बालोद	150	156	144	19	0	469	31	438
15	बेमेतरा	164	53	242	0	0	459	28	431
16	दुर्ग	316	67	270	0	1	654	350	304
17	कवर्धा	193	81	223	2	0	499	30	469
18	राजनांदगांव	167	65	246	4	0	482	74	408
19	बलौदा बाजार	323	55	185	0	0	563	38	525
20	धमतरी	313	27	101	0	0	441	51	390
21	गरियाबंद	280	41	36	0	0	357	16	341
22	महासमुंद	494	14	82	1	0	591	38	553
23	रायपुर	492	83	62	0	0	637	221	416
24	बलरामपुर	58	237	168	13	0	476	8	468
25	जशपुर	6	429	37	0	9	481	19	462
26	कोरिया	16	52	99	2	0	169	13	156
27	सरगुजा	204	92	208	7	0	511	67	444
28	सुरजपुर	141	194	177	3	0	515	23	492
29	सक्ती	51	67	224	0	0	342	19	323
30	मनेन्द्र•ढ़–चिरमिरी	43	97	102	5	0	247	49	198
31	सारं•ढ–बिलाई•ढ़	40	95	250	2	0	387	21	366
32	खैरा•ढ़–छुईखदान	89	43	106	0	0	238	16	222
33	मोहला–मानपुर	71	32	89	0	0	192	5	187
कुल योग		**4769**	**3867**	**4756**	**105**	**10**	**13507**	**1678**	**11829**

तालिका क्र. 4.6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों की जानकारी							
क्र.	जिला	अंत्योदय राशनकार्ड	प्राथमिकता राशनकार्ड	एकल निराश्रित राशनकार्ड	निःशक्तजन राशनकार्ड	सामान्य राशनकार्ड	योग
1	बस्तर	46972	134101	618	62	21911	203664
2	बीजापुर	24025	41592	9	37	4033	69696
3	दन्तेवाड़ा	28833	43359	85	405	6467	79149
4	कांकेर	35070	119830	364	244	26011	181519
5	कोंडागांव	33203	96849	466	23	11260	141801
6	नारायणपुर	17214	14350	67	30	4039	35700
7	सुकमा	30405	44329	95	16	2392	77237
8	बिलासपुर	90871	341847	3735	853	70841	508147
9	गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही	28237	74935	320	107	6007	109606
10	जांजगीर	45647	211576	2021	836	32072	292152
11	कोरबा	53796	218455	2052	1155	38632	314090
12	मुंगेली	51090	159277	1253	330	11854	223804
13	रायगढ़	66762	203056	1765	228	48389	320200
14	बालोद	29689	149109	836	986	29543	210163
15	बेमेतरा	41463	184979	3297	360	19893	249992
16	दुर्ग	71830	236993	2151	2696	134334	448004
17	कवर्धा	63876	184603	960	185	18177	267801
18	राजनांदगांव	37369	158246	333	317	35491	231756
19	बलौदा बाजार	44285	224252	2007	712	35309	306565
20	धमतरी	45327	151257	773	323	27688	225368
21	गरियाबंद	46832	132040	1166	560	12770	193368
22	महासमुंद	49645	219153	2547	1086	43325	315756
23	रायपुर	65301	379594	2924	1052	124131	573002
24	बलरामपुर	57057	133038	803	65	16149	207112
25	जशपुर	56336	159190	790	134	20234	236684
26	कोरिया	17457	51966	176	42	9438	79079
27	सरगुजा	66816	174165	934	137	22986	265038
28	सुरजपुर	55556	150074	1002	110	18131	224873
29	सक्ती	39402	147167	2249	438	23175	212431
30	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी	26373	58483	293	63	18068	103280
31	सारंगढ़–बिलाईगढ	42926	130717	1857	105	17636	193241
32	खैरागढ़–छुईखदान	16937	77063	429	53	7174	101656
33	मोहला–मानपुर	16738	47543	50	59	5127	69517
कुल योग		**1443340**	**4853188**	**38427**	**13809**	**922687**	**7271451**

लोक वित्त

05

लोक वित्त

मुख्य बिन्दु

- बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ती के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 6.06 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के कुल कर राजस्व में 7.55 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 63.79 प्रतिशत अनुमानित है।
- गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है। वर्ष 2022–23 के कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 51.94 प्रतिशत अनुमानित है।
- वर्ष 2022–23 में राजस्व प्राप्ति रू. 89073.25 करोड़ एवं राजस्व व्यय रू. 88371.61 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व घाटा रू. 701.64 करोड़ दर्शाता है।

लोक वित्त

5.1 वार्षिक बजट वर्ष 2022–2023:– वार्षिक बजट का उददेश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है, जिसमें सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये संसाधन उपलब्ध हो सके। बजट मात्र आय एवं व्यय का पत्रक ही नहीं होता वरन यह शासकीय नीतियों का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र होता है। बजट वर्ष 2022–23 इस दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया कि राज्य की विकास आवश्यकताओं एवं अतिरिक्त कर भार के बीच उचित संतुलन बना रहे। वर्ष 2020–21 में राजस्व घाटा रू. (–)6856.66 करोड़ के बावजूद वित्तीय घाटा रू. (–) 15822.38 है, जो वर्ष 2021–22 में रू.(–) 15257.19 करोड़ से कम होकर 2022–23 में रू. (–) 14599.78 करोड़ अनुमानित है। बजट सारांश सारणी 5.1 में दर्शाया गया हैं।

सारणी 5.1 बजट (राशि करोड़ में)

स.क्र.	मद	2020-21 (लेखा)	2021-22 (पु.अ.)	2022-23 (ब..अ.)
1	राजस्व प्राप्ति	63176.18	83981.44	89073.25
2	राजस्व व्यय	70032.84	85016.07	88371.61
3	राजस्व घाटा	-6856.66	-1034.63	701.64
4	पूंजीगत प्राप्तियॉं	15904.68	15620.00	14927.00
5	पूंजीगत व्यय	9024.19	14190.96	15240.69
6	ऋण एवं अग्रिम	50.51	351.60	387.73
7	कुल प्राप्तियॉं	79080.85	99601.44	104000.25
8	कुल व्यय	79107.54	99558.63	104000.03
9	वर्ष के शुद्ध लेन देन	-26.68	42.81	0.22
10	राजकोषीय (वित्तीय) घाटा	-15822.38	-15257.19	-14599.78

स्रोतः– वित्त सचिव का स्मृति पत्र ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब अ = बजट अनुमान

5.2 राजस्व प्राप्तियाँ:–मार्च 2022 में प्रस्तुत बजट अनुमान अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ रू. 89073.25 करोड़ अनुमानित है। जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6.06 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कर राजस्व रू. 56823.25 करोड़ अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021–22 में पुनरीक्षित अनुमान रू. 52831.44 करोड़ अनुमानित रहा, अर्थात कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 7.55 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इसी प्रकार गैर–कर राजस्व में 3.53 % वृद्धि अनुमानित है।

गैर कर राजस्व वर्ष 2021–22 में पुनरीक्षित अनुमान रू. 31150.00 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2022–23 में रू. 32250.00 करोड़ अनुमानित है। विवरण सारणी 5.2 में है।

सारणी 5.2 राजस्व प्राप्तियॉ (राशि करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	गैर कर राजस्व	कुल राजस्व प्राप्तियॉ
2020-21 (लेखा)	43226.74	19949.44	63176.18
2021-22 (पु.अ.)	52831.44	31150.00	83981.44
2022-23(ब.अ.)	56823.25	32250.00	89073.25

स्रोतः– वित्त सचिव का स्मृति पत्र ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब.अ. = बजट अनुमान

राजस्व प्राप्तियॉ (राशि करोड़ में)

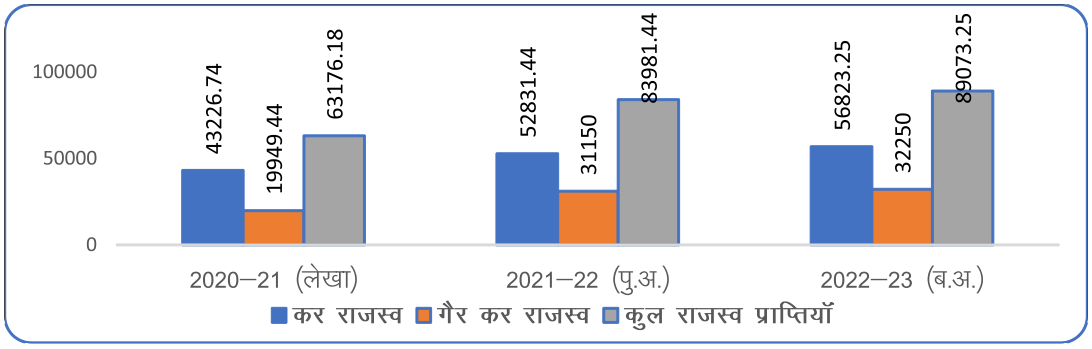

5.3 कर राजस्वः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल कर राजस्व में 7.55 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। कर राजस्व में प्रमुख योगदान राज्य का स्वयं का कर राजस्व है। केन्द्रीय करों के कर राजस्व में 9.84 प्रतिशत वृद्धि होना अनुमानित है, जबकि राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 5.45 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश 51.04 प्रतिशत अनुमानित है, एवं कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 63.79 प्रतिशत अनुमानित है। सारणी 5.3 में वर्ष 2020–21 से वर्ष 2022–23 तक का कर राजस्व विवरण दर्शाया गया है।

सारणी 5.3 कर राजस्व (राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	केंद्रीय करों में राज्य का अंश	योग	कुल कर में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	कुल कर में केन्द्रीय करों का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
						स्वयं का कर	केन्द्रीय कर	स्वयं का कर	केन्द्रीय कर
2020-21 (लेखा)	22889.19	20337.55	43226.74	52.95	47.05	-	-	-	-
2021-22 (पु.अ.)	27500.00	25331.44	52831.44	52.05	47.95	20.14	24.56	4610.81	4993.89
2022-23(ब.अ.)	29000.00	27823.25	56823.25	51.04	48.96	5.45	9.84	1500.00	2491.81

स्रोतः– वित्त सचिव का स्मृति पत्र ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब.अ. = बजट अनुमान

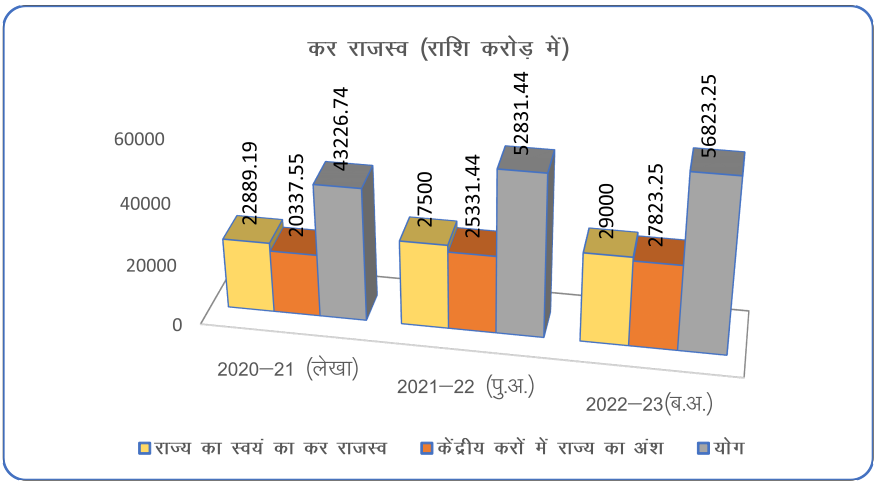

5.4 गैर–कर राजस्वः–गैर–कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में गैर–कर राजस्व रू. 32250.00 करोड़ अनुमानित है। पिछले दो वर्षों में गैर–कर राजस्व की प्रवृत्ति एवं वर्ष 2022–23 बजट अनुमान को सारणी 5.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.4 गैर कर राजस्व (राशि करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय सहायता अनुदान	राज्य का गैर कर राजस्व	कुल गैर कर राजस्व	कुल गैर कर राजस्व में केंद्रीय सहायता का प्रतिशत	कुल गैर कर राजस्व में राज्य के गैर कर राजस्व का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
						केंद्रीय सहायता	राज्य का गैर कर राजस्व	केंद्रीय सहायता	राज्य का गैर कर राजस्व
2020-21 (लेखा)	12812.49	7136.95	19949.44	64.22	35.78	-	-	-	-
2021-22 (पु.अ.)	16650.00	14500.00	31150.00	53.45	46.55	29.95	103.17	3837.51	7363.05
2022-23(ब.अ.)	16750.00	15500.00	32250.00	51.94	48.06	0.60	6.90	100.00	1000.00

स्रोतः– वित्त सचिव का स्मृति पत्र ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब..अ. = बजट अनुमान

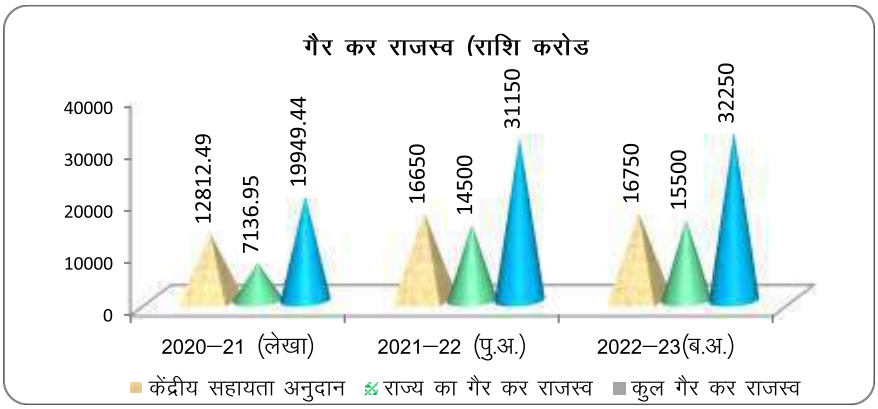

5.5 राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्ययः—वर्ष 2021—22 पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से अधिक रखा गया, जो राजस्व घाटा को दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का पिछलें दो वर्षों का एवं वर्ष 2022—23 के बजट अनुमान विवरण सारणी 5.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.5 राजस्व प्राप्तियॉं एवं व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियॉं	राजस्व व्यय	आधिक्य (+) या घाटा (-)	राजस्व प्राप्तियों से व्यय का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
					राजस्व प्राप्तियॉं	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियॉं	राजस्व व्यय
2020-21 (लेखा)	63176.18	70032.84	-6856.66	110.85	-	-	-	-
2021-22 (पु.अ.)	83981.44	85016.07	-1034.63	101.23	32.93	21.39	20805.26	14983.23
2022-23(ब.अ.)	89073.25	88371.61	701.64	99.21	6.06	3.95	5091.81	3355.54

स्रोतः— वित्त सचिव का स्मृति पत्र ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब अ = बजट अनुमान

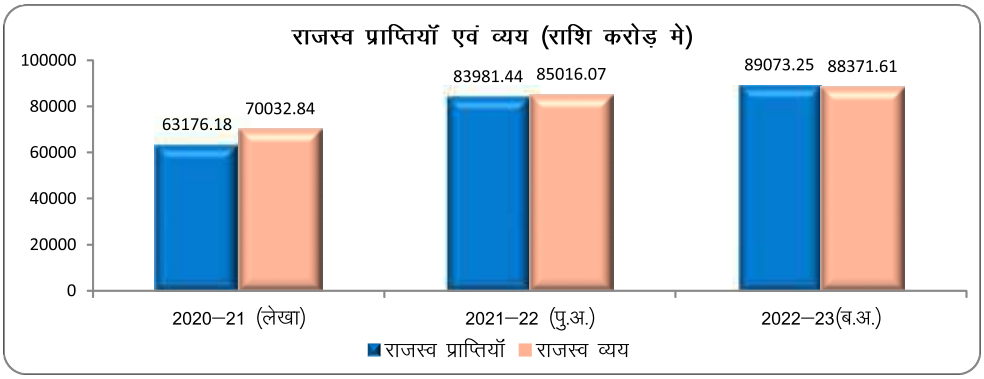

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं ब्याज की अदायगी, बाध्यता होने के साथ—साथ राजस्व व्यय के प्रमुख घटक है। राजस्व व्यय का विवरण सारणी 5.6 में दर्शाया गया हैं।

सारणी 5.6 राजस्व व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	पेंशन	वेतन एवं भत्ते	मजदूरी	अन्य	कुल राजस्व व्यय
2020-21 (लेखा)	5633.11	7114.99	20742.54	886.97	35655.23	70032.84
2021-22 (पु.अ.)	6732.42	7286.24	24727.91	1167.06	45102.44	85016.07
2022-23(ब.अ.)	7222.05	7573.10	26769.33	1072.38	45734.75	88371.61

स्रोतः— वित्त सचिव का स्मृति पत्र ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब.अ. = बजट अनुमान

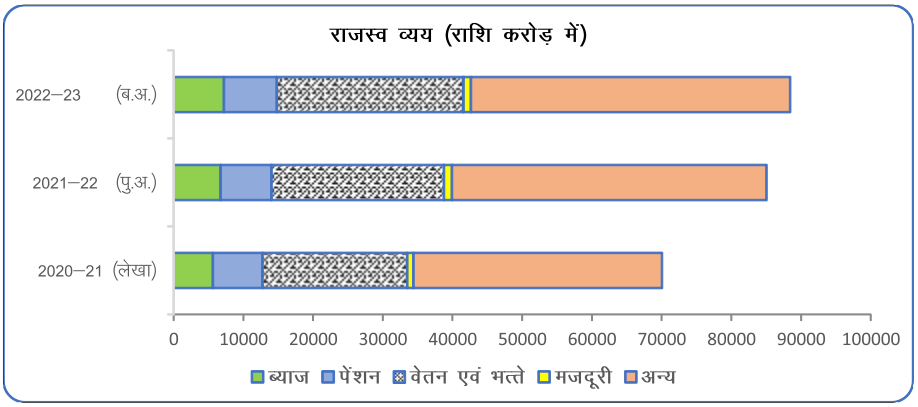

5.7 राजस्व प्राप्तियाँ:–वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल व्यय के 85.64 प्रतिशत भाग की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना अनुमानित है, यह भाग 2021–22 के पुनरीक्षित अनुमान में 84.35 प्रतिशत है। राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण सारणी 5.7 में दर्शाया गया है।

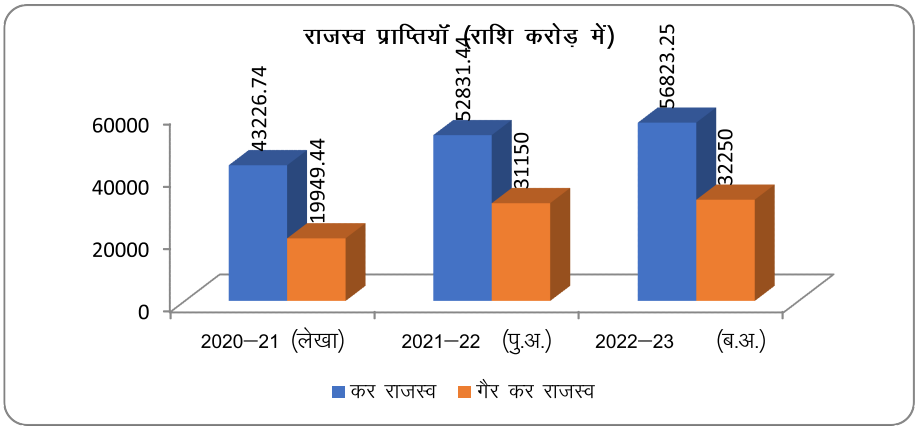

सारणी 5.7 राजस्व प्राप्तियॉ (राशि करोड़ में)				
स.क्र.	मद	2020-21 (लेखा)	2021-22 (पु.अ.)	2022-23 (ब..अ.)
(1)	**कर राजस्व**	**43226.74**	**52831.44**	**56823.25**
	(i) आय एवं व्यय पर कर	12387.55	15455.49	17079.25
	(ii) सम्पत्ति एवं पूंजीगत लेन देनों पर कर	2522.65	2699.71	2949.69
	(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	28316.54	34676.24	36794.31
(2)	**गैर कर राजस्व**	19949.44	31150.00	32250.00
	(i) राज्य का गैर कर राजस्व	7136.95	14500.00	15500.00
	(ii) केंद्र से सहायता अनुदान	12812.49	16650.00	16750.00
कुल (1+2)		**63176.18**	**83981.44**	**89073.25**
स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब.अ. = बजट अनुमान				

5.8 राज्य की वित्तीय स्थिति–राज्य की वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय संसाधनों की वृद्धि का विवरण सारणी 5.8 में दर्शाया गया है:–

सारणी 5.8 राज्य की वित्तीय स्थिति

क्र.	मद	2020-21 (लेखा)	2021-22 (पु.अ.)	2022-23 (ब..अ.)
I	**राजस्व प्राप्तियां**	**63176.18**	**83981.44**	**89073.25**
क.	राज्य का राजस्व	30026.14	42000.00	44500.00
(1)	कर राजस्व	22889.19	27500.00	29000.00
(2)	कर भिन्न राजस्व	7136.95	14500.00	15500.00
ख.	केन्द्र से प्राप्तियां	**33150.04**	**41981.44**	**44573.25**
(3)	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	20337.55	25331.44	27823.25
(4)	सहायक अनुदान	12812.49	16650.00	16750.00
II	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**15904.67**	**15620.00**	**14927.00**
(5)	उधार एवं अग्रिम की वसूली	104.13	320.00	327.00
(6)	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	4.85	0.00	0.00
(7)	शुद्ध लोक ऋण	13561.39	11200.00	10500.00
(8)	लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियां	2234.30	4100.00	4100.00
III	**कुल प्राप्तियां (I +II)**	**79080.85**	**99601.44**	**104000.25**
IV	**कुल व्यय**	**79107.54**	**99558.63**	**104000.03**
(9)	राजस्व व्यय	70032.84	85016.07	88371.61
(10)	पंजीगत व्यय	9024.19	14190.96	15240.69
(11)	ऋण एवं अग्रिम	50.51	351.60	387.73
V	**पुनर्प्राप्तियाँ एवं ऋण अदायगी**	**10192.17**	**7681.33**	**8603.38**
VI	**कुल विनियोग**	**89299.71**	**107239.96**	**112603.40**
VII	**ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)**	**5633.11**	**6732.42**	**7222.05**
VIII	**राजस्व आधिक्य/घाटा**	**-6856.66**	**-1034.63**	**701.64**
IX	**राजकोषीय (वित्तीय) घाटा**	**-15822.38**	**-15257.19**	**-14599.78**
X	**प्राथमिक घाटा**	**-10189.27**	**-8524.77**	**-7377.73**

स्त्रोतः वित्त सचिव का स्मृति पत्र– पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, ब.अ. = बजट अनुमान

सारणी क्रमांक 5.9 राज्य के राजकोषीय सूचक

क्र.	राजकोषीय सूचक	2020-21 (लेखा)	2021-22 (पु.अ.)	2022-23 (ब.अ.)
I	**प्राप्तियां**			
(i)	राजस्व प्राप्तियां/कुल प्राप्तियां (%)	79.89	84.32	85.65
(ii)	पूजीगत प्राप्तियां कुल प्राप्तियां (%)	20.11	15.68	14.35
(iii)	राज्य के स्वयं का राजस्व प्राप्तियां/राजस्व प्राप्तियां (%)	47.53	50.01	49.96
(iv)	केन्द्र से प्राप्तियां/राजस्व प्राप्तियां (%)	52.47	49.99	50.04
(v)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व/राज्य के स्वयं का राजस्व (%)	76.23	65.48	65.17
(vi)	राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व/राज्य के स्वयं का राजस्व (%)	23.77	34.52	34.83
(vii)	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा/केन्द्र से प्राप्तियां (%))	61.35	60.34	62.42
(viii)	सहायक अनुदान/केन्द्र से प्राप्तियां (%))	38.65	39.66	37.58
II	**व्यय**			
(i)	राजस्व व्यय/कुल व्यय %	88.53	85.39	84.97
(ii)	पूँजीगत व्यय/कुल व्यय %	11.41	14.25	14.65
(iii)	ऋण और अग्रिम/कुल व्यय %	0.06	0.35	0.37
III	**व्यय/प्राप्तियां**			
(i)	राजस्व व्यय/राजस्व प्राप्तियां %	110.85	101.23	99.21
(ii)	कुल व्यय/कुल प्राप्तियां %	100.03	99.96	100.00
(iii)	ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां %	8.92	8.02	8.11

संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

06

संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2021–22(अग्रिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) के अग्रिम अनुमान में बैकिंग क्षेत्र का योगदान 8,71,619 लाख रूपये अनुमानित।
- राज्य में बैकों की संख्या जून 2022 में 47, शाखाओं की संख्या 3,223 एवं एटीएम की संख्या 3,233 है। जिनमें कुल जमा 2,14,424.87 करोड़ रूपये है।
- प्राथमिक क्षेत्र में आबंटित ऋण में जून 2021 की तुलना में जून 2022 में 23.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- महिलाओं को आबंटित ऋण में जून 2020 की तुलना में जून 2021 में 16.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- प्रधानमंत्री जन–धन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। 28/12/2022 की स्थिति में राज्य में 47,83,96,632 खाते हैं।
- ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) अंतर्गत नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2021–22 के दौरान कुल रु. 1,641.32 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई।
- वर्तमान में प्रदेश में कुल 2,058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियॉ कार्यरत हैं।
- प्रदेश में स्थित चार सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा पेराई वर्ष 2021–22 में कृषकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना खरीदकर शक्कर का उत्पादन 1,10,451.25 क्विंटल किया गया है।

6.1 वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक विकास

विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार प्रगतिशील देशों के अनुभव यह बताते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वित्तीय एकीकरण (Financial Integration) की प्रक्रिया के माध्यम में न केवल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपितु पूँजी जुटाने (Capital Mobilization) में भी सहायक होती है जहाँ एक ओर वित्तीय संस्थायें अर्थव्यवस्था में तरलता एवं गतिशीलता को बनाये रखने हेतु वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से बचत व निवेश को प्रोत्साहन तथा संस्थाओं व व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का कार्य करती हैं वहीं दूसरी तरफ विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उत्पादक रूप से वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुये राज्य तथा राष्ट्र के आर्थिक वृद्धि एवं विकास में अपना योगदान देती हैं।

मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों (MSMEs) की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन गतिशीलता को बाजार की माँग के अनुरूप बनाये रखने तथा वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग से जोखिम उठाकर निवेश पर आय सुनिश्चित करने वाले उद्यमियों को बैंक व वित्तीय संस्थायें बहुत सहायक होती हैं। ठीक इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में जहां लघु, एवं सीमांत कृषक उत्पादन के लिये आवश्यक निविष्टियों (Input) जैसे– सिंचाई, बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाओं की खरीदी इत्यादि कृषि – सम्बंधित कार्यों हेतु न्यूनतम–ब्याज दर पर ऋण की अपेक्षा रखते हैं, उनको पूरा करने में भी बैंकों की प्रमुख भूमिका होती है।

6.1.1 राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैकिंग सेक्टर का हिस्सा निरंतर बढ़ कर रहा है, जो तालिका 6.1 में दर्शाया गया है:–

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
भागीदारी (लाख)	742683	700347	738135	794641	839512	881146
वृद्धि (प्रतिशत)	7.32	-5.70	5.40	7.66	5.65	4.96
हिस्सा (प्रतिशत)	3.71	3.14	3.14	3.40	3.32	3.23

बैंकिंग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

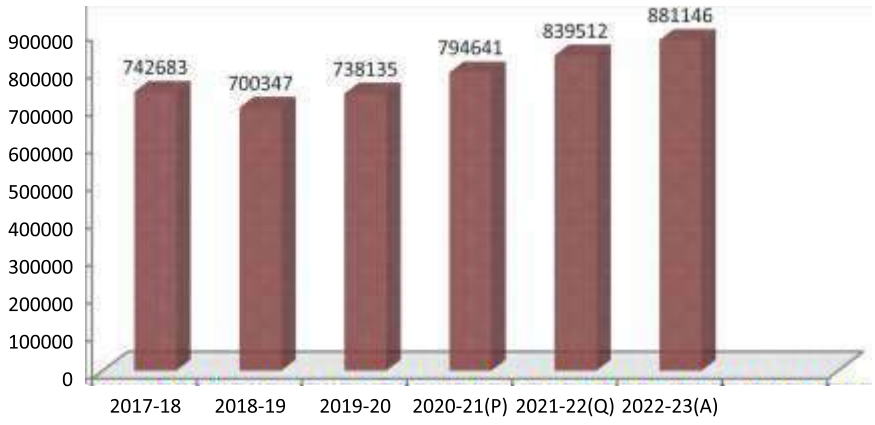

6.1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकिंग गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। बैंकिंग गतिविधियों को गति देने में दिशा देने हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से समीक्षा करती हैं, जो कि तालिका क्रमांक 6.2 से स्पष्ट होता है। जून 2022 की स्थिति में 3,223 बैंक शाखाएं हैं।

- जून 2022 की स्थिति में बैंक जमा राशि 2,14,424.87 करोड़ है, जो कि जून 2021 की तुलना में 11.84 प्रतिशत अधिक है।
- जून 2022 की स्थिति में प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम 67251.03 था जो कि जून 2021 की तुलना में 23.81 प्रतिशत अधिक है।
- इस संदर्भ अवधि में कृषि क्षेत्र में क्रेडिट (अग्रिम) में 20.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

6.1.3 साख जमा गतिविधियां :–

तालिका 6.2 राज्य में बैंकिंग कार्यो की प्रगति (राशिकरोड़ में)

क्र.	विवरण	जून 2021	जून 2022	प्रतिशत वृद्धि (जून 21–जून22)
1	बैंकों की संख्या	47	47	-
2	शाखाओं की संख्या	3136	3223	-
3	ATM की संख्या	3320	3233	-
4	कुल जमा	191730.28	214424.87	11.84
5	कुल अग्रिम	122846.65	148568.35	20.94
6	साख–जमा अनुपात प्रतिशत	64.00	69.29	
7	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	54317.07	67251.03	23.81
8	कुल अग्रिम में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	44.22	45.27	
9	कृषि में अग्रिम	17855.50	21437.82	20.06
10	कुल अग्रिम में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	14.53	14.43	
11	लद्यु उद्योगों में अग्रिम	26169.40	34123.35	30.39
12	अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम	11790.69	18488.90	56.81
13	कुल अग्रिम में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिशत	9.60	12.44	
14	महिलाओं को अग्रिम	13694.37	----	

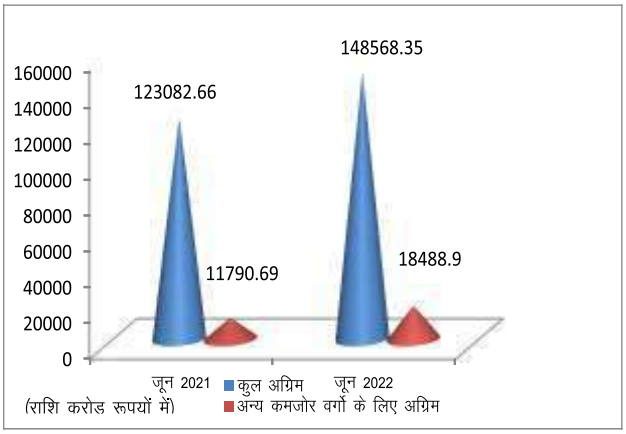

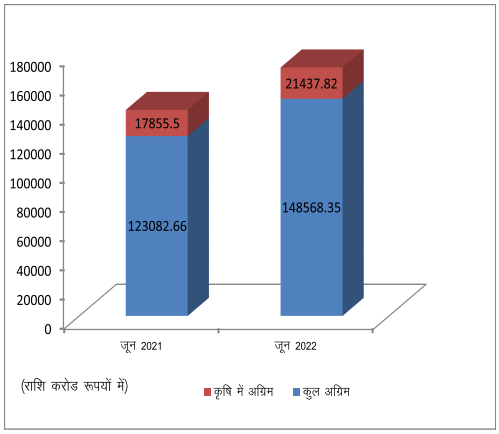

तालिका 6.3 प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति (राशि करोड रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमा राशि	ऋण राशि	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1999–2000	1045	6116	2379	38.91
2000–2001	1042	7458	2966	39.77
2001–2002	1036	9605	4219	43.93
2002–2003	1039	11443	4474	39.1
2003–2004	1319	15454	9101	58.89
2004–2005*	1331	17605	11269	64.01
2005–2006*	1334	22053	12684	57.52
2006–2007*	1356	26014	15420	58.27
2007–2008*	1416	31618	19094	60.39
2008–2009*	1500	39437	23043	57.99
2009–2010*	1590	49379	27943	56.59
2010–2011*	1705	59032	33022	55.94
2011–2012	1912	70742	40135	56.73
2012–2013	2084	87339	49094	56.21
2013–2014	2334	92772	58631	63.2
2014–2015	2454	105023	67691	64.45
2015–2016	2635	107441	73079	68.02
2016–2017	2703	124013	82244	66.32
2017–2018	2753	138843.75	92957.25	66.95
2018–2019	2811	150957.58	99686.99	66.04
2019–2020	3090	167692.72	110208.32	65.72
2020–2021	3148	190581.97	119765.27	62.84
2021–2022	3136	192324.30	123082.66	64.00
2022–2023 जून 2022	3223	**214424.87**	**148568.35**	**69.29**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक प्रकाशन,

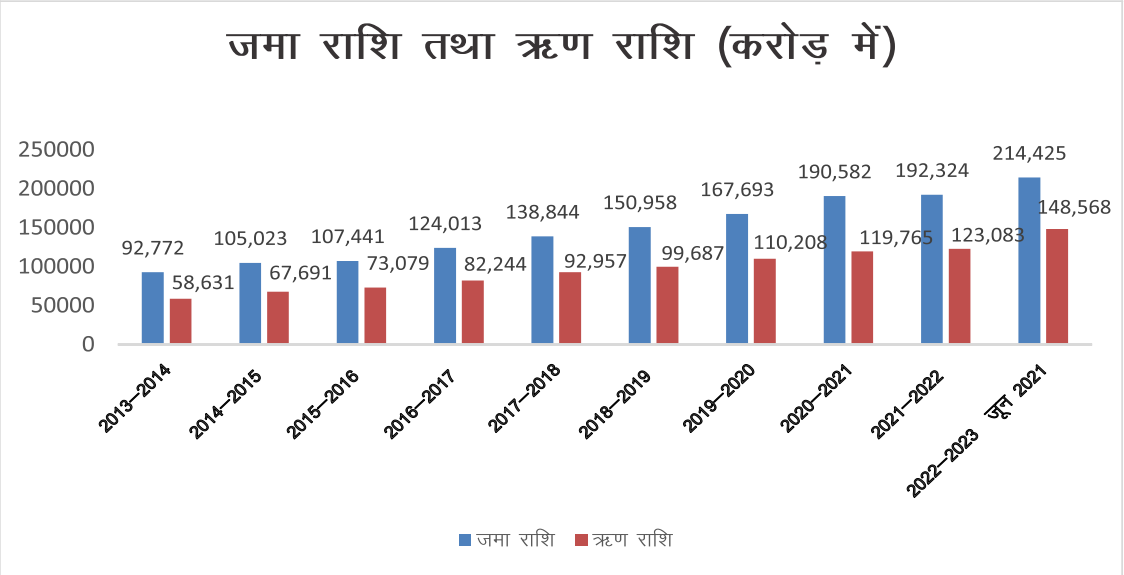

6.2 वित्तीय समावेशन पर अवलोकन और प्रगति

6.2.1 वित्तीय समावेश अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने हेतु सामाजिक तथा आर्थिक विकास के साथ–साथ लेन–देन की गतिविधियों में सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों के संवेग में वृद्धि तथा विस्तार होती है, साथ ही मध्यम, लघु एवं छोटे उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलती है जिससे रोजगार के नये अवसर का सृजन होता है।

वित्तीय समावेश केन्द्र, अमेरिका (Center for Financial Inclusion) की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय समावेशन निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेशित करता है।

- वित्तीय सेवाओं जैसे ऋण, बचत, बीमा, और भुगतान इत्यादि का अभियोग।
- गुणवत्तापूर्ण सुविधाजनक, सस्ती, उपयुक्त व ग्राहक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली सेवा।
- ग्राहकों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में सूचित करते हुये उनके वित्तीय क्षमता का विकास करना।
- सभी के वित्तीय सेवाओं के उपयोग करने हेतु समान अवसर।
- विविध एवं प्रतिस्पर्धी बाजार के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की श्रृंखला।
- स्पष्ट वित्तीय नियामक ढांचा।

अतः विगत दशकों के दौरान वित्तीय समावेशन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है, जिसका क्रियान्वयन बैंकों के राष्ट्रीयकरण, बैंकों की शाखा विस्तार, लीड बैंक योजना, व्यापार संवाद– दाता मॉडल, मोबाइल बैंकिंग का विस्तार, आधार बैंकिंग खाते, ई–KYCs इत्यादि विभिन्न पहलों के द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय, समावेशन का उद्देश्य देश की बडी आबादी, जो कि अब तक स्थिर विकास की संभावनाओं में पिछडी हुई है, उनके लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। इसके अतिरिक्त यह विशेष रूप से गरीबों के लिए वित्तपोषण उपलब्धता हेतु एक अधिक समावेशी विकास की दिशा में एक प्रयास है।

6.2.2 प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) :– प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) औपचारिक रूप से 28 अगस्त, 2014 को आरंभ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक ऋण, बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। लाभार्थियों को 1.00 लाख रुपए की रुपे डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा रू. 30000 का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15–08–2014 से 26–01–2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं व योजना कि अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे।

पीएमजेडीवाई (PMJDY) पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम (स्वाभिमान) से अलग है, चूँकि अन्य बातों के साथ देश भर में सभी परिवारों (ग्रामीण एवं शहरी) तक बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना चाहता है। जबकि पहला वित्तीय समावेश कार्यक्रम 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों को शामिल करने पर केन्द्रित था, पीएमजेडीवाई (PMJDY) के अंतर्गत सरलीकृत केवाईसी (KYC) हेतु दिशा निर्देश दिया गया है।

यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा खाता धारक पीएमजेडीवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया खाता नहीं खोल सकते। वे मौजूदा खाते में जारी रुपे डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सीमा में दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

तालिका 6.4 प्रधानमंत्री जन–धन योजना प्रगति					
स्थिति	प्रधानमंत्री जन–धन योजना खाते	सक्रिय खाते	सक्रिय खातों का प्रतिशत	आधार लिंक खाते	आधार लिंक खातों का प्रतिशत
31/03/2015	6776888	2682375	40	1214103	18
31/03/2016	9741764	5637620	58	3019947	31
31/03/2017	12295359	8219486	67	8135008	66
31/03/2018	12994262	10226353	79	9875639	76
29/05/2019	14093072	11687790	83	10971752	78
22/01/2022	443271252				
28/12/2022	478396632				

6.2.3 रूपे कार्ड:– रूपे कार्ड एक नई भुगतान योजना एनपीसीआई द्वारा नियोजित कि गयी है। यह एक घरेलू, स्वतंत्र बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली है, जो सभी भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है। रूपे कार्ड 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। रुपे कार्ड भारत में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता बढाने के लिए एक नेटवर्क बनाने का प्रतीक है, जो की भारतीय बैंकों को काफी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान सुविधा देता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम होती है। यह चीन जैसे बड़े उभरते देश जिनकी स्वयं के घरेलू कार्ड भुगतान प्रणाली है के जैसा है। भारत सरकार ने बैंकों को सभी KCC और DBT लाभार्थियों को डेबिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है इसके साथ हर नये खाता धारक को एक डेबिट कार्ड जारी किया जाना है। इस प्रकार एक कम लागत विकल्प के रूप में रूपे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मददगार होगा। रूपे कार्ड एटीएम बिक्री टर्मिनलों के केंद्र और ऑनलाइन खरीद पर काम करता है, और न केवल दुनिया में किसी भी अन्य कार्ड योजना के बराबर है, बल्कि यह ग्राहकों को भुगतान विकल्प में लचीलापन प्रदान करता है। विवरण तालिका क्र. 6.5 में दर्शित है।

तालिका 6.5 रूपे कार्ड विवरण (05.01.2022)	
प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते संख्या	रूपे कार्ड जारी खाते
47.83 crore	32.52 crore

6.2.4 मुद्रा (Micro Units Development Refinance Agency) योजना :– छोटे गैर कॉर्पोरेट (NCSBS) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किंतु इन छोटे कुटीर उद्योगों को बैंक नियमो को पूरा नहीं कर पाने के कारण बैंकों से आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलती। वे काफी हद तक स्ववित्त पोषित हैं अथवा निजी नेटवर्क या साहूकारों पर निर्भर हैं। इसलिए मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई हैं। यह न केवल इन उद्यमियों के जीवनस्तर में सुधार लायेगा वरन नये रोजगार सृजन करेगा एवं देश की उच्च विकास दर को प्राप्त करने में योगदान देगा। मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों एवम दुकानदारों को ऋण की सुविधा तीन चरणों में दी गई है :–

- **शिशु ऋण योजनारू** कुटीर उद्योग की शुरुआत के समय मुद्रा बैंक के तहत पचास हजार के ऋण का प्रावधान है।
- **किशोर ऋण योजनाः** इसमें ऋण की राशि पचास हजार से पांच लाख तक की जा सकती है।
- **तरुण ऋण योजना** : इसमें पाँच से दस लाख तक का ऋण लिया जा सकता हैं।

तालिका 6.6 मुद्रा योजना प्रगति 31.08.2022 (राशि करोड़ में)

वर्ष	शिशु		किशोर		तरूण		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2022–23 लक्ष्य	419223	2668.04	119778	762.30	59890	381.16	598891	3811.50
2022–23 प्राप्तियॉ	114696	296.18	36537	521.02	6269	476.75	157502	1293.95

6.2.5 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और एलपीजी (DBTL) के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणः

DBT योजना का उद्देश्य, विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत पैसे सीधे और बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करना है। बैंक डीबीटी/डीबीटीएल के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस कार्य के चार महत्वपूर्ण चरण है

(1) सभी लाभार्थियों के बैंक खातों का खुलना।

(2) आधार नंबर और एनपीसीआई मैपर पर अपलोड करने के साथ बैंक खातों की सीडिंग।

(3) राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस का उपयोग कर धन हस्तांतरण, आधार कार्ड भुगतान ब्रिज सिस्टम (NACH-APBS)।

(4) पैसे निकालने के लिए बैंकिंग ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

6.3 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं :—सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से भारत सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाय.), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाय.) एवं अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाय.) का शुभारंभ किया गया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में अत्यंत प्रगति हुई है विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका 6.7 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं			
क्र.	योजना का नाम	30–06–2021	30–06–2022
		संख्या	संख्या
1	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	2110294	3170363
2	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	7210295	8736070
3	अटल पेंशन योजना	455602	701250

6.3.1 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना :– यह एक भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं तैयार की गई जीवन बीमा योजना है जिसका लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम वार्षिक किस्त 330 रू है, जिसमें मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रूपये की राशि प्राप्त होती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एक–वर्ष की नवीकरणीय योजना है जो दुर्घटना से हुई मृत्यु सह विकलांगता के लिए प्रस्तावित की गई है जिसमें 12 रू के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रूपए की राशि प्राप्त होती है. बीमित व्यक्ति को आंशिक स्थायी विकलांगता पर एक लाख रू प्राप्त होगा।

6.3.2 सुकन्या समृद्धि खाता :– यह योजना शासन की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। यह 22 जनवरी 2015 को लागू की गई है। इस योजना में निवेश करने पर 9.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु यह दर बढ़कर 9.2 प्रतिशत कर दी गई है। इस योजना में प्रस्तावित ब्याज दर परिवर्तित की जा सकती है और प्रतिवर्ष संयोजित की जाएगी।

6.3.3 अटल पेंशन योजना :–यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिमाह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने हेतु प्रस्तावित की गई है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए रू. 1000 से रू. 5000 व्यय कर इस योजना को चुन सकते हैं। अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकता है, किन्तु यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो करदाताओं की श्रेणी में नही हैं। यह योजना समाज के लोगों जैसे– सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक या घरेलू कार्य में सहायता देने वालों के लिए लागू की गई है।

6.3.4 पेंशन योजना :– यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो पेंशन निधि नियामक एवं विकास अधिकरण (PFRDA) द्वारा नियमित की जाती है, जिसे सेवानिवृत्ति के पश्चात की आवश्यकताओं के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस योजना का धारा 80 CCD के अंतर्गत 1.5 लाख रू तक जैसा U/S 80C में प्रावधानित है, का कर लाभ प्राप्त होता है।

6.4 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

6.4.1 ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) :–इस निधि के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2021–22 के दौरान कुल रु. 1641.32 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए रु. 193.36 करोड़, सिंचाई परियोजना के लिए रु. 63.36 करोड़, 20,000 सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पम्पसेटों के लिए रु. 477.22 करोड़ ग्रामीण गोदाम कार्यालय के लिए रु. 144.15 करोड़ एवं COVID-19 प्रबंधन और नियंत्रण के लिए मेडिकल कॉलेजो में ऑक्सिजन आपूर्ति हेत रू. 13.43 करोड़ स्वीकृत किए गए।

वर्ष 2021–22 के दौरान चालू परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए रु. 921.98 करोड़ की राशि वितरित की गयी। वर्ष 2022–23 के दौरान, आरआईडीएफ़ के अंतर्गत अब तक रु. 409.56 करोड़ की राशि वितरित की गयी।

छत्तीसगढ़ राज्य में आरआईडीएफ़ के अंतर्गत अब तक संचयी रूप से 31 मार्च 2022 तक रू. 13,014 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई एवं इसी मद में संचयी रूप से रू. 9,042 करोड़ की राशि वितरित की गई।

6.4.2 पुनर्वित्त सहायता :– वर्ष 2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक) की समाप्ति तक नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों,सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि उत्पादन ऋण हेतु रु. 4125 करोड़ एवं निवेश ऋण हेतु रू. 988 की सहायता दी गई। इसी प्रकार वर्ष 2022–23 (अप्रैल 2021 से 31 दिसम्बर 2022 तक) के दौरान नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको, सहकारी बैंकों, एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कृषि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण हेतु क्रमशः रु. 3550 करोड़ और रु. 510 करोड़ की सहायता दी गई।

6.4.3 मार्कफेड को सहायता :–नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान धान की अधिप्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ मार्कफेड को रु. 5500 करोड़ का ऋण दिया गया। खरीफ विपणन मौसम 2022–23 हेतु धान की अधिप्राप्ति के लिए रु. 6000 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है।

6.4.4 नाबार्ड आधारभूत विकास सहायता (एनआईडीए) :–नाबार्ड द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनाः 2018–19 के अंतर्गत 3 लाख ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ रूरल हाडसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को रू. 792.44 करोड़ ऋण वितरण किया गया।

6.4.5 खाद्य प्रसंस्करण निधि :– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एम ओ एफ पी आई भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नामित खाद्य पार्क और उसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए किफायती ऋण प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत वर्ष 2000 करोड़ स्थापित की गई। इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में आगे बढ़ने के लिए 2015–16 में भारत सरकार द्वारा नामित खाद्य पार्क मेंसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क तिल्दा जिला रायपुर को रू. 40.34 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है जिसके समक्ष अब तक रू. 40.34 करोड़ की राशि वितरण की गई है। इस मेगा फूडपार्क का 03 जून 2021 को उद्घाटन किया जा चुका है।

6.4.6 सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता :– यह एक अल्पकालिक बहुउद्देशीय ऋण उत्पादक है जो डी सी सी बी और एस टी सी बी को सीधे निर्दिष्ट गतिविधियों के तहत उनके उधार व्यवसाय का विस्तार करने के लिए वित्त पोषण करता है। नाबार्ड द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान रायपुर जिला सहकारी बैंक को रु. 500 करोड़ का प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता वितरित की गई थी।

6.4.7 दीर्घकालीन सिंचाई निधि (एलटीआईएफ):– एलटीआईएफ के तहत छत्तीसगढ़ में तीन परियोजनाओं (मनियारि, केलो और खारुन) की पहचान की गई है। 31 मार्च 2021 के अंत तक, नाबार्ड ने रु. 165.73 करोड़ केंद्रीय सहायता राशि एवं रु. 80.07 करोड़ स्टेट शेयर राशि स्वीकृत की है, जिसमें से केंद्रीय सहायता राशि के रूप में रु. 62.79 करोड़ वितरित किए गए हैं।

6.5 विशेष विकासात्मक पहल

6.5.1 स्वयं सहायता समूह– बैंक लिंकेज कार्यक्रम

नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021–22 के अंत तक 299366 समूहों का गठन किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान 38633 स्वयं सहायता समूह को ऋण से सहबद्ध किया गया है। वर्ष 2021–22 के अंत तक 8675 स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और 3273 बैंक लिंकेज हेतु 58 स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्थान (एस.एस.पी.आई) स्वीकृत की और उन्हें कुल रुपए 866.54 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई. वर्ष 2021–22 के दौरान स्वयं सहायता समूह के संवर्धन और स्वयं सहायता समूहों के संस्थानों के क्षमता निर्माण हेतु रू. 19.85 लाख की राशि वितरित की गई.

6.5.2 संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)

नाबार्ड ने काश्तकारों, बटाईदारों, मौखिक पट्टेदारों और सीमांत किसानों के समूहों के संवर्धन और वित्त–पोषण के लिए यह योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 3.92 लाख संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) गठित किए गए हैं, और उन्हें रुपए 4,37,629 लाख का ऋण वितरित किया गया है, इसके अंतर्गत नाबार्ड ने छत्तीसगढ़ में 14675 संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) के संवर्धन और ऋण सहबद्धता के लिए 333.50 लाख की अनुदान सहायता राशि क्रियान्वयन संस्थानों को स्वीकृत की गयी ।

6.5.3 स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए "ई–शक्ति"

नाबार्ड ने 15 मार्च 2015 को स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए ई–शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के अभिलेखों की पारदर्शिता, समय पर अद्यतनीकरण और समुचित रख–रखाव किया जाएगा, जिससे समूह का समुचित पोषण और सुदृढ़ीकरण होगा, अनियमितताएँ दूर होंगी और समूह के सदस्यों को और खाता–बहियों का उचित रख–रखाव करने में सहायता होगी। स्वयं सहायता समूहों को ऋण की स्थिति को अपग्रेड करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने में डिजिटाइजेशन से सहायता मिलेगी और समूह को अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण की मात्रा में वृद्धि कर पाएंगे। साथ ही समूहों के वर्गीकरण से बैंकों को ऋण संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। राज्य के 8 जिलों :– राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़, महासमुंद, कांकेर और दंतेवाड़ा में यह कार्यक्रम चलाया गया था। इससे बैंकों को स्वयं सहायता समूह को ऋण देने में आसानी होती है। इस क्रम में वित्तीय समावेशन व भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को लाया जा रहा है। इन जिलों में 43867 सहायता समूह को डिजिटाइज किया जा चुका है।

6.5.4 आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास :–नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि से दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में कई सफल आजीविका परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के आदिवासी परिवारों को टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में कुल 88 वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें मार्च 2022 तक रू. 230.24 करोड़ अनुदान तथा इसके अंतर्गत राज्य के 57,563 आदिवासी परिवारों को समन्वित किया गया है।

6.5.5 वॉटरशेड विकास :– ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या के निवारण के लिए नाबार्ड की इस वॉटरशेड विकास योजना के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों में संचयी रूप में 67 वॉटरशेड परियोजनाओं हेतु स्वीकृत कुल राशि रु. 66.34 करोड़ है, तथा इसके अंतर्गत 59,768 हेक्ट. भूमि का उपचार किया गया है और 26,640 परिवारों को शामिल किया गया है। वर्ष 2022–23 में 27 दिसंबर 2022 तक रू. 1.54 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

6.5.6 जलवायु परिवर्तन :–राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तावित परियोजना 'छत्तीसगढ़ में महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ–साथ डूबान भूमि में जलवायु अनुकूलन को नाबार्ड के प्रयासों से मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ–साथ डूबान भूमि के तीन जिलों – धमतरी, महासमुंद और बलौदा बाजार में जलवायु अनुकूलन हेतु एकीकृत कार्यनीति को बढ़ावा देने सहित जलवायु अनुकूलन हेतु परियोजना क्षेत्र के निवासियों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि और क्षेत्र की पारिस्थितिकी को यथासंभव पुनर्बहाल करने हेतु उपाय अपनाना है। इस परियोजना का वित्तीय परिव्यय रु. 21.47 करोड़ है, जिसमें से रु. 13.33 करोड़ की राशि स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज (वन विभाग) को जारी की गई है।

6.5.7 कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन :–नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में 700 कृषक क्लब कार्यरत्त हैं। इसके साथ ही नाबार्ड में स्थापित 'प्रोड्यूस' निधि के अंतर्गत 57 कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं। नाबार्ड के विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से कृषक क्लबों और कृषक उत्पादक संगठनों की क्षमता में वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत् 10,000 किसान उत्पादक संगठन का गठन और संवर्धन के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 14 विभिन्न जिलों में 25 कृषक उत्पादक संगठन के गठन हेतु स्वीकृति दी गई है एवं उनका कार्यान्वयन शुरू हो गया है

6.5.8 विपणन क्षमता उपक्रम:–रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 और छत्तीगसढ़ राज्य उत्सव 2022 मेले में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण शिल्पकारों, कृषक उत्पादक संगठनों, गैर कृषक उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की विपणन के लिए 15 और 05 स्टॉल्स क्रमशः प्रायोजित किया गया था। इसी तरह उनकी विपणन क्षमता वृद्धि के लिए ग्रामीण हाट और ग्रामीण मार्ट की प्रत्येक 01 और 01 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया।

सहकारिता

सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का ऐसा प्रारूप है, जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है, प्रदेश के किसानों कारिगरों, बुनकरों मछुआरों दुग्ध उत्पादको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सहकारी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का है, ताकि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति हो सके।

सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाए है, जो इन संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदेश के कृषकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी संस्थाएं कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाई वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, उपभोक्ता, आवास, मत्स्य, डेयरी बुनकर, खनिज, वनोपज, बीज उत्पादन, शिक्षा प्रशिक्षण तथा औद्योगिक इकाइयों के निर्माण एवं संचालन के लिए संकल्पित है। ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के द्वारा भवन निर्माण (आवास गृह) का भी अभिनव प्रयास किया जा रहा है।

6.6 अल्पकालीन साख संरचना :–सहकारी बैंको द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रासायनिक खाद, कीटनाशक औषधि, कृषि यंत्र, उन्नत बीज वितरण, कृषि उपज विपणन एवं शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन समितियों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। प्रदेश में अल्पकालीन साख संरचना का त्रिस्तरीय ढाँचा कार्यरत है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क. 6.8 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक)			
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	कार्यक्षेत्र	शाखाएँ	कुल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या
रायपुर	धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायपुर, सारंगगढ़–बिलाईगढ़	71	550
दुर्ग	बालोद, बेमेतरा, दुर्ग	65	311
बिलासपुर	बिलासपुर, मुंगेली, गौ. पे.म. जांजगीर–चांपा, कोरबा, सक्ती	56	430
अंबिकापुर	अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर	30	153
जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, सुकमा	47	258
राजनांदगांव	राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, खैरागढ़, गण्डई	43	222
रायगढ़ के परिसमापन के कारण रायगढ़ एवं जशपुर जिले में अपेक्स बैंक की शाखा	रायगढ़, सारंगढ़–बिलाईगढ़, जशपुर	14	134
	योग	**326**	**2058**

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायगढ़ के परिसमापन में होने के कारण एवं जशपुर जिले में अपेक्स बैंक की रायगढ़ शाखा के माध्यम से 134 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को साख उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ कार्यरत् हैं।

6.6.1 अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को ऋण वितरण :– राज्य शासन द्वारा कृषकों के आर्थिक हितों के संवर्धन हेतु कृषि ऋणों के ब्याज दर में लगातार कमी की गई है। वर्षवार कृषकों को दिये गये कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर निम्नानुसार है–

क.	वर्ष	प्रभावशाली ब्याज दर
1.	2004–05 से 2005–06 तक	9 %
2.	2006–07	7 %
3.	2007–08	6 %
4.	2008–09 से 2011–12 तक	3 %
5.	2012–13 से 2013–14 तक	1%
6.	2014–15 से 2021–22 तक	0 %

(क) ऋण व्यवसाय–प्रदेश में 2,058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियॉ संचालित हैं, इन समितियों में 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि एवं उससे सम्बद्ध कार्य हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो निम्नानुसार है –

प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ संचालित है। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि एवं उससे सम्बद्ध कार्य हेतु रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है जो निम्नानुसार है –

1. **अल्पकालीन कृषि ऋण**– कृषकों को अल्पकालीन कृषि प्रयोजन हेतु दिये जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त (0% ब्याज दर) होगा।
2. **गौ पालन हेतु ऋण**– परंपरागत गौ पालन कृषको को रुपये 2.00 लाख तक का ऋण 01 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा रूपये 2.00 लाख से अधिक एवं रुपये 3.00 लाख तक के ऋण 03 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जायेगा।
3. **मत्स्य पालन हेतु ऋण**– मत्स्य पालक, मत्स्य पालक समूह एवं प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों को रूपये 03.00 लाख तक दिये जाने वाला ऋण, अल्पकालीन कृषि ऋण के समान ब्याज मुक्त (0% ब्याज दर) होगा।
4. **उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण**–उद्यानिकी कृषको हेतु दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋण रूपये 03.00 लाख तक सीमा तक ब्याज मुक्त (0% ब्याज दर) होगा।
5. **लाख पालन हेतु ऋण**–लाख उत्पादन हेतु अपल्कालीन कृषि ऋण की ब्याज दर वर्तमान में दिये जा रहे अल्पकालीन कृषि ऋण के समान 0% होगी।

(ख) कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण–कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक 01.04.2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षवार ऋण वितरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

तलिका 6.9 कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण

वर्ष	ऋण वितरण का लक्ष्य (करोड़ में)	ऋण वितरण राशि (करोड़ में)	कृषक संख्या (लाख में)	पूर्ति का प्रतिशत
वर्ष 2021–22 (अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021)	5300	4747.77	12.99	89.58
वर्ष 2021–22 (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022)	5900	5457.88	12.99	92.51
वर्ष 2022–23 (अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022)	5800	5563.59	14.04	95.92

6.6.2 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ

(क) धान उपार्जन–राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत् कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियों के 2311 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। सभी धान उपार्जन केन्द्र कम्प्यूटराईज है।

तलिका 6.10 समर्थन मूल्य में धान उपार्जन	(मात्रा टन में/राशि लाख रुपये में)	
वर्ष	धान की उपार्जित मात्रा	व्यय राशि
1	2	3
वर्ष 2021–22 (अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021)	निरंक	निरंक
वर्ष 2021–22 (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022)	9798580.76	1903685.25
वर्ष 2022–23 (अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022)	निरंक	निरंक

(ख) रासायनिक उर्वरक का वितरण :– वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क. 6.11 रसायनिक उर्वरक(मात्रा टन में/राषि लाख रू. में)			
वर्ष	वितरण लक्ष्य	वितरण	राशि
वर्ष 2021–22 (अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021)	725000	649028	83578.27
वर्ष 2021–22 (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022)	956000	834081	100027.86
वर्ष 2022–23 (अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022)	855000	653565	88884.92

6.6.3 प्रदेश में स्थापित सहकारी शक्कर कारखाने

(क) कारखानों के निर्माण वर्ष एवं पेराई क्षमता की जानकारी :–

तालिका क. 6.12 स्थापित सहकारी शक्कर कारखानें			
क्र.	शक्कर कारखाने का नाम	उत्पादन प्रारंभ वर्ष	पेराई क्षमता (टी.सी.डी.)
1	भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ग्राम राम्हेपुर, कवर्धा	2002–03	3500
2	मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर, ग्राम केरता, जिला सूरजपुर	2009–10	2500
3	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ग्राम करकाभाट, जिला–बालोद	2009–10	1250
4	सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया जिला कबीरधाम	2016–17	2500

(ख) **किसानों से गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन** :—किसानों से गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन— प्रदेश में स्थित 04 सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा पेराई सत्र 2021—22 में कृषको से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना खरीद कर शक्कर का उत्पादन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका क. 6.13 किसानों से गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन

कारखाने का नाम	पेराई लक्ष्य	गन्ना पेराई	शक्कर उत्पादन (किवं.)	रिकव्हरी प्रतिशत	पेराई अवधि
भोरमदेव, कवर्धा	450000.00	345003.080	40757.200	11.83	27.11.2021 से 16.04.2022 तक
दंतेश्वरी मैय्या, बालोद	350000.00	283596.00	27325.00	9.70	29.11.2021 से 10.04.2022 तक
मां महामाया, सूरजपुर	50000.00	35060.530	3665.150	10.60	17.12.2021 से 26.02.2022
वल्लभ भाई पटेल, पंडरिया	3.50 लाख मे.टन	295338.552	38703.900	13.12	19.11.2021 से 13.04.2022 तक

6.7 सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किये जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य :—

1. इथेनॉल प्लांट की स्थापना—

(क) भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा में 80 KLPD क्षमता के इथेनॉल प्लांट PPP (Public Private Partnership) मोड़ पर स्थापित करने हेतु कारखाना एवं छत्तीसगढ़ डिस्लरी (NKJ बायोफ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड) के मध्य MOU के निष्पादित किया जा चुका है। वर्तमान में प्लांट स्थापना कार्य प्रगति पर है।

(ख) मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अंबिकापुर ग्राम केरता जिला सूरजपुर में सह उत्पाद मोलासिस से इथेनॉल बनाने के लिए प्रस्तावित 20 KLPD ईथेनाल प्लॉट हेतु V.S.I. Pune से डी.पी.आर. तैयार करा लिया गया है।

2. लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ में 14 मेगावॉट का को–जनरेशन पावर प्लांट स्थापित किया गया है, उत्पादित विघुत से पेराई सीजन में कारखाना संचालन एवं अतिरिक्त विघुत उत्पादन छत्तीसगढ़ विघुत मंडल को एक्सपोर्ट किया जाता है।

3. माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अंबिकापुर ग्राम केरता जिला सूरजपुर में 06 मेगावॉट पावर टरबाईन स्थापित है जिसमें से 3.5 से 4 मेगावॉट का पेराई सीजन/संचालन के दौरान विघुत का उपयोग किया जाता है। शेष 2 से 2.5 मेगावॉट विघुत विक्रय हेतु आवश्यक एक्जिट इन्फ्रास्ट्रक्टर के अंतर्गत स्वीचयार्ड सिन्क्राकनाईजेशन पैनल का निर्माण कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

07

कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में भागीदारी वर्ष 2021–22 (अग्रिम) 25,86,429 लाख अनुमानित है।
- फसल बीमा योजनांतर्गत 2022–23 खरीफ में 13,95,369 कृषकों का बीमा कराया गया तथा वर्ष 2021–22 में 6,97,567 कृषकों (खरीफ़रबी) के दावों का भुगतान किया गया।
- राज्य में अब तक 2,805 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।
- गोधन न्याय योजनांतर्गत गौठान सहकारी समितियों के माध्यम से 15,65,087 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट रू. 10 प्रति किलो, 3,78,307 क्वि. सुपर कम्पोस्ट रू. 6 प्रति किलो एवं 3023 क्वि. सुपर कम्पोस्ट प्लस रू. 6.50 प्रति किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा चुका है।
- वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 38.75 हो गया है।
- राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उप–मंडियाँ कार्यरत हैं।
- प्रदेश में मार्च 2022 की स्थिति में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 21.47 लाख हेक्टेयर हो गई है।
- वर्तमान में 08 वृहद, 38 मध्यम, 2477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट/स्टॉपडेम निर्मित हैं।
- पशुधन क्षेत्र की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में (स्थिर भाव) में भागीदारी वर्ष 2021–22 (अग्रिम) 4,17,187 लाख रू है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.999 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 1.961 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 98.09 प्रतिशत है।
- राज्य में मत्स्योत्पादन समस्त स्त्रोतों से वर्ष 2021–22 में 5,91,284 मे. टन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 2.42 प्रतिशत अधिक है।

कृषि

छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते है। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्त्रोतों से लगभग 36 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जिसमें से सर्वाधिक 52 प्रतिशत क्षेत्र जलाशयों/नहरों के माध्यम से सिंचित है एवं 29 प्रतिशत क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश की लगभग 55 प्रतिशत काश्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण, बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं है। राज्य निर्माण के समय, इस प्रदेश में आवश्यक संरचनायें तथा बीज प्रक्रिया केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, खाद एवं गोदाम आदि का अभाव था, इसलिए राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादकता, अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कम थी। राज्य गठन के पश्चात् कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/ कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में तेजी आई है एवं किसानों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं।

तालिका 7.1 प्रमुख फसल उत्पादन (000 मे. टन)

क्र.	फसल	2020 पूर्ति	2021 पूर्ति	वृध्दि / कमी %
खरीफ				
1	धान (चांवल)	8946.3	8347.99	-7
2	मक्का	576.31	619.72	8
3	अरहर	71.66	62.19	-13
4	मूंग	7.67	5.53	-28
5	उड़द	56.36	50.39	-11
6	मूंगफली	69.31	59.42	-14
7	सोयाबीन	51.92	28.96	-44
8	रामतिल	10.46	9.79	-6
9	अन्य	62.94	82.35	31
क.	**फसल**	**2020–21**	**2021–22**	**वृध्दि / कमी %**
रबी				
1	ग्रीष्म धान (चांवल)	854.67	698.72	-18
2	मक्का	313.56	408.14	30
3	गेहूं	368.27	274.88	-25
4	चना	338.33	277.4	-18
5	मटर	20.06	17.8	-11
6	तिवड़ा	122.72	108.55	-12
7	राई–सरसों	70.86	73.86	4
8	अलसी	14.97	13.27	-11
9	गन्ना एवं अन्य	289.49	352.08	22

स्त्रोतः– संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

7.1.1 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार : कृषि विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में समस्त सिंचाई स्त्रोत से 36% सिंचाई क्षमता है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु शाकम्भरी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 70 प्रतिशत (33 प्रतिशत केन्द्रांश + 37 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है, अन्य किसानों को 50 प्रतिशत (27 प्रतिशत केन्द्रांश + 23 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार हेतु संचालित योजनाओं की उपलब्धियॉं :–

तालिका 7.2 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना प्रगति

क्र.	विवरण		2021–22 पूर्ति	2022–23 लक्ष्य		2022–23 पूर्ति	
				संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)	संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)
1	किसान समृद्धि योजना/लघु सिंचाई (नलकूप) योजना		936	1415	2547	96	173
2	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना		03 पूर्ण 73 निर्मा.	110	3850	73 (निर्माणाधीन)	2700
3	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया	चेकडेम	41	-	-	-	-
4	शाकम्भरी योजना	कूप	75	100	100	80	80
		पंप	8251	80	8251	787	787

7.1.2 लघुत्तम सिंचाई :–कृषि विभाग द्वारा लघुत्तम सिंचाई तालाब योजनांतर्गत शासकीय भूमि में शत्–प्रतिशत शासकीय व्यय पर 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्मित किये जाते हैं। वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में किये गये कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका 7.3 लघुत्तम सिंचाई राशि लाख में

क्र.	वर्ष	भौतिक पूर्ति	व्यय
1	2021–22	03 पूर्ण 73 निर्मा.	1789.98
2	2022–23	73 निर्माणाधीन	852.82

7.2 आर्थिक सांख्यिकी से संबंधित

तालिका 7.4 फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
योगदान(लाख रु.)	1994483	2279945	2323058	2405990	2532798	2698261
वृद्धि (प्रतिशत)	-18.73	14.31	1.89	3.57	5.27	6.53
योगदान (प्रतिशत)	9.97	10.23	9.88	10.28	10.03	9.89

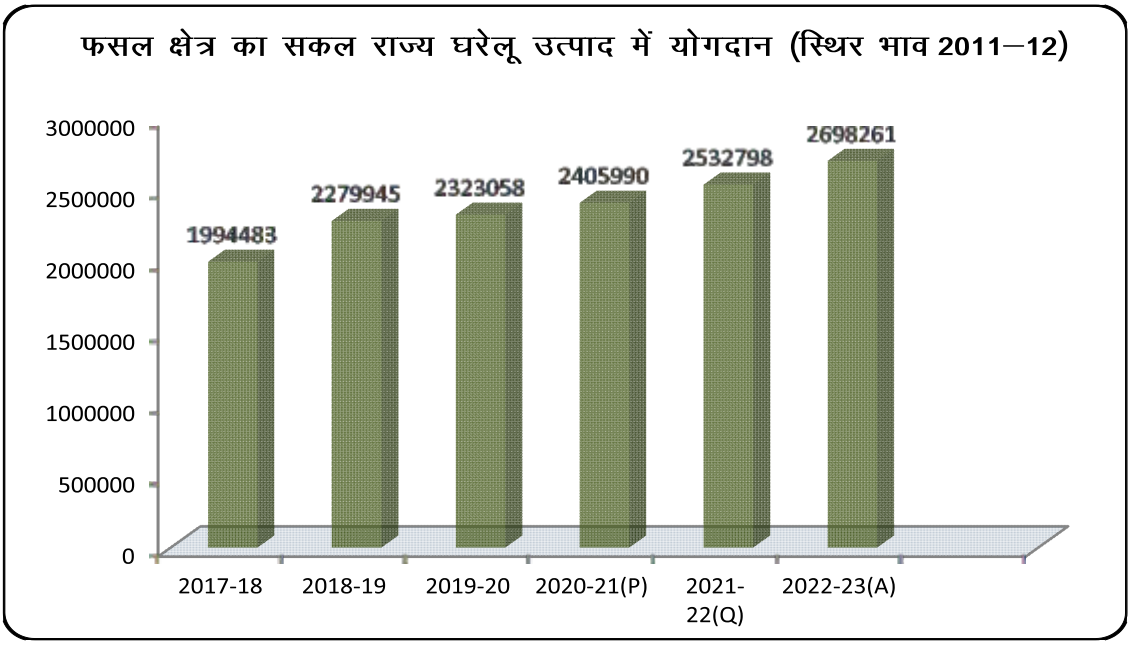

7.3 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण :–प्रदेश में किसानों को उच्चगुणवत्तायुक्त, अधिक उत्पादन देने वाले प्रमाणित बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। राज्य पोषित/केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण पर रू. 500 से लेकर 2,500 तक अनुदान देने का प्रावधान है।

तालिका 7.5 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण

क्र.	विवरण	इकाई	2021–22 पूर्ति	2022–23 पूर्ति	% वृद्धि
1	**बीज उत्पादन कार्यक्रम**				
	खरीफ	हेक्टेयर	26667	30000	112
	रबी		21247	22000	104
	योग (खरीफ+रबी)		**47914**	**52000**	**109**
2	**प्रमाणित बीज उत्पादन**				
	खरीफ	क्विं.	756854	1400000	185
	रबी		254964	350000 प्रस्तावित	137
	योग (खरीफ+रबी)		**1011818**	**1750000**	**173**
3	**प्रमाणित बीज वितरण**				
	खरीफ	क्विं.	927685	940589	101
	रबी		207321	318400 प्रस्तावित	154
	योग (खरीफ+रबी)		**1135006**	**940589**	**83**

7.4 उर्वरक एवं जैविक खाद वितरण :– कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरक क्षमता हेतु आदान–प्रदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। विगत् दो वर्षों में उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :–

तालिका 7.6 उर्वरक वितरण

वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (000 में.टन)				प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत (कि.ग्रा. में)			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
वर्ष 2021–22								
खरीफ पूर्ति	349825	196271	64219	610315	73	41	13	128
रबी पूर्ति	143072	50434	9823	203329	79	28	5	113
योग (खरीफ+रबी)	**492897**	**246705**	**74042**	**813644**	**76**	**35**	**9**	**121**
वर्ष 2022–23								
खरीफ पूर्ति (अनु.)	366200	210592	66810	643602	76	44	14	134

7.5 राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा :– राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं वर्ष 2016 से केन्द्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है। पूर्व में योजनाओं का क्रियान्वयन 05 जिलों में शुरू किया गया। वर्तमान में इन योजनाओं का विस्तार समस्त जिलों में करते हुए 05 जिले गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला एवं शेष 22 जिलों के एक–एक विकासखंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जैविक खेती मिशन अंतर्गत वर्ष 2019–20 में 10,990 एकड़ एवं परंपरागत कृषि विकास योजना में 50,000 एकड़ में फसल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वर्ष 2020–21 में जैविक खेती मिशन का 7,290 एकड़ में तथा परम्परागत कृषि विकास योजना का 50,000 एकड़ में फसल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वर्ष 2021–22 में जैविक खेती मिशन का 15000 एकड़ में तथा परंपरागत कृषि विकास योजना का 52500 एकड़ में क्रियान्वयन कर कुल 67500 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में जैविक खेती मिशन में 15000 एकड़ में तथा परंपरागत कृषि विकास में 1000 हेक्टेयर फसल प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है।

जैविक फसलें – राज्य में धान की सुगंधित किस्में – बासमती, बादशाहभोग, दुबराज, पुसासुगंध, जंवाफूल, मोतीचुर, जीराफुल, तुलसी–मंजरी, काली कमोद, लोक्टीमांछी, कालीगिलास, तिलकस्तुरी (Green Rice), मक्का एवं लघु धान्य फसलें–कोदो–कुटकी, रागी, सांवा, कोसरा आदि एवं दलहन–तिलहन फसलें – अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, आदि की जैविक खेती की जा रही है।

FPO के गठन– जिलों में FPO के गठन को प्रोत्साहित किया जाकर जैविक उत्पादों का विपणन किया जा रहा है।

राज्य में जैविक ब्राण्ड – राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग किया जा कर विपणन किया जा रहा है।

चांग्रो राईस, जिला – बलरामपुर, **आदिम ब्रांड, पंचतत्व** जिला – दंतेवाड़ा,
बांसाझाल राईस, महामाया जिला – सरगुजा, **बस्तर नेचुरल** जिला–बस्तर,
मैकल्स नेचर जिला–कबीरधाम, **केलो ब्रांड**, जिला–रायगढ,
आगर जैव उत्पाद जिला – मुंगेली, **शिवनाथ आर्गेनिक** जिला – दुर्ग,
आरूग जैविक जिला –राजनांदगांव, **रायपुर आर्गेनिक** जिला–रायपुर,
रूद्र आर्गेनिक जिला –धमतरी, **बालोद आग्रेनिक** जिला –बालोद,
पंचतत्व जिला–कोण्डागांव, **जशपुर एग्रोफेश,** जिला –जशपुर

7.6 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :–भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्त्रोतों के विकास, भू–जलवर्धन तथा उपलब्ध जल के दक्षतापूर्ण उपयोग की महत्वपूर्ण योजना है। योजनांतर्गत पांच वर्षो के लिए कुल राशि रू. 54,931.71 करोड़ की परियोजना स्वीकृत है जिससे प्रदेश का 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। विगत तीन वर्षो में योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत किये गये कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :–

- **PMKSY-PER DROP MORE CROP (MICRO IRRIGATION)** :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत जल के प्रत्येक बूंद से अधिक फसल लेने के उद्देश्य से स्प्रिंकलर/ड्रिप (टपक सिंचाई) सिंचाई को प्रोत्साहित करते हुए वर्ष 2018–19 में 18,929.67, वर्ष 2019–20 में 27682.28, वर्ष 2020–21 में 18633.53 हे., वर्ष 2021–22 में 17810.83 हे. क्षेत्र तथा वर्ष 2022–23 में माह सितंबर 2022 तक 511.58 हे. क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किये गये हैं।

तालिका 7.7 प्रत्येक बूंद से अधिक फसल						
वर्ष	इकाई	भौतिक लक्ष्य हे.	भौतिक पूर्ति हे.	वित्तीय लक्ष्य (राशि रू. लाख में)	व्यय राशि (रू. लाख)	सिंचित क्षेत्र हे.
2020-21	हेक्टेयर	44528	18633.53	11559.62	7766.91	18633.53
2021-22		45876	17810.83	10000.00	4725.82	17810.83
2022-23 (सितंबर 2022)		33000	511.58	5054.50	-	-

- **PMKSY-(Per Drop More Crop-Other Intervention & IWMP)** कम सिंचाई संसाधन वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न कार्यों जैसे–चेकडेम, परकोलेशन टैंक, फार्म पौण्ड/डबरी, कुंआ एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में किये गये कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका 7.8 पीएमकेएसवाय						
वर्ष	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	वित्तीय लक्ष्य	व्यय राशि (लाख रू.)	सिंचित क्षेत्र
2020-21	संख्या	-	2536	-	9939.00	6446
2021-22		-	912	-	49.22	-
2022-23		-	-	-	-	-

7.7 रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (RAD) :– नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (**NMSA**) के घटक रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (**RAD**) का क्रियान्वयन वर्ष 2014–15 से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकता वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है। योजनांतर्गत 2021–22 एवं 2022–23 में किये गये कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका 7.9 रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट			
क्र.	वर्ष	भौतिक पूर्ति हे.	व्यय राशि लाख में
1	2021–22	1377.50	434.18
2	2022–23	2271.00	192.03

7.8 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :– प्रदेश में कृषकों की फसलों के बीमा हेतु खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई जिसमें क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति की पात्रता के मापदण्ड

- बुआई नहीं हो पाने की स्थिति/बुआई का फेल हो जाना।
- फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में।
- स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति की स्थिति में।
- फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में।
- फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में।

प्रदेश में कृषकों के फसलों के बीमा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से संचालित की गई, विगत तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है–

तालिका 7.10 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

क्र.	वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या			कुल प्रीमियम (करोड़ में)	दावा भुगतान	
			ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	योग		कृषक संख्या	राशि (करोड़ मे)
1	2021–22	खरीफ	1255647	122053	1377700	1198.81	507136	986.31
		रबी	181079	50867	231946	152.96	190431	378.28
		योग	**1436726**	**172920**	**1609646**	**1351.77**	**697567**	**1364.59**
2	2022	खरीफ	1304462	90907	1395369	1232.23	फसल कटाई प्रयोग उपरांत दावा गणना की जावेगी।	

7.9 कृषि यांत्रिकीकरण :– विभिन्न कृषि कार्यों के सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराये पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना/फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना संचालित की जा रही है योजनांतर्गत कृषि यंत्र सेवा के केन्द्र स्थापित करने पर राशि रू. 10.00 लाख अनुदान देय है। राज्य में अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

तालिका 7.11 कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति										
क्र.	गतिविधियॉ	इकाई	वर्ष 2021–22				वर्ष 2022–23			
			भौतिक		वित्तीय (लाख में)		भौतिक		वित्तीय (लाख में)	
			लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	कस्टम हायरिंग योजना									
	(क) डोजिंग कार्य	घंटे	17000	3077	183.00	76.76	15000	2704	262.00	127.41
	(ख) कल्टीवेशन कार्य	घंटे	30000	15539			24000	8533		
2	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन									
	1. ट्रेक्टर	संख्या	803	803	6046.55	2942.06	600	429	3078.53 *	1765.21
	2. पावर टिलर/पैडी ट्रांसप्लांटर/स्व चलित रीपर	संख्या	243	125			180	29		
	3. शक्ति चलित यंत्र	संख्या	892	843			375	289		
	4. हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का विवरण	संख्या	7457	16526			2948	100		
3	फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना कंपों.–4 (8961)	संख्या	353	335	2292.00	1560.00	18	13	858.00 *	534.00
4	कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजनांतर्गत ग्रामीण स्तर पर उत्पादकता वृद्धि हेतु मशीनों का प्रचार–प्रसार घटक क्र.–6	संख्या	53	51	428.00	392.00	2	-	16.00 *	-
5	''फसल प्रदर्शन'' योजनांतर्गत पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान	संख्या	335	333.71	25.125	25.028	350	337.00	26.250	-

* गतवर्ष की अवशेष राशि।

7.10 गोधन न्याय योजना :–

- जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परम्परा से जोड़ते हुए तथा आम जन के सहयोग से सफल करने ''सुराजी गांव योजना'' के माध्यम से नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया है। सांस्कृतिक परम्परा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनाते हुए इसको एक अभियान के रूप में लिया है।

- प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 में हरेली के दिन 20.07.2020 को ''गोधन न्याय योजना'' का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सुराजी गांव में स्थापित गौठानों के माध्यम से गौठान समितियों द्वारा 2 रू. प्रति किलो की दर से अद्यतन 86.46 लाख

क्विंटल गोबर 3.98 लाख पशुपालकों से क्रय कर गौठान स्व–सहायता समूहों द्वारा 1849311 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 535989 क्वि. सुपर कम्पोस्ट व 19957 क्वि. सुपर कम्पोस्ट प्लस का उत्पादन किया जा चुका है एवं सहकारी समितियों के माध्यम से 1565087 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट रू. 10 प्रति किलो, 378307 क्वि. सुपर कम्पोस्ट रू. 6 प्रति किलो एवं 3023 क्वि. सुपर कम्पोस्ट प्लस रू. 6.50 प्रति किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा चुका है।

कृषि विपणन

7.11 कृषि उपज मंडियॉः— कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 उपमंडियां कार्यरत है। मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

तालिका 7.12 कृषि उपज मण्डियों में आवक, आय

विवरण	इकाई	2017—18	2018—19	2019—20	2020—21	2021—22	2022—23 (सितं.)
आवक	टन	9239735	10690016	11586725	12964326	13128275	1488324
आय	लाख रू.	32535.33	17045.20	49477.19	42422.27	46513.65	6328.13

7.11.1 मंडियों में आवकः— राज्य में मंडियों में वर्ष 2020—2021 में 1,29,64,326 टन की आवक हुई जबकि वर्ष 2021—22 में 1,31,28,275 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 1,63,949 टन अधिक है। इसी प्रकार मंडियों में वर्ष 2021—2022 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 18,13,299 टन की आवक हुई, जबकि वर्ष 2022—23 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 14,88,324 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 3,24,975 टन कम है।

7.11..2 मंडियों की आयः— छत्तीसगढ़ राज्य में मंडियों में वर्ष 2020—2021 में 42422.27 लाख रूपये की आय हुई जबकि वर्ष 2021—22 में 46513.65 लाख रूपये की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 4,091.38 लाख रूपये अधिक हैं। इसी प्रकार मंडियों में वर्ष 2021—2022 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 8,731.44 लाख रूपये की आय हुई जबकि वर्ष 2022—23 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 6,328.13 लाख रूपये की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 2,403.31 लाख रूपये कम है।

7.11.3 राष्ट्रीय कृषि बाजारः— माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य के 14 नियमित कृषि उपज मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु चिन्हांकित की गयी है। प्रथम चरण की मंडियों को दिनांक 19.10.2016 से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण

की मंडियों को दिनांक 08.04.2017 से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है।

प्रथम चरण :– राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरूद, नवापारा

द्वितीय चरणः– रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़

उपरोक्त मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर चिन्हांकित कृषि उपजों का ऑनलाईन क्रय–विक्रय प्रारंभ हो गया है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल की दिनांक 19.10.2016 से 29.09.2022 तक की प्रगति की जानकारी निम्नानुसार है :–

कुल ई–ट्रेड (मात्रा क्विंटल में)	कुल कीमत (करोड़ रू. में)	पंजीकृत कृषक संख्या	पंजीकृत व्यापारी संख्या	व्यापारी सहभागिता
8319349.99	1660.77	135329	3130	1971

7.11.4 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला :– प्रदेश की 11 मंडियां क्रमशः बेमेतरा, रायगढ़, रामानुजगंज (बलरामपुर), रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुन्द, दुर्ग, राजनादगांव, बिलासपुर, सक्ती एवं बालोद में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक संरचनायें एवं सुविधायें, विकसित की जाकर मिट्टी परीक्षण का कार्य प्रारंभ। इसके अतिरिक्त 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है।

7.11.5 एगमार्क नेट पोर्टल :– विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा MRIN (Marketing Research and Information Network) योजनांतर्गत मंडी/उपमंडियों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप एगमार्कनेट के पोर्टल पर माह अगस्त 2006 से जानकारी प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। वतर्मान में छ.ग. प्रदेश की 69 कृषि उपज मंडी एवं 118 उपमंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी एगमार्कनेट के पोर्टल पर नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है।

- **एग्रीमंडी साफ्टवेयर** :– छ0ग0 राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के माध्यम से विभागीय साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन विभागीय वेबसाईट www.agriportal.cg.nic.in में किया जा सकता है। एग्री मंडी साफ्टवेयर (मंडी–आनलाईन) में प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव, मासिक जानकारी तथा अन्य जानकारियां नियमित रूप से इंद्राज की जा रही है।

7.11.6 मोबाईल एपः– मंडी एंड्राईड मोबाईल एप तैयार की गई है, जो कि वेबसाईट www.agriportal.cg.nic.in में उपलब्ध है, जिसे एंड्राईड मोबाईल में डाउनलोड कर प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

7.11.7 फल–सब्जी मंडीः– प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पखांजूर एवं रायगढ़ फल–सब्जी के विपणन हेतु सुविधायुक्त फल–सब्जी मंडियों की स्थापना की गई है। फल–सब्जी मंडी प्रांगण में उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु कव्हर्ड शेड, चबूतरे, दुकाने इत्यादि उपलब्ध। बिलासपुर, रायगढ़ राजनांदगांव तथा दुर्ग फल–सब्जी मंडी का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है।

7.11.8 गौ सेवा आयोग अनुदान :– गौ शालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल हेतु गौ सेवा आयोग को मंडी बोर्ड द्वारा अपनी सकल आय का 5 प्रतिशत की दर से वर्ष 2005 से वर्ष 2015–16 तक रूपये 38.95 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 में 10 प्रतिशत की दर से रूपये 12.50 करोड़ एवं वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 तक 20 प्रतिशत की दर से रूपये 122.70 करोड़ अनुदान दिया गया है। इस प्रकार कुल 174.15 करोड़ अनुदान दिया गया है।

7.11.9 बीज उत्पादन एवं वितरण अनुदानः– मंडी बोर्ड द्वारा छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को बीज उत्पादन तथा वितरण अनुदान हेतु वर्ष 2014–15 से वर्ष 2022–23 (अद्यतन) तक रूपये 124.24 करोड़ प्रदाय किया गया है।

7.11.10 हाट बाजार निर्माण :– ग्रामीण अंचल में कृषि उपज के विपणन हेतु हॉट बाजारों में सुविधा विकसित करने हेतु 151 हाट बाजार लागत राशि रू. 6561.48 लाख में से 31 हाट बाजार पूर्ण कर लिया गया है, 52 हाट बाजार प्रगतिरत, तथा 68 हाट बाजार अनुबंध/निविदा स्तर पर है, प्रगतिरत हाट बाजारों का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण किया जाकर लघु सीमांत कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त प्राप्त होने के दृष्टिकोण से विकासित किया जा रहा है।

7.11.11 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण :– किसानों और उपभोक्ताओं के मध्य सीधा संपर्क स्थापित करने, बिचौलिया तंत्र को समाप्त करने, किसानों को उनके उत्पाद का बिना किसी कटौती के उचित मूल्य दिलाने, उपभोक्ताओं को उचित दर पर ताजी फल एवं सब्जियां प्रदाय करने और किसानों के लिए तकनीकी सूचना प्रचार–प्रसार केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 09 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण अधिसूचित किया गया है।

किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण रायपुर (पुराना एवं नया मंडी प्रांगण) दिनांक 15.11.2019 को लोकार्पण हो चुका है, जिसमें से नया मण्डी प्रांगण में क्रय–विक्रय प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण धमतरी में दिनांक 19.04.2017, राजनांदगांव में दिनांक 19.01.2020, बेमेतरा में दिनांक 28.03.2020 से क्रय–विक्रय प्रारंभ हो चुका है। किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण बैकुण्ठपुर में अधोसंरचनाएं/सुविधायें विकसित करने की कार्यवाही प्रगतिरत है। शेष 03 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण क्रमशः बिलासपुर, बरमकेला, चिखली (रायगढ़) का लोकार्पण किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.11.12 फल–सब्जी मंडी :– प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पखांजूर एवं रायगढ़ फल–सब्जी के विपणन हेतु सर्वसुविधायुक्त फल–सब्जी मंडियों की स्थापना की गई है। फल–सब्जी मंडी प्रांगण में उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु कव्हर्ड शेड, चबूतरे, दुकाने इत्यादि उपलब्ध। बिलासपुर, रायगढ़ राजनांदगांव तथा दुर्ग में फल–सब्जी मंडी का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग की उपमंडी धमधा में फल–सब्जी मंडी परियोजना लागत राशि रू. 1101.85 लाख पूर्ण किया जाकर लोकार्पण पश्चात प्रारंभ हो चूकी है। कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव अंतर्गत थोक फल–सब्जी परियोजना लागत राशि रू. 999.15 लाख के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शीघ्र ही फल–सब्जी मंडी का लोकार्पण किया जाना है। वर्ष 2022–23 मे माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के परिपालन में कृषि उपज मंडी समिति गण्डई जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई में लागत राशि रू. 1216.15 लाख की परियोजना की सक्षम स्तर पर अनुमोदन पश्चात प्रारंभ की जावेंगी।

7.11.13 भण्डारण क्षमता (गोदाम) :– प्रदेश के मंडी/उपमंडी प्रांगण में पूर्व से कुल 360 नग गोदाम क्षमता 247500 मे.टन निर्मित है, एवं कुल 114 नग गोदाम कुल क्षमता 1,48,000 मे.टन लागत राशि रू. 6355.50 लाख के कार्यो मे से 43 नग गोदाम पूर्ण। 69 नग गोदाम प्रगतिरत है। 02 नग गोदाम निरस्त कर पुनः निविदा किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

सूरजपुर एवं कबीरधाम जिले अंतर्गत शक्कर कारखाने में पृथक–पृथक 20000 मे.टन क्षमता के गोदाम एवं 5000 मे.टन क्षमता के मोलासिस टैंक मे प्लिथ एवं फाण्डेशन तक के कार्य हेतु कुल राशि रू. 1099.44 लाख की स्वीकृत पश्चात वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।

7.11.14 मंडी अधिनियम में संशोधनः–

- **निजी क्षेत्रों में मंडी की स्थापना** :– छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा निजी मंडी प्रागंण/निजी उपमंडी प्रागंण/निजी किसान उपभोक्ता प्रागंण का प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 2, 5 तथा 31 में संशोधन कर तथा नवीन धारा 32 (ख), 33 (क) तथा 34 (क) अन्तःस्थापित कर किया गया। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।

- **सीधी खरीदी** :– छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 36 तथा 37 में संशोधन किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत है।

- **निजी किसान उपभोक्ता बाजार** :– छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा निजी मंडी प्रागंण/निजी उपमंडी प्रागंण/ निजी किसान उपभोक्ता प्रागंण का प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 2, 5 तथा 31 में संशोधन कर तथा नवीन धारा 32 (ख), 33 (क) तथा 34 (क) अन्तःस्थापित कर किया गया। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।

- **संविदा खेतीः**– छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 2 में संशोधन तथा नई धारा 37 (क) जोड़ी जाकर संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के विनियमन संबंधी प्रावधान किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत है। तदानुसार आदर्श उपविधि 2009 के उपविधि में संविदा कृषि का अनुबंध और आदर्श विशिष्टियां तथा शर्ते प्रभावशील की गई है।

- **ई–ट्रेडिंग** :– छ0ग0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन 1973) की धारा 36 की उपधारा (3) में ''इलेक्ट्रानिक निविदा बोलीं'' का प्रावधान है। छ0ग0 प्रदेश की 14 कृषि उपज मंडियां ई–ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है, जहां अधिसूचित कृषि उपजों का आनलाईन क्रय–विक्रय हो रहा है। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।

- **एकल बिन्दु मंडी शुल्कः**– एकल बिन्दु मंडी शुल्क दिनांक 08 फरवरी 1990 से प्रभावशील है, और धारा 19 के अनुसार राज्य में किसी मंडी में मंडी शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् राज्य में के एक से अधिक मंडी क्षेत्र में या उसी मंडी क्षेत्र में एक से अधिक बार पुनर्विक्रय पर मंडी फीस देय नहीं है, जो छ.ग. में अनुकूलन आदेश

दिनांक से प्रभावशील है। व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता मंडी समिति में मंडी शुल्क का भुगतान कर संबंधित मंडी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर कृषि उपज का विक्रय प्रदेश में कहीं भी कर सकता है। क्रेता व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता द्वारा अनुज्ञा पत्र संबंधित मंडी में जमा किये जाने पर मंडी शुल्क देय नहीं है।

- **एकल लायसेंसः–** छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम में नई धारा 32–क जोड़ी जाकर, एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति का प्रावधान किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत है। छ.ग. कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2007 दिनांक 10 अप्रैल 2007 से प्रभावशील है।

  छ0ग0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 40 व्यापारियों को एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में व्यापार करने हेतु एकल लायसेंस जारी किया गया है।

- **छ0ग0 कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2020:–** छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील हो गया है। उक्त संशोधन अनुसार छोटा व्यापारी एक दिन में 10 क्विंटल के स्थान पर 20 क्विंटल अधिसूचित कृषि उपज का स्टाक रख सकता है, इसके अतिरिक्त मंडी समितियों में भारसाधक अधिकारी के साथ–साथ सात से अनधिक व्यक्तियों की भारसाधक समिति की नियुक्ति के भी अधिकार संचालक विपणन को मंडी अधिनियम में दिये गये है।

- **छ0ग0 कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 2020 (क्र. 10 सन 2020) :–** कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन 1973) की धारा 2, धारा 10, धारा 17, धारा 56 एवं धारा 57 में संशोधन किया गया, जो राजपत्र प्रकाशन दिनांक 01.06. 2020 से प्रभावशील है।

- **छ0ग0 कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 (क्र. 29 सन 2020):–** कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन 1973) की धारा 2, धारा 4, धारा 19, नवीन धारा 20–क, धारा 36 एवं धारा 49 में संशोधन किया गया, जो भूतलक्षी प्रभाव दिनांक 05 जून 2020 से प्रभावशील है।

- **छ0ग0 कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 (क्र. 32 सन 2020) :–** कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन 1973) की धारा 19, 79 में संशोधन किया गया, जो राजपत्र में दिनांक 23.12.2020 को प्रकाशित हुआ है।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

7.13 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी :छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है। विभाग के अंतर्गत 136 उद्यान रोपणी तथा 02 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र बाना (रायपुर) एवं राजपुर (दुर्ग) हैं।

7.13.1 राज्य पोषित योजनाएँ :–

- योजनान्तर्गत कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण पर नाबार्ड के मापदंड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय फलोद्यान योजना के अंतर्गत केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान, नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है। वर्ष 2021–22 में वित्तीय लक्ष्य राशि रू. 335.00 लाख रखा गया एवं राशि रू. 297.26 लाख व्यय हुए। वर्ष 2021–22 में 2576 हेक्टेयर आम पौध रोपण कार्य किया गया एवं वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत 335.00 लाख प्रावधानित है तथा 3347 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु आम पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं माह नवम्बर 2022 तक 3341 हेक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। इसके साथ ही बेरोजगार नवयुवकों को 10–10 दिवस का दो चरणों में टॉप वर्किंग प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण उपरांत इन प्रशिक्षार्थियों द्वारा आम, बेर, आंवला के देशी वृक्षों को उन्नतशील किस्मों में टाप वर्किंग कार्य द्वारा परिवर्तन किये जाने पर राशि रू. 10.00 प्रति सफल परिवर्तित वृक्ष पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2021–22 में 81700 एवं वर्ष 2022–23 में अद्यतन 36,260 पौधों को टापवर्किंगं उपरान्त उन्नत किस्मों में परिवर्तित किया जा चुका है।

तालिका 7.13 विभिन्न उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्र	फसल का नाम	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकता 2022–23 (मे. टन प्रति हे.)
		2021-22		2022-23		
1	फल	223689	2481777	222474	2590804	11.65
2	सब्जी	493373	6869983	495224	6848323	13.83
3	मसाला	67723	465042	66081	450849	6.82
4	औषधि एवं सुगंधित फसल	5305	33377	6475	45485	7.02
5	पुष्प	12836	250709	13399	161571	12.06

- **नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना** :– नदी कछार/तटीय क्षेत्रों में खेती करने वाले बी.पी.एल. एवं लघु सीमांत कषकों को लाभान्वित करने की योजना है, जिसमें प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लाभ देने का प्रावधान है। 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुमानित लागत राशि रू. 9,400.00 पर 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 4,700.00 अनुदान की पात्रता होगी। वर्ष 2022–23 में राशि रू. 150.00 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 1,276.60 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्व माह नवम्बर 2022 तक अद्यतन 293.50 हेक्टेयर भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति की जा चुकी है।

- **राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना** :– यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 से राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत अनुदान एवं बड़े कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। (अधिकतम रकबा 5 हेक्टेयर) योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में लक्ष्य नहीं रखा गया था। वर्ष 2022–23 में 400.00 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसकी पूर्ति निरंक है।

- **कम्यूनिटि फेंसिंग योजना** :–उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2016–17 से लागू की गई है। वर्ष 2021–22 में राशि रू. 520.00 लाख तथा 954.34 हेक्टेयर कम्यूनिटि फेंसिंग के लक्ष्य के विरूद्ध 928.18 हेक्टेयर कार्य राशि रू. 505.566 लाख व्यय कर सम्पादित किया गया। वर्ष 2022–23 में राशि रू. 600.00 लाख वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य 1101.15 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध माह नवम्बर 2022 तक 956.81 हेक्टेयर की पूर्ति की जा चुकी है।

- **सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम**–उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2017–18 से लागू की गई है। योजना अन्तर्गत मिर्च, टमाटर, अरबी एवं फुलगोभी के फसल प्रदर्शन 0.10 हेक्टेयर हेतु शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रावधानित है। वर्ष 2021–22 में वित्तीय लक्ष्य राशि रू. 36.737 लाख एवं भौतिक 1263 प्रदर्शन का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध भौतिक लक्ष्य की 1253 पूर्ति की गई तथा राशि रू. 31.531 लाख व्यय हुए। वर्ष 2022–23 में वित्तीय लक्ष्य 42.00 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 1357 प्रदर्शन निर्धारित किया गया है।

7.13.2 एकीकृत बागवानी मिशन योजना :–एकीकृत बागवानी मिशन योजना उद्यानिकी के सर्वांगीण विकास हेतु फल, पुष्प, सब्जी, जड़े तथा कंद वाली फसलों, मसालें,

सुगंधित पौधों, काजू, आम आदि तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 हेतु राशि रू. 14112.64 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा राशि रू. 7000.00 लाख व्यय हुए। वर्ष 2022–23 के लिए राशि रू. 13334.00 लाख की कार्य योजना स्वीकृत हुई है। मुख्य घटकों के अंतर्गत विवरण निम्नानुसार है।

7.13.2.1 रोपण अधोसंरचना एवं विकास :–

- **हाइटेक नर्सरी** :– 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाइटेक रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 100.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में हाइटेक रोपणी की स्थापना पर शत–प्रतिशत अनुदान एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रू. 40.00 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2021–22 में 01 हाईटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। वर्ष 2022–23 में 06 हाइटेक नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 02 हाइटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- **लघु नर्सरी** :– 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लघु रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 15.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्र में लघु रोपणी की स्थापना पर शत–प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रू. 7.50 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2021–22 में लघु नर्सरी स्थापित नही की गई। वर्ष 2022–23 में 03 लघु नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 03 लघु नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- **अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर** :–अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 10.00 लाख प्रति इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना पर शत–प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2020–21 में अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना नहीं की गई तथा वर्ष 2022–23 में 06 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- **सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन** :–ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप अन्तर्गत सब्जी एवं मसाला बीजों के उत्पादन हेतु इकाई लागत रुपये 0.35 लाख प्रति हेक्टेयर है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना पर शत–प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु 0.1225 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2021–22 में 14 हेक्टेयर सार्वजनिक क्षेत्र एवं 20 हेक्टेयर निजी क्षेत्र अन्तर्गत पूर्ण किया गया तथा वर्ष 2022–23 में सार्वजनिक क्षेत्र में 140 हेक्टेयर एवं निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है।

7.13.2.2 फलोद्यान विकास :– योजनान्तर्गत आम, लीची, नींबू, केला, पपीता एवं अन्य फलोद्यान वर्ष 2021–22 में 3,408.59 हेक्टेयर में स्थापित किये गये तथा वर्ष 2022–23 में

3295 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्व माह अक्टूबर 2022 तक 2675 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.13.2.3 .सब्जी क्षेत्र विस्तार :–योजनान्तर्गत. सब्जी क्षेत्र विस्तार वर्ष 2021–22 में 6062.81 हेक्टेयर में स्थापित किये गये तथा वर्ष 20221–23 में 5250 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्व माह अक्टूबर 2022 तक 3966 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.13.2.4 पुष्प विकास योजना :–पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत वर्ष 2021–22 में 1547.60 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्प क्षेत्र विस्तार का कार्य किया गया। वर्ष 2022–23 में 1520 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्व माह अक्टूबर 2022 तक 911 हेक्टेयर में क्षेत्रविस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.13.2.5 मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल :– योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में मसाला में 3154.97 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार कार्य किया गया। वर्ष 2022–23 में मसाला में 3125 हेक्टेयर एवं औषधीय एवं सुगंधित फसल में 200 हेक्टेयर का लक्ष्य के विरूद्व माह अक्टूबर 2022 तक मसाला में 2281 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.13.2.6 काजू क्षेत्र विस्तार :– योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में 135.60 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार कार्य किया गया। वर्ष 2022–23 में 300 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्व माह अक्टूबर 2022 तक 185 हेक्टेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.13.2.7 सामुदायिक जल संसाधन स्त्रोतों का विकास :–सामुदायिक सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में 25 टैंक का निर्माण एवं 117 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है।

7.14 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं, इस योजना का उद्देश्य कम पानी से अधिक–से–अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना हैं। इस योजना में लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुल 55 प्रतिशत तथा बड़े कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण से करता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में 3827 हितग्राहियों को 4132.83 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 1390.71 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रतिस्थापित कर 1845 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2022–23 में 7000 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 2500 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रतिस्थापन का लक्ष्य रखा गया है, माह नवम्बर 2022 अंत तक 2078.64 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 192.21 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर की पूर्ति कर ली गई है।

7.15 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, उद्यानिकी (कृषि) के समन्वित विकास हेतु योजना संचालित है। वर्ष 2021–22 में योजना क्रियान्वयन हेतु राशि रू. 1300.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 853.37 लाख व्यय हुए। वर्ष 2021–22 में योजनांतर्गत फलोद्यान कार्यक्रम 274.20 हेक्टेयर, सब्जी क्षेत्र विस्तार 1319.32 हेक्टेयर, मसाला क्षेत्र विस्तार 439.842 हेक्टेयर, पुष्प क्षेत्र विस्तार 43.00 हेक्टेयर, शेडनेट हाउस संख्या 15, बैंगन एवं टमाटर पौध प्रदर्शन संख्या 272। वर्ष 2022–23 में वार्षिक कार्ययोजना राशि रू. 3657.89 लाख की स्वीकृति उपरांत माह सितम्बर फल क्षेत्र विस्तार में 335 हेक्टेयर, सब्जी क्षेत्र विस्तार 721 हेक्टेयर, मसाला क्षेत्र विस्तार 258.50 हेक्टेयर, पुष्प क्षेत्र विस्तार 20 हेक्टेयर, प्रदर्शनी संख्या 66, प्लास्टिक मल्चिंग 249.50 हेक्टेयर, पैक हाउस संख्या 71, पल्वेराईजर संख्या 30 पैक हाउस 16000 वर्ग मीटर एवं शेडनेट हाउस 88000 हेक्टेयर कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.16 नेशनल मिशन ऑन आइलसीड एवं आइलपाम योजना :–यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, तथा आईलसीड एवं आईलपाम तथा आलीव्ह को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। वर्ष 2021.22 हेतु राशि रू. 408.211 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2021–22 में 423.72 हेक्टेयर क्षेत्र में आइलपाम एवं 292 हेक्टेयर क्षेत्र में महुआ रोपण का कार्य कराया गया जिस हेतु राशि रू. 105.68 लाख व्यय हुए। वर्ष 2022–23 में राशि रू. 978.28 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तथा 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में आइलपाम, रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.17 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (मौसम आधारित) :– पुर्नगठित मौसम आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए प्रारम्भ हुई है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम कराएगी। वर्ष 2021–22 में 20710.98 हेक्टेयर प्रक्षेत्र में लगे उद्यानिकी फसलों का बीमा किया गया तथा बीमा कंपनी को राज्यांश राशि रू. 5293.05 लाख भुगतान किया गया है। वर्ष 2022–23 में राज्य बजट में राज्यांश राशि रू. 4000.00 लाख प्रावधानित है।

7.18 एनएमएसए नेशनल मिशन ऑन एग्रो फारेस्ट्री :– योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में राशि रू. 241.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसके विरूद्ध राशि रू. 60.37 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ। वर्ष 2021–22 में परिधिय पौध रोपण अंतर्गत 840 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 840 हक्टेयर एवं सघन पौध रोपण अंतर्गत 65 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 64.45 हेक्टेयर वृक्षारोपण का कार्य संपादित किया गया तथा राशि रू. 44.486 लाख का व्यय

किया गया। वर्ष 2022–23 में भारत सरकार के निर्देशानुसार योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।

7.19 एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन – यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है। योजना का उद्देश्य कृषकों के अतिरिक्त आय हेतु गैरवन सरकारी एवं निजी भूमि में बांस का क्षेत्र विस्तार कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना एवं कृषकों के प्रक्षेत्र में उत्पादित बांस के बेहतर मूल्य हेतु मूल्य संवर्धन के कार्य तथा उत्पादित बांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने हेतु प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है साथ ही बांस के विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने हेतु कारीगरों को नवीन तकनीकी का प्रशिक्षण एवं बांस के बाय प्रोडक्ट बनाने वाले कारीगरों को नवीन मशीन उपकरण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। वर्ष 2021–22 की अव्ययित राशि रू. 97.0085 लाख एवं पूर्व वर्षों की आहरित राशि रू. 269.51023 लाख (जिसे विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा एस.एन.ए. खाते में हस्तांतरित किया गया + 12.74129 ब्याज की राशि है) इस प्रकार कुल राशि रू. 366.51873 लाख के विरूद्ध वर्ष 2022–23 में क्रियान्वयन संस्थाओं की मांग अनुसार राशि रू. 290.87101 लाख की लिमिट सेट कर प्रदाय की गई है। वर्ष 2022–23 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना की राशि रू. 335.16 लाख की विमुक्ति शासन से अपेक्षित है।

जल संसाधन

7.20.1 <u>भौगौलिक विवरण एवं उपलब्ध जल</u> :– छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 42 प्रतिशत वनाच्छादित है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य कृशि प्रधान राज्य है। राज्य में कुछ वृष्टिछाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से संपन्न है।

प्रदेश में विभिन्न स्त्रोतों से सतही जल की मात्रा 48296 मि.घ.मी. है, जिसमें से 41720 मि.घ.मी. जल उपयोग में लाया जा सकता है। केन्द्रीय भू–जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11630 मि.घ.मी. है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 44% उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश के कुल 146 विकासखण्ड में से वर्ष 2017 के आंकलन के अनुसार 122 विकासखण्ड भू–जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी तथा 22 विकासखण्ड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में है। 02 विकासखण्ड संकटपूर्ण श्रेणी में आंकलित है। वर्तमान में आंकलन की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

7.20.2 <u>सृजित सिंचाई क्षमता</u> :– सिचांई के मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन, एनीकट/स्टॉपडेम एवं नलकूप आदि है। राज्य गठन के समय प्रदेश में निर्मित 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजनाओं से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी, जो वर्तमान में (मार्च 2022 तक) 21.47 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 8.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 38.75 (21.47/55.40 X 100) हो गया है। आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोये गये क्षेत्र का 75 प्रतिशत अर्थात करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।

7.20.3 निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं :– वर्तमान में 08 वृहद, 38 मध्यम, 2477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट/स्टॉपडेम निर्मित हैं। जबकि 04 वृहद, 0 मध्यम एवं 340 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 01 नलकूप योजना एवं 199 एनीकट/स्टॉपडेम निर्माणाधीन हैं।

7.20.3.1 <u>वृहद निर्माणाधीन परियोजनाएं</u> :–

1. **अरपा भैंसाझार परियोजना :–** यह योजना बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा विकासखण्ड में ग्राम–भैंसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। परियोजना की वर्तमान लागत रू. 1141.90 करोड़ है। येाजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना से बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकासखण्डों के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। इस योजना के पूर्ण होने से लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इससे जून 2022 तक लगभग 12,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। योजना को जून 2023 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

2. **राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तनः–** राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण में 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। योजना के द्वितीय चरण में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु लगभग 70 कि.मी. लंबाई की मुख्य नहर के निर्माण हेतु रू. 114.45 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

7.20.4 <u>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</u> :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की प्रमुख 03 योजनाएं यथा केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना एवं मनियारी सिंचाई परियोजना शामिल की गई है। केलो परियोजना, खारंग एवं मनियारी जलाशय में क्रमशः 22,810 हेक्टेयर, 8,300 हेक्टेयर तथा 11,515 हेक्टेयर क्षेत्र में CADWM के कार्य प्रस्तावित है जिनकी लागत क्रमशः रु. 81.41 करोड़, रु. 32.97 करोड़ तथा रु. 45.89 करोड़ है जिसके विरूध्द माह अगस्त तक खारंग में 8.19 करोड़ एवं मनियारी में 4.37 करोड़ व्यय किया जा चुका है तथा केलो परियोजना पर अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

7.20.5 <u>सूक्ष्म सिंचाई एवं सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना</u> :– प्रदेश की विभिन्न नदियों/नालों पर विभाग द्वारा एनीकट एवं व्यपवर्तन योजनाएं निर्मित की गई है। उपलब्ध जल के समुचित उपयोग किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्म सिंचाई एवं सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्य योजना बनायी गई है। विभाग में निर्मित एनीकट में से वर्ष 2021–22 तक प्रस्तावित 79 सूक्ष्म एवं 53 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना कुल 132 योजनाओं में से 16 सूक्ष्म एवं 19 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना कुल 35 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है एवं 14 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष

2022–23 में प्रस्तावित 16 सूक्ष्म एवं 09 सोलर सूक्ष्म कुल 25 योजनाओं हेतु रु. 340.00 लाख का बजट प्रावधान है। इन 35 स्वीकृत योजनाओं (सूक्ष्म सिंचाई योजना 16 तथा सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना 19) से 10957 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

7.21 <u>मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना</u> :– मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है, जो हसदेव नदी पर कोरबा जिले के बांगो ग्राम के पास निर्मित है। बांध के 42 कि.मी. नीचे कोरबा के पास बैराज का निर्माण किया गया है। वर्तमान में बांध का शत–प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना से कोरबा, जांजगीर–चांपा एवं रायगढ़ जिले के लगभग 923 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित है। परियोजना की निर्मित सिंचाई क्षमता 2,47,400 हेक्टेयर खरीफ एवं 1,73,180 हेक्टेयर रबी कुल 4,20,580 हेक्टेयर है। परियोजना अंतर्गत कोरबा जिले की 10,147 हेक्टेयर, जांजगीर–चांपा जिले के 3,90,184 हेक्टेयर तथा रायगढ़ जिले के 20,249 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ उपलब्ध कराना निर्धारित है। योजना से वर्ष 2007 से ही पूर्ण सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर (खरीफ 2,47,400 हेक्टेयर एवं रबी 1,73,180 हेक्टेयर) निर्मित की जा चुकी है। बांगो जलाशय से औद्योगिक जल प्रदाय हेतु 292.392 मि. घ.मी. तथा कोरबा नगर निगम को पेयजल हेतु 14 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रदाय किया जाना प्रावधानित है।

वर्ष 2021–22 में बांगो परियोजना से खरीफ सिंचाई हेतु 2,47,400 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध अंतिम खरीफ प्रतिवेदन के अनुसार 238084 हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई एवं 36802 हेक्टेयर भूमि में रबी कुल 274886 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की गयी। वर्ष 2022–23 में खरीफ सिंचाई हेतु 2,47,400 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई लक्ष्य के विरुद्ध अंतरिम सिंचाई प्रतिवेदन अनुसार माह अक्टूबर तक 2,34,144 हेक्टेयर में सिंचाई की गई है।

7.22 <u>केलो परियोजना</u> :– केलो परियोजना रायगढ़ शहर से 8 कि.मी. की दूरी पर रायगढ़–अंबिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनौट में केलो नदी पर प्रस्तावित है। इस बांध के निर्माण से रायगढ़ एवं जांजगीर–चांपा जिले (रायगढ़, खरसिया, सरिया एवं चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र) के 175 ग्रामों की 24,396 हेक्टेयर भूमि में से 22,810 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ–साथ रायगढ़ शहर को पेयजल हेतु 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना से औद्योगिक उपयोग हेतु 4.44 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

केलो परियोजना की रुपांकित सिंचाई क्षमता 22,810 हेक्टेयर है। जून 2022 तक 17,475 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित किया जा चुका है तथा शेष 5,335 हेक्टेयर जून 2023 तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष 2022 में खरीफ सिंचाई हेतु रायगढ़ जिले में 11000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल प्रदाय लक्ष्य के विरूध्द 5775 हेक्टेयर क्षेत्र में अंतरिम सिंचाई की गई । केलो परियोजना शीर्ष एवं नहर कार्यों की भौतिक प्रगति क्रमशः 99% एवं 83% माह सितम्बर 2022 तक प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना की पुनः पुनरीक्षित लागत रु. 891.01 करोड़ के विरुद्ध सितम्बर 2022 तक कुल राशि रु. 846.62 करोड़ व्यय की जा चुकी है।

7.23 <u>शिवरीनारायण बैराज का निर्माण</u> :– इस संरचना अंतर्गत महानदी पर शिवरीनारायण बैराज जिसकी लागत रु. 162.43 करोड़ है, का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सितम्बर 2022 तक लागत के विरुद्ध राशि रु. 159.54 करोड़ व्यय किये जा चुके है। इस बैराज के निर्माण पश्चात संग्रहित उपलब्ध जल से 690 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ–साथ औद्योगिक संस्थानों को उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

तालिका क्र. 7.14 शिवरीनारायण बैराज

क्र.	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल की कुल मात्रा वार्षिक	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण	आफटेक पाईंट	अभियुक्ति
शिवरीनारायण बैराज :–				**प्रस्तावित जल संग्रहण मात्रा**	37.00
1	जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लि ., रायगढ़ (600 मे.वा.)	0.00	0.00	कलमा बैराज	
2	कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (1600 मे.वा.)	52.00	17.55	शिवरीनारायण बैराज	
3	के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड (वर्धा पॉवर) (1850 मे.वा.)	100.00	10.00	बसंतपुर बैराज	संस्थान को 34 .00 मि.घ.मी. अतिरिक्त जल मानसून अवधि (जुलाई से सितंबर) तथा मानसून पश्चात अवधि (अक्टूबर से दिसंबर) में आबंटित किया जाना प्रस्तावित है।
	योग :–	**152.00**	**27.55**		

7.24 <u>साराडीह बैराज</u> :– इस संरचना अंतर्गत महानदी पर साराडीह बैराज जिसकी पुनरीक्षित लागत रु. 640.21 करोड़ है, का निर्माण कार्य वर्तमान में लगभग 99 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। सितम्बर 2022 तक लागत के विरुद्ध राशि रु. 609.79 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज के निर्माण पश्चात संग्रहित उपलब्ध जल से 333 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ–साथ औद्योगिक संस्थानों के उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस बैराज से निम्नानुसार औद्योगिक संस्थानों को तथा पेयजल हेतु जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है :–

तालिका क. 7.15 साराडीह बैराज

क.	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल की कुल मात्रा वार्षिक	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण	आफटेक पाईंट	अभियुक्ति
साराडीह बैराज :–		**प्रस्तावित जल संग्रहण मात्रा**			54.24
1	इण्ड भारत एनर्जी लिमिटेड, हैदराबाद (600 मे.वा.)	20.00	4.50	साराडीह बैराज	–
2	वीसा पॉवर लिमिटेड, कोलकाता (1200 मे.वा.)	35.00	7.87	साराडीह बैराज	–
3	बी.ई.सी. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई (505 मे.वा.)	14.50	3.26	साराडीह बैराज	
4	(अ) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर (600 मे.वा.)	12.00	4.05	साराडीह बैराज	–
	(ब) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर (अतिरिक्त 600 मे.वा.)			साराडीह बैराज	
5	(अ) आर .के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई (1200 मे.वा.)	35.00	7.88	साराडीह बैराज	–
	(ब) आर .के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई (अतिरिक्त 200 मे.वा.)	9.83	2.21	साराडीह बैराज	
6	(अ) एन.टी.पी.सी. लारा (4000 मे .वा. के प्रथम चरण 1600 मे.वा. हेतु)	45.00	15.18	साराडीह बैराज	
	(ब) एन.टी.पी.सी. लारा (4000 मे.वा. के द्वितीय चरण 2400 मे.वा. हेतु)	68.00	3.81	साराडीह बैराज	
	योग :–	239.33	48.76		
	पेयजल हेतु आबंटित जल				
1	सारंगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना	2.19	0.00	साराडीह बैराज	
2	डभरा आवर्धन जल प्रदाय योजना	1.00	0.00	साराडीह बैराज	
	योग :–	3.19	0.00		

साराडीह बैराज से उक्त संस्थानों में से वर्तमान में 03 संस्थानों यथा मेसर्स एस.के. एस. पॉवर लि., आर.के.एम. जेन पॉवर लि. एवं एन.टी.पी.सी. लारा द्वारा क्रमशः 12.00 मि.घ. मी. वार्षिक, 11.20 मि.घ.मी. वार्षिक तथा 45.00 मि.घ.मी. वार्षिक, कुल 68.20 मि.घ.मी. अनुबंध करने के पश्चात जल आहरण किया जा रहा है।

7.25 <u>सिध्द बाबा जलाशय के शीर्ष एवं नहरो का निर्माण कार्य</u> :–

सिध्दबाबा लघु जलाशय योजना नव निर्मित जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई के तहसील एवं विकासखंड–छुईखदान के ग्राम–उरतुली के समीप लमती नदी पर प्रस्तावित है। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति लागत् रू0 220.07 करोड़, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक 1275/एफ–1– 94/31/एस– 2 /2021 अटल नगर, दिनांक 09.03.2022 द्वारा प्रदान की गई है। सिध्दबाबा जलाशय की कुल जल भराव क्षमता 9.496 मि0घ0मी0 है। जलाशय के निर्माण से विधानसभा–खैरागढ़ के 19 ग्राम, 885 हेक्टेयर, जिला– बेमेतरा के अंतर्गत विधानसभा–साजा के 11 ग्राम 820 हेक्टेयर एवं जिला–दुर्ग के अंतर्गत विधानसभा–साजा के 04 ग्राम 135 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 34 ग्रामों के 1840 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 03 विकासखंडो के निर्मित 23 लघु जलाशयों को पानी की पूर्ति की जा सकेगी।

पशुधन

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। पशु संगणना 2019 के अनुसार प्रदेश में 1.59 करोड़ पशुधन तथा 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृध्दि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान एवं उन्नत नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्य विभागीय कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

तालिका 7.16 फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
भागीदारी (लाख)	313268	380986	415694	416296	430906	450632
वृद्धि (प्रतिशत)	10.21	21.62	9.11	0.14	3.51	4.58
हिस्सा (प्रतिशत)	1.57	1.71	1.77	1.78	1.71	1.65

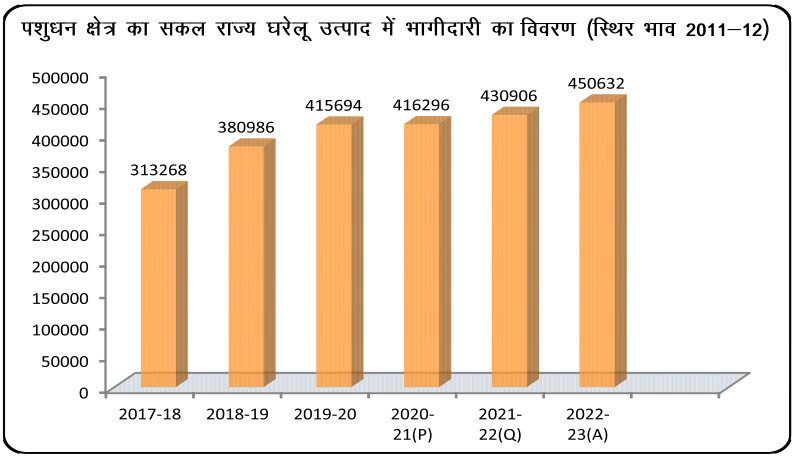

7.26.1 गौवंशीय एवं भैसवंशीय पशु विकास :– 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार गौवंशीय प्रजनन योग्य पशु 32.99 लाख एवं भैसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 36.61 लाख है। राज्य में वर्ष 2021–2022 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की संख्या 22, हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द की संख्या 248, पशु चिकित्सालय 349, पशु औषधालय 841, मुख्य ग्राम खण्ड 10, मुख्य ग्राम खण्ड ईकाई 99 कार्यरत है। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2021–22 में 4.32 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान

से 1.46 लाख वत्सोत्पादन हुआ तथा 18.84 लाख पशुओं का उपचार, 25.30 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 4.06 लाख पशुओं में बधियाकरण, 206.61 लाख टीकाकरण पशुओं/कुक्कुटों का टीकाकरण कार्य किया गया है।

वर्ष 2022–2023 में सितम्बर 2022 तक 2.59 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई जिससे 0.77 लाख वत्सोत्पादन हुआ। 11.20 लाख पशुओं का उपचार, 15.76 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 0.93 लाख पशुओं में बधियाकरण, 68.91 लाख टीकाकरण पशुओं/कुक्कुटों का टीकाकरण कार्य किया गया है।

7.26. 2 बकरी विकास :– प्रदेश में 20वीं पशु संगणना के अनुसार 40.05 लाख बकरे–बकरियॉ है। प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रो के अंन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय बकरियों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के ग्रेडेड नस्ल का बकरा विभागीय व्यक्तिमूलक योजना में (विशेष घटक योजनांतर्गत) अनूसचित जाति वर्ग के एवं (आदिवासी उपयोजनांतर्गत) अनुसूचित जनजाति वर्ग के तथा सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान पर प्रजनन योग्य बकरों का वितरण किया जाता है। वर्ष 2021–22 में योजनांतर्गत राशि रू. 76.00 लाख मे से राशि रू 75.83 लाख ब्यय कर कुल 1956 बकरों का वितरण किया गया। वर्ष 2022–23 में योजनांतर्गत माह सितम्बर 2022 तक राशि रू 76.00 लाख मे से राशि रू 20.83 लाख ब्यय कर 109 बकरों का वितरण किया गया।

प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ग्राम सरोरा जिला रायपुर तथा रामपुर (ठाठापुर) जिला कबीरधाम में की गई है।

7.26.3 सूकर विकास :– प्रदेश में 20वीं पशु संगणना के अनुसार राज्य में 5.27 लाख सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु चयनित सूकर पालकों को वर्ष 2021 –22 में अनुदान पर सूकरत्रयी (2 मादा + 1 नर सूकर) वितरण हेतु राशि रू. 89.00 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 989 सूकरत्रयी के विरुध्द राशि रू. 88.30 लाख ब्यय कर 981 सूकरत्रयी प्रदाय किया गया। योजना अन्तर्गत सितम्बर 2022 तक प्राप्त वित्तीय लक्ष्य 89.00 लाख में से 14. 35 लाख व्यय कर 36 हितग्राहियों का वितरण किया गया ।

प्रदेश में सूकर पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु सकालो जिला अम्बिकापुर एवं परचनपाल जिला जगदलपुर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित है। जिसमें लार्ज व्हाइटयार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सुकरों का प्रजनन किया जा रहा है। एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना कुनकुरी जिला जशपुर में प्रगति पर है।

7.26. 4 शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदाय :– प्रदेश मे वर्ष 2006–07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत्–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गयी हैं। वर्ष 2021–22 में शत्–प्रतिशत अनुदान पर सांड़ वितरण हेतु कुल राशि रु. 75.25 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 214 साड़ों का वितरण किया गया हैं। वर्ष 2022–**23 में माह सितम्बर 2022 तक राशि रू. 75.25 लाख मे से** राशि रू. 13.50 लाख व्यय कर 19 सांड़ों का वितरण किया गया है, शेष सांड़ों के वितरण कार्य प्रगति पर है।

7.26.5 कुक्कुट विकास :– प्रदेश मे 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार कुल 187.12 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी हैं। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत आहार एवं औषधि सहित घर तक परिवहन पश्चात् सभी वर्ग के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता हैं। योजनांतर्गत कुक्कुट चूंजों के अलावा बतख एवं बटेर चूजों का भी प्रदाय किया जाता हैं। वर्ष 2021–22 में बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत राशि रू. 517.00 लाख आबंटन अंतर्गत राशि रू. 516.87 लाख ब्यय कर कुल 19973 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

तालिका 7.17

संस्था का नाम	संख्या
राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	01
पशु चिकित्सालय	349
केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय (राज्य स्तरीय)	01
केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय (संभाग स्तरीय)	05
पशु औषधालय	841
चलित पशु चिकित्सा ईकाई	27
राज्य स्तरीय पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	01
पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	16
पशु/कुक्कुट प्रजनन प्रक्षेत्र	16
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	22
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	248
एम्बुलेट्री क्लीनिक	08
मोटर सायकल यूनिट	20
मुख्य ग्राम खण्ड	10
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	99

वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 2022 तक राशि रू. 517.00 लाख आबंटन अंतर्गत राशि रू. 84.58 लाख व्यय कर 1158 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान शेष बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों का वितरण शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों से एवं अन्य शासकीय संस्थानो से किया जा रहा है।

7.26.6 अतिरिक्त केन्दीय सहायता राशि :– वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राशि रू. 3928.50 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अन्तर्गत रू. 1371.00 लाख का बंटन प्राप्त हुआ है एवं सितम्बर 2022 तक राशि रू. 1310.00 लाख व्यय किया गया है।

7.26.7 प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना :– राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार राष्ट्रीय गौवंशीय, भैसवंशीय परियोजनान्तर्गत प्रत्येक 1200 पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान ईकाई की आवश्यकतानुरूप, स्वरोजगारोन्मुखी प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षित गौ सेवको, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैद्यान्तिक एवं व्यावहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय/प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराया जा रहा है।

वर्ष 2022–2023 सितम्बर तक कुल 2051 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता / मैत्री प्रशिक्षित कर पंजीयन किया गया है जिसमें 849 कार्यरत है। इन्हे निःशुल्क औजार, उपकरण प्रदाय कर नियमित रूप से तरल नत्रजन एवं स्ट्रा प्रदाय की व्यवस्था नजदीकी विभागीय संस्था के माध्यम से की जा रही है तथा प्रत्येक वत्सोत्पादन पर 04 चरणों में रू. 1200 मानदेय देने का प्रावधान है।

7.26.8 पशुधन मित्र योजना– पशुधन मित्र (गौसेवक/प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कायकर्ता, मैत्री) को जीविकोपार्जन एवं वार्ड में रूचि की निरन्तरता बनाने हेतु पशुओं में टीकाकरण, शिविर आयोजन में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। वर्ष 2021–22 में योजनांतर्गत राशि रूपये 333.00 लाख के आंबटन से राशि रूपये 291.59 लाख का मानदेय दिया गया। इसी तरह वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 2022 तक राशि रूपये 330.00 लाख के आबंटन से रिक्त राशि रूपये 12.00 लाख का मानदेय का भुगतान पशुधन मित्रों को किया गया है।

7.26.9 ग्रामोंत्थान योजना :– राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषको की आमदनी में वृध्दि करने तथा कृषि कार्यो के लिये उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं के विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई पशु नस्ल सुधार योजनायें चलाई जा रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पशु पालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से ग्रामोंत्थान योजना प्रारंभ किया गया है। योजना प्रारंभ से अब तक कुल 15709 चरवाहों का पंजीयन किया गया है। योजना का उद्देश्य पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिये, चरवाहों को पशुपालन विभाग की आवश्यक कड़ी के रुप में जोड़ना है। वर्ष 2022–23 में ग्रामोत्थान योजना हेतु राशि रु. 5.00 लाख राज्य आयोजना मद से प्रोत्साहन राशि रू. 15/प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15/–

प्रति बधियाकरण कार्य में सहयोग हेतु चरवाहों को कुल 33333 कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण में राशि रू. 5.00 लाख प्रदाय किया गया है।

वर्ष 2022–23 में कुल 0.33 लाख कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण कार्य का लक्ष्य के विरूद्ध रू. 5.00 लाख प्रावधानित है। जिसमें सितम्बर 2022 तक राशि रू. 2.10 लाख खर्च किया गया है।

7.26.10 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण :– छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय–भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून, 2001 में की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत है। भारत सरकार पशुपालन एवं डेयरी विभाग की केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं जैसे राश्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइवस्टाक मिशन, नेशनल एनीमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम एवं लाइवस्टाक हेल्थ एवं डिसीज् कंट्रोल कार्यक्रम का राज्य में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2018–19 में राशि रू. 1920.60 लाख एवं वर्ष 2020–21 में राशि रू. 101.25 लाख प्राप्त हुआ है, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में किया जा रहा है। परियोजनान्तर्गत मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

- कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण अर्न्तगत 1179B.A.-3, 590 T.A-55.,75 J-12 जिलों को एवं 1 O.M.R. केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा दुर्ग को प्रदाय किया गया है एवं 6000 लीटर क्षमता के 4 तरल नत्रजन टैंकर क्रय किया गया है।

- गुणवत्ता परीक्षण उपरांत हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत High Genetic Merit (HGM) Bulls केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा में लाया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	प्राप्ति स्थल	सांडों की संख्या
1.	नाभा पंजाब	04 मुर्रा, 06 साहीवाल
2.	ULDB ऋषिकेश	02 CBHF HGM, 02 जर्सी
3.	चेन्नई	05 HF Bulls (Imported from Germany)
4.	खेड़ा, गुजरात	04 CBHF, 06 गिर
कुल		**29**

- वर्ष 2018–19 में प्राप्त राशि रू. 1920.60 लाख में से 300 मैत्रियों का प्रशिक्षण वर्ष 2019–20 में किया जाना था। 74 मैत्रियों के प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण कार्य कोविड–19 संक्रमण के कारण स्थगित था, जिसे फरवरी 2022 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें वर्ष 2018–19 में प्राप्त राशि से 226 एवं वर्ष 2020–21 में प्राप्त राशि रू. 101.25 लाख से 125 मैत्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा सामाग्री प्रदाय हेतु क्रय की कार्यवाही की जा रही है।

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अन्तर्गत ग्राम झालम जिला बेमेतरा में संस्थागत गोकुल ग्राम की स्थापना हेतु वर्ष 2020–21 में राशि रू. 657.00 लाख छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग को प्रदाय किया गया है तथा ग्राम नगोई जिला बिलासपुर में सांड माता प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु राशि रू. 454.60 लाख संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें बिलासपुर को प्रदाय किया गया हैं, जिससे घटकवार सुद्ढ़ीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

- मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैर विभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक एफ.एम.डी. एवं ब्रुसेलोसिस रोग के नियंत्रण तथा वर्ष 2030 तक इन रोगों का देश से उन्मूलन करने के लक्ष्य के साथ केन्द्रीय योजना नेशनल एनीमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम (NADCP) फॉर एफ.एम.डी. सी. पी. एवं ब्रुसेलोसिस सी.पी. का शुभारंभ वर्ष 2019–20 में किया गया। NADCP योजना के राज्य में कियान्वयन हेतु छ.ग.राज्य पशुधन विकास अभिकरण को कियान्वयन ऐजेंसी नियुक्त किया गया तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में 1,939.32 लाख एवं वर्ष 2020–21 में 785.21 लाख आबंटन प्रदान किया गया जिसके अंतर्गत 73,75,500 इयर टैग, 7,710 इयर टैग एप्लीकेटर, 1,12,969,000 पशु स्वास्थ्य पत्र, 24,80,352 पशुओं के टैगिंग कर पारिश्रमिक, 1,60,32,300 सीरिंज एवं निडिल, 9 मॉडयूलर कोल्ड रूम, 75, आईसलाइन्ड रेफ्रिजरेटर, 529 रेफ्रिजरेटर 315 लीटर, 3,238 वैक्सीन कैरियर एवं 37,24,941 पशुओं के टीकाकरण हेतु पारिश्रमिक जिलों को प्रदाय किया गया है।

- वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा लाइवस्टाक हेल्थ एवं डिसीज् कंट्रोल कार्यक्रम (LHDCP) का आरंभ किया गया है। राज्य में योजना क्रियान्वयन हेतु छ.ग. राज्य पशुधन विकास अभिकरण को क्रियान्वयन ऐजेंसी नियुक्त किया गया है। अभिकरण द्वारा वर्ष 2021–22 में LHDCP के घटक Establishment & Strengthening of Veterinary Hospitals & Dispensaries (ESVHD) अन्तर्गत राज्य में 163 मोबाईल वेटनरी युनिट की स्थापना हेतु 5822.36 लाख (केन्द्रांश 4601.82 लाख एवं राज्यांश 1220.54 लाख) एवं राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना हेतु 477.83 लाख (केन्द्रांश 317.16 लाख एवं राज्यांश 160.77 लाख) का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। जिसके परिपेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में क्रमशः 2608.00 लाख एवं 119.64 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिससे 163 मोबाईल वेटनरी युनिट एवं राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना कार्य प्रक्रियाधीन है।

- LHDCP के घटक पी.पी.आर. रोग उन्मूलन एवं सी.एस.एफ. रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत राशि रू. 563.57 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। नेशनल लाइवस्टाक मिशन (NLM) वर्ष 2022–23 अंतर्गत राशि रू. 3738.62 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

- वर्ष 2022–23 हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अन्तर्गत 3646.90 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

7.26.11 पशुरोग नियंत्रण परियोजना (एस्काड) :– केन्द्र प्रवर्तित योजना लाइवस्टाक हेल्थ एण्ड डिसिज कण्ट्रोंल अन्तर्गत एस्काड संचालित है जिसके अंतर्गत प्रमुख रोगों के प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, पशुउपचार शिविर, प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन, पशु पालकों/किसानो के मध्य पशु पालन से संबंधित प्रचार–प्रसार कार्य, अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढ़िकरण,किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में माह अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक पशुओं में राशि रू. 12.59 लाख का टीकाकरण किया गया है एवं माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक योजनांतर्गत राशि रूपये 1190.51 लाख की कार्य योजना स्वीकृत हुई जिसमें से राशि रूपये 1021.61 लाख व्यय की गई एवं पशुओं में 197.10 लाख टीकाकरण किया गया। वर्ष 2022–23 में माह अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक पशुओं में 8 लाख टीकाकरण किया गया। योजनांतर्गत 2022–23 में राशि रूपये 1042.63 लाख की कार्य योजना स्वीकृत हुई है।

7.26.12 राष्ट्रीय ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP-BCP) NADC :– राष्ट्रीय ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम योजनांतर्गत 4–8 माह उम्र के मादा वत्स (बछिया/पडिया) को ब्रुसेलोसिस रोग से बचाने हेतु रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण कार्य किया जाता है। जिसमें **NADCP** अंतर्गत वर्ष 2021–22 में (माह अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक) टीकाकरण निरंक है। माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक मादा वत्सो में 2.37 लाख टीकाकरण किया गया। वर्ष 2022–23 माह अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक 32,474 ब्रुसेलोसिस टीकाकरण किया गया है।

7.26.13 मुंहपका खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP- FMD) :– छत्तीसगढ राज्य में एफ.एम.डी. रोग की रोकथाम हेतु **NADCP** अंतर्गत वर्ष 2019–20 में एफ.एम.डी. मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की गई, जिसके तहत एफ.एम.डी. रोग की रोकथाम हेतु गौंवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं मे सघन टीकाकरण कार्य किया जाता है। **NADCP** योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 माह अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक टीकाकरण निरंक है। माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक टीकाकरण निरंक है। वर्ष 2022–23 माह अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक टीकाकरण निरंक है।

7.26.14 पी.पी.आर नियंत्रण कार्यक्रम (PPR, CP):– बकरियों में पी.पी.आर नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के बकरियों को पी.पी.आर रोग के विरूध्द टीकाकरण किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में माह अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक भेंड़ एवं बकरियों में 0.29 लाख टीकाकरण किया गया एवं माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक योजनांतर्गत भेंड एवं बकरियों में 7.14 लाख टीकाकरण किया गया। वर्ष 2022–23 में माह अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक भेंड एवं बकरियों में 1.34 लाख टीकाकरण किया गया।

7.26.15 नेशनल लाइवस्टाक मिशन योजना (एन.एल.एम.) :– नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (एन.एल.एम.) वर्ष 2014–15 से प्रारंभ केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा योजना के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है जिसका उद्देश्य छोटे रूमन्थी पशु जैसे– भेड़–बकरी, सूकर एवं कुक्कुट पालन तथा चारा विकास के उद्यमिता विकास कर आय का साधन सृजित करना है।

नवीन नेशनल लाईवस्टॉक मिशन के चार सब मिशन है –

1. पशुधन विकास
2. फीड एंड फॉडर विकास
3. नवाचार एवं विस्तार

वर्ष 2021–22 में योजना परिवर्तन होने के फलस्वरूप भारत सरकार से राशि प्राप्त नही हुई है। यद्यपि वर्ष 2020–21 में कियान्वित योजना के अनुपयोगित राशि रू. 85.23 लाख के पुर्नवैद्याीकरण पश्चात योजना में कुल 123 बकरी ईकाई वितरीत किया गया एवं 7 हेक्टेयर भूमि पर चारागाह विकास कार्य किया गया।

7.26.16 सुराजी गांव योजना– नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी (NGGB) :–प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी सुराजी गांव योजना के अन्तर्गत नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों जैसे – पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, पशुधन विकास, उद्यानिकी, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आदि के समन्वय से किया जा रहा है। समस्त जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तर पर गोचर भूमि आरक्षित कर गौठान एवं चारागाह का वृहद निर्माण सतत् रूप से किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गौवंशीय–भैंसवंशीय पशुधन को गौठानो के माध्यम से एक स्थान पर छाया, शुद्ध पेयजल, सूखा एवं हरा चारा उपलब्ध कराना है, जिससे खुले में घूम रहे पशुओं से किसानो की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके साथ ही पशुओं को मूलभूत सुविधा के साथ–साथ स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी उपलब्ध करायी जा सके।

गौठानो में सी.पी.टी. एवं तार फेंसिंग कर आरक्षित भूमि को घेरा कर पशुओं के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है, जहां **डे–केयर सेन्टर** के रूप में ग्राम के पशुओं को चरवाहा के माध्यम से प्रातः कालीन गौठानो में लाया जाना है तथा संध्या होने पर पुनः पशु मालिक के घर वापस किया जाना है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में विचरण करने वाले लावारिस पशुधन को गौठान में दिन–रात रखने के निर्देश जारी किये गये है, जिसका निर्णय ग्राम स्तर पर ग्रामीणों से चर्चा उपरांत ग्राम गौठान समिति द्वारा लिया जा सकता है।

योजना अन्तर्गत विभागीय अमलो द्वारा गौठान में आने वाले पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे प्राथमिक उपचार, समयबद्ध प्रतिरोधात्मक टीकाकरण के साथ–साथ कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान हेतु सांड वितरण, बधियाकरण, कृमिनाशक दवापान, कीटनाशक छिड़काव आदि सुविधायें उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में योजनांतर्गत 10559 गौठानों को स्वीकृति प्रदाय की गयी है जिसमें से 8622 गौठानों का पूर्ण निर्माण किया गया है।

वर्ष 2021–22 में इन गौठानो में आने वाले पशुओं में 1.00 लाख कृत्रिम गर्भाधान कार्य, 33553 वत्सोत्पादन, 32.46 लाख टीकाकरण, 6.82 लाख पशुओं का उपचार एवं 1.51 लाख पशुओं में बधियाकरण कार्य संपादित किया गया है।

गौठानों में स्व–सहायता समूहो का चयन कर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। पशुधन विकास विभाग के द्वारा गौठानों में महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से बकरी पालन, लेयर मुर्गी पालन, ब्रायलर मुर्गी पालन, डेयरी पालन, बतख–बटेर पालन इत्यादि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 3807 गौठानों में विभागीय गतिविधियां संचालित है जिसमें 3059 समूहों के 24048 सदस्य कार्यरत है, जो पशुपालन के माध्यम से आजिविका अर्जित कर रहे है।

गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रिपा) के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्व–सहायता समूहो को लघु उद्योग का संचालन कर स्व–रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना है, जिससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन एवं आय के साधन निर्मित किया जा सके। पशुधन विकास विभाग के द्वारा रिपा अन्तर्गत गोबर से प्राकृतिक पेन्ट निर्माण ईकाई स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

7.26.17 पशु उत्पाद उपलब्धता :– वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के 27 जिलों में केन्द्रीय एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कुल चयनित 2532 ग्राम/वार्ड का प्राथमिक सर्वेक्षण का कार्य कराया गया है। तथा इन प्राथमिक सर्वेक्षण मे से चयनित कुल 810 ग्रामों/वार्डो का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य कराया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन अनुमान तैयार किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त अनुमान अनुसार राज्य में दुग्धोत्पादन 1848 (हजार टन), अण्डा उत्पादन 20316 (लाख) एवं मांस उत्पादन 50.321 (हजार टन) पाया गया। वर्ष 2021–22 के एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 171 ग्राम दूध की उपलब्धता, प्रतिव्यक्ति वार्षिक 69 अण्डे तथा प्रतिव्यक्ति वार्षिक मांस की उपलब्धता 1.710 कि0ग्रा0 होना पाया गया है।

7.26.18 डेयरी उद्यमिता विकास योजनाः– राज्य में डेयरी उद्यमिता की अपार संभावनाओं को देखते हुए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत आपूर्ति सुनिश्चित करने डेयरी ईकाई की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसके तहत 2 दुधारू पशुओं की इकाई लागत राशि रूपये 1.40 लाख पर सामान्य प्रवर्ग के हितग्राहियों

को 50% तथा अ.जा./अ.ज.जा. प्रवर्ग के हितग्राहियों को 66.6% की दर से अनुदान प्रावधानित है। योजनांतर्गत हितग्राही द्वारा इकाई को बैंक ऋण के माध्यम से (बैंक लिंकेज) या स्वयं की पूंजी (स्ववित्तीय) से क्रियान्वित किया जा सकेगा।

राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 1407.75 लाख आबंटन में से अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक संशोधित योजनांतर्गत 34 नवीन डेयरी इकाई स्थापना तथा पूर्व योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों हेतु कुल राशि 564.26 लाख का अनुदान तथा माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक संशोधित योजनांतर्गत 803 नवीन डेयरी इकाई तथा पूर्व योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल राशि रूपये 1264.49 लाख का अनुदान प्रदाय किया गया है। वर्ष 2022–23 में आबंटित राशि रूपये 792 लाख में से माह सितम्बर 2022 तक 109 डेयरी इकाई स्थापना हेतु राशि रूपये 74.94 लाख का अनुदान हितग्राहियों को प्रदाय किया गया है।

7.26.19 उन्नत मादा वत्सपालन योजना :– इस योजना का लाभ सभी वर्ग के हितग्राहियों को दिया जाता है, ताकि उन्नत नस्ल के वत्सपालन में अभिरूचि उत्पन्न हो। वर्तमान में सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिये रू. 15000/– एवं अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये रू. 18000/– उन्नत नस्ल की बछिया हेतु 4 से 24 माह तक की आयु के लिये पशु आहार हेतु अनुदान का प्रावधान है। वर्ष 2021–22 मे योजना अन्तर्गत राशि रू. 252.00 लाख आबंटन मे से राशि रू. 249.48 लाख व्यय कर 1468 हितग्राहियों को योजना अन्तर्गत लाभान्वित किया गया ।

वर्ष 2022–23 मे माह सितम्बर 2022 तक राशि रू. 252.00 लाख आबंटन मे से राशि रू. 36.00 लाख व्यय कर 128 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

मत्स्य विकास

छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन विकास काफी प्रगति पर है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से मछली पालन एक विशिष्ट स्थान रखता है, राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु स्थितियां भी मछली पालन हेतु उपयुक्त है। मछली पालन अधिक आय, कम लागत और कम समय में सहायक धन्धें के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यन्त लोकप्रिय है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है मछली पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही मछली जैसे पौष्टिक खाद्य का उत्पादन बढ़ाकर कुपोषण को दूर किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा इस व्यवसाय से जुड़े मछुआरों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिये गये हैं तथा उनका लाभ भी अधिक उत्पादन के रूप में परिलक्षित होने लगा है।

तालिका 7.18 मछली उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
भागीदारी (लाख)	428200	457659	503807	540782	553819	593083
वृद्धि (प्रतिशत)	21.34	6.88	10.08	7.34	2.41	7.09
हिस्सा (प्रतिशत)	2.14	2.05	2.14	2.31	2.19	2.17

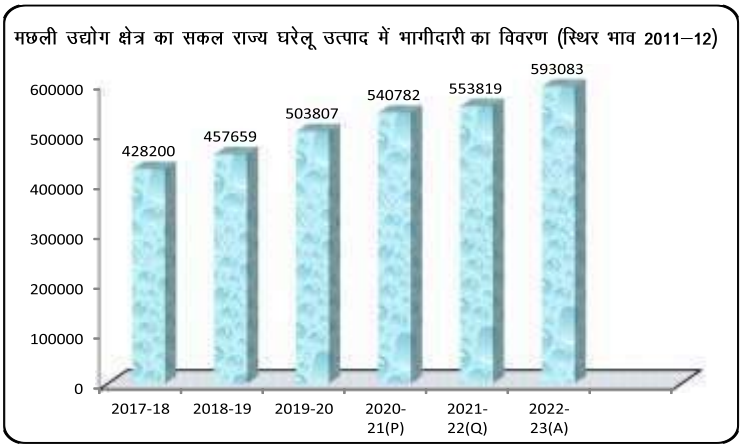

7.27 छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नानुसार मत्स्य विकास किया जा चुका है :– संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.999 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 1.961 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 98.09 प्रतिशत है।

(अ) <u>राज्य आयोजना</u> :–

- **मत्स्य बीज उत्पादन** :– राज्य में वर्ष 2020–21 में समस्त श्रोतों से 28805 लाख स्टैण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार वर्ष 2021–22 में 30257 लाख स्टैण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ जो गतवर्ष की तुलना में 5.04 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2022–23 में 29783 लाख स्टैण्डर्ड फ्राई का उत्पादन सितम्बर 2022 की स्थिति में हुआ है।

- **मत्स्योत्पादन** :– राज्य में समस्त श्रोतों से वर्ष 2020–21में 577365 मे. टन का मत्स्य उत्पादन किया गया था, जबकि वर्ष 2021–22 में 591284 मे. टन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 2.42 प्रतिशत अधिक है। आलोच्य वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 2022 तक 342822 मे. टन मत्स्योत्पादन किया गया हैं।

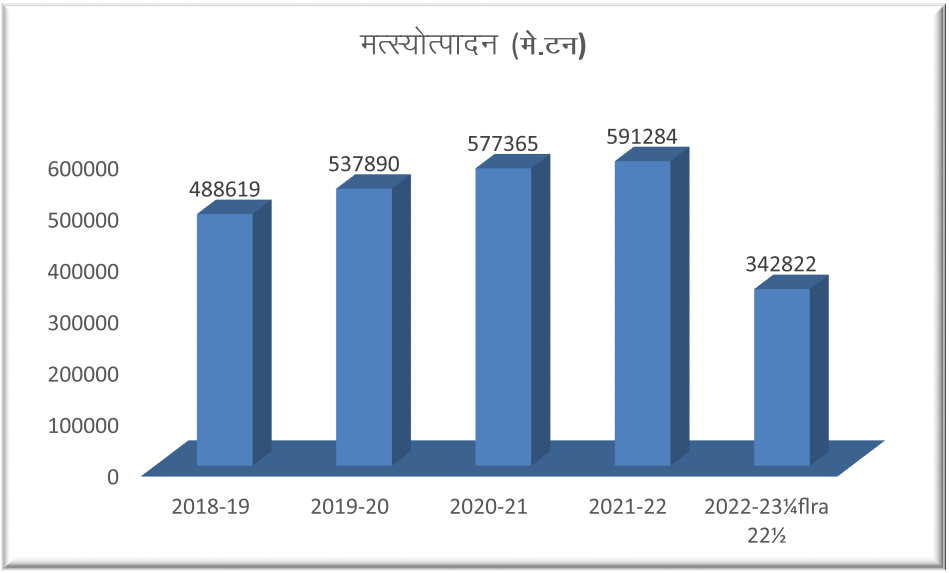

- **मछुआ सहकारिता** :–:– राज्य में वर्ष 2021–22 तक समितियों की संख्या 1674 है। इन समितियों की सदस्य संख्या 56342 है। उक्त समितियों को 10 वर्ष की अवधि के लिये तालाब/सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।

1. राज्य के सभी वर्ग के मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन सुचारू रूप से करने हेतु तीन वर्षों में अधिकतम रू. 3.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसके तहत् तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज क्रय एवं संचयन तथा मत्स्याखेट उपकरण हेतु प्रथम वर्ष रू. 1.35 लाख तक द्वितीय वर्ष में रू. 0.90 लाख तक तथा तृतीय वर्ष में अधिकतम

रू. 0.75 लाख की आर्थिक सहायता दी जावेगी। वर्ष 2021–22 में रू. 424.39 लाख प्रावधानित था व परिपूरक आहार आदि सामग्री क्रय पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

2. **शिक्षण–प्रशिक्षणः**– शिक्षण–प्रशिक्षण योजनानतग्रत विभाग द्वारा सभी श्रेणी के मछुआरों को राज्य में मत्स्य पालन के साथ मत्स्य उतपादकता में वृद्धि लाने हेतु मछली पालन की तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। चयन किये गये मछुआरों को जिलें के मत्स्य बीज केन्द्रों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता हैं प्रशिक्षण अवधि में मछुआरों को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण वृत्ति 750/– जाल बुनने हेतु धागा के लिए रूपये 400/– तथा अन्य व्यय हेतु 100/– इसी प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी पर कुल व्यय रू. 1250/– का प्रावधान हैं वर्श 2021–22 में इस कार्यक्रम के तहत 7242 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **मछुवारों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु तीन दिवसीय उन्नयन प्रशिक्षणः**– सभी वर्ग के मछुवारों को तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके तहत रू. 1,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय का प्रावधान है। रू. 450/– शिश्यवृति तथा क्षेत्रीय भ्रमण व आने जाने पर व्यय हेतु रू. 550/–।

- **मछुओं का अध्ययन भ्रमण** :– सभी वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनायी जा रही मछली पालन की तकनीक से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के बाहर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है उक्त प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया तथा रू. 100/– प्रति दिवस प्रति मछुआ के मान से प्रशिक्षण वृत्ति दिया जाता है। हितग्राही के अध्ययन भ्रमण हेतु अधिकतम रू. 2,500/– प्रति हितग्राही व्यय किये जाने का प्रावधान है।

- **मत्स्य पालन प्रसार** :– मत्स्य पालन प्रसार योजनान्तर्गत मछुआरों को झींगा मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति–जनजाति के कृषकों को झींगा बीज क्रय करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु 3 वर्षो में अधिकतम रूपये 15000/– का प्रावधान है। योजना अतंर्गत वर्ष 2020–21 में 1085 इकाईयां स्थापित की गई है, उक्त

इकाईयों में 182.51 लाख झींगा बीज संचयन कर 515.00 कि.ग्रा. का उत्पादन प्राप्त किया गया है।

- **मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन** – राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाब में स्पान संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन योजनान्तर्गत प्रति इकाई रू. 30000/– की आर्थिक सहायता वर्ष 2021–22 में 366 हितग्राही लाभान्वित हुए।

- **नाव जाल अथवा जाल क्रय की सुविधा** – राज्य में अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को मत्स्याखेट उपकरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्यों से वर्ष 2021–22 में 2677 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

- **फिंगरलिंग क्रय कर संचयन** – वर्ष 2021–22 में 5002 हितग्राही लाभान्वित है।

- **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना** :– सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2021–22 में 1103 हितग्राहियों को सहायता दी गई।

मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना हेतु मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनकों की आपूर्ति कर आर्थिक सहायता :– राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य प्रजनन काल के दौरान उन्नत स्वस्थ मत्स्य प्रजनक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना कर मत्स्य प्रजनक आपूर्ति कर प्रोत्साहन के तौर पर विक्रय राशि का 30 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम रू. 45/– प्रति किलो ग्राम दिये जाने का प्रावधान है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण तालाबों में शत्प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य बीज संचयन योजना के तहत प्रति वर्ष रू. 7850/– (लाख में) व्यय किया जाकर क्षेत्रे के 302 ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संचयन कर ग्रामीणों को सुपाच्य भोजन प्राप्ति हेतु सहायता।

- **रोजगार सृजन** :– मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2021–22 में 352.00 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया। वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 2022 तक 165.20 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया।

3. **मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा** :– मछली पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य जीवियों को मत्स्य पालन अथवा मत्स्योखेट के समय दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित की गई है। हितग्राही मत्स्य कृषक 18–70 वर्ष आयु वर्ग के ही इस योजना में सम्मिलित किये जाते हैं। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50–50 प्रतिशत के अनुपात में व्यय भार वहन किया जाता हैं। योजनान्तर्गत दुर्घटना स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थायी अपंगता पर रू. 1,00,000/– तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु होने पर उस परिवार के नामित व्यक्ति को रू. 2,00,000/– की आर्थिक सहायता दी जावेगी। वर्ष 2021–22 में 2,21,300 मछुआरों का बीमा कराया गया इस कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य दूसरे स्थान पर रहा।

(ब) केन्द्र क्षेत्र योजनाएँ :–

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** :– यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है। योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राहियों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है।

- **स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण** :– सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक अनु. जन. जाति महिला कृषकों को प्राथमिकता निर्धारित है। 1 हेक्टेयर जलक्षेत्र निर्माण इकाई लागत रूपये 8.50 लाख पर अधिकतम रुपये 5.10 लाख की सहायता शासन द्वारा दी जाती है।

- **मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता** :– सभी वर्ग के मत्स्य पालक समूह जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आबंटित किए गए हैं। ऐसे मत्स्य पालक समुह को नाव जाल क्रय हेतु रू. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सहकारी समिति को नाव/जाल क्रय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2021–22 में 25 हितग्राहियों को नाव जाल प्रदाय किया गया।

- **मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन**:– मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कराकर कृषक की आय बढ़ाने एवं अतिरिक्त संवर्धन क्षेत्र विकसित करने के लिए 0.30 लाख की सहायता (कृषक अंश 0.10 लाख) दी जाती है। वर्ष 2021–22 में 150 तलाबों में मत्स्य बीज संवर्धन किया गया।

- **तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु अंगुलिका संचयन कार्यक्रमः–** तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रू. 0.03 लाख की सहायता दी जाती है। वर्ष 2021–22 में 2300 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

- **जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचयन** :– जलाशयों में अंगुलिका को संचयन हेतु 50:50 (शासन एवं हितग्राही) के अंश में शासकीय अनुदान दिया जाता है।

- **जलाशयों में केज कल्चरः–** राज्य के बड़े एवं मध्यम सिंचाई जलाशयों में 48 बैटरी के फ्लोटिंग केज स्थापित कर उनमें तीव्र गति से बढ़ने वाली मत्स्य (पंगेसियस, तिलापिया) का पालन किया जाता है। वर्ष 2021–22 तक 99 केज स्थापित की गई है।

- **तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई की स्थापना** :– तालाबों की मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई स्थापना हेतु रुपये 1.48 लाख (रुपये 1.11 लाख शासकीय सहायता एवं रुपये 0.37 लाख हितग्राही अंश) दी जाती है। वर्ष 2021–22 तक 100 प्रदर्शन इकाई की स्थापना की गई है।

- **राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड** :– भारत शासन द्वारा गठित राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड द्वारा शत्–प्रतिशत अनुदान पर मछुआरों के हितार्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2008–09 में इस योजना अंतर्गत मछुआरों को लाभान्वित किया जा रहा है।

- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** :– मत्स्य पालन क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। भारत शासन द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र की क्षमता को साकार करने की दिशा के तहत् प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020–21 से लागू की गई है। योजना के तहत् विभिन्न घटकों की रूप रेखा तैयार की गई है। ताकि अंतरर्देशीय मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्रों में किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। उक्त योजना राज्य में भी लागू की गई हैं। वर्ष 2020–21 से वर्ष 2024–25 तक कुल 05 वर्षों के लिए राज्य में क्रियान्वित किया जाना है। योजना क्रियान्वयन के लिए 60 प्रतिशत् अंशदान भारत शासन द्वारा तथा 40 प्रतिशत् अंशदान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

नरवा – गरवा – घुरवा – बाड़ी :– वर्ष 2019 से राज्य में कृषि एवं उस पर आधारित व्यवसाय जैसे कि मछलीपालन, पशु पालन आदि को परंपरागत तरीके से करने हेतु यह कार्यक्रम चलाया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण कृषि, पशु पालन, जल संसाधनों का उपयोग एवं उनके उत्पाद तथा अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग स्थानीय स्तर पर कृषि एवं उस पर आधारित कार्यों में किया जाता है।

कार्यक्रम अंतर्गत चयनित ग्रामों में गौठानों की स्थापना की गई है। इन गौठानों के परिवृत्त में स्थित तालाबों में मत्स्य बीज संचय कर मत्स्य पालन किया जाना है। गौठान के ताजे गोबर का उपयोग तालाबों में प्राकृतिक मत्स्य आहार विकसित करने के लिए किया जाता है। गौठान ग्रामों के तालाबों में 'मल्टी एक्टीविटी' अंतर्गत हितग्राहियों को प्रशिक्षण, मत्स्य विक्रय हेतु आईस बॉक्स, नाव–जाल आदि भी वितरण किया जा रहा है। योजना प्रारंभ से निर्मित गौठान संख्या 8401 अंतर्गत 1755 तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है। कुल 8775 हितग्राही लाभान्वित हुए एवं उन्हें 380.00 रुपये प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हुई।

अनुलग्न–7.1

भूमि उपयोग

(हेक्टेयर में)

क्र.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	13788302	13788302	14044904	14090278
2	वनों के अर्न्तगत क्षेत्रफल	1846828	1849876	1858011	1850364
3	**कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है**				
	अ. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	739026	750203	751095	743920
	ब. ऊसर व गैर–मुस्तकिल भूमि	288118	287265	287529	294194
	उपयोग –3	1027144	1037468	1038624	1038114
4	**पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्य भूमि**				
	अ. स्थायी तथा दीगर चरागाह	887314	893044	895107	892817
	ब. विविध झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये हुये क्षेत्र में शामिल नही हैं ।	2316	2745	2828	2544
	स. कृषि योग्य बंजर भूमि	365376	366459	360664	382973
	उपयोग –4	1255006	1262248	1258599	1278334
5	**पड़ती भूमि**				
	अ. पड़त भूमि चालू पड़ती के अतिरिक्त	257028	255610	254817	257369
	ब. चालू पड़ती भूमि	264175	290907	300685	278066
	उपयोग –5	521203	546517	555502	535435
6	कुल अकृष्य भूमि पड़ती शामिल कर **उपयोग –4+5**	1776209	1808765	1814101	1813769
7	**शुध्द बोया गया क्षेत्रफल**	4681090	4635340	4622725	4630966
8	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	943232	1099262	1089769	1072879
9	सकल बोया गया क्षेत्रफल	5624322	5734602	5712494	5703845

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

अनुलग्न–7.2

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षान्त 30 जून, 2022

(हेक्टेयर में)

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षान्त 30 जून, 2022													
क्रमांक	जिला	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	वन	कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है		अन्य कृषि भूमि पड़ती को छोड़कर			पड़ती		फसल का निरा क्षेत्रफल	दुफसलीं क्षेत्रफल	सम्पूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल
					ब–गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	कृषि के योग्य बंजर भूमि	मुस्तकिल व दीगर चारागाह	अन्य झाड़ी तथा बाग लगे हुये क्षेत्रफल	चालू पड़ती	पुरानी पड़ती(2 से 5 साल तक)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	291437	1660	335	49674	21211	35749	62	4114	12442	164921	28001	192922
2	बलौदाबाजार	467697	15304	12119	30912	10071	36211	7	4868	9161	240733	19784	260517
3	गरियाबंद	585494	90006	3656	22879	5685	28090	33	4482	4590	131073	27453	158526
4	महासमुन्द	496301	31013	6018	37281	5210	30707	22	9614	5339	261091	43310	304401
5	धमतरी	408193	15343	1487	29894	2822	16339	3	2369	2372	141535	65241	206776
6	दुर्ग	231999	0	4649	36032	11231	19514	95	3956	7903	148619	59465	208084
7	बालोद	352706	34553	4549	31582	8165	13061	49	3579	5369	179973	57739	237712
8	बेमेतरा	285481	0	7	24951	4126	23537	13	3310	3572	225965	174673	400638
9	राजनांदगांव	802252	97258	17707	51148	16567	51529	251	19148	18490	370409	185076	555485
10	कबीरधाम	444705	25619	9966	16626	2970	29006	67	5942	4546	186131	118800	304931
11	बस्तर	608337	86527	19880	26440	36664	25835	1364	15122	11742	163583	7115	170698
12	कोंडागांव	641727	182612	16287	12033	10585	14669	25	4769	3743	141304	8400	149704
13	नारायणपुर	692268	13178	1655	3146	13912	3705	0	6364	4847	24879	236	25115
14	कांकेर	643268	95240	19306	31709	37487	67116	48	8236	15842	185505	18126	203631
15	दन्तेवाड़ा	341050	32970	27404	12182	29821	4247	0	16757	14709	88345	433	88778
16	सुकमा	580405	140672	11897	14333	60138	24353	75	9967	11746	96421	553	96974
17	बीजापुर	653762	310834	6493	18791	41256	8919	0	4125	4513	80860	54	80914
18	बिलासपुर	387703	38534	3432	25978	11516	40860	42	7151	6607	175248	23400	198648
19	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	239514	72593	5500	4795	3305	7597	12	5410	2951	63360	4644	68004
20	मुंगेली	275036	1936	229	11121	0	17649	15	2737	1550	128705	91650	220355
21	जाजगीर	446674	9916	2365	33093	12010	37878	124	5657	5504	260956	30197	291153
22	कोरबा	714544	188625	30934	23941	20629	25632	137	10261	9975	121296	2138	123434
23	रायगढ़	652774	59326	14341	59105	7454	67159	0	23704	20799	253110	26570	279680
24	सरगुजा	502180	113648	5130	27792	0	46747	0	16950	13505	151532	21991	173523
25	बलरामपुर	601634	73675	1637	29624	0	88155	100	16840	14850	155727	21906	177633
26	सूरजपुर	499626	15305	1197	28527	0	52976	0	18286	10018	152211	14391	166602
27	कोरिया	597770	47506	13423	25106	0	33405	0	18683	13061	95236	9964	105200
28	जशपुर	645741	56511	52591	25225	10138	42172	0	25665	17623	242238	11569	253807
योग राज्य		**14090278**	**1850364**	**294194**	**743920**	**382973**	**892817**	**2544**	**278066**	**257369**	**4630966**	**1072879**	**5703845**

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

अनुलग्न–7.3

जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

क्र.	जिला	कुल क्षेत्रफल			बोया गया क्षेत्रफल		
		2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22
1	कोरिया	106923	104140	105200	96978	94841	95236
2	सरगुजा	174913	173967	173523	152753	152300	151532
3	बलरामपुर	178824	182098	177633	153653	158120	155727
4	सूरजपुर	172008	170975	166602	152883	153312	152211
5	जशपुर	254947	254014	253807	242132	242680	242238
6	रायगढ़	291207	281974	279680	261537	254479	253110
7	कोरबा	122204	125493	123434	118214	122429	121296
8	जांजगीर–चांपा	271829	290662	291153	257639	261635	260956
9	बिलासपुर	198494	199234	198648	173575	174858	175248
10	मुंगेली	225043	220390	220355	128750	128782	128705
11	कबीरधाम (कवर्धा)	305453	308426	304931	189182	187411	186131
12	राजनांदगांव	548783	543159	555485	370509	368130	370409
13	दुर्ग	207114	210164	208084	146600	147724	148619
14	बेमेतरा	396522	395594	400638	225678	225361	225965
15	बालोद	245678	239622	237712	176591	179393	179973
16	रायपुर	202209	197466	192922	162283	164458	164921
17	बलौदाबाजार	254862	259264	260517	232176	235474	240733
18	गरियाबंद	155872	158730	158526	134110	131507	131073
19	महासमुंद	308621	299553	304401	264143	258792	261091
20	धमतरी	214584	216722	206776	142095	142641	141535
21	उत्तर बस्तर (कांकेर)	223137	205541	203631	201195	185096	185505
22	बस्तर	168518	170355	170698	161308	163359	163583
23	कोंडागांव	147852	148266	149704	139907	139921	141304
24	नारायणपुर	30824	25848	25115	30416	25551	24879
25	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	90809	89046	88778	90221	88573	88345
26	सुकमा	99626	96070	96974	96974	94972	96421
27	बीजापुर	70154	76098	80914	70096	76024	80860
28	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	67592	69623	68004	63742	64902	63360
	छत्तीसगढ़	5734602	5712494	**5703845**	4635340	4622725	**4630966**

अनुलग्न–7.4

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गतक्षेत्र								
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	3987.7	4035.7	3959.7	4052.60	3976.63	4140.97	4192.23	4339.26	4348.23
1.2	गेहूँ	105.0	103.2	105.8	102.1	102.2	99.97	116.27	167.50	160.27
1.3	ज्वार	5.2	5.0	5.4	4.0	3.73	3.08	1.97	1.27	1.03
1.4	मक्का	123.4	125.1	126.4	120.5	119.6	118.2	130.4	147.2	132.3
1.5	कोदो–कुटकी	102.0	91.6	82.8	76.3	68.83	62.81	46.44	41.33	50.35
1.6	जौ	2.7	2.5	1.1	2.1	1.88	1.70	1.79	1.14	0.86
51.7	छोटे अनाज	33.0	30.4	38.1	35.5	29.03	21.05	21.14	15.68	13.03
2.0	**दालें**									
2.1	चना	267.9	289.7	280.9	290.7	335.03	330.93	419.93	314.85	332.90
2.2	तुअर	51.9	52.8	65.1	63.5	63.25	62.78	35.77	39.89	46.29
2.3	उड़द	98.7	96.9	97	94.4	88.34	82.39	76.06	76.95	75.05
2.4	मूग–मोठ	15.5	15.2	14.9	15.2	11.96	10.73	6.44	5.02	4.90
2.5	कुल्थी	47.6	45.9	44.3	43.7	41.6	38.6	26.3	21.6	19.4
2.6	लाख (तिवड़ा)	331.8	315.2	273.8	263.2	241.2	177.7	188.6	171.6	173.0
3.0	**गन्ना**	23	23.9	30.1	31.4	34.8	43.3	31.2	32.2	36.7
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	29.4	29.2	29	26.7	25.41	23.65	22.10	22.76	24.97
4.2	रामतिल	66.2	63.6	64.3	60.8	56.32	55.56	36.32	29.30	27.07
4.3	तिल	19.7	17.0	19.5	18.4	17.26	16.57	14.95	14.83	15.17
4.4	सोयाबीन	101.5	107.8	82.2	96.2	91.56	81.56	75.11	64.50	33.93
4.5	अलसी	32.2	31.2	25.1	21.6	17.76	16.11	13.00	9.88	10.60
4.6	राई सरसों	47	47.5	46.3	40.5	41.42	38.85	35.03	31.84	34.08

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

अनुलग्न–7.5

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन								
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	10654.1	11966.6	7731.5	13189.9	8623.5	9762.8	12854.06	13874.53	13238.5
1.2	गेहूँ	140.8	153.3	142.33	151.08	141.64	446.13	135.89	259.51	203.83
1.3	ज्वार	3.3	4.2	4.36	5.44	4.7	2.81	2.54	1.68	0.76
1.4	मक्का	254.1	235.1	237.74	309.32	306.94	303.60	406.82	522.76	430.90
1.5	कोदो–कुटकी	21.0	20.7	11.93	23.05	14.87	22.23	14.49	20.17	25.63
1.6	जौ	2.4	2.7	0.67	1.88	1.96	1.36	1.09	0.79	0.77
1.7	छोटे अनाज	8.3	8.9	7.87	4.97	5.74	5.76	5.01	4.37	3.19
2.0	**दालें**									
2.1	चना	221.6	311.2	218.8	338.32	331.67	680.03	105.82	258.80	260.33
2.2	तुअर	29.4	35.1	30.6	39.01	25.74	30.13	22.47	23.90	27.03
2.3	उड़द	30.0	30.1	28.91	30.57	28.52	26.98	24.84	28.77	29.86
2.4	मूँगमोठ	4.0	4.2	6.56	6.44	4.92	4.85	2.44	2.32	2.16
2.5	कुल्थी	14.1	14.3	15.09	16.37	15.76	14.86	10.25	8.80	7.79
2.6	लाख (तिवड़ा)	174.0	297.9	192.1	222.63	129.79	124.23	60.91	121.63	103.99
3.0	**गन्ना**	23.8	76.1	46.9	109.58	64.21	93.38	69.90	74.23	69.33
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	42.3	40.8	37.25	46.93	32.112	78.05	33.68	34.41	42.44
4.2	रामतिल	11.6	11.3	10.24	11.39	10.69	10.7	6.89	5.94	5.56
4.3	तिल	4.8	8.0	6.82	7.55	5.19	5.67	6.01	5.99	9.25
4.4	सोयाबीन	111.9	50.1	40.12	76.13	30.31	52.20	83.00	47.34	24.74
4.5	अलसी	11.9	11.2	9.45	10.10	4.57	4.37	4.81	3.79	3.54
4.6	राई सरसों	27.0	24.6	25.96	18.43	18.35	18.96	15.69	16.46	17.52

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

अनुलग्न – 7.6

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	धान	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1999-2000	2006	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	1482	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	2103	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	1025	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	2297	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1848	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	2051	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	2138	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	2177	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1797	1027	1188	1404	801	583	977	298	2387
2009-2010	1769	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405
2010-2011	2529	1174	1432	1817	957	439	1174	283	2448
2011-2012	2523	1278	768	654	995	432	753	240	2696
2012-2013	2955	1401	726	1927	1138	597	1242	141	1622
2013-2014	2672	1341	635	2059	765	557	1038	143	996
2014-2015	2965	1486	840	1879	1061	635	487	-	2615
2015-2016	1953	1345	805	1881	779	470	488	326	2440
2016-2017	2212	1448	1355	2566	1164	615	791	316	4236
2017-18	2169	1332	1339	2566	990	407	331	323	4906
2018-19	2358	1548	990	2568	1044	480	640	249	4477
2019-20	3066	1169	1403	3119	252	628	1105	310	5371
2020-21	3197	1549	1501	3552	822	599	734	350	5209
2021-22	3045	1272	834	3257	782	584	729	333	5316

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

* भू–अभिलेख द्वारा चावल का उत्पादन दिया गया है जिसको धान में (=Rice*3/2) परिवर्तित किया गया है।

अनुलग्न – 7.7

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरें	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	1999-2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000-2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001-2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002-2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003-2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004-2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005-2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006-2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007-2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008-2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009-2010	869701	50398	26790	375903	1322792
12	2010-2011	895112	45605	26092	388442	1355251
13	2011-2012	873089	53669	19686	468084	1414528
14	2012-2013	876670	49226	20413	502728	1449037
15	2013-2014	960033	52079	22296	716660	1751068
16	2014-15	903801	42622	20180	501107	1467710
17	2015-16	889345	42923	20607	523040	1475937
18	2016-17	900895	41322	21081	522465	1485763
19	2017-18	870304	39570	18553	573974	1502401
20	2018-19	898000	29876	15807	621159	1564842
21	2019-20	878588	28061	15960	620404	1543033
22	2020-21	910869	26074	14050	647961	1598954
23	2021-22	899242	24675	11826	668558	1604301

स्त्रोतः– आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

अनुलग्न–7.8

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल कृषि वर्षांत 30 जून 2022

क्र.	जिला	योग समस्त साधनों से सिंचित क्षेत्रफल		फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिचिंत निरा क्षेत्रफल का प्रतिशत	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक बार सिंचाई की गई हो	सम्पूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
		कुल	निरा			
1	रायपुर	154477	138737	84%	15740	80%
2	बलौदाबाजार	134288	118614	49%	15674	52%
3	गरियाबंद	70648	57628	44%	13020	45%
4	महासमुन्द	128710	85562	33%	43148	42%
5	धमतरी	152527	99797	71%	52730	74%
6	दुर्ग	151853	109637	74%	42216	73%
7	बालोद	127718	97321	54%	30397	54%
8	बेमेतरा	230783	117061	52%	113722	58%
9	राजनांदगांव	175695	106069	29%	69626	32%
10	कबीरधाम	155570	98754	53%	56816	51%
11	बस्तर	10840	10840	7%	0	6%
12	कोंडागांव	9685	9685	7%	0	6%
13	नारायणपुर	181	181	1%	0	1%
14	कांकेर	40310	25617	14%	14693	20%
15	दन्तेवाड़ा	182	182	0%	0	0%
16	सुकमा	699	699	1%	0	1%
17	बीजापुर	3657	3657	5%	0	5%
18	बिलासपुर	110898	90177	51%	20721	56%
19	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	7606	5108	4%	2498	3%
20	मुंगेली	97813	79888	62%	17925	44%
21	जाजगीर	244292	244292	94%	0	84%
22	कोरबा	7087	7087	6%	0	6%
23	रायगढ़	59127	33922	13%	25205	21%
24	सरगुजा	19074	18139	12%	935	11%
25	बलरामपुर	14025	13231	8%	794	8%
26	सूरजपुर	17703	15234	10%	2469	11%
27	कोरिया	6591	5769	6%	822	6%
28	जशपुर	11602	11413	5%	189	5%
योग राज्य		2143641	1604301	35%	539340	37%

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

वानिकी

08

वानिकी

मुख्य बिन्दु

- राज्य में आरक्षित वन 25,782.17 वर्ग कि.मी. (43.13 प्रतिशत), संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग कि.मी. (40.22 प्रतिशत) व अवर्गीकृत वन 9,954.13 वर्ग कि. मी. (16.65 प्रतिशत) वन क्षेत्र है तथा कुल 59,772.40 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र है।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2021–22(Q) में 8,35,001 लाख रू. तथा 2022–23 (अग्रिम) 8,68,827 लाख रू. है।
- सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा 2021–22(Q) में 3.32 प्रतिशत व 2022–23 (अग्रिम) में 3.19 प्रतिशत है।
- खदानी रोपण योजनांतर्गत वर्षा ऋतु 2022 में 8.46 लाख पौधों का रोपण किया गया।
- वर्ष 2021–22 में 775.90 लाख रू. मूल्य के 13.06 लाख मानक बोरा तथा वर्ष 2022–23 में 1073.51 लाख रू. मूल्य के 15.83 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का उत्पादन हुआ है।

वन

8.1 छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है।

तालिका 8.1 वन एक दृष्टि में

वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	प्रतिशत
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	**59772.40**	**100.00**

8.2 पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण परिलक्षित होता है जो तालिका 8.1 में दर्शाया गया है:–

तालिका 8.2 वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
भागीदारी (लाख)	605499	673573	747645	808946	835001	868827
वृद्धि (प्रतिशत)	-8.09	11.24	11.00	8.20	3.22	4.05
हिस्सा (प्रतिशत)	3.03	3.02	3.18	3.46	3.31	3.19

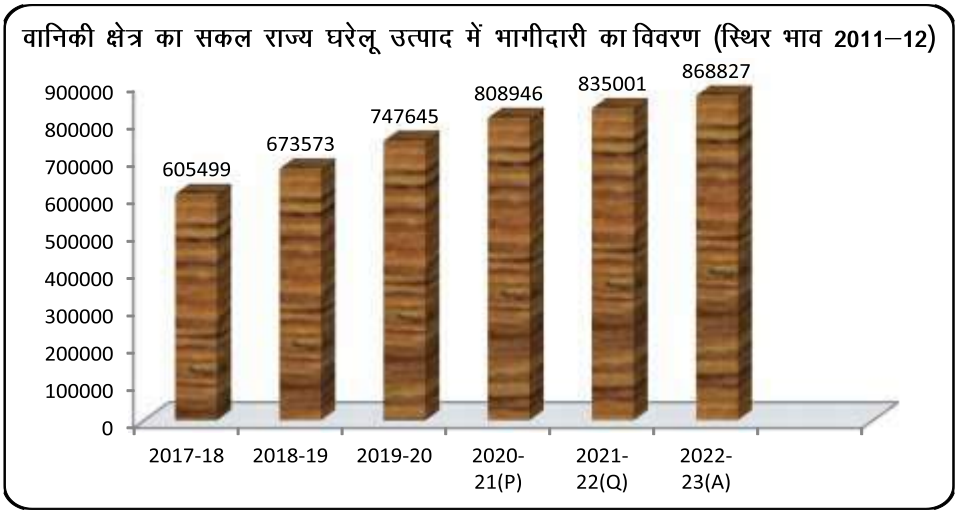

छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार 17° 46′ से 24°06′ उत्तर अक्षांश तथा 80°15′ से 84°51′ पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य में 4 प्रमुख नदी प्रणालियों क्रमशः महानदी, गोदावरी, नर्मदा और वैनगंगा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियॉ हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आर्द्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 मि.मी. है।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गो में विभाजित किया गया है, यथा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियॉ साल (शोरिया रोबस्टा) तथा सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष वितान में बीजा (प्टेरोकार्पस मार्सूपियम), साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), धावड़ा (एनागाईसिस लैटिफोलिया), महुआ (मधुका इंडिका), तेन्दू (डायोस्पाईरस मेलैनौजाईलान) प्रजातियाँ हैं। मध्य वितान में आंवला (एम्बिलिका ऑफिसिनेलिश), कर्रा (क्लीस्टेन्थस कोलाइनस) तथा बांस (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस) आदि महत्वपूर्ण प्रजातियॉ हैं। भूतल भाग में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ ही वे वन–वासियों के आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेकन जैव क्षेत्र में शामिल हैं, तथा मध्य भारत की प्रतिनिधि वन्य प्राणी जैसे शेर (पेन्थरा टिगरीस), तेन्दुआ (पेन्थरा पार्डस), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकोलर), चीतल (एक्सेस एक्सेस), नील गाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस स्क्रोफा) से परिपूर्ण है। दुर्लभ वन्य प्राणी जैसे वन भैंसा (बूबैलस बूबैलिस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रैकुला इंडिका) इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हैं जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

यह राज्य, कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी हैं एवं आर्थिक रुप से पिछड़े हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। वानिकी कार्यों से प्रतिवर्ष लगभग 07 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। वनों से ग्रामीणों को लगभग 2000 करोड़ रुपये का लघु वनोपज एवं अन्य निस्तार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वांगीण विकास परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

8.3 विभाग की प्रमुख योजनाएं / कार्यक्रम –

राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। राज्य के समस्त वनमंडल के वनक्षेत्रों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है –

- **पर्यावरण वानिकी**– शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पौधा रोपण, पथ वृक्षारोपण, पर्यावरण पार्क / पिकनिक स्पॉट का निर्माण एवं उनके रखरखाव का कार्य किया जाता है। इस वर्ष 142 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज की स्थापना।

- **बिगड़े वनों का सुधार**– प्रदेश के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा इन्हे बिगड़े वनों की श्रेणी में रखा गया है। इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु बिगड़े वनों के सुधार का कार्य प्रति वर्ष लिया जाता है। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों मे पर्याप्त जड़ भंडार होता है वहां ठूंठ कटाई का कार्य कराया जाकर कापिस शूटस से नये पौधों का निर्माण किया जाता है। कम जड़ भंडार वाले एवं रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है।

- **बांस वनों का पुनरोद्धार**– इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पानबरेजा परिवारों एवं बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को अधिक मात्राा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं बांस रोपण कराया जाता है। बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्रों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले प्राप्त होते हैं एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

- **नदी तट वृक्षारोपण योजना**– छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों के तट पर होने वाले भू–क्षरण की रोकथाम कर पारिस्थितिकीय स्थायित्व प्रदान करना।

- **पथ वृक्षारोपण**– राज्य शासन द्वारा सामान्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत पथ वृक्षारोपण एवं रखरखाव कार्य किया जाता है।

तालिका 8.3 वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 में प्रमुख योजना अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि का विवरण

(राशि लाख में)

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2021–22 की उपलब्धि (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)		वर्ष 2022–23 की उपलब्धि (अप्रैल 2022 से सितंबर 2022)	
		भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
1	पर्यावरण वानिकी	तैयारी–10.40 हे., रोपण–10.83 हे., रखरखाव–82.79 हे. एवं 26 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट का संचालन	102860	वन महोत्सव पौध रोपण एवं 37 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट का संचालन, 142 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज की स्थापना	35133
2	बिगड़े वनों का सुधार	62651 हे. में तैयारी, एवं सी.बी.ओ. कार्य 34409 हे. में रोपण, 116664 हे. में रखरखाव	1895092	35647 हे. में तैयारी, एवं सी.बी.ओ. कार्य 59867 हे. मे आर.डी.एफ. एवं रोपण, 114346 हे. में रखरखाव	210837
3	भू एवं जल संरक्षण कार्य	74659 हे. में उपचार कार्य, 109418 हे. रखरखाव	325932	65573 हे. में उपचार कार्य, 95059 हे. रखरखाव	133913
4	नदी तट वृक्षारोपण योजना	416 हे. में तैयारी, 105 हे. रोपण कार्य 1701 हे.पुराने रोपण का रखरखाव	60088	108 हे. में तैयारी, 475 हे. रोपण कार्य 1037 हे.पुराने रोपण का रखरखाव	13126
5	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	339 हे. में तैयारी, 177 हे. रोपण, 3328 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	56915	70 हे. में तैयारी, 339 हे. रोपण, 2132 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	13353
6	बांस वनों का पुनरोद्धार	32962 हे. में तैयारी तथा बांस भिर्रा सफाई, 14601 हे. में रोपण, 71431 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्र का रखरखाव	528287	21339 हे. में तैयारी तथा बांस भिर्रा सफाई, 35516 हे. में आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण, 61739 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्रा का रखरखाव	54970
7	पथ वृक्षारोपण	95.99 कि.मी. में तैयारी, 93.99 कि.मी. में रोपण तथा 154 कि.मी. रखरखाव कार्य	56669	27 कि.मी. में तैयारी, 29 कि.मी. में रोपण तथा 192 कि.मी. रखरखाव कार्य	18172
8	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	225 हे. में तैयारी, 40 हे. में रोपण, 1785 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	39548	195 हे. में रोपण, 693 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	1691
9	वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	वनमार्गो में 69 रपटा/पुलिया निर्माण	41132	वनमार्गो में 20 रपटा/पुलिया निर्माण	11356
	कुल योग :–		**3106523**		**492551**

- नोट :– वर्ष 2022–23 के समस्त कार्य प्रगति पर है।

8.4 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगमः– छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001 में रायपुर क्षेत्र की 4 परियोजना मण्डल को लेकर अस्तित्व में आया। वर्तमान में 9 परियोजना मण्डल हैं जिसमें औद्यौगिक परियोजना मंडल, कोरबा, रायगढ़ एवं जगदलपुर शामिल हैं।

8.5.1 सौगोन, बांस एवं नीलगिरी रोपण–: वर्ष 2001 से 2022 तक कुल 97626 हेक्टेयर क्षेत्र में सागौन, बांस एवं नीलगिरी के रोपण किये गये। 2022 में 882 हे. क्षेत्र में 20,98,322 सागौन पौधों का रोपण किया गया है।

8.4.1 खदानी रोपणः– वर्ष 1990 से 2022 तक औद्योगिक क्षेत्रों में 289.100 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्षा ऋतु वर्ष 2022 में 8.46 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

1. **8.4.2 सड़क किनारे वृक्षारोपणः**– पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम विगत 12 वर्षों दौरान 1071.504 कि.मी. लम्बाई में पथ एवं 2800.60 हेक्टेयर में ब्लाक वृक्षारोपण किया गया है :–

तालिका 8.4 सड़क किनारे वृक्षारोपण

क्र.	मद	उपलब्धि							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	रोपित मार्ग								
	लंबाई (कि.मी.)	20.00	97.20	220.00	56.30	28.04	-	-	45.30
	ब्लाक वृक्षारोपण (हे0)	-	993.00	993.00	465.00	821.68	321.600	-	135.40
2	रोपित पौधों की संख्या	40000	317512	1401110	561855	814676	440800	115200	187375

8.4.3 वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले वृक्षारोपणों हेतु परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में उपलब्ध पौधों का विवरण –

वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में निम्नानुसार पौधे वर्ष 2023 वर्षा ऋतु में रोपण हेतु तैयार किए गए हैं :–

तालिका 8.5 वर्षा ऋतु वर्ष 2023 के रोपण का विवरण				
परियोजना मण्डल	सागौन पौधा		मिश्रित पौधा	योग
	गतवर्ष के शेष	2022 में तैयार किये जा रहे रूटशूट	2022 में तैयार किये जा रहे रूटशूट	
बारनवापारा–रायपुर	564000	665770	-	1229770
पानाबरस–राजनांदगांव	363000	646000	-	1009000
अंतागढ़–भानुप्रतापपुर	883600	428325	-	1311925
कवर्धा–कबीरधाम	90000	400300	-	490300
कोटा–बिलासपुर	-	864700	218280	1082980
सरगुजा–अम्बिकापुर	1500	764400	120000	885900
औ.वृ.मं. कोरबा	-	-	756580	756580
औ.वृ.मं. रायगढ़	-	-	339000	339000
योग :	**1902100**	**3769495**	**1433860**	**7105455**

तालिका क. 8.6 विगत तीन वर्षों में निगम की आय एवं व्यय (राशि करोड़ रू. में)				
वित्तीय वर्ष	राजस्व	कुल व्यय	लाभ	कर पश्चात लाभ
2016-17	38.86	27.13	11.73	8.75
2017-18	45.60	27.71	17.89	16. 02
2018-19	56.40	30.48	25.92	23.33
2019-20	61.27	26.48	34.79	33.67
2020-21	57.71	45.32	12.39	11.56

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड

8.5 बोर्ड का उद्देश्य –

छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के मुख्य दायित्व –

1. वनौषधि के विकास हेतु शोध और अनुसंधान कराना।
2. केन्द्रीय औषधि पादप बोर्ड या राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य के विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही औषधि पौधों के विकास की योजनाओं का अनुश्रवण करना।
3. औषधि वनस्पतियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाश विहीन विदोहन हेतु नीति तथा योजनाएं बनाना एवं क्रियान्वयन, उपार्जन, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की योजना बनाना।
4. औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण।
5. औषधि वनस्पतियों का प्रसंस्करण (कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की स्थापना) तथा वनौषधियों के निर्माण तथा उत्पादों के निर्यात एवं विपणन की योजना बनाना।
6. औषधि पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आकलन कराना तथा औषधि पौधों के कृषिकरण को प्रोत्साहित करना।
7. प्रदेश की वनौषधि जैव–विविधता को सुरक्षित रखने हेतु औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं औषधीय पौधों के उपयोग तथा जनजातीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य परम्परागत ज्ञान को जन सामान्य में जागरूकता के लिए प्रचार–प्रसार करना।
8. औषधि पौधों के विकास के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।
9. जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं की पहचान करना, क्षमता विकास हेतु कार्य, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण का आयोजन कर आदिवासी एवं स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं का अभिलेखीकरण उपचार केन्द्र की स्थापना/संचालन।

10. जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं तथा समुदाय के औषधि पौधों के ज्ञान एवं उपयोग को पेटेंट कराने एवं पेटेंट उपरांत उत्पादन एवं व्यवसायीकरण हेतु प्रयास।

11. जनजातीय और स्थानीय मानव, पशुओं एवं पादपों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी परंपरा और प्रथाओं के ज्ञान का अभिलेखन कर, उनके बौद्धिक संपदा को लिपिबद्ध का कार्य।

12. जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं के उत्थान हेतु नीति एवं योजनायें बनाना।

13. औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग के आधार पर जनजातीय एवं स्थानीय परंपराओं के द्वारा राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य (Universal health) को प्राप्ति के लिए प्रयास।

14. राज्य में सर्वेक्षण द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य एवं आहार परंपराओं जिसमें स्थानीय समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विशिष्ट घरेलु उपचार, आहार विधियों एवं इनके मौसमी उपयोगिता के आधार पर एटलस तैयार करना।

15. जनजातीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य परंपरागत ज्ञान, औषधीय पौधों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य ।

छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड में प्रचलित योजनाओं की अद्यतन जानकारी–

8.6 राज्य मद अंतर्गत प्रचलित कार्य–

1. **होम हर्बल गार्डन योजना**–प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु औषधीय पौधों का वितरण घर–घर में होम हर्बल गार्डन बनाये जाने हेतु निःशुल्क पौधा वितरण योजना, जिसमें नर्सरी में पौधा तैयार कर जन सामान्य को वितरण किया जाता है ।

इस योजना अंतर्गत सामान्य रोग हेतु उपयोग किये जाने वाले औषधीय पौधे जो विषैले ना हो, जिनका प्राथमिक उपचार हेतु आसानी से घरों में उपयोग किया जा सके व घरों में लगाया जा सके।

वर्तमान कोविड–19 महामारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये जाने वाले औषधीय पौधे जैसे – अडूसा, तुलसी, गिलोय, स्टीविया, एलोवेरा, अश्वगंधा आदि पौधों का वितरण विशेष रूप से किया गया है । वनमंडलवार वितरण का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. 8.7 कोविड–19 महामारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये जाने वाले औषधीय पौधों का वितरण			
क्र.	वित्तीय वर्ष	वनमंडल का नाम	पौधों की संख्या
01.	2020–21	बिलासपुर, मरवाही, कटघोरा, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, मुंगेली, खैरागढ़, रायपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, सुकमा, सूरजपुर, रायगढ़, धमतरी, दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़, कांकेर, गरियाबंद, बस्तर, बेमेतरा	28,35,000
02.	2021–22 (नवंबर तक)	बिलासपुर, मरवाही, मुंगेली, कोरबा, कटघोरा, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़ बेमेतरा, रायगढ़, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, धमतरी, जांजगीर–चांपा, बलौदाबाजार	21,00,000

1. **स्कूल/इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन**– औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता लाने हेतु भावी पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल हर्बल गार्डन का निर्माण किए जाने पर स्कूली बच्चों में औषधीय पौधों की जानकारी उन्हें प्राप्त होगी साथ ही औषधीय पौधों की पहचान उनके द्वारा की जा सकेगी, जिससे स्वतः ही बच्चों द्वारा औषधीय पौधों का संरक्षण किया जा सकेगा ।

इस योजना अंतर्गत स्कूल/इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन निम्नानुसार तैयार किया गया । विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. 8.8 स्कूल/इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन		
क्र.	जिला का नाम	कार्य स्थल का नाम
1.	गरियाबंद	Institute of Technology & Sciences Gariaband, Devbhog Road, Gariyaband (C.G.)
2.	10 स्कूल हर्बल गार्डन	रायपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में

मॉडल नर्सरी की स्थापना–

- उच्च गुणवत्ता युक्त औषधीय पौधे तैयार करना।
- बढ़ती बाजार मांग एवं अधिक मूल्य वाले औषधीय पौधे का चयन।
- कम लागत एवं देखभाल वाले औषधीय पौधों का चयन।
- स्थानीय कृषक एवं समूह को आर्थिक लाभ पहुंचाना।
- वनक्षेत्रों में अत्यधिक बाजार मांग के औषधीय पौधों की संख्या का बढ़ाना।

तालिका क. 8.9 मॉडल नर्सरी			
क.	नर्सरी स्थल का पता	स्वीकृत प्रजाति का नाम	स्वीकृत प्रजाति की संख्या
1	ग्राम–रेगालपाली	सर्पगंधा, ब्राह्मी, बड़ा अनंतमूल	11 लाख
2	ग्राम–कोलदा	सतावर	11 लाख
3	ग्राम–भुरकोनी	ब्राह्मी, बच	11 लाख
4	ग्राम–देवरी	बच	11 लाख
5	ग्राम–सेवती	स्टीविया	11 लाख
6	ग्राम–डोंगरगांव	एलोविरा, ब्राह्मी, बच	11 लाख
7	ग्राम–तोपकबोरा	सतावर	11 लाख
8	ग्राम–डोंगाझार	सतावर	11 लाख
9	ग्राम – मोहदा	ब्राह्मी	11 लाख

- **वन क्षेत्र में औषधीय रोपण कार्य** – औषधीय पौधों की वर्तमान मांग एवं वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों की कमी होने के कारण वर्तमान समय में अधिक मांग वाले औषधीय पौधों का रोपण किया गया है, जो मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोग किये जाते हैं।

तालिका क. 8.10 वन क्षेत्र में औषधीय रोपण कार्य			
क्र.	वनमंडल	कार्य का नाम	कुल
01.	कांकेर, दक्षिण कोण्डागांव, धरमजयगढ, केशकाल, कवर्धा, दंतेवाड़ा, बस्तर, महासमुंद, जशपुर, धमतरी, सुकमा, नारायणपुर ।	सतावर पौधा रोपण (1050000), हडजोड़ पौधा रोपण (150000), गुंजा पौधा रोपण (50000), कुलंजन पौधा रोपण (50000), गिलोय पौधा रोपण (150000)	1450000

- **औषधीय पौधों का कृषिकरण** – औषधीय पौधो का विभिन्न क्षेत्रों में मांग को देखते हुए अश्वगंधा एवं तुलसी के बीज क्रय कर कृषकों को वितरित कर कृषकों के द्वारा कृषिकरण कार्य किया गया है। विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क. 8.11 औषधीय पौधों का कृषिकरण				
क्र.	फसल का नाम	ग्राम की संख्या	बीज/पौधे का वितरण (कि.ग्रा. में)	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	अश्वगंधा	05	बीज 538 कि.ग्रा.	96
2.	तुलसी	06	बीज 45 कि.ग्रा.	45
3.	लेमनग्रास	–	–	150
कुल			**बीज 583 कि.ग्रा.**	**291**

1. **रायपुर वनमंडल में परंपरागत वैद्यों के परामर्श केन्द्र की स्थापना करना** – छत्तीसगढ़ राज्य जैव–विविधता से संपन्न हर्बल राज्य है, इसके सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में प्राचीन काल से परंपरागत वैद्यों द्वारा साध्य/असाध्य रोगों का (नाड़ी परीक्षण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गी इत्यादि) का उपचार किया जाता रहा है । वर्तमान समय में लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण परंपरागत ज्ञान आधारित उपचार पद्धति विलुप्त होती जा रही है । पारंपरिक उपचार पद्धति को संरक्षण एवं संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा पारंपरिक ज्ञान आधारित वैद्य परामर्श केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

- **हाइड्रोफोनिक की स्थापना**– छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड कार्यालय परिसर में हाइड्रोफोनिक की स्थापना कर पौधों को विकसित किया जा रहा है।

- **वृत्तवार वैद्यों का सुझाव हेतु आयोजन** –रायपुर एवं दुर्ग वनवृत्त अंतर्गत परंपरागत वैद्यों (रायपुर वनवृत्त – 20 वैद्य एवं दुर्ग वनवृत्त – 60 वैद्य) को बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित कर बोर्ड हेतु सुझाव प्राप्त किए गए हैं।

- **आयुष क्वॉथ वितरण कार्य** –कबीरधाम जिले में 4500 नग आयुष क्वॉथ एवं सरगुजा जिले में 2500 नग आयुष क्वॉथ का वितरण कर आमजनों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि की गई है।

- **क्षमता विकास** –क्षमता विकास अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

8.7 राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के वित्तीय सहयोग से संचालित कार्य–

- **राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनांतर्गत औषधीय पौधों का कृषिकरण**– औषधीय पौधो की विभिन्न क्षेत्रों में मांग को देखते हुए विभिन्न औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण किया गया है, विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क. 8.12 राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनांतर्गत औषधीय पौधों का कृषिकरण

क्र.	फसल का नाम	ग्राम की संख्या	पौधों का वितरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	स्टीविया	05	450000	13.00
2.	सर्पगंधा	03	210000	5.00
3.	एलोवेरा	03	220000	9.00
4.	वच	05	205000	10.00
5.	सतावर	04	200000	15.00
कुल		**20**	**1285000**	**47.00**

• **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड अंतर्गत कार्य** – UNDP परियोजना अंतर्गत स्थापित 07 एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों में (बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जशपुर, सरगुजा, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल) JFMCs द्वारा वनोपज का संग्रहण कर प्राथमिक प्रसंस्करण व मार्केटिंग हेतु NMPB के परियोजना "Sustainable Collection, Value Addition, Warehousing and Marketing of Selected RET and high traded Medicinal Plants Species covering 21 JFMCs 07 Forest Division of Chhattisgarh के लिए NMPB से राशि रू. 315.00 लाख मंजूर की गई तथा राशि रू. 126.00 लाख प्राप्त हुआ है, जिसमें गोडाउन एवं ड्राईंग शेड निर्माण कार्य है, प्रथम चरण में खैरागढ़ (राशि रू. 30.00 लाख), सूरजपुर (राशि रू. 30.00 लाख) वनमंडल में निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 60 लाख का कार्य स्वीकृति प्रदान की गई है।

8.8 प्रचार–प्रसार एवं मार्केटिंग – विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों से आने वाले आमजनों के मध्य छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों (महिला स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित) का विक्रय/प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा 02 हर्बल उत्पाद विक्रय केन्द्रों रायपुर रेलवे स्टेशन एवं स्वामी विवेकानंद अंतराष्ट्रीय विमानतल, रायपुर का संचालन किया जा रहा है ।

8.9 लघु वनोपज सहकारी संघ– लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य, में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को, उचित मूल्य पर क्रय करता है। जिससे वनों में निवास करने वाले आदिवासियों को जीविकोपार्जन का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्राप्त होता है जबकि पूर्व में स्थानीय व्यापारियों के द्वारा एकदम कम मूल्य पर अथवा केवल नमक के बदले वनोपजों की खरीदी की जाती रही है। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014–15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई है। संघ द्वारा भारत शासन के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत हर्रा एवं सालबीज का संग्रहण वर्ष 2014–15 से, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसुमी लाख एवं रंगीनी लाख 2015–16 से, कालमेघ, बहेड़ा, नागरमोथा, कुल्लू गोंद, पुवाड़, बेलगुदा, शहद, फूल झाडू वर्ष 2018–19 से, महुआ फूल (सूखा), जामुन बीज (सूखा), कौंच, धवई फूल (सूखा), करंज बीज, बायबडिंग, आंवला बीज रहित वर्ष 2019–20 से एवं भेलवा, इमली बीज, फूल इमली (इमली बीज रहित), बहेड़, कचरिया, गिलोय, नीम बीज, हर्रा कचरिया, वन जीरा, वन तुलसी (बीज) वर्ष 2020–21 से लघु वनोपज का क्रय किया जा

रहा है साथ ही अन्य प्रमुख एवं गौण वनोपजों का सफलतापूर्वक संग्रहण किया जा रहा है। जिनका विवरण संबंधित तालिका में देखा जा सकता है । (एक मानक बोरा –50 हजार तेंदूपत्ता)

तालिका 8.13 छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी

क्र.	वन उपज का नाम	इकाई	उत्पादन (लाख)	मूल्य (करोड़ रू.)	उत्पादन (लाख)	मूल्य (करोड़ रू.)
			2021-22		2022-23	
1	तेन्दू पत्ता	मानक बोरा	13.06	775.90	15.83	1073.51
2	धावड़ा गोंद	क्विंटल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	कुल्लू गोंद	क्विंटल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

खनिज

09

खनिज

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2022–23 (अग्रिम) में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में खनिज क्षेत्र का योगदान 29,307 करोड़ अनुमानित।
- वर्ष 2021–22 में खनिजों से राजस्व आय 12305.38 करोड़ रू रही।
- वर्ष 2021–22 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 17.34 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्य खनिज से 11362.24 करोड़ रूपये आय हुई, वहीं गौण खनिजों से इसी अवधि में 252.85 करोड़ रूपये आय हुई है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 19.80%, लौह अयस्क में 16.27%, चूनापत्थर में 10.67%, बॉक्साइट में 04.30% तथा टिन अयस्क में 100% रहा।
- कुल राजस्व आय में 97 प्रतिशत हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 3 प्रतिशत गौण खनिज का हिस्सा है।
- राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया।

9.1 छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 (माह मार्च तक) में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 19.80%, लौह अयस्क में 16.27%, चूनापत्थर में 10.67%, बॉक्साइट में 4.30% तथा टिन अयस्क में 100% रहा।

तालिका 9.1 राजस्व आय (करोड़) में	
वर्ष	खनिज राजस्व
2015–16	3709.57
2016–17	4141.47
2017–18	4911.41
2018–19	6110.25
2019–20	6195.73
2020–21	5517.01
2021–22	12305.38

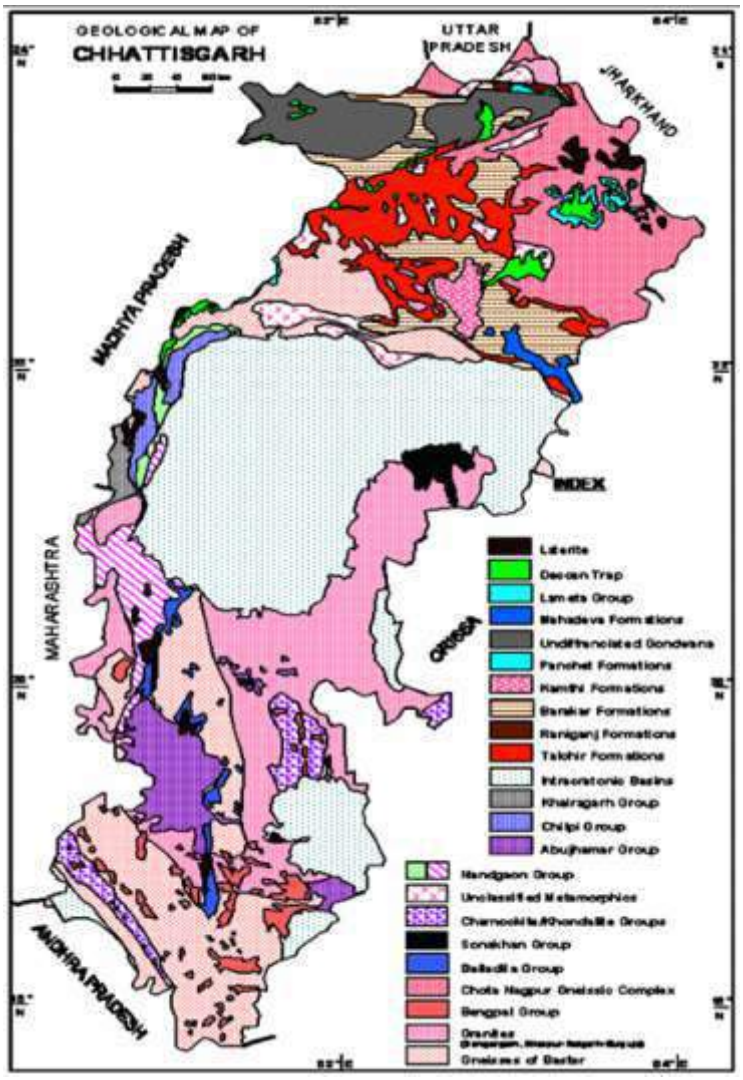

कोयले के अधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। इसी तरह यह राज्य विद्युत गहन खनिज प्रसंस्करण एवं पुनः अग्र–एकीकृत उद्योग यथा लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम एवं सीमेंट उद्योग इत्यादि का केंद्र भी बन रहा है।

तालिका 9.2 खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)						
सांख्यिकी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
भागीदारी (लाख)	2349865	2536999	2481577	2551851	2646325	2930667
वृद्धि (प्रतिशत)	6.81	7.96	-2.18	2.83	3.70	10.74
हिस्सा (प्रतिशत)	11.74	11.38	10.55	10.91	10.48	10.75

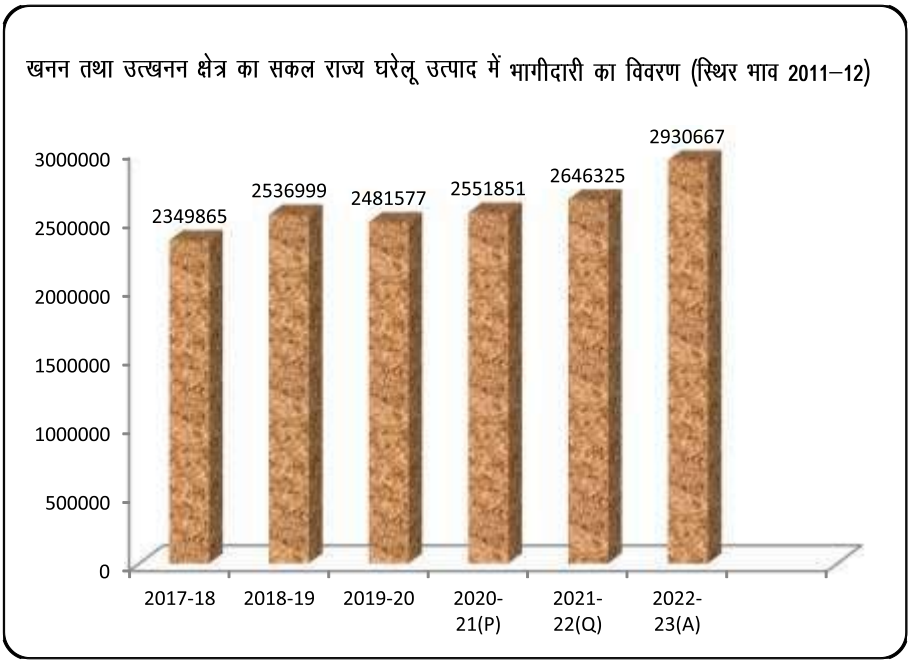

9.2 वर्तमान में प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कोयला, चूनापत्थर, लौह अयस्क, बाक्साइट, टिन अयस्क, हीरा एवं स्वर्ण हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त एलेक्जेंड्राइट, कार्नरूपेन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एन्डालूसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टाल्क, सोपस्टोन, लेपीडोलाइट, गार्नेट, रनर मोल्डिंग सेंड, ग्रेफाइट, मोल्डिंग सेंड, एम्बीलीगोनाइट आदि है। प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन (फर्शीपत्थर) मार्बल आदि आकारीय पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं।

तालिका 9.3– मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत, वर्ष 2021–22(अप्रैल 21 से मार्च 22)						
मुख्य खनिज	छत्तीसगढ़		भारत		योगदान का प्रतिशत	
	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य
कोयला (000 टन)	154120	-	778190	-	19.80	22.63
लौह अयस्क (000 टन)	41313	218099.18	253973	9638132.8	16.27	11.31
चूना पत्थर (000 टन)	41888	110099.62	392760	973495.5	10.67	4.38
बॉक्साइट (000 टन)	968247	10857.94	22493947	247670.48	4.30	100
टिन (कि.ग्रा.)	26383	321.29	26383	321.29	100.00	0.00
अन्य मुख्य खनिज	16843	5080	34200977	2415145	0.05	
स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन						

9.3 खनिज उत्पादन का मूल्यः— छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य 2012—13 में अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 7.9 प्रतिशत रहा, जो कि 2013—14 में बढ़कर 8. 7 प्रतिशत हो गया परंतु वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 में यह घटकर 8.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016—17 में छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 9.6 प्रतिशत रहा तथा वर्ष 2017—18 मेंयह 15.66 प्रतिशत है। वर्ष 2021—22 में राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 17.34 प्रतिशत रहा इसका वर्षवार विवरण तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.4 कुल खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ में)

वर्ष	छत्तीसगढ़	भारत	योगदान का %
2013—14	19566	225660	8.7
2014—15	19416	236554	8.2
2015—16	19213	234171	8.2
2016—17	22743	237730	9.6
2017—18	9184	58638	15.66
2018—19	11076	73257	15.12
2019—20	11125.16	74965	14.31
2020—21	14441	78451	17.60
2021—22	23023	132748	17.34

स्त्रोत—भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

9.4 खनिज अन्वेषण कार्यः— वित्तीय वर्ष 2021—22 में 1007 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 3,220 मीटर ड्रिलिंग की गई है। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 2,843 खनिज नमूनों को विश्लेषित कर 16,613 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई ।

तालिका 9.5 वर्ष 2019—20 एवं 2020—21 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

क्र.	कार्य का प्रकार	इकाई	2019—20		2020—21 (सितं—20)	
			लक्ष्य	उपलब्धियॉ	लक्ष्य	उपलब्धियॉ
1	सर्वेक्षण/मानचित्रण	वर्ग कि.मी.	1104.74	1007	512.88	184.32
2	ड्रिलिंग	मीटर	3050	3220	4050	450.00
3	नमूनों का विश्लेषण	मूलक संख्याा	40000	16613	40000	13719

9.5 खनिज उत्पादनः—

9.5.1 मुख्य खनिजों का उत्पादनः— जैसा कि पूर्व से विदित है कि राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, टिन तथा बॉक्साईट हैं। राज्य टिन का एक मात्र उत्पादक है। विगत वर्षों में मुख्य खनिज का उत्पादन का विवरण तालिका 9.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.6 प्रमुख, मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन)						
मुख्य खनिज	16–17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कोयला	139722	142514	161893	157064	158409	154120
लौह अयस्क	31068	34856	34945	34724	35839	41313
चूना पत्थर	31919	35154	42411	42699	40378	41888
बॉक्साईट	1954	1901	1532	1566	715	968
टिन (कि.ग्रा.)	12120	16757	21211	15530	16865	26383

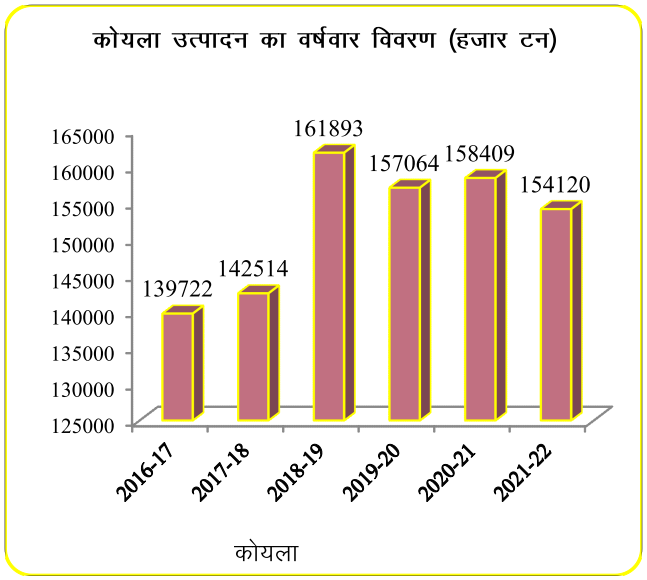

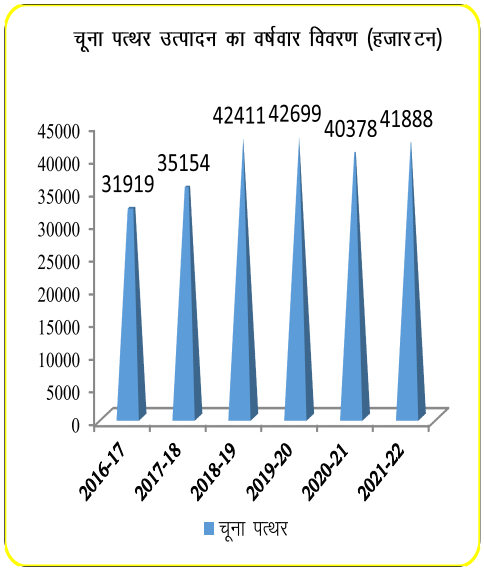

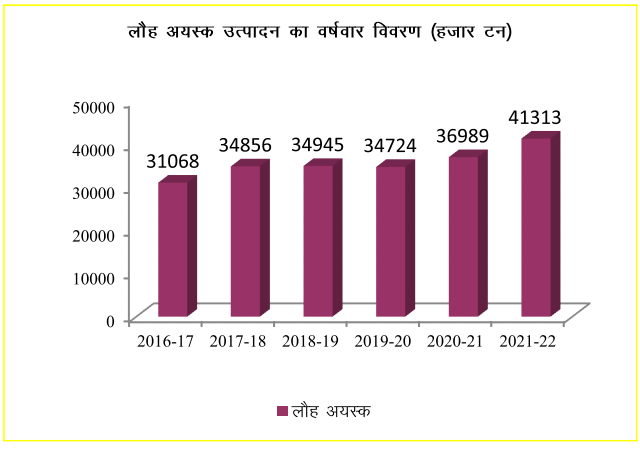

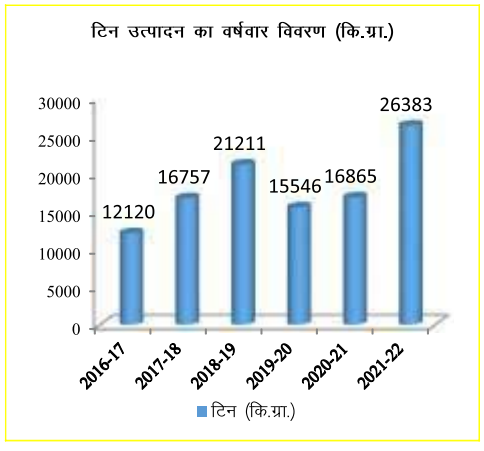

9.5.2 गौण खनिजों का उत्पादनः— वर्ष 2021—22 में राज्य में रू. **102438.63** लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसका विवरण तालिका 9.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.7 गौण खनिज के उत्पादन एवं मूल्य का विवरण (मात्रा टन में एवं मूल्य लाख रू. में)

खनिज का प्रकार	2018—19 उत्पादन		2019—20 उत्पादन		2020-21 उत्पादन		2021-22 उत्पादन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पत्थर	4301776	13765.68	3066816	9813.81	3598556	11695.31	4294037	13955.56
मिट्टी	1710734	3763.61	1066559	3089.91	192769	578.31	2721417	6259.15
मुरूम	5509403	12120.69	4598737	10117.22	3617266	8319.71	7452384	17140.33
फर्शीपत्थर	214757	633.53	168757	497.83	7966596	18323.17	173261	519.75
ग्रेनाईट (घ.मी.)	888	26.61	1051	31.52	789	24.45	945	29.27
चूना पत्थर	11050829	42545.68	8252930	31773.79	11171679	44128.12	11018847	43524.38
डोलोमाईट	4383177	17313.55	3738411	14766.72	5040087	20160.35	5101207	20404.80
क्वार्टज	52167	224.31	49067	210.99	34757	356.26	56094	246.81
क्वार्टजाइट	30429	311.89	97650	1000.91	27667	121.73	34985	358.58

9.6 राजस्व आय :— छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वित्तीय वर्ष 2021—22 में मुख्य खनिज से 7320.35 करोड़ रू. आय हुई, वहीं गौण खनिजों से इसी अवधि में 252.85 करोड़ रू. आय हुई है। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त राजस्व की जानकारी तालिका क्र. 9.8 पर दर्शित हैः—

तालिका 9.8 मुख्य एवं गौण खनिजों से राजस्व आय (राशि लाख रू. में)					
मुख्य खनिज	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कोयला	236289.79	271350.59	233687.11	235586.09	252351.97
लौह अयस्क	129085.81	183769.52	182849.59	197062.43	422392.87
चूनापत्थर	31307.81	34433.27	32897.10	33648.05	33850.50
बाक्साइट	4717.27	2948.71	2686.93	1295.38	2401.16
टिन अयस्क	15.83	13.82	10.15	9.38	16.13
रनर मोल्डिंग सेण्ड	0.53	1.24	1.74	3.12	2.73
मोल्डिंग सेण्ड	2.76	1.81	1.04	0.13	2.06
गोल्ड	0	0	0	0	0
विविध आय	0	76.13	304.00	3.77	21018.02
योग	**401419.80**	**492595.09**	**452437.66**	**467608.35**	**732035.44**
गौण खनिज					
चूनापत्थर	9451.00	8840.66	6602.34	8937.34	8815.08
डोलोमाइट	2340.02	3944.86	3364.57	4536.08	4591.09
क्वार्टज एवं क्वार्टजाइट	71.63	89.55	180.87	73.56	99.47
पत्थर	2905.10	3635.00	2591.46	3057.71	3628.46
फायरक्ले	4.25	11.25	3.45	11.26	4.05
फर्शीपत्थर	117.50	167.51	131.63	150.36	135.14
मिट्टी	106.16	581.65	362.63	1229.87	925.28
मुरूम	813.32	1570.18	1310.64	2271.07	2123.92
रेत	5.11	2.69	37.57	0	0
ग्रेनाइट	24.14	17.74	21.01	15.77	18.90
क्वार्टजाइट/सिलिका	0.11	19.27	0.60	1.47	0.75
सोपस्टोन	0.36	0	0.07	0	0.18
व्हाईट क्ले	0.20	0.66	1.19	0.60	0.60
चाईना क्ले	0.23	0	0	0	0
कोरण्डम	0.18	2.22	1.32	0	1.63
विविध आय	5549.38	11202.90	4870.60	5810.32	4941.08
योग	**21388.69**	**30086.14**	**19479.95**	**26095.41**	**25285.63**
गौण खनिज रेत से प्राप्तियां	0	0	452.05	1806.27	1474.98
अर्थदण्ड एवं राजसात से प्राप्तियां	1124.23	1522.03	61886.30	6836.72	2346.90
विविध प्राप्तियॉ	927.11	949.27	3252.15	15711.25	1887.12
नीलामी से प्राप्त राशि					
मुख्य खनिज कोयला	65241.32	85109.68	81268.67	29768.64	57252.99
गौण खनिज	3.56	226.89	554.72	227.76	328.88
अन्य मुख्य खनिज (कोयला छोड़कर)	1036.66	534.44	241.10	1904.83	4219.56
150 प्रतिशत अतिरिक्त राशि	0	0	0	0	404188.65
गौण खनिज रेत से प्राप्त राशि	0	0	0	1742.23	1518.42
कुल योग	**491141.37**	**611023.54**	**619572.60**	**551701.46**	**1230538.57**

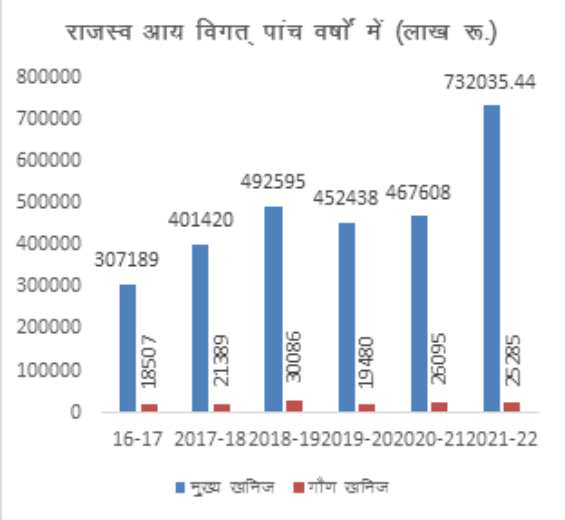

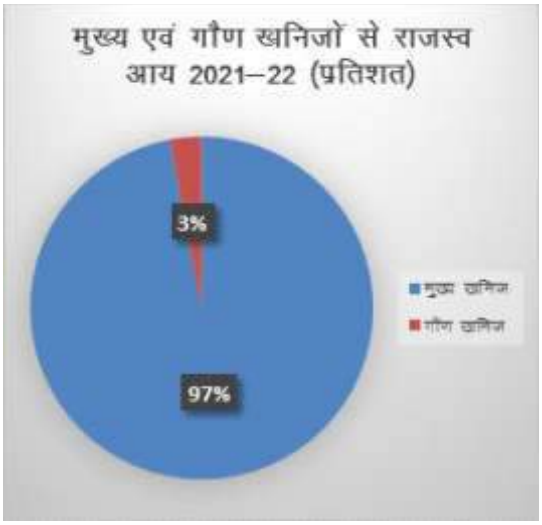

इसके अतिरिक्त रेत, गिट्टी, मुरूम, फर्शीपत्थर, क्ले, ग्रेनाइट, सेन्ड स्टोन आदि भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाए जाते है।

9.7 मुख्य खनिज ब्लॉक्स की ई–नीलामीः– नवीन खनिज अधिनियम/नियमों के तहत् मुख्य खनिज ब्लॉक्स का खनिपट्टा/ कम्पोजिट लायसेंस हेतु आबंटन ई–ऑक्शन/टेंडर के माध्यम से वर्ष 2015 से किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अब तक कुल 21 खनिज ब्लॉक्स (09 चूनापत्थर, 07 लौह अयस्क, 03 बाक्साइट, 01 गोल्ड एवं 01 अन्य) की नीलामी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। 07 लौह अयस्क, 02 बाक्साइट, 01 चूनापत्थर, ग्रेफाइट व ग्लूकोनाइट के 02–02 एवं 01 निकल–क्रोमियम खनिज ब्लॉक्स के नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2022–23 में विभिन्न खनिजों कुल 53 ब्लॉक्स का आबंटन ई–ऑक्शन के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

9.8 खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजनाः– खनिज विभागीय क्रियाकलापों में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने तथा कार्य में संलग्न हितग्राहियों के Ease of Doing Business के उद्देश्य से प्रदेश में खान एवं खनिजो के समग्र प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा एक Web Based Integrated Mines and Minerals Management System ''खनिज ऑनलाईन'' योजना जून, 2017 से संचालित है।

नई सरकार द्वारा योजना की समीक्षा उपरांत आईटी क्षेत्र में हो रहे सतत innovations के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण कार्य डिजिटल और Paperless करते हुए खनिज ऑनलाइन परियोजना को अपने नए स्वरुप में बहुआयामी और सारे हितधारको के लिए सरल बनाया जाए। तदनुसार डेस्कटॉप वर्सन सहित क्लाउड

आधारित वीटीएस, मोबाईल ऐप, इंटीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर युक्त खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना निर्माण की परिकल्पना जून, 2019 में की गई।

जीपीएस आधारित मिनरल व्हीकल मॉनिटरिंग एण्ड ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीएमएस) से जहां पोर्टल में रजिस्टर्ड वाहनों द्वारा ट्रांजिट पास अनुसार स्त्रोत से अंतिम स्थल तक खनिज परिवहन की गतिविधियों का Live tracking हो सकेगा, वहीं एण्ड्रायड/आईओएस आधारित मोबाईल एप विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य दैनिक गतिविधियों के निष्पादन एवं जानकारी के सरल संप्रेषण हेतु सहायक होगा। एप के माध्यम से ही QR कोड आधारित पेपरलेस ट्रांजिट पास की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी। Integrated Command Control Centre (CCC) प्रशासकीय दृष्टि से निर्णय लेने हेतु एक केन्द्र बिन्दु के रुप में कार्य करेगा, जहां फील्ड आईटी उपकरणों, खनिज गतिविधियों एवं उनके खनन संक्रियाओं की निगरानी, दैनिक संक्रियाओं का समन्वय हो सकेगा। कमजोर अथवा गैर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में कार्य हेतु पोर्टल का डेस्कटॉप वर्सन सहायक होगा। इसी प्रकार Redundancy & Disaster Recovery युक्त Cloud based Server तत्कालीक खराबी अथवा आपदा की स्थिति में आटोमेटिक स्वीच ओवर एवं आवश्यकतानुसार क्षमता वृद्धि हेतु प्रभावी व्यवस्था होगी।

तदनुसार नोडल एजेंसी चिप्स के माध्यम से क्यूसीबीएस आधारित ऑनलाईन टेंडर के माध्यम से खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना के डेवलपमेंट एवं संचालन/रख–रखाव हेतु लगभग 90 करोड़ लागत की 05 वर्षीय योजना हेतु मेसर्स सिनेसिस टेक लिमिटेड का चयन किया जाकर दिनांक 16.10.2020 को एल.ओ.आई. जारी किया गया है। कंपनी द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना प्रदेश में खान एवं खनिजों के आई.टी. आधारित समग्र प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण देश में स्थापित करेगा।

9.9 छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास :– भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(ख), 15(4) एवं 15(क) के तहत् राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015, दिनांक 22 दिसम्बर 2015 अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है।

न्यास के कार्यो के लिए वित्तीय व्यवस्था मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के खनिपट्टों, पूर्वेक्षण सह खनिपट्टों से प्राप्त रायल्टी का 10 से 30 प्रतिशत राशि डीएमएफ

के रूप में प्राप्त की जा रही है। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) में सितम्बर 2022 तक 9864 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

प्रगतिः— प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के निर्देशों के अनुरूप सितम्बर 2022 तक प्रदेश में 10396 करोड़ रूपये की 71 हजार से अधिक कार्यों की स्वीकृति जिलों में जारी किये गये है, जिसमें 43 हजार से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके है। 7320 करोड़ रूपये व्यय हो चुके है।

9.9.1 प्रदेश में DMF से संपादित प्रमुख कार्य—

- विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की जा रही हैः— शिशु रोग, हडडी रोग, शल्य चिकित्सक, फारेंसिक, स्त्री रोग, निश्चेतना, मेडिसीन, गहन इकाई चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पतालों का उन्नयन कार्य।
- सभी जिलों में कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं हेतु मध्यान्ह भोजन (खीर वितरण)/ प्रोटीन युक्त आहार की व्यवस्था की जा रही है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। स्वास्थ्य से संबंधित अधोसंरचना। जगदलपुर के महारानी अस्पताल का जीर्णोद्धार एवं स्वास्थ्य सुविधओं में विस्तार। सूरजपुर जिले में मोबाईल यूनिट का संचालन।
- डायलिसिस यूनिट की शुरूवात होने से मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। किडनी संबंधी रोगियों को बड़ी राहत मिलने लगी है। जिला अस्पताल कोरिया में डायलिसिस की सुविधा नही होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था जिससे अब मरीजों को राहत मिलेगी।
- शिक्षकों की मानदेय की व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लास, लैब एवं लाईब्रेरी का उन्नयन तथा इग्लिश स्कूल के संचालन में अंशदान।
- कबीरधाम जिले में शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालयों में 108 बैगा शिक्षा संगवारियों की नियुक्ति की गई है। जिससे शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि एवं बैगाओं हेतु रोजगार सृजन किया गया है।
- रायगढ़ जिले में 524 शालाओं में पुस्तकालय बनाये गये है।
- सुकमा जिले के विकास खण्ड कोण्टा में 2006 से बंद 123 शालाओं को प्रारंभ किया जाकर स्थानीय युवक एवं युवतियों को शिक्षादूत की नियुक्ति।

- खनन प्रभावित कृषकों के आजीविका उन्नयन हेतु, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के तहत गौठानों एवं चारागाहों में सोलर पंप स्थापना।
- गोठान विकास एवं रोजगारमुखी कार्यों का सृजन।
- सिंचाई हेतु डीजल एवं विद्युत पम्प वितरण, ड्रीप स्थापना अनुदान।
- डेयरी पालन हेतु अनुदान राशि।
- बाड़ी विकास योजना के तहत प्रत्यक्ष प्रभावित ग्रामों के किसानों को ड्रीप प्रतिस्थापन।
- लघु एवं सीमांत अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के कृषकों को कृषि घटक के रूप में पॉवर स्प्रेयर एवं कृषि दवांईयॉ उपलब्ध कराई गयी, जिससे उनकी फसल उत्पादकता में वृद्धि हुई एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई।
- पेयजल हेतु सोलर पम्प की स्थापना।
- फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में फ्लोराइड रिमूवल स्थापना कार्य।
- वाटर एटीएम एवं पाईप लाईन से पेयजल व्यवस्था।
- खनन प्रभावित 44 ग्रामों में नल जल प्रदाय योजना एवं आवर्धन जल प्रदाय योजना।
- छात्र/छात्राओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों में वाटर प्यूरिफायर सिस्टम की स्थापना की गई है।
- दुर्ग जिले में ग्राम पंचायत, छात्रावास, चिकित्सालयों में पाईप लाईन से पेयजल की व्यवस्था।
- सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के ऐसे स्थलों में किया गया है, जहॉ पीने की पानी की समस्या थी। उक्त कार्य से ग्रामीणों को पीने हेतु स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
- सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना।
- वृद्ध एवं निःशक्तजनों के कल्याण हेतु दिव्यांगजनों को बैटरी चलित सायकल प्रदाय।
- श्रवण यंत्र (डिजिटल) प्रदाय, ई–ब्रेल स्मार्ट क्लास।
- सुकमा जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए 100 सीटर आवासीय विद्यालय प्रारंभ।

- जीविकोपार्जन हेतु स्वरोजगार के विभिन्न कार्य किया जा रहा है। जैसे– ई–रिक्शा, मधुमक्खी पालन, बटेर पालन, मछली पालन, झिंगा पालन, महुआ पत्ता प्रसंस्करण, बांस आधारित कार्य।
- महिला एवं स्वसहायता समूहों को मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण प्रदाय कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है। मशरूम उत्पादन के माध्यम से न केवल महिलाएं स्वालम्बी हुई है।
- मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य बीज, जाल, प्रशिक्षण एवं परिपूरक आहार। मसाला उत्पादन इकाई का स्थापना कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- जशपुर जिले में 195 कृषकों को मिनी राईस मील उपलब्ध कराया गया है।
- खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों को मच्छरदानी किया गया है। इस अभियान के प्रारंभ से अब तक दंतेवाड़ा जिले में मलेरिया वार्षिक परजीवी सूचकांक में 34.89 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
- सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए दंतेवाड़ा जिले के 143 ग्राम पचायतों में देवगुडी कायाकल्प कर उसे पर्यटन केन्द्र के रूप में स्थापित करने तथा आदिवासियों की अमूल्य संस्कृति एवं धरोहर को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है।
- कोविड नियंत्रण हेतु डीएमएफ से अंशदान दिया जा रहा है।

तालिका क्र. 9.10 मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं में डीएमएफ का अंशदान

(सितम्बर 2021 तक, राशि करोड़ रूपये में)

क	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	369	195
2	नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी	413	229
3	मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना	38	20
4	मुख्यमंत्री स्लम अस्पताल योजना	7	1
5	मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना	5	1
6	इंग्लिश मिडियम स्कूल हेतु	243	191
7	गौठान विकास	237	160

9.10 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कारर्पोरेशन लिमिटेड :– छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.), छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है, जिसमें शत–प्रतिशत निवेश राज्य सरकार का है। सी.एम.डी.सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन द्वारा व्यवसाय बढ़ाना है।

9.10.1 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं :–

9.10.2 कोल परियोजनाः– भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा जिला–कोरबा स्थित केरवा कोल ब्लॉक का आदेश दिनांक 21.07.2016 के माध्यम से सी.एम.डी.सी. एवं एम.पी. एस.एम.सी. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कम्पनी केरवा कोल लिमिटेड (के.सी.एल.) के पक्ष में आबंटित किया गया है।

केरवा कोल ब्लॉक हेतु कोल ब्लॉक डेव्हलपमेंट एवं प्रोडक्शन एग्रीमेंट (सी.बी.डी.पी.ए.) का निष्पादन दिनांक 18.08.2017 एवं 04.01.2019 (First Amendment) को किया गया है।

केरवा कोल लिमिटेड पूर्वेक्षण हेतु दिनांक 25.06.2020 को अनुबंध निष्पादन किया गया तथा समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर दिनांक 01.07.2020 से अन्वेषण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2021 तक आउट सोर्सिंग के माध्यम से 40,753.00 मीटर वेधन का कार्य पूर्ण किया गया है। वेधन से प्राप्त कोर नमूनों को भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। वेधन से प्राप्त नमूनों को भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण का परिणाम के आधार पर ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 30.03.2022 को खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

9.10.3 लौह अयस्क परियोजना :– सी.एम.डी.सी. की मुख्यतः 01 आरीड़ोगरी लौह अयस्क परियोजना संचालित है। उक्त के अतिरिक्त एन.एम.डी.सी. एवं सी.एम.डी.सी. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कंपनी एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी.लि. (एन.सी.एल.) के पक्ष में बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–13, स्वीकृत है एवं बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–04 को भारत सरकार द्वारा 05 वर्शो के लिए आरक्षित किया गया है।

आरीडोंगरी लौह अयस्क खदान का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में लगभग 1,57,520.310 मिट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया है। उक्त खदान से वित्तीय वर्ष 2021–22 में सीएमडीसी को लगभग 66.78 करोड़ रूपये एवं राज्य शासन को राजस्व के रूप में 65.73 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है । बैलाडीला लौह

अयस्क निक्षेप क्रमांक–13 की समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर खनिपट्टा अनुबंध का निश्पादन दिनांक 10.01.2017 को पूर्ण कर लिया गया है, इसके विकास एवं दोहन हेतु संयुक्त उपक्रम कम्पनी एनएमडीसी–सीएमडीसी (एनसीएल) के माध्यम से एम.डी.ओ. का चयन किया गया है। वर्तमान में परियोजना बंद है। प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है।

एन.सी.एल. के आवेदन पर संज्ञान लेते हुये भारत सरकार खान मंत्रालय द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क डिपॉजिट क्रमांक–04 रकबा 646.596 हे. आरक्षित वन क्षेत्र को एम.एम.डी. आर. एक्ट, 1957 की धारा 14(ए)1 के तहत् एन.सी.एल. के पक्ष में अधिसूचना दिनांक 30. 06.2019 के माध्यम से 5 वर्श की अवधि हेतु आरक्षित किया गया। तदोपरान्त छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय रायपुर का पत्र दिनांक 26.06.2021 के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

9.10.4 बाक्साइट परियोजना :– सी.एम.डी.सी. द्वारा जिला सरगुजा के 05 क्षेत्रों में खनन एवं विपणन का कार्य प्रारंभ है। वर्ष 2021–22 में इन खदानों से सीएमडीसी को बाक्साइट के मूल्य (कमीशन) के रूप में राशि रू. 4.95 करोड़ तथा राज्य शासन को रायल्टी एवं अन्य कर के रूप में राशि रूपये 2.21 करोड़ की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2022–23 में इन खदानों से सीएमडीसी को बाक्साइट के मूल्य (कमीशन) के रूप में लगभग राशि रू. 11.46 करोड़ तथा राज्य शासन को रायल्टी एवं अन्य कर के रूप लगभग राशि रू. 25.71 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।

सी.एम.डी.सी. द्वारा खनिज बाक्साइट के खनिपट्टा हेतु जिला सरगुजा–06, कबीरधाम–02, बलरामपुर–01 एवं जशपुर–01 क्षेत्रों में आवेदन किया गया है। जिसमें से शासन द्वारा उक्त सभी क्षेत्र के लिए एल0ओ0आई0 जारी किया जा चुका है। उक्त क्षेत्रों का माइनिंग प्लान का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है तथा पर्यावरण स्वीकृत की कार्यवाही प्रचलन में है ।

तालिका 9.11 बाक्साइट परियोजना

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (मिट्रिक टन में)	परिवहन (मिट्रिक टन में)
2015–16	130984.730	130984.730
2016–17	75157.540	75157.540
2017–18	556900.790	556900.790
2018–19	180133.900	180133.900
2019–20	1,54,533.380	1,54,533.380
2020–21	52,841.130	52,841.130
2021–22 (नवंबर, 2021 तक)	63,001.210	63,001.210

9.10.5 कोरण्डम खनिज परियोजनाः— अविभाजित मध्यप्रदेश शासन द्वारा तत्कालीन जिला बस्तर (वर्तमान में जिला कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा) के समस्त कोरण्डम खनिज धारित क्षेत्रों को मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वतः खनन् के लिए अधिसूचना क्रमांक 19—4/28/XII/7017 भोपाल दिनांक 16 जून 1978 द्वारा सुरक्षित किया गया है। राज्य पुनर्गठन के उपरान्त यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 को प्राप्त हुआ है।

कोरण्डम खनिज के लिए वर्ष 2022—23 तक कुल 03 खनिपट्टा स्वीकृत है। जिला बीजापुर के ग्राम कुचनूर में स्थित कोरण्डम खनिज के स्वीकृत खनिपट्टे पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें कार्पोरेशन को प्रतिवर्ष कम से कम रू. 5. 00 लाख की शुद्ध आय निश्चित है तथा कार्पोरेशन का उक्त व्यवसाय प्रारम्भ होने पर क्षेत्र के लगभग 10 गांव के 150 परिवारों को परोक्ष रूप से एवं 500 परिवारों को अपरोक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा।

9.10.6 केसेटराईट खनिज (टिन अयस्क) परियोजनाः— सी.एम.डी.सी. के पक्ष में केसेटराईट खनिज के कुल 14 खनिपट्टा स्वीकृत है, जिसमें से संयुक्त प्रक्षेत्र कम्पनी मेसर्स प्रेशियस मिनरल एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर को 08 खनिपट्टा हस्तान्तरित किया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की संचालित 05 सहकारी समितियों के माध्यम से टिन खनिज का क्रय किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022—23 (माह नवम्बर 2022 तक) सहकारी समितियों के 225 सदस्यों को लगभग राशि रू. 3,95,29,938.00 (तीन करोड़ पनचान्नबे लाख उनतीस हजार नौ सौ अड़तीस रूपये मात्र) का भुगतान किया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर क्षेत्र में टिन अयस्क का क्रय एक जन हितकारी योजना के तहत् अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के हित के लिये किया जा रहा है, इससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 250 आदिवासी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

9.10.7 खनिज अन्वेषण कार्य के संबंध में:— सी.एम.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2021—22 में खनिज बाक्साईट भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 5878 मीटर वेधन कार्य किया गया। खनिजों के गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 6473 बाक्साईट खनिज के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला के माध्यम से करवाया गया। सी.एम.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2022—23 (माह नवम्बर, 2022 तक) में खनिज बाक्साईट भण्डारों के प्रमाणीकरण लगभग 430 मीटर वेधन कार्य किया गया एवं कुल 237 नमूनों के रासायनिक विश्लेशण हेतु प्रयोगशाला प्रेशित किया गया। शीघ्र ही बाक्साईट ब्लॉकों के जियोलाजिकल रिपोर्ट को तैयार किया जावेगा।

9.10.8 बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बी.आर.पी.एल.):– रावघाट जगदलपुर (रावघाट–कोंडागांव 68.51 कि.मी. एवं कोंडगांव–जगदलपुर 71.49 कि.मी.) रेल लाईन 140 कि.मी. के विकास हेतु एन.एम.डी.सी., सेल, इरकॉन एवं सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से दिनांक 05.05.2016 को संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया गया है। वर्तमान में रेल परियोजना से संबंधित जिलों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलन में है।

9.10.9 छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड (सी.सी.एल.):– छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कॉपर एवं सह खनिजों के अन्वेषण, खनन् तथा बेनीफिसिएशन एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेन्ट को विभिन्न क्रेताओं को विक्रय हेतु सी.एम.डी.सी. तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के मध्य दिनांक 30.08.2016 को जे.व्ही.ए. का निष्पादन किया जाकर, दिनांक 21.05.2018 को छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के नाम से संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया गया है। संयुक्त उपक्रम कम्पनी के गठन उपरान्त जे.व्ही. कम्पनी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत कॉपर खनिज की खोज हेतु हिदर तथा बोदल 02 क्षेत्रों को जे.व्ही. कम्पनी के लिये आरक्षित करने हेतु दिनांक 09.07.2021 को राज्य शासन द्वारा भारत सरकार खान मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेशित किया गया है, जिसके संबंध में कार्यवाही प्रचलन में हैं ।

9.10.10 डोलोमाईट खनिज परियोजना:– छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 3–14/2021/12, दिनांक 26.11.2021 के माध्यम से ग्राम–छीतापड़रिया, तहसील जैजैपुर, जिला जांजगीर–चांपा स्थित खनिज डोलोमाईट धारित क्षेत्र कुल रकबा 407.410 हेक्टर को सी.एम.डी.सी. के पक्ष में आरक्षित किया गया है। उक्त क्षेत्र को सी.एम.डी.सी. के पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन दिनांक 05.01.2022 को प्रस्तुत किया गया है ।

9.10.11 डायमंड परियोजना:– एनएमडीसी एवं सीएमडीसी के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कंपनी एनएमडीसी–सीएमडीसी (एनसीएल) के माध्यम से जिला महासमुंद के तहसील सरायपाली में बलौदा–बेलमुण्डी डायमंड ब्लॉक के रकबा 156.80 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है । उक्त क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा एनसीएल के पक्ष में पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाऐं आरंभ करने हेतु आरक्षित किया गया है

तालिका क्र. 9.12 प्रमुख खनिज उत्पादन में राज्य का योगदान प्रतिशत (लौह अयस्क एवं कोयला मात्रा हजार टन)

क्र.	वर्ष	केन्द्र			राज्य			कुल उत्पादन मे राज्य का योगदान प्रतिशत में		
		लौह अयस्क	कोयला	बॉक्साइड (टन)	लौह अयस्क	कोयला	बॉक्साइड (टन)	लौह अयस्क	कोयला	बॉक्साइड
1	2017-18	200955	678533	22312681	34546	142510	2558453	17.19	21.00	11.47
2	2018-19	206446	728718	23687721	34945	161893	1532600	16.93	22.22	6.47
3	2019-20	246081	729023	21823793	34724	157064	1566108	14.11	21.54	7.18
4	2020-21	181806	619971	18057749	32019	130770	644814	17.61	21.09	3.57
5	2021-22	253973	778190	22493947	41313	154120	968247	16.27	19.80	4.30

स्त्रोत – भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

उद्योग

10

उद्योग

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2022–23 (अग्रिम) में विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) योगदान 50,90,529 लाख अनुमानित है।
- नई औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन/स्टार्टअप योजनाएं लागू की गई हैं।
- रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है, जिसकी प्रारंभिक परियोजना लागत रु. 350 करोड़ है।
- राज्य में वर्ष 2021–22 में लगभग 19,725 करघों पर लगभग 59,175 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं।
- वर्ष 2021–22 में पालित टसर् 711.651 लाख नग उत्पादन था। वर्ष 22–23 में सितंबर 21 तक 165.163 लाख नग उत्पादन किया गया है।
- छ0ग0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केन्द्र कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगतदेवरी, तिफरा बिलासपुर, हरदी बाजार, देवरबीजा एवं डिमरापाल, संचालित हैं।
- मलबरी कुकून उत्पादन वर्ष 21–22 में 59289 कि.ग्रा. हुआ।

10.1 देश के आर्थिक विकास में औद्योगीकरण का योगदान महत्वपूर्ण है। उद्योग विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करते हैं। छ.ग राज्य मे स्थाई एवं सुशासन होने के अतिरिक्त गुणवत्तायुक्त निर्बाध विद्युत, अपार खनिज संपदा, शांत श्रम माहौल तथा आधारभूत औद्योगिक ढांचें की उपलब्धता होने के कारण यह निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन रहा है। छ.ग. जैसे कृषि आधारित राज्य में कृषि को बढ़ावा देते हुए बेरोजगारी की समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास से इन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा, वृद्धि एवं भागीदारी तालिका 10.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 10.1 विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
योगदान (लाख)	3504001	4456271	4532028	4505123	4847319	5090529
वृद्धि (प्रतिशत)	10.59	27.18	1.70	-0.59	7.60	5.02
हिस्सा (प्रतिशत)	17.51	19.99	19.27	19.25	19.19	18.67

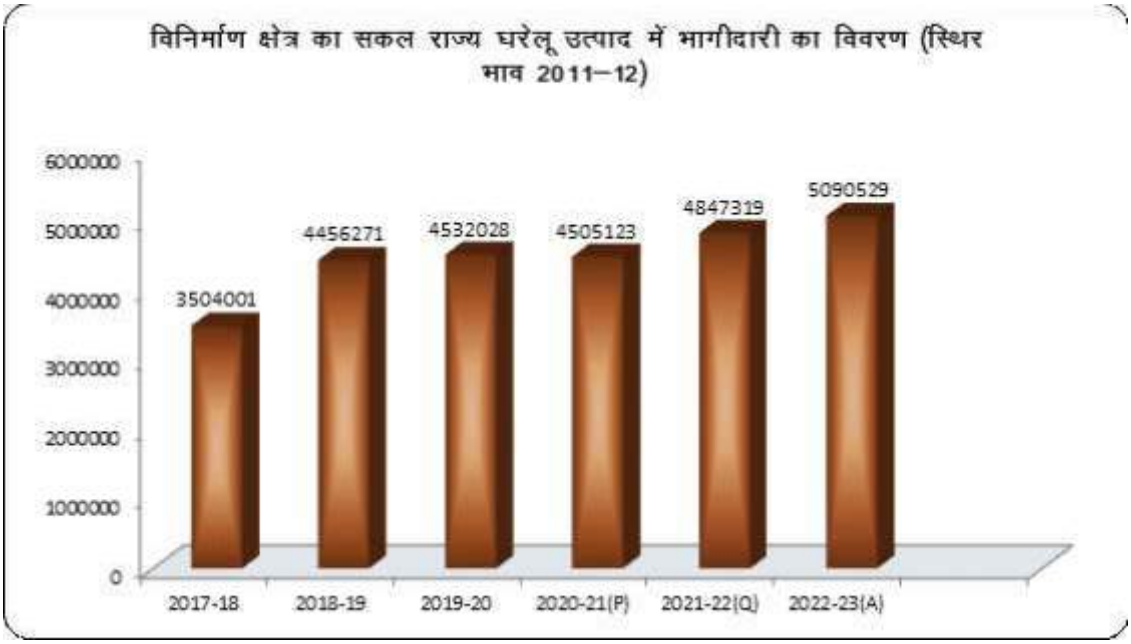

विभाग का कार्य प्रदेश के चहुमुखी विकास में औद्योगिकीकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से, राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए, औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है, ताकि राज्य में पूंजी निवेश अधिकाधिक हो, रोजगार के अवसर बढ़े, राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त हो व राज्य औद्योगिक दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी हो।

10.2 औद्योगिक नीति 2019–24 में संशोधन उपरांत पात्र उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन :–

तालिका क. 10.2 औद्योगिक नीति 2019–24		
क्र.	**योजना का नाम**	**योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट व रियायतों का विवरण**
1	ब्याज अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद)	ऋण पर ब्याज का 25 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक, अधिकतम सीमा रू. 10 लाख वार्षिक से 55 लाख वार्षिक, अवधि 5 वर्ष से 11 वर्ष तक।
2	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम)	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक, अधिकतम सीमा रू. 35 लाख से रू. 120 लाख तक।
3	नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम एवं वृहद)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक,
4	विद्युत शुल्क छूट– पात्र नवीन/विद्यमान उद्योग के विस्तार/सरलीकरण हेतु (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर को छोड़कर))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 4 वर्ष से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।
	विद्युत शुल्क छूट– कोर सेक्टर के पात्र नवीन इकाईयों हेतु (मध्यम, वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष – 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।
5	स्टाम्प शुल्क से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	1. भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे एवं भूमि लीज के विलेखों पर पूर्ण छूट 2. ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर 03 वर्ष तक। 3. औद्योगिक क्षेत्र/प्रयोजन हेतु आरक्षित भू–खण्डों/औद्योगिक प्रयोजन तथा भूमि बैंक हेतु अधिग्रहित भूमि/क्रय की गई भूमि के प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर 4. भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु क्रय/पट्टे पर 5. औद्योगिक क्षेत्र/भू–खण्ड/प्रयोजन, भूमि बैंक हेतु सीएसआईडीसी द्वारा क्रय/लीज पर 6. बंद/ बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर 6. फिल्म उद्योगों 7. लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेन साइलो।
6	मंडी शुल्क से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योग)	सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 5 वर्ष तक पूर्ण छूट, अधिकतम राशि रू. 2 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक, छूट की कुल अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं।
7	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग)	स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 2.50 लाख।
8	भू–उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट (सूक्ष्म एवं लघु उद्योग)	अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू–पुनर्निर्धारण कर में 50 प्रतिशत छूट।
9	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर भू–आबंटन सेवा शुल्क में रियायत	(क) निजी भूमि के अर्जन हेतु भू–अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि, (ख) निजी/शासकीय भूमि के आबंटन पर 10 प्रतिशत राशि।

10	अनुसूचित जनजाति/ जाति वर्ग को औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/ रियायत (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	1. औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापना हेतु भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू–भाटक की दर रू. 1 प्रति एकड़ वार्षिक। 2. औद्योगिक दृष्टि से विकसित एवं विकासशील क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का आरक्षण।
11	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5 लाख प्रत्येक प्रमाणीकरण हेतु।
12	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 10 लाख।
13	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	व्यय पर किये गये भुगतान का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 10 लाख।
14	मार्जिन मनी अनुदान (अनुसूचित जाति/ जनजाति, महिला, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, तृतीय लिंग, निःशक्तजन के उद्यमी)	रू. 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50 लाख।
15	औद्योगिक पुरस्कार योजना	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 1.51 लाख, 1.00 लाख एवं 51 हजार एवं प्रशस्ति पत्र, (5 श्रेणियों में– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग, स्टार्टअप इकाईयॉ)
16	दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	स्थायी नौकरी प्रदान करने पर शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक की 40 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष की अवधि तक अधिकतम रू. 5 लाख वार्षिक।
17	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम)	कार्बन क्रेडिट की प्राप्ति एवं कार्बन फुटप्रिंट की कमी से संबंधित प्रत्येक तकनीकी पर मशीनरी लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 25 लाख।
18	परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु)	निर्माण स्थान से निर्यात स्थान तक वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता, अधिकतम सीमा रू. 20 लाख प्रतिवर्ष, 05 वर्ष तक।
19	औद्योगिक क्षेत्रों/पार्को में भू– आबंटन पर भू– प्रीमियम में छूट/रियायत (सूक्ष्म, लघु, मध्यम)	भू–प्रब्याजि में 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक छूट।

10.3 औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट–अप पैकेज की योजनाएँ–

(छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित एवं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैद्य प्रमाण पत्र धारित करने वाली स्टार्टअप इकाईयों को।)

1 ब्याज अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद) – सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 35 प्रतिशत से 70 प्रतिशत की दर से वार्षिक अधिकतम सीमा रू. 20 लाख से रू. 55 लाख तक, अनुदान अवधि 06 वर्ष से 11 वर्ष तक।

2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (सूक्ष्म उद्योग)– स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक तथा वार्षिक अधिकतम सीमा रू. 15 लाख से 24 लाख तक।

3 नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम स्टार्टअप) – वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष – 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत से 100 प्रतिशत।

4 विद्युत शुल्क छूट– वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।

5 भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

6 सावधि ऋण पर तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।

7 (1) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,

(2) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5.00 लाख।

(3) तकनीकी पेटेंट अनुदान– व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10.00 लाख ।

(4) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10.00 लाख ।

(5) औद्योगिक पुरस्कार योजना– स्टार्टअप इकाईयों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि रू. 1.51 लाख, 1.00 लाख एवं 51 हजार एवं प्रशस्ति पत्र।

(6) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय योजना में भाग लेने हेतु अनुदान– 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जावेगी, अधिकतम सीमा एक बार में देश में रू. 15 हजार एवं देश के बाहर रू. 30 हजार तथा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक।

8 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर भू–प्रब्याजी में 50 प्रतिशत छूट।

9 प्रारंभिक वर्षों में श्रम कानूनों में स्व–प्रमाणन व्यवस्था।

10 औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त निम्नांकित अनुदान एवं छूट भी दी जायेगी :–

10.1 किराया अनुदान– वैध स्टार्ट–अप इकाईयों को 03 वर्षों तक, किराये के भवन में स्टार्ट अप एकक/इकाई स्थापित करने की दशा में, भुगतान किये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम रू. 8,000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान।

10.2 इन्क्यूबेशन हेतु किराया अनुदान– वैध स्टार्ट–अप इकाईयों को 03 वर्षों तक, इन्क्यूबेटर द्वारा दी गई सीट का किराया भुगतान किये जाने पर मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम रू. 8,000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान।

11 स्टार्टअप को प्रोत्साहन हेतु इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु अनुदान–

11.1 न्यूनतम 5,000 वर्गफुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में किये जाने पर किये गये व्यय का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.2 न्यूनतम 5,000 वर्गफुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) में किये जाने पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.3 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना पश्चात् संचालन हेतु अधिकतम 03 वर्ष जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर एवं 05 वर्ष अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) के लिए अधिकतम राशि रू. 03 लाख प्रतिवर्ष।

12 राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त, राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्तों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूटी दी जायेगी।

10.4 वनांचल उद्योग पैकेज :– औद्योगिक नीति 2019–24 अंतर्गत वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन हेतु 'स' एवं 'द' श्रेणी के विकासखण्डों में नीति की अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने वाले उद्योगों को स्थायी पूंजी का 40–50 प्रतिशत, अधिकतम राशि रू. 40–50 लाख प्रतिवर्ष पात्रतानुसार देय होगा।

नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की सुविधा भी नियमानुसार देय होगा।

10.5 मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु विशेष पैकेजः– राशि रू. 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले नॉन कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस को औद्योगिक नीति में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्ति प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्तावों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा मेगा एवं अल्ट्रा मेगाप्रोजेक्ट्स के प्रकरण के आधार पर प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण बीस्पोक पालिसी के अंतर्गत किये जाने का प्रावधान है।

10.6 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉउंसिलः– सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल गठित है। काउंसिल के अध्यक्ष उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं।

10.7 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनाः– युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी है। उनके स्वरोजगार स्थापना में बैंकों की ऋण प्रदायगी में राज्य शासन की गारंटी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा मार्जिन मनी अनुदान (अधिकतम 1.50 लाख रू.) व औद्योगिक नीति के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं।

ऋण की सीमा–

विनिर्माण उद्यम	–	परियोजना लागत अधिकतम रू. 25.00 लाख
सेवा उद्योग	–	परियोजना लागत अधिकतम रू. 10.00 लाख
व्यवसाय	–	परियोजना लागत अधिकतम रू. 02.00 लाख

10.8 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :–

उद्देश्य	–	देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
परियोजना लागत	–	विनिर्माण – अधिकतम रू. 50.00 लाख सेवा एवं व्यवसाय – अधिकतम रू. 20.00 लाख
लाभार्थी का अंशदान	–	सामान्य वर्ग – 10 % अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य – 5 %
अनुदान की दर	–	सामान्य वर्ग – शहरी 15 %, ग्रामीण 25 % अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य– शहरी 25 %, ग्रामीण 35 %
पात्रता	–	आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण, स्वसहायता समूह/ सोसायटी भी पात्र

10.9 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना–

(सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंको के माध्यम से ऋण वितरण)

1. ''शिशु'' – रू. 50,000 तक
2. ''किशोर'' – रू. 50,000 से अधिक एवं रू. 5 लाख तक,
3. ''तरूण'' – रू. 5 लाख से अधिक एवं रू. 10 लाख तक।

10.10 ''स्टैण्ड अप इंडिया'' योजना –

(अ) पात्रता – (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति, (3) महिला उद्यमी

(ब) लक्ष्य – प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी।

(स) ऋण सीमा – रू. 10 लाख से 1 करोड़ रू.।

10.10.1 स्वरोजगार योजनाएँ :–

तालिका 10.4 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम–(राशि लाख में)

क्र0	वर्ष	लक्ष्य		स्वीकृत		वितरित	
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	संख्या	राशि (मार्जिन मनी)	संख्या	राशि (मार्जिन मनी)
1	2018-19	1014	2535.65	1348	2811.62	1693	3527.37
2	2019-20 (सितं. 19)	1112	3337.37	311	737.25	359	719.05
3	2019-20 (मार्च 2020)	1112	3337.37	1421	2882.52	1572	3126.23
4	2020-21 (सितं. 2020)	1140	3421.01	507	1107.53	377	813.12
5	2020-21 (मार्च 2021)	1140	3421.01	1821	3917.18	1526	3217.64
6	2021-22 (मार्च 2022)	1375	4105.80	2026	4637.76	1593	3567.47
7	2022-23 (सितं. 2022)	1432	4259.19	1084	2917.71	532	1411.45

तालिका 10.5 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना– (राशि लाख में)

क्र0	वर्ष	लक्ष्य		स्वीकृत		वितरित	
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)
1-	2018-19	580	300.00	812	1816.84	431	140.93
2-	2019-20 (सितं. 19)	600	301.00	147	56.65	40	11.40
3-	2019-20 (मार्च 2020)	600	401.00	679	243.78	488	169.09
4-	2020-21 (सितं. 2020)	610	306.00	396	168.16	17	7.19
5-	2020-21 (मार्च 2021)	600	301.00	722	246.56	576	197.95
6-	2021-22 (मार्च 2022)	600	301.00	709	250.37	575	200.87
7	2022-23 (सितं. 2022)	600	301.00	173	69.11	39	15.33

तालिका 10.6 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (राशि करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य		शिशु		किशोर		तरूण		योग	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2021-22 (मार्च 2022)	544447	3465.00	648805	1896.1	149572	1869.16	19333	1400.98	817710	5166.24
2022-23 (सितं. 2022)	598891	3811.5	299206	879.34	66737	837.32	9026	702.53	374969	2419.19

तालिका 10.7 स्टैण्ड–अप योजना (राशि करोड़ में)

क्र.	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित प्रकरण संख्या	वितरित राशि
1	2021-22 (मार्च 2022)	4866	434	118.38	81	13.74
2	2021-22 (सितं. 2021)	4866	240	49.28	71	8.96

10.10.2 Ease of Doing Business (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) – उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईपी), भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा **EoDB** के तहत कराए जा रहे सुधारों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2019 में देश के टॉप एचिवर्स राज्यों में रहा।

10.10.3 Business Reform Action Plan- 2019 - वर्श 2020 में Ease of Doing Business के तहत 305 बिन्दुओं की सूची जारी की गई है जो कि राज्य के 23 **विभागों** एवं संस्थाओं से संबंधित है।

10.10.4 Ease of Doing Business के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा लागू किये गये प्रमुख सुधार एवं अन्य विभागों से कराए गए प्रमुख सुधार निम्नानुसार हैं–

1.	उद्योग विभाग एवं सी.एस.आई.डी.सी लिमिटेड	1. उद्योग विभाग द्वारा Single Window System के माध्यम से विभिन्न विभागों की 56 सेवाओं को Online प्रदाय किया जा रहा है। 2. Single Window System के माध्यम से इन सभी 56 सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान Online करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति/पंजीयन आदि Online डाउनलोड करने की सुविधा प्रदाय की गई है। 3. "उद्यम आकांक्षा" Online, निःशुल्क, बिना किसी संलग्नक के एवं स्वप्रमाणन के आधार पर तुरंत जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 69000 से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं। 4. उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। कोई भी निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है। 5. उद्योग से संबंधित सभी शंकाओ ं के समाधान करने हेतु विशेष टोल फ्री नंबर– 1800-233-3943 विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध कराया गया है तथा समस्याओं के निराकरण हेतु Grievance redressal प्रणाली विकसित की गई है। 6. CSIDC द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है। 7. प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध भूमि GIS पद्धति के माध्यम से देखने की सुविधा प्रदान कि गई है जिसका उपयोग करके कोई भी निवेशक पर्यावरण की दृष्टि से लाल, नारंगी, हरी या सफेद श्रेणी के उद्योगों हेतु उपलब्ध भूमि, आस–पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं जैसे की सड़क, नाले, नहर, विद्युत आपूर्ति आदि की जानकारी GIS पर आधारित नक्शे में देख सकते हैं। 8. औद्योगिक एवं गैर औद्या ेगिक क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिये आवेदन की भी ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 9. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतें औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है। 10. सरकारी खरीद में पारदर्शिता व स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु ई–मानक पोर्टल प्रारंभ किया गया है। 11. सूचना की सुलभता एवं पारदर्शिता हेतु विभाग की एकल खिड़की प्रणाली में पब्लिक डोमेन में प्रकरणों के निराकरण की स्थिति प्रदर्शित की जा रही है। जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।
2.	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय	1. वाष्पयंत्र के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 2. बॉयलर नवीनीकरण के लिये सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। कुल 391 बॉयलरों का नवीनीकरण सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से किया जा चुका है। 3. बॉयलर उत्पादनकर्ता के प ंजीयन तथा नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 4. बॉयलर निरीक्षण हेतु केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली विकसित की गई है। 5. थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।

3.	नगरीय प्रशासन विभाग	1. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु AutoCAD पर आधारित ऑनलाईन आवेदन की प्रणाली लागू की गई है। कुल 52917 आवेदन इस प्रणाली के माध्यम से निराकृत किये गये हैं। 2. छत्तीसगढ़ के भवन निर्माण अनुज्ञा की ऑनलाईन प्रणाली को DPIIT द्वारा Best Practice का दर्जा दिया गया है। 3. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण की प्रणाली GPS पर आधारित है। यह प्रणाली लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है। 4. भवन निर्माण अनुज्ञा की सिंगल विन्डो प्रणाली के माध्यम से अन्य विभागों की NOC जैसे– विमानन प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग आदि हेतु आवेदन की व्यवस्था लागू की गई है। 5. संपत्ति पंजीयन व संपत्ति कर की ऑनलाईन व्यवस्था की गई है। 6. ट्रेड लायसेंस हेतु स्वतः नवीनीकरण प्रणाली की अनुमति प्रदान कर दी गई है। 7. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत साईनेज लायसेंस के आवेदन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। 8. राज्य में सभी प्रकार के जल कनेक्शन के आवेदन हेतु आ ॅनलाईन डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की गई है। 9. सेवा हेतु थर्ड–पार्टी वेरिफिकेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है।
4.	नगर तथा ग्राम निवेश विभाग	1. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु भवनों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। 2. भवन निर्माण के पू रा होने के चरणों के दौरान लागू प्रमाणन के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू की गई है। 3. भूमि उपयोग परिवर्तन, निर्माण अनुमति, यूनिफार्म बिल्डिंग कोड की ऑनलाईन व्यवस्था निर्मित की जा रही है।
5.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	1. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति तथा परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों के अंतर्गत अनुज्ञा के आवेदन की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. सफेद श्रेणी के उद्योगो ं को उद्योग स्थापना एवं संचालन सम्मति लेने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है। 3. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति को स्व प्रमाणन के आधार पर नवीनीकरण की व्यवस्था लागू की गई है। 4. प्रथम स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति की वैधता 5 वर्ष कर दी गई है। 5. नारंगी श्रेणी को नियतकालिक निरीक्षण के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है। 6. सफेद एवं हरा श्रेणी के उद्योगों को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। 7. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है। 8. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत थर्ड–पार्टी वेरिफिकेशन प्रणाली विकसित की गई है। 9. खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवाजाही) नियम 2016 के लिये थर्ड–पार्टी वेरिफिकेशन प्रणाली विकसित की गई है।

6.	श्रम विभाग	1. समस्त श्रम कानूनों के तहत एकीकृत विवरणी दाखिल की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. फैक्ट्री लायसेन्स एवं उसकी नवीनीकरण की वैधता अधिकतम 10 वर्ष की गई है। 3. उद्योगों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है एवं निम्न जोखिम के उद्योगों को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। 4. मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिये विभागीय निरीक्षण की अनिवार्यता से मुक्त करते हुये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है। 5. समस्त श्रम कानूनों के तहत संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। 6. विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है। 7. दुकानों एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत गुमास्ता लायसेंस हेतु निरीक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। 8. सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ–साथ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित की गई है। 9. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आवेदन प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए विधि का अधिनियमन किया गया है। 10. थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।
7.	ऊर्जा विभाग	1. उद्योग के लिये विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाकर केवल 2 कर दी गई है। 2. विभाग की वेबसाईट के माध्यम से नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये भुगतान की जाने वाली राशि की गणना करने की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने की समय–सीमा 7 दिवस (जहाँ राइट–ऑफ वे लेने की आवश्यकता नहीं है) तथा 15 दिवस (जहाँ राइट–ऑफ वे लेने की आवश्यकता है) निर्धारित की गई है। 4. नवीन विद्युत कनेक्शन आवेदन हेतु ऑनलाईन डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की गई है। 5. इंड टू इंड आ वेदनों के निराकरण हेतु स्थल निरीक्षण की बाध्यता को समाप्त की गई है।
8.	पंजीयन विभाग	1. भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु आवश्यक डीड/करार के नमूने विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये हैं 2. भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु ई–स्टॉम्प की सुविधा प्रदाय की गई है। 3. पंजीयन, राजस्व तथा शहरी विकास प्राधिकरण के मध्य एकीकरण कर सम्पत्ति के संबंध में तीनो विभागों से संबंधित जानकारी एक ही वेबसाईट के माध्यम से सर्च करने हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जा रही है। 4. सम्पत्ति पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 5. विगत तीन वर्षों क` समस्त भूमि पंजीयन के दस्तावेज डिजिटल करवाये जाकर उनकी स्कैन प्रति ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है। विगत दस वर्षों के दस्तावेज डिजिटल करने की कार्यवाही की जा रही है। 6. सम्पत्ति पंजीयन हेतु पैन/आधार नंबर के द्वारा सत्यापन की सुविधा लागू की गई है। 7. नामांतरण की सुविधा को पंजीयन से एकीकृत कर नामांतरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है।

		8. पंजीयन हेतु सम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार लागू पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की गणना वेबसाईट के माध्यम से की जा सकती है। 9. डीड का पंजीयन एक दिवस के आधार पर जारी करने की सुविधा आरंभ कर दी गई है। 10. संपत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने और अनुमोदन के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की गई है।
9.	वाणिज्यिक कर विभाग	**1.** जी.एस.टी के अंतर्गत करदाता द्वारा दाखिल किये जाने वाले ई–फाईलिंग के संबंध में सहयोग हेतु हेल्पलाईन नंबर तथा प्रत्येक जिले में सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। **2.** स्टेट जी .एस.टी के अंतर्गत Advance Ruling हेतु Appellate का गठन तथा आवेदन के संबंध में समस्त जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है।
10.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	1. उद्योग स्थापना हेतु वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करने की समय सीमा घटाकर 48 घंटे की गई एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदक को भी ऑनलाईन देखने की सुविधा प्रदाय की गई है। 3. वृक्ष की प्रजातियों के आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम की श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। 4. भूमि संबंधी विवादों की न्यायिक डेटाबेस (राजस्व) के साथ भूमि रिकार्ड डेटाबेस को एकीकृत किया गया है जिसके माध्यम से किसी भूमि पर चल रही विवाद की स्थिति स्वतः ऑनलाईन अपडेट होने की सुविधा लागू की गई है। 5. व्यपवर्तन प्रकरणों के निराकरण को सरलीकृत करते हुए कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन व अन्य) हेतु सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचित किया गया है।
11.	विधि विभाग	**1.** वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में देश का प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना की गई है। **2.** वाणिज्यिक न्यायालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। **3.** ई–फाईलिंग एवं ई–सम्मन की सुविधा भी वाणिज्यिक न्या यालय में प्रदाय की गई है एवं न्यायिक फैसले डिजिटल साईन के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं जो कि वाणिज्यिक न्यायालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं। **4.** ई–फाईलिंग हेतु कोर्ट फीस तथा प्रोसेस फीस का भुगतान ऑनलाईन करने की सुविधा लागू की गई है। **5.** लोक सेवा गारं टी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। **6.** स्व–प्रमाणीकरण की व्यवस्था को अनुमति प्रदान कर दी गई है। **7.** थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।
12.	वन विभाग	1. काष्ठ परिवहन की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गयी है। 2. काष्ठ परिवहन की अनुमति की वैधता के ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. शासकीय काष्ठगार हेतु काष्ठ परिवहन के अनुज्ञा पत्र की कुल 4201 आवेदन का निराकरण ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है। 4. पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु काष्ठ परिवहन के अनुज्ञा पत्र की कुल 3188 आवेदन का निराकरण ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है।

13.	नापतौल विभाग	1. नापतौल विभाग के अंतर्गत पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली प्रारंभ की गयी है। 2. पंजीयन प्रमाण–पत्र की वैधता के ऑनलाईन सत्यापन की सुवि धा प्रारंभ की गयी है। 3. निरीक्षण प्रतिवेदन 48 घंटे के भीतर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
14.	लोक निर्माण विभाग	सड़क काटने की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। कुल 27 आवेदन ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं।
15.	खाद्य एवं औषधि विभाग	1. औषधि निर्माण एवं विक्रय की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गयी है। 2. थोक एवं विनिर्माण औषध लायसेंस हेतु स्व–नवीनीकरण की व्यवस्था को अनुमति प्रदान की गई है।
16.	वित्त विभाग (कोष एवं लेखा)	राज्य में लगने वाले समस्त करों की जान कारी एवं उनके ऑनलाईन भुगतान, ऑनलाईन रिटर्न फाइल करने की सुविधा हेतु पोर्टल विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से आवदकों/ करदाताओं को सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी।
17.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय	1. मुख्य विद्युत निरीक्ष णालय के अंतर्गत समस्त पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 2. चार्जिंग अनुमति हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक की ऑनलाईन प्रणाली को सीएसपीडीसीएल की वेबसाईट से संयोजित किया गया है। 3. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 4. थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है। 5. पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की गई है।
18.	रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ	1. साझेदारी फर्म्स एवं संस्थाओं के पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। कुल 22613 आवेदनों का निराकरण ऑनलाईन किया जा चुका है। 2. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 3. थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।
19.	आबकारी विभाग	1. FL-2, FL-3, FL-3(A), FL-4, FL-4(A), FL-5 तथा FL-5(A) लायसेंस के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 2. इंड टू इंड आवेदनों के निराकरण हेतु स्थल निरीक्षण की बाध्यता को समाप्त की गई है। 3. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 4. योग्य पंजीकरण में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं होने की स्थिति में स्व–प्रमाणन की अनुमति प्रदान की गई है। 5. थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।
20.	केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली	1. औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न विभागों द्वारा स ंपादित किए जाने वाले निरीक्षण में पारदर्शिता एवं जानकारी साझा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है जिसमें बॉयलर, श्रम विभाग एवं पर्यावरण विभाग को शामिल किया गया है। 2. उपरोक्त विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण की तिथि, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम आदि की जानकारी श्रम विभाग के केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध है। 3. सभी निरीक्षण प्रतिवेदन 24 घंटे के भीतर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता की गई है। 4. निरीक्षण के बिन्दु, निरीक्षण प्रक्रिया आदि की जानकारी केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। 5. आकस्मिक निरीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य किया जा रहा है।

21	गृह विभाग	1. फायर लायसेंस एवं सिनेमा हॉल लायसेंस ऑनलाईन प्रदाय हेतु ई–डिस्ट्रिक के माध्यम से प्रणाली निर्मित की गई है। 2. फायर लायसेंस एवं सिनेमा हॉल लायसेंस से संबंधित एनओसी हेतु उद्योग विभाग के सिंगल विंडो प्रणाली से जोड़ा गया है। 3. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 4. थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।
22	संस्कृति विभाग	1. मूवी शुटिंग लायसेंस प्रदाय हेतु ऑनलाईन प्रणाली का निर्माण की जा चुकी है। जिसमें नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन तथा संस्कृति विभाग संयुक्त रूप से एकल प्रणाली द्वारा निर्णय प्रदान करेंगे। 2. राज्य द्वारा सं रक्षित मोनुमेन्ट स्थल के अंतर्गत मूवी शुटिंग हेतु लायसेंस की ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। 3. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 4. थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है। 5. किसी भी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर को नामांकित किया गया है।
23	परिवहन विभाग	1. ट्रैव्हल्स एजेंसी के पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। 2. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय –सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 3. थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।

10.11 राज्य में रेल्वे लाइनों का विकास

राज्य के गठन के पूर्व राज्य में लगभग 1,186 कि.मी. का रेल्वे नेटवर्क था। राज्य में रेल अधोसंरचनाओं, का विकास करने के लिये राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम कम्पनियां बनाई, जिसके माध्यम से नई रेल लाईनों का विकास किया जा रहा है।

1 वर्तमान में राज्य में निम्नांकित रेल्वे कॉरीडोर एवं रेल लाईन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है–

- **ईस्ट रेल कॉरीडोर** – ईस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 12.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 18.01.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन कम्पनी के साथ किया जा चुका है। यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-1) खरसिया से धर्मजयगढ़ के मध्य तथा ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-2) धर्मजयगढ़ से कोरबा के मध्य बनाया जा रहा है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-1) का क्षेत्र खरसिया–धरमजयगढ़– घरघोड़ा–डोंगा महूआ, (131 कि.मी) है व इस कॉरीडोर में 08 स्टेशनें (गुरदा, छाल, घरघोड़ा, कोरीछापर, कुरूनकेला, धरमजयगढ़ रोड, डोलेसरा एवं पेलमा) स्थापित होगी। इसकी परियोजना लागत रूपये 3054.24 करोड़ है। वर्तमान में कोरीछापर, घरघोड़ा एवं धरमजयगढ़ से निरंतर मालगाड़ी का परिचालन किया जा रहा है। 31 अगस्त, 2022 तक की स्थिति में इस परियोजना से छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड को राशि रू. 116.00 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है। इस चरण में सितंबर 2022 तक की स्थिति में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का कार्य 96.65 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-2) धर्मजयगढ़ से कोरबा के मध्य 62.5 किमी लंबाई में रूपये 1686 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसके मार्च 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है।

- **ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर**– ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 25.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 05.04.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन के साथ किया जा चुका है। इसकी परियोजना लागत रूपये 4,970 करोड़ है।

परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही के संपूर्ण 135 कि.मी. में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर का क्षेत्र गेवरा–पेण्ड्रा रोड, उरगा–कुसमुण्डा (138 कि.मी) है व इस कॉरीडोर में 09 स्टेशन (सुरकछार, कटघोरा, बिन्झारा, पुटुवा, मटिनि, सेन्डुगढ़, पुटी पखाना, भण्डी, धनगवां) स्थापित होंगे।

उक्त दोनों कॉरीडोर के बन जाने से सुदूर आदिवासी अंचलों में यात्री परिवहन में आसानी के साथ–साथ माल परिवहन भी प्रारंभ करना संभव होगा। सितंबर 2022 तक की स्थिति में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का कार्य 33.93 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

- **दल्ली राजहरा–रावघाट रेललाईन परियोजना** – इस परियोजना में रेल्वे लाईन की लम्बाई 95 कि.मी. है। इसमें से प्रथम 60 कि.मी. तक रेललाईन का निर्माण किया जाकर दल्ली राजहरा–अंतागढ़ तक यात्री गाड़ी का परिचालन किया जा रहा है।

इस रेललाईन परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत रूपये 1,622.02 करोड़ है। इस रेललाईन के शेष हिस्से में निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है ।

- **रावघाट–जगदलपुर परियोजना** – इसकी परियोजना लागत रू. 2,538.60 करोड़ है व परियोजना में एन.एम.डी.सी., स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0, इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी है। परियोजना की स्थापना हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल कम्पनी – बस्तर रेल्वे प्रा.लि. गठित हो चुकी है।

रावघाट–जगदलपुर परियोजना की लम्बाई 140 कि.मी है। परियोजना की स्थापना हेतु ट्रेक एलाईनमेंट, लोकेशन सर्वे व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रेल्वे लाईन हेतु भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। डी.पी.आर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

- **चिरमिरी– नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना** – इसकी परियोजना लागत रू. 241 करोड़ है व परियोजना में भारतीय रेलवे एवं एवं छत्तीसगढ़ शासन की 50:50 की भागीदारी है। परियोजना का क्रियान्वयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जाना है।

चिरमिरी–नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना की लम्बाई 17 कि.मी है। इस रेल लिंक की स्थापना से मनेन्द्रगढ़ के निवासियों को रेल आवागमन हेतु अतिरिक्त मार्ग प्राप्त होगा, जिससे मुख्य मार्ग की यात्री ट्रेनो की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस लाईन के निर्माण हेतु दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे द्वारा सर्वे की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण होना अपेक्षित है।

2. राज्य में रेल्वे नेटवर्क के विकास हेतु दिनांक 09 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार, रेल मंत्रालय के मध्य एक एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है व एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन व रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी ''**छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड**'' गठित की गयी है। जिसमें राज्य शासन की भागीदारी 51 प्रतिशत है एवं भारत सरकार का सहभागिता 49 प्रतिशत है। एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त उपक्रम अनुबंध दिनांक 04.08.2016 को निष्पादित किया गया है।

संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा प्रथम चरण में निम्नांकित चार रेल्वे परियोजनाएँ की स्थापना हेतु अध्ययन किया गया है, जो एस.पी.व्ही. के माध्यम से क्रियान्वित हो सकेगी।

i. डोंगरगढ़–खैरागढ़–कवर्धा–मुंगेली–कोटा–कटघोरा, 295 कि.मी., रेल मंत्रालय से डी.पी.आर. अनुमोदित, परियोजना लागत रू. 5950 करोड़, नवीन एसपीव्ही हेतु सीआरसीएल, महाजेन्को एवं एसीबी आईईएल के मध्य सहमति, एसपीव्ही छत्तीसगढ़–कटघोरा–डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड गठित। रेल मार्ग हेतु सर्वे किया जाकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन।

ii. खरसिया–बलौदाबाजार–नया रायपुर–परमालकसा (दुर्ग) 268 कि.मी. रेल मंत्रालय से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त, संभावित परियोजना लागत रू. 5705 करोड। परियोजना पीपीपी मोड के तहत् क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु हितधारकों की पहचान का कार्य प्रगति पर है। डीपीआर अनुमोदन, हितधारकों की पहचान एवं परियोजना हेतु निवेश प्राप्त होने उपरांत भू–अर्जन प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी।

10.12 उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगम/बोर्ड

''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत एक ही निगम ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड'' गठित है। इस निगम की अधिकृत पूंजी रूपये 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी रूपये 1.60 करोड़ है।

भारत शासन द्वारा वर्ष 2000 में किये गये राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंर्तगत स्थापित निगमों यथा–(1) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर (2) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (3) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम (4) मध्यप्रदेश वित्त निगम (5) म.प्र.निर्यात निगम (6) म.प्र. औद्योगिक विकास निगम (7) मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन (8) मध्यप्रदेश टेक्सटाईल कार्पोरेशन को इसमें समाहित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निगम के द्वारा विभिन्न गतिविधियां निष्पादित की जाती हैं – यथा औद्योगिक संवर्धन, प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चामाल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों का संचालन, राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं नई दिल्ली के भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के मंडप का निर्माण एवं संचालन एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्देशित अनुसार अन्य कार्य।

10.13.1 स्थापित औद्योगिक क्षेत्र

(अ) निगम के नियंत्रणाधीन स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 10.8 स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
	औद्योगिक क्षेत्र (200 हेक्टेयर से अधिक)		
1	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	395.563	251.483
2	औद्योगिक विकास केन्द्र सिलतरा, रायपुर	1184.40	872.812
3	औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी, बिलासपुर	338.42	217.49
4	औद्योगिक विकास केंद्र बोरई, दुर्ग	450.810	192.462
5	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, बिलासपुर	244.86	157.56
	योगः–	**2614.053**	**1691.807**
	औद्योगिक क्षेत्र (100 से 200 हेक्टेयर तक)		
6	औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, रायपुर	164.300	103.48
7	इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज भिलाई	141.613	59.15
8	औद्योगिक क्षेत्र मेटलपार्क, रायपुर	101.790	35.82
	योगः–	**407.703**	**198.448**
	औद्योगिक क्षेत्र (50 से 100 हेक्टेयर तक)		
9	महरूम कला, राजनांदगांव	66.858	–
10	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर	55.84	39.48
11	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) बिरकोनी, महासमुंद	96.42	41.82
12	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) नयनपुर–गिरवरगंज,	51.237	24.061
13	फुडपार्क बगौद, धमतरी	68.74	23.45
14	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) लखनपुरी, कांकेर	53.30	25.86
	योगः–	**392.39**	**154.671**

औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर तक)			
15	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, रायपुर	37.18	30.95
16	औद्योगिक क्षेत्र आमासिवनी, रायपुर	11.83	10.04
17	अंजनी, पेण्ड्रारोड	19.42	10.89
18	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) हरिनछपरा कबीरधाम	20.93	11.09
19	औद्योगिक क्षेत्र तेन्दुआ, रायपुर	20.991	7.27
20	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी)टेकनार, जिला दन्तेवाड़ा	19.27	9.016
21	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) कॉपन, जिला जांजगीर चांपा	43.06	15.325
22	औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी तिल्दा, रायपुर	32.32	15.29
23	औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द, जिला सरगुजा	12.25	4.73
24	इलेक्ट्रानिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर नवा रायपुर	45.75	22.83
25	औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द, राजनांदगांव	37.12	13.87
26	औद्योगिक क्षेत्र अवरेठी, भाटापारा	8.615	5.479
27	औद्यौगिक क्षेत्र सिलपहरी (ब्लॉक'ए,बी एवं सी) बिलासपुर	24.96	17.91
योगः–		**333.696**	**174.69**

(ब) एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC):– भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। नवीनयोजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि का अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है।

भारत शासन के सहयोग से निम्न नये एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 10.9 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र

क्रं.	औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)	केन्द्रीय अनुदान (रु.करोड़ में)	राज्य शासन का अंश (रु.करोड़ में)
1.	खमरिया	मुंगेली	60	20.93	6.00	14.93
2.	परसगढ़ी	कोरिया	32	12.20	6.00	6.20
3.	सियारपाली / महुआपाली	रायगढ़	39	16.24	6.00	10.24

प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र :–

क्रं.	प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)
1	ग्राम परसिया	मुंगेली	192.02	42.75
2	ग्राम सेलर	बिलासपुर	95.02	28.48

तालिका 10.10 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र अंतर्गत प्रस्तावित आई.आई.डी.सी.				
क्रं.	प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)
1.	अभनपुर	रायपुर	39.88	11.61
2.	जी–जामगांव	धमतरी	24.71	7.67

- **मेटल पार्क– जिला रायपुर** :– विशिष्ट उद्योगों पर आधारित औद्योगिक पार्को की स्थापना के अंतर्गत रायपुर में रावांभाटा में फेरस तथा नान फेरस डाऊनस्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावांभाटा में स्थापित मेटल पार्क विकसित किया गया है।

- **इंजीनियरिंग पार्क– जिला दुर्ग** :– विशिष्ट उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के अंतर्गत इंजीनियरिंग उत्पाद संबंधी समूह उद्योगों के विकास हेतु भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 122.618 हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया है।

- **इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर – जिला रायपुर** :– नया रायपुर में 48.56 हे. भूमि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चिरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रारंभ किया जाकर उद्योग स्थापना हेतु अब तक 8 इकाईयों को भूमि आबंटित की गई है तथा 06 इकाईयों को भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रकियाधीन है। 5 इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है।

- **फूड पार्क– जिला धमतरी** :– ग्राम बगौद जिला–धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना की गई है। अनुमानित परियोजना लागत रू. 45.00 करोड़ है। अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रगति पर है। 40 इकाईयों को भूमि का आबंटन किया जा चुका है। 06 इकाईयों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा 08 इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

10.13.2 स्थापनाधीन/प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

- **नवीन फूड पार्कको स्थापना** – राज्य में नॉन–कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 200 फूड पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु विभिन्न जिलों के 146 विकासखण्डों में से 114 विकासखण्डों में भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। शेश विकासखण्डों में भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभाग को राज्य के 57 विकासखण्डों में भूमि हस्तांतरण आदेश पारित किया गया है व 53 विकासखण्डों की कुल रकबा 630.746 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आधिपत्य विभाग को प्राप्त हो गया है, जिनमें सर्वे एवं डिमार्केशन की कार्यवाही प्रचलन में है। सर्वे एवं डिमार्केशन पश्चात् ग्राम सुकमा जिला–सुकमा में अधोसंरचना विकास का कार्य वूर्ण किया जाकर फूड पार्क की स्थापना की जा चुकी है व चार जिलों में यथा विकासखण्ड छिन्दगढ़, कोन्टा, जिला–सुकमा व तहसील पखंजुर व ग्राम श्यामतराई में फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क– जिला रायपुर** – रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है, जिसकी प्रारंभिक परियोजना लागत रु. 350 करोड़ है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है तथा Architectural Consultant की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **प्लास्टिक पार्क** – भारत सरकार प्लास्टिक पार्क योजना अंतर्गत ग्राम सरोरा, जिला–रायपुर में 46 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इस पार्क की प्रारंभिक परियोजना लागत रु. 44.00 करोड़ है तथा इस हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है व प्लास्टिक पार्क का अभिन्यास ग्राम तथा नगर निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

10.13.3 परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई – सीएसआईडीसी के अधीन परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3,500 लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रयोगशाला हेतु एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त की गई है एवं अब इसके परीक्षण राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं।

10.13.4 लघु उद्योगो को विपणन सुविधा :– राज्य के लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में लागू ''छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम–2002 (यथा संशोधित)'' में संशोधन किये गये है। जिसके फलस्वरूप समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे। भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 की आरक्षित सूची मे कुल 73 कैटेगरी (150 वस्तुएं) सूचीबद्व हैं।

भण्डार क्रय नियम–3 के तहत् परिशिष्ट–1 की सूची में वस्तुओं के दर निर्धारण एवं दर अनुबंध हेतु शासन द्वारा निविदा प्रक्रियॉ में पारदर्शिता करने के उददे्श्य से क्रियान्वित ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत निर्माता इकाई या निर्माता इकाई के अधिकृत प्रदायकर्ता इकाई (दोनो में से कोई एक) के लिए ई–निविदा प्रकाशित की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत आमंत्रित ई–निविदा में प्रचलित दर निर्धारण प्रक्रियॉ अनुसार छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम में निहित प्रावधान के तहत् आरक्षित सामग्रियों की दरें निर्धारित कर पात्र निविदाकर्ता इकाईयों के पक्ष में दर अनुबंधित निष्पादित किया जाता है।

10.13.5 ई–मानक पोर्टल से शासकीय खरीदी :– भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 सूची में उल्लेखित वस्तुओं की निर्धारित दर एवं दर अनुबंध में अनुबंधित प्रदायकर्ता

इकाईयों का प्रकाशन राज्य में शासकीय खरीदी के लिए 1 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किए गए ई–मानक (e-Mane-C e-Marketing Network of Chhattisgarh) से किया जा रहा है। ई–मानक पोर्टल की वेब–साईट http://ceps.cg.gov.in है।

10.13.6 कौशल उन्नयन गतिविधियां

10.13.6.1 अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर :– रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर स्थापित किये गये हैं। इससे राज्य के युवाओं को अपेरल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त हो रहा है।

बस्तर संभाग में युवाओं हेतु कौशल विकास/प्रशिक्षण

- बस्तर संभाग के जिला सुकमा में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर की स्थापित है।
- इस प्रशिक्षण केन्द्र में 240 युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा ।
- प्रशिक्षण केन्द्र में वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न ट्रेड जैसे अपेरल मैन्युफेक्चरिंग टेक्नालाजी, प्रोडक्शन सुपरविज़न, अपेरल पैटर्न मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कटिंग, टेलरिंग, सिलाई मशीन आपरेटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

10.13.6.2 एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, बोरई, दुर्ग :– भारत सरकार, एम.एस. एम.ई. मंत्रालय द्वारा ''टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम'' के अंतर्गत लगभग रु. 112 करोड़ की लागत से बोरई, जिला–दुर्ग में टूल रुम की स्थापना की गई। इस संस्थान में एम.एस. एम.ई. उद्योगों को परीक्षण सुविधा एवं युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है।

10.13.6.3 सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट) :– प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु सीपेट (सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी) को स्थापित किया गया है। यहां दीर्घकालीन एवं डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालित हैं।

10.13.7 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना :– आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना का प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बजट राशि रू. 16.52 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राशि राज्यांश का

है। इस वित्तीय वर्शमें रू. 9.91 करोड़ केन्द्रांश तथा रू. 6.61 करोड़ राज्यांश कुल राशि रू. 16.52 करोड़ प्राप्त हो चुका है।

योजना के अंतर्गत 126 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत कर 47 लाभार्थियों को राशि रू. 1.19 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया है। योजना में SRLM के SHGs के 8,146 सदस्यों को राशि रू. 8.32 करोड़ एवं SULM के SHGs के 498 सदस्यों को राशि रू. 1.27 करोड़ सीड कैपिटल हेतु वितरित किया गया है।

10.13.8 बायो एथेनाल इकाईयों की स्थापना :– राज्य में बायो एथेनाल प्लांट की स्थापना हेतु 33 निवेशकों के साथ राशि रु. 6079.65 करोड़ के निवेश से एथेनाल उत्पादन के लिये एमओयू निश्पादित किये गये हैं।

निगम की वर्ष 2022–23 में व्यावसायिक गतिविधियॉ

10.13.9 लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा :–

टैस्टिंग लैब भिलाई में केमिकल, मेटलर्जीकल सेम्पल परीक्षित – 3072

सिविल व इलेक्ट्रिक सेम्पलों का परीक्षण आय – रू 14.33 लाख

10.13.10 फर्नीचर व शीट मेटल उद्योगों का संचालन

अ–फर्नीचर वर्क्स, अभनपुर	उत्पादन	रू. 258.00 लाख
	विक्रय	रू. 254.95 लाख
ब–कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई	उत्पादन	रू. 416.45 लाख
	विक्रय	रु. 405.68 लाख

10.13.11 ऑनलाईन भुगतान सुविधा :– सीएसआईडीसी द्वारा भू–आबंटी इकाईयों से भू–आबंटन से संबंधित राशियों (प्रीमियम, लीज़रेंट, मेंटनेंस आदि) की वसूली हेतु ऑनलाईन सुविधा सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है।

10.13.12 भू–आबंटन पत्रों को ऑनलाईन प्राप्त करना :– दिनांक 7 मार्च 2015 से लागू नवीन छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के परिपालन में उद्यमी को मांगपत्र, आशयपत्र, आबंटन आदेश, भू–प्रब्याजि में छूट, आशय पत्र में समयावधि विस्तार, संशोधन मांगपत्र आदि की समस्त प्रक्रिया आनलाईन की जा रही है ।

10.13.13 जल–आपूर्ति संयोजन हेतु ऑनलाईन आवदेन पत्र सुविधा :– इकाईयों को जल–आपूर्ति के लिये ऑनलाईन आबंटन सुविधा प्रारंभ की गई है।

10.13.14 औद्यौगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप :– राज्य में औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप तैयार कराया जाकर आनलाईन किया गया है। साथ ही लैण्ड बैंक की उपलब्ध भूमि का भी जी.आई.एस. मैप अद्यतन कराया जा रहा है।

10.13.15 अन्य अधोसंरचना

- **सिलतरा शापिंग काम्पलेक्स, रायपुर** :– राज्य के रायपुर जिले के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में नवीन शापिंग काम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इस भवन में भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 121 कक्ष (व्यवसायिक दुकान–108/कार्यालय–12/ रेस्टॉरेंट–1) निर्मित जिसमें 78 आबंटित है एवं 43 रिक्त हैं। रिक्त दुकानों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **व्यवसायिक परिसर तिफरा, बिलासपुर** :– राज्य के बिलासपुर जिले में तिफरा व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया है। इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल में कुल 16 कक्ष (दुकान–11/कार्यालय–4/बैंक एटीएम–1) निर्मित किये गये तथा आबंटन किया गया है।

- **व्यावसायिक परिसर बिरकोनी महासमुंद** :– राज्य के महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र के अंतर्गत 10 दुकानों का निर्माण किया गया है जिसमें 3 आंबटित है और 7 दुकान रिक्त है। रिक्त दुकानों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **वाणिज्यिक परिसर डंगनिया, रायपुर** :– राज्य के रायपुर शहर में निगम के आधिपत्य की भूमि पर पांच तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें सी.एस.आर. के अंतर्गत एटीडीसी को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही रेल कारीडोर परियोजना हेतु गठित छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमि. एवं छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमि. को स्थान किराये पर उपलब्ध कराया गया है। भूतल में 2 दुकान एवं 1 ऑफिस कार्यालय रिक्त है। रिक्त दुकानों/कार्यालय के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **उद्योग भवन, रायपुर** :– राज्य के रायपुर जिले में जी + 3 तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल पर उद्योग संचालनालय एवं प्रथम तल पर सीएसआईडीसी मुख्यालय स्थापित है। परिसर के द्वितीय तल पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल तृतीय तल पर एमएसटीसी लि., ई.सी.जी.सी. लि., फिक्की, पीचडी चैम्बर ऑफ कामर्स के कार्यालय हेतु मासिक किराये पर आबंटित है। इसके अतिरिक्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द, वाष्प निरीक्षण (बॉयलर) एवं सीएसआईडीसी तकनीकी कक्ष रायपुर को कार्यालय हेतु भी आबंटित किया गया है।

- **व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, कबीरधाम** :– राज्य के कबीरधाम जिले में हरिनछपरा औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया जिसमें भूतल पर 6 दुकाने एवं प्रथम तल पर 1 प्रशासकीय भवन कुल 7 भवनों के आबंटन/किराये पर देने विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

- **व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर** :– राज्य के बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में दो गोडाउन निर्माण किया गया है जिसे किराये पर दिया गया है।

- **औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर** :– राज्य के औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर में वेयर हाऊस पर्पस के आरक्षित 8,000 वर्गफीट भूमि के आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

10.13.16 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नई राजधानी, रायपुर :– छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से एक दशक की अवधि में व्यापार एवं उद्योग की दिशा में तीव्र गति से हुए विकास एवं राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा आयात–निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कान्फ्रेन्स, सेमिनार इत्यादि के लिये एक सर्व सुविधायुक्त ट्रेड सेंटर जिसमें आयात–निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिये एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर का प्रावधान भी हो, के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। उक्त परियोजना का

निर्माण कार्य नोडल एजेन्सी छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा नया रायपुर में नया रायपुर डेव्हलपमेंट एजेंसी से पट्टे पर प्राप्त कुल 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। कुल पुनरीक्षित परियोजना लागत रू. 192.14 करोड़ है।

वर्तमान में उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत कुछ आंतरिक सड़कों के साथ–साथ प्रदर्शनी परिसर, कल्चरल प्रोग्राम ग्राऊण्ड, पाथवेज एवं बाऊण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 700 सीटर आडिटोरियम सहित Export Facilitation cum Convention Centre तथा Cultural Programme Stage का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

10.13.17 अन्य मुख्य कार्यकलाप :– विभाग के उपक्रम सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास हेतु देश–विदेश के औद्योगिक समूहों/उद्योगपतियों की राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु रूचि जागृत करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई वेबसाइट को और अधिक व्यवस्थित किया गया है। इसमें राज्य के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक अधोसंरचना, नीतियां तथा स्थापित विकास केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस वेबसाइट का पता www.csidc.in है।

10.14 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण :– इस सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत समस्त फैक्ट्री, बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों को शामिल किया जाता है। विगत उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (2013–14 से 2019–20) का मदवार विवरण नीचे दर्शित तालिका 10.11 में दिया गया है। इस तालिका से स्पष्ट होता है, कि वर्ष 2019–20 में कुल उत्पादन में 3.46 प्रतिशत, कुल आदाय में 4.57 प्रतिशत की कमी एवं सकल वैल्यू एडेड में 3.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2019–20 के आधार पर प्रति इकाई निष्पादन का विस्तृत विवरण तालिका 10.12 में दर्शित है।

तालिका 10.11 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की चयनित विशेषताओं का अनुमान (लाख रू.)									
क्र.	विशेषताएं	2013–14	2014–15	2015–16	2016.17	2017.18	2018.19	2019.20 (P)	प्रतिशत वृद्धि
1	कारखानों की संख्या	2534	2809	3037	3109	3352	3576	3892	8.84
2	स्थायी पूंजी	6408052	7793471	8601196	12513740	11276704	11523679	11466364	-0.50
3	कार्यशील पूंजी	5035782	7022346	5052668	997278	374077	1252319	1314736	4.98
4	पूँजी निवेश	8091611	9709592	10157306	14293149	13233410	14011199	14029038	0.13
5	बकाया ऋण	3318023	3642340	5127954	6621648	5350086	4714709	4024269	-14.64
6	कुल उत्पादन	10599069	11977648	9731760	10866631	12560528	17133370	16540759	-3.46
7	कच्चे माल का उपयोग	5976498	6873188	5408681	5977077	7543325	10572419	9886347	-6.49
8	ईंधन खपत	890129	1116519	1078913	1144217	1345576	1763128	1639029	-7.04
9	कुल आदाय	8153091	9751457	8332273	9159242	10604081	14671040	14000035	-4.57
10	सकल वेल्यू एडेड	2157709	2226191	1399487	1707652	1956447	2462331	2540724	3.18
11	शुद्ध वेल्यू एडेड	2125353	1815125	939603	1138267	1449542	1874773	1927593	2.82
12	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	1232281	1407004	1253597	1291546	866708	990668	568601	-42.60
13	सकल पूंजी निर्माण	1300026	1339751	1093147	1432718	1143164	1539915	629709	-59.11
14	लाभ	1261218	805046	-38707	-101798	58863	253818	194736	-23.28

Source- csoisw.gov.in

तालिका 10.12 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की प्रति इकाई निष्पादन									
क्र.	सूचक	2013–14	2014–15	2015–16	2016.17	2017.18	2018.19	2019.20 (P)	% वृद्धि
1	स्थायी पूंजी	2529	2774	2832	4025	3364	3223	2946	-8.59
2	कार्यशील पूंजी	1987	2500	1664	321	112	350	338	-3.48
3	पूंजी निवेश	3193	3457	3345	4597	3948	3918	3605	-8.00
4	बकाया ऋण	1309	1297	1688	2130	1596	1318	1034	-21.55
5	कुल उत्पादन	4183	4264	3204	3495	3747	4791	4250	-11.29
6	कच्चे माल का उपयोग	2359	2447	1781	1923	2250	2956	2540	-14.07
7	ईंधन खपत	351	397	355	368	401	493	421	-14.58
8	कुल आदाय	3217	3472	2744	2946	3164	4103	3597	-12.33
9	सकल वेल्यू एडेड	852	793	461	549	584	689	653	-5.25
10	शुद्ध वेल्यू एडेड	839	646	309	366	432	524	495	-5.48
11	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	486	501	413	415	259	277	146	-47.26
12	सकल पूंजी निर्माण	513	477	360	461	341	431	162	-62.46
13	लाभ	498	287	-13	-33	18	71	50	-29.53

Source- csoisw.gov.in

10.15.1 छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदानः– उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2019– 20 से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीन उद्योग है– खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण तथा मूल धात्विक उत्पादन है जिसका विवरण सारणी 10.13 में दर्शाया गया है–

तालिका 10.13 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रू.) वर्ष 2019–20

क.	महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रू.)					उद्योगों का प्रतिशत योगदान		
	विशेषताएं	2019-20 (P)	10	23	24	10	23	24
1	कारखानों की संख्या	3892	1741	438	634	44.73	11.25	16.29
2	स्थायी पूंजी	11466364	253080	1499246	6407806	2.21	13.08	55.88
3	कार्यशील पूंजी	1314736	270001	48889	1585154	20.54	3.72	120.57
4	पूंजी निवेश	14029038	521510	1703562	8099381	3.72	12.14	57.73
5	बकाया ऋण	4024269	324092	365751	1832215	8.05	9.09	45.53
6	कुल उत्पादन	16540759	1882807	1253075	10955243	11.38	7.58	66.23
7	कच्चे माल का उपयोग	9886347	1271823	511139	6785627	12.86	5.17	68.64
8	ईंधन खपत	1639029	53563	251812	1259015	3.27	15.36	76.81
9	कुल आदाय	14000035	1719302	908240	9339671	12.28	6.49	66.71
10	**सकल वेल्यू एडेड**	2540724	163505	344835	1615572	6.44	13.57	63.59
11	शुद्ध वेल्यू एडेड	1927593	131738	237205	1265722	6.83	12.31	65.66
12	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	568601	50874	108586	345276	8.95	19.10	60.72
13	सकल पूंजी निर्माण	629709	34502	118594	466890	5.48	18.83	74.14
14	**लाभ**	194736	43100	109804	157309	22.13	56.39	80.78

स्त्रोत – उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 19–20 10 (NIC'08)= खाद्ध उत्पादों काविनिर्माण, 23 (NIC'08)= गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण(सीमेंट सहित), 24 (NIC '08) = मूल धात्विक उत्पादों का विनिर्माण

Source- csoisw.gov.in

10.15.2 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य की तुलनाः– अखिल भारत एवं छत्तीसगढ राज्य के कारखाना क्षेत्र के ऑकड़ों का वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 का तुलनात्मक विवरण तालिका क्र. 10.14 में दर्शित है।

तालिका 10.14 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य का कारखाना क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण (लाख रू.)						
विशेषताएं	2018–19			2019–20 (P)		
	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग
कारखानों की संख्या	242395	3576	1.48	246504	3892	1.58
स्थायी पूंजी	346677252	11523679	3.32	364135165	11466364	3.15
कार्यशील पूंजी	80872883	1252319	1.55	88330079	1314736	1.49
पूँजी निवेश	477799539	14011199	2.93	497362352	14029038	2.82
बकाया ऋण	130593011	4714709	3.61	132783454	4024269	3.03
कुल उत्पादन	928336190	17133370	1.85	898330129	16540759	1.84
कच्चे माल का उपयोग	610740645	10572419	1.73	583028632	9886347	1.70
ईंधन खपत	40924015	1763128	4.31	583028632	1639029	0.28
कुल आदाय	774804505	14671040	1.89	749755617	14000035	1.87
सकल वेल्यू एडेड	153531684	2462331	1.6	148574512	2540724	1.71
सकल स्थायी पूंजी निर्माण	34472276	990668	2.87	41671537	568601	1.36
सकल पूंजी निर्माण	48716458	1539915	3.16	41848826	629709	1.50
लाभ	55375124	253818	0.46	46947269	194736	0.41
श्रमिक संख्या	12795269	170823	1.34	13058156	185553	1.42
काम में लगे कुल व्यक्ति	16277019	213167	1.31	16624291	228927	1.38

Source- csoisw.gov.in

10.16 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर मापी जाती है। विश्व के लगभग सभी देशों में इस सूचकांक का आकलन किया जाता है। इसके अलावा भारत के प्रमुख राज्य में भी राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक तैयार किए जाते हैं। छतीसगढ़ में इस सूचकांक के तैयार नहीं होने के कारण भारत के सूचकांक को मानते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संपूर्ण भारत के लिए मासिक IIP संकलन कर जारी करता है।

तालिका 10.15 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक						
क्षेत्र	भार (Weight)	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक		औद्योगिक उत्पादन सूचकांक		प्रतिशत वृद्धि; 2021.–22
		अक्टू. 21	अक्टू. 22	2020–21	2021–22	अक्टू.21
सामान्य सूचकांक	100	135.0	129.6	118.1	131.6	11.43
खनन	14.37	109.8	112.5	101.0	113.3	12.18
विनिर्माण	77.63	136.4	128.7	117.2	131.0	11.77
विद्युत	7.99	167.3	169.3	157.6	170.1	7.93
स्त्रोत– mospi.gov.in						

ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग)

10.17 प्रदेश में टसर कृमिपालन का कार्य परंपरागत है। संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन विशेष कर अनुसूचित जाति जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य को दो प्रकार की रेशम प्रजातियों टसर एवं मलबरी ककून का उत्पादन होता है।

10.17.1 पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना :– इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा–अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते हैं। इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधे उपलब्ध हैं, इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा टसर स्वस्थ्य डिम्ब समूह रियायती दर पर 2.00 प्रति स्व.समूह (अंडे) की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थ्य डिम्ब समूह उपलब्ध कराया जाता है। जिससे वर्ष में तीन फसल कृषकों द्वारा उत्पादित की जा सकती हैं। प्रत्येक फसल में 8,000 से 10,000 टसर कोसा का उत्पादन कर 500 रू से 3,000 रू. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, उक्त योजना प्रदेश के 33 जिलों में संचालित 423 टसर कोसा बीज केन्द्रों एवं नवीन (राजस्व/वन भूमि) विस्तार केन्द्र तथा चिन्हांकित वन क्षेत्रों में योजना क्रियान्वित की जा रही है।

वर्ष 2022–23 में कुल 876.95 लाख नग पालित कोसा का उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध माह सितम्बर–2022 तक 165.163 लाख नग कोसा का उत्पादन हुआ साथ ही 30,415 हितग्राही/श्रमिको को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरूद्ध माह सितं 22 तक कुल 16,751 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुये हैं।

तालिका 10.16 विगत वर्षो की पालित प्रजाति के टसर ककून उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	21–22	22–23 (सितं 22)
1	पालित टसर	लाख नग में	874.002	851.543	948.302	982.40	742.045	711.651	165.163
2	लाभान्वित हितग्राही/श्रमिक	संख्या में	33639	34117	33095	31593	28263	29852	16751

10.17.2 **नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना** :– वर्ष 2021–22 में नैसर्गिक ककून का प्रस्तावित लक्ष्य 1700.054 लाख नग कोसा का लक्ष्य प्रस्तावित है जिससे 58639 हितग्राही/संग्रहक लाभान्वित करने का लक्ष्य है । माह मार्च–2022तक अनुमानित कुल 549.247 लाख कोसा का सग्रहण हुआ जिससे 16765 अनुमानित हितग्राही लाभान्वित हुये है । वर्ष 2022–23 में कुल 1800 लाख नग नैसर्गिक कोसा का उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित है, तथा 60000 हितग्राही लाभान्वित करना प्रस्तावित है। माह सितम्बर–2022 तक कुल 35.01 लाख नग कोसा का उत्पादन हो चुका है जिससे कुल 1221 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हो रहे है कार्य प्रगति पर है।

तालिका 10.17 विगत वर्षों में नैसर्गिक ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23 (सितं. 22)
1	लगाये गये केम्प	संख्या	224	590	120	139	46	119	37
2	नैसर्गिक ककून उत्पादन	लाख नग	1110.157	1975.802	990.817	1624.34	907.76	549.247	35.01
3	लभान्वित हितग्राही	संख्या	44009	46386	32765	53268	25408	16765	1221

10.17.3 टसर धागा करण योजना :– प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्ष 2021–22 में साख्यिकी आधार पर 484.159 मि.टन टसर रा सिल्क एवं स्पन सिल्क उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है माह मार्च– 2022 तक कुल 216.597 मि0ट0 रा सिल्क का उत्पादन सांख्यिकीय आधारित है। वर्ष 2022–23में साख्यिकी आधार पर 491.50 मि.टन टसर रा सिल्क एवं स्पन सिल्क उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है माह सितम्बर– 2022 तक कुल 31.777 मि0ट0 रा सिल्क का उत्पादन सांख्यिकीय आधारित है, कार्य प्रगति पर है।

तालिका 10.18 विगत वर्षों में रा–सिल्क एवं स्पन सिल्क का उत्पादन विवरण

क्र.	विवरण	इकाई	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22–23 (सितं. 22)
1	टसर रॉ एवं स्पन धागा उत्पादन सांख्यिकी आधारित	मि.टन में	353.13	522.892	340.406	472.228	292.859	216.597	31.777

10.17.4 मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना :– प्रदेश में 66 रेशम केन्द्र, 18 ककून बैंक 04 यार्न बैंक संचालित हैं।

वर्ष 2021–22 में 70000 किलोग्राम लक्ष्य प्रस्तावित है जिससे कुल 2,965 हितग्राही/श्रमिको को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है माह मार्च– 2022 तक कुल 59,289 किलोग्राम कोसा का उत्पादन हुआ जिससे 2,755 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुये है। वर्ष 2022–23 में 70,000 किलोग्राम लक्ष्य प्रस्तावित है जिससे कुल 2,955 हितग्राही/श्रमिको को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है माह सितम्बर– 2022 तक कुल 14,001 किलोग्राम कोसा का उत्पादन हुआ जिससे 1694 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुये है

तालिका 10.19 विगत वर्षों में पालित मलबरी, ककून का उत्पादन									
क्र.	विवरण	इकाई	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	21–22	22–23 (सितं.21)
1	मलबरी ककून उत्पादन	कि0ग्रा0 में	60501	68639	68914	57275	58428	59289	14001
2	लाभान्वित हितग्राही / श्रमिक	संख्या	2675	2936	3137	2469	2763	2755	1694

रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2021–22 में 92,989 हितग्राही / श्रमिक लाभान्वित का लक्ष्य रखा गया हैं। माह मार्च– 2022 तक कुल 49,372 हितग्राही / श्रमिक लाभान्वित हुये है । वर्ष 2022–23 में 93,370 हितग्राही / श्रमिक लाभान्वित का लक्ष्य रखा गया है माह सितम्बर–2022 तक कुल 19,666 हितग्राही / श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है।

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

10.18 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग हाथकरघा बुनाई के परंपरागत धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 18,598 करघों पर लगभग 55,774 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं। राज्य के जांजगीर –चांपा एवं रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं, तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुन्द, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर सूतीवस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। राज्य के कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं।

तालिका 10.20 हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियां रोजगार

क्र.	विवरण	वर्ष वार प्रगति				
		2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	बुनकर समितियां	245	256	265	292	301
2	कार्यशील करघे	17747	18598	19265	19265	19725
3	बुनाई रोजगार	53241	55774	57795	57795	59175

10.18.1 नेशनल हैण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा प्रदर्शनी:– प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन के सहयोग से हाथकरघा संघ द्वारा रायपुर तथा भिलाई में नेशनल हैण्डलूम एक्सपो किया गया। स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो बिलासपुर, कोटा (राजस्थान), भोपाल (मध्यप्रदेश), विशाखापट्टनम (आन्ध्रप्रदेश), कलकत्ता (पं.बंगाल), मुम्बई (महाराष्ट्र) तथा भुवनेश्वर (उड़ीसा) में आयोजित किया गया। हाथकरघा संघ द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शनी जगदलपुर, कवर्धा, जशपुर, अंम्बिकापुर, धामतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद तथा मुंगेली में आयोजित किया गया।

तालिका 10.21 नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा

वर्ष	प्रदर्शन हेतु आबंटन राशि			हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री
	राज्य	केन्द्र	योग	
2015–16	61.00	112.00	173.00	987.00
2016–17	62.00	46.00	108.00	311.00
2017–18	65.00	30.00	95.00	480.00
2018–19	65.00	34.00	99.00	369.00
2019–20	62.00	0	62.00	188.63
2020–21	0	0	0	0
2021–22	0	0	0	0

10.18.2 शासकीय विभागों में हाथकरघा वस्त्र प्रदाय :– छत्तीसगढ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ द्वारा प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों के माध्यम से शासकीय वस्त्र प्रदाय योजनान्तर्गत वस्त्र उत्पदन कार्यक्रम संचालित है। इस योजनान्तर्गत शासकीय विभागों में लगने वाले वस्त्रों की आपूर्ति, प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों से उत्पादन कराकर की जा रही है। इस योजना से राज्य के बुनकरों को नियमित रोजगार सुलभ हुआ है।

तालिका 10.22 शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना से नियमित रोजगार

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति				
		2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	आपूर्ति	159.72	193.84	181.97	123.35	168.89
2	धागा प्रदाय	64.30	70.00	49.66	29.27	9.94
3	बुनाई पारिश्रमिक	51.18	75.16	47.62	28.80	37.62

10.19 छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उददेश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों की इकाई स्थापना कराना है तथा उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से कियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

10.19.1 मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम :– छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित परिवार मूलक योजना को संशोधित कर मुख्यमंत्री रोजगार एवं सृजन कार्यक्रम नवीन योजना की स्वीकृति दी गई है। योजनांतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु रू. 1.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु रू. 3.00 लाख तथा अनुदान राशि की सीमा 35 प्रतिशत है, जिसमें लाभार्थी द्वारा 5% स्वयं अंशदान विनियोजित करना होता हैं। इस योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना कराकर स्वरोजगार से लगाने हेतु लाभान्वित किया जाता है।

तालिका 10.23 मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख)

वर्ष	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय	रोजगार	भौतिक	वित्तीय	रोजगार
2017–18	489	512.50	2934	799	512.50	4794
2018–19	583	612.50	3498	643	397.89	3858
2019–20	624	655.50	3744	686	426.00	4116
2020–21	661	694.83	3966	465	486.38	2790
2021–22	728	764.30	4368	544	380-80	3264
2022–23 (सितम्बर 2022)	714	750	4284	91	54-96	546

10.19.2 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :– इस योजनांतर्गत सेवा क्षेत्र हेतु रू. 20.00 लाख तथा विनिर्माण क्षेत्र हेतु रू. 50.00 लाख तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित करने पर सामान्य पुरूष वर्ग को 25% तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. व महिलाओं को 35% मार्जिन मनी (अनुदान) बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में सामान्य वर्ग के पुरूष को परियोजना लागत का 10% तथा अन्य को 5% स्वयं का अंशदान विनियोजित करना होता है।

तालिका 10.24 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख)

वर्ष	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय	रोजगार	भौतिक	वित्तीय	रोजगार
2017–18	422	845.00	3376	498	1024.04	3984
2018–19	761	1901.73	6088	906	1982.00	7248
2019–20	833	2499.00	6664	932	2094.04	7456
2020–21	887	2661.00	7096	1020	2196.36	8160
2021–22	1068	3193.40	8544	853	1774.47	6824
2022–23 (सितम्बर 2022)	1113	3312.70	8907	232	580.61	1856

10.19.3 कारीगर प्रशिक्षण :– इस योजनांर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक – युवतियों को ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर उसे सफलता पूर्वक संचालित कर सकें।

तालिका 10.25 कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रू. में)

वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2017–18	201	48.43	201	48.60
2018–19	203	48.53	203	31.59
2019–20	234	52.005	234	29.50
2020–21	274	39.45	274	29.42
2021–22	379	60.69	-	-
2022–23	-	-	-	-

10.19.4 खादी उत्पादन :–छ0ग0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केन्द्र कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगतदेवरी, तिफरा बिलासपुर, हरदी बाजार, देवरबीजा एवं डिमरापाल, संचालित हैं, जहां ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है एवं बुनकरों द्वारा खादी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है।

तालिका 10.26 खादी उत्पादन कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रू. में)				
वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2017–18	350.00	507	350.01	507
2018–19	350.00	520	320.59	520
2019–20	425.00	584	431.48	585
2020–21	500.00	579	308.03	585
2021–22	550.00	589	445.28	587
2022–23 (सितम्बर 2022)	550.00	589	191.37	567

10.19.5 पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केन्द्र (बांस कला केन्द्र) :– बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जगदलपुर में पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केन्द्र (बांसकला केन्द्र) संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार–प्रसार किया जाता है, इस केन्द्र पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है।

तालिका 10.27 बांस कला/शिल्प कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रू. में)					
वर्ष	विवरण	लक्ष्य		पूर्ति	
		वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2017–18	उत्पादन	26.08	42	29.63	42
	विक्रय	30.60	42	30.64	विभागीय
	विक्रय	33.66	विभागीय	12.54	विभागीय
2018–19	उत्पादन	28.68	42	36.93	42
	विक्रय	33.66	विभागीय	34.59	विभागीय
	विक्रय	37.00	विभागीय	24.80	विभागीय
2019–20	उत्पादन	32.00	42	38.02	46
	विक्रय	37.00	विभागीय	37.60	विभागीय
	विक्रय	37.00	विभागीय	3. 04	विभागीय
2020–21	उत्पादन	32.00	42	5.32	42
	विक्रय	37.00	विभागीय	23.71	विभागीय
2021–22	उत्पादन	35.20	42	27.43	42
	विक्रय	40.70	विभागीय	18.66	विभागीय
2022–23 (सितं.)	उत्पादन	35.20	35	25.95	35
	विक्रय	40.70	विभागीय	24.36	विभागीय

10.19.6 विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार :– इसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडारों के माध्यम से खादी उत्पादन केन्द्रों, बांस कला केन्द्र एवं बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है।

तालिका 10.28 विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार की प्रगति (राशि लाख रू. में)					
वर्ष	विवरण	लक्ष्य		पूर्ति	
		वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2017–18	विक्रय	600.00	विभागीय	610.20	विभागीय
2018–19	विक्रय	659.98	विभागीय	265.91	विभागीय
2019–20	विक्रय	725.00	विभागीय	888.87	विभागीय
2020–21	विक्रय	500.00	विभागीय	781.01	विभागीय
2021–22	विक्रय	550.00	विभागीय	1213.71	विभागीय
2022–23 (सितं)	विक्रय	550.00	विभागीय	295.12	विभागीय

विद्युत एवं आधारभूत संरचना

11

विद्युत एवं आधारभूत संरचना

मुख्य बिन्दु

- विद्युत क्षेत्र (गैस एवं पानी आपूर्ति सहित) की वर्ष 2022–23 (A) में भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 29,64,205 लाख रूपए है।
- राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता (नवंबर 2000) में 1,360 मेगावाट से बढ़कर 2,984.70 (अक्टूबर 2022 तक) मेगावाट हो गई है। इस प्रकार 22 वर्षों में स्थापित क्षमता में 119% की अभिवृद्धि हुई है।
- वर्ष 2021–22 में वितरण हानि का प्रतिशत 18.12 रहा।
- वर्ष 2021–22 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 60 लाख 24 हजार है जो वर्ष 2020–21 की तुलना में 1.02 प्रतिशत अधिक है।
- हॉफ बिजली बिल स्कीम अंतर्गत वर्ष 2021–22 में सितंबर 2021 तक राज्य के लगभग 41.94 लाख उपभोक्ताओं को रू. 548.77 करोड़ की छूट दी जा चुकी है।
- वर्ष 2021–22 में उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरूद्ध 15,458.26 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया जो कि वर्ष 2020–21 में रू. 13,294.53 करोड़ था।
- माह 09/2022 की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 3,526 कि.मी.
- ''जवाहर सेतु योजना'' अंतर्गत पुलों का निर्माण कर पहुंचविहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टीविटी की योजना है।
- परिवहन क्षेत्र (रेल के अलावा) की वर्ष 2022–23 (अग्रिम) भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 5,13,150 लाख रू. अनुमानित है।

विद्युत

11.1 आर्थिक विकास में विद्युत की उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को भी बेहतर करता है। सम्पत्ति निर्माण एवं विद्युत उपयोग में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। राज्य में अनुकूल परिस्थितियों, संसाधनों की प्रचुरता आदि के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है। जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए ऑकड़ों से स्पष्ट होता है।

तालिका 11.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति का योगदान (स्थिर भाव 2011–12)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
योगदान लाख रू. में	1902591	2046201	2263773	2471558	2667017	2964205
वृद्धि (प्रतिशत)	12.12	7.55	10.63	9.18	7.91	11.14
हिस्सा (प्रतिशत)	9.51	9.18	9.63	10.56	10.56	10.87

11.1.1 राज्य निर्माण के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2000 से अभी तक विद्युत उत्पादन का केन्द्र बनने में लंबा सफर तय किया है। राज्य, देश में तापीय कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।

11.1.2 राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता राज्य गठन के समय (नवंबर 2000) में 1360 मेगावाट थी, जो 22 वर्षों में बढ़कर (अक्टूबर 2022 तक) 2978.70 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार स्थापित क्षमता में 119% की अभिवृद्धि हुई है।

11.2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या. :– विगत् वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों व लक्ष्य के विरूद्व अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :–

(I) **उत्पादन संकाय** :–

(1) **विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन** :– छत्तीसगढ राज्य गठन के समय राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 21 वर्षो में बढ़कर 3,424.70 मेगावाट हो गयी थी। कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की सभी इकाईयों को डीकमिशनिंग करने के पश्चात् वर्तमान में स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता 2,984.70 मेवा.

हो गयी इस प्रकार राज्य स्थापना काल से 119 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 6 मे.वा कोजन प्लांट को भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना मर्यादित को दिनांक 31.03.2022 में निष्पादित अनुबंध के तहत हस्तांतरित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में वार्षिक विद्युत उत्पादन कुल 17,953.178 मिलियन यूनिट (तापीय 17,515.518 मिलियन यूनिट (PLF 70.40%) जलीय 431.39 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 6.270 मिलियन यूनिट) हुआ।

तालिका क. 11.2 वर्षवार उत्पादन क्षमता, उत्पादन तथा खपत

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	2424.70	2424.70	2924.70	3424.70	3424.70	3224.70	3224.70	2984.70	2984.70
उत्पादन (मिलियन यूनिट)	12863.54	15931.29	15603.92	18097.43	21084.17	21552.37	18489.15	18857.68	17953.18
खपत (मिलियन यूनिट)	14789.25	17101.40	18600.63	19162.00	20303.23	22284.19	23175.79	23360.96	25161.44

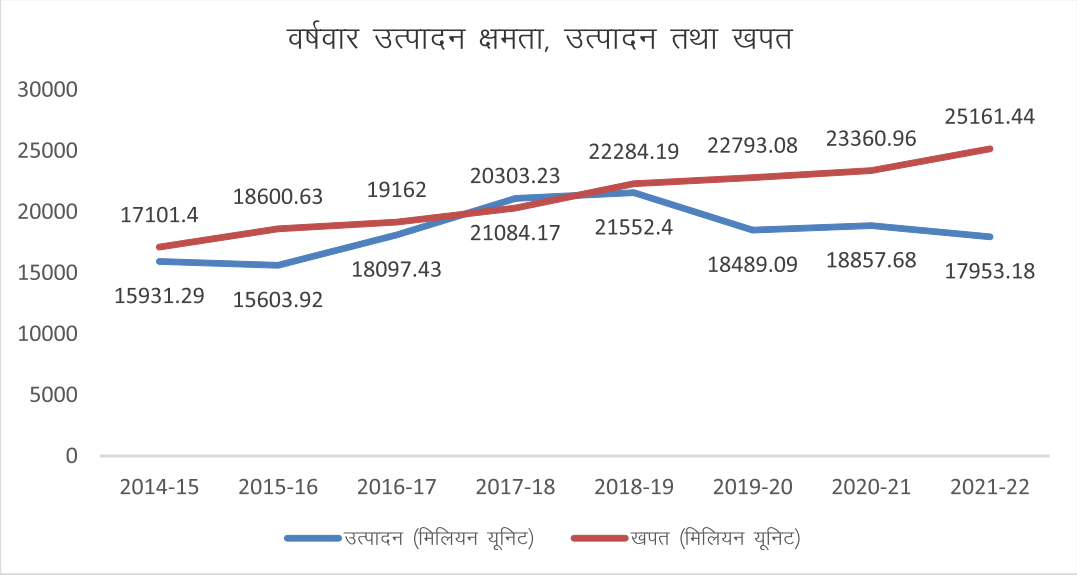

उपरोक्त बिजली के उत्पादन एवं प्लांट लोड फेक्टर का विवरण तालिका 11.4 में दर्शाया गया है (25 मेगावाट से कम राज्य के विद्युत संयंत्र शामिल नहीं हैं) :–

तालिका 11.3 विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन			
क्र.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	**ताप विद्युत गृह**		
1	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व	2 X 250 =500	2007
2	हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	4 X 210 =840	1983 - 1986
3	कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र	1 X 500 =500	2013
4	अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा जांजगीर–चांपा	2 X 500=1000	2016
	कुल ताप विद्युत क्षमता (मेगावाट)	**2840**	
II	**जल विद्युत गृह –**		
1	मिनीमाता हसदेव–बांगो जल विद्युत गृह	3 X 40= 120	1994,1995
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 X 2-5= 10	2004
3	जल विद्युत गृह सिकासार	2 X 3-5= 7	2006
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	2 X 0-85=1-70	2003, 2009
	कुल जल विद्युत क्षमता (मेगावाट)	**138-70**	
III	**अन्य**		
1	भोरमदेव सह–उत्पादन, कबीरधाम	1 X 6 = 6	2006
	योग	**2984-70 MW**	

उपरोक्त बिजली के उत्पादन एवं प्लांट लोड फेक्टर का विवरण तालिका 11.4 में दर्शाया गया है (25 मेगावाट से कम राज्य के विद्युत संयंत्र शामिल नहीं हैं) :–

तालिका 11.4 छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन एवं पारदर्शिता						
क्षेत्र	चालिका शक्ति	उत्पादन (MU)			पी.एल.एफ. प्रतिशत	
		अप्रैल 21 से सितंबर 21	अप्रैल 22 से सितंबर 22	अंतर प्रति. (%)	अप्रैल 21 से सितंबर 21	अप्रैल 22 से सितंबर 22
राज्यीय	तापीय	8551.68	8679.25	1.5	68.56%	69.58%
	जल विद्युत	244.059	163.44	-3.30	40.06%	26.83%

तालिका 11.5 खपत उपलब्धियॉ		
विविध	वर्ष	उपलब्धियां
संयंत्र विद्युत खपत	2019–20	7.83 प्रतिशत
संयंत्र विद्युत खपत	2020–21	7.86 प्रतिशत
प्लांट लोड फैक्टर	2019–20	67.32 प्रतिशत
प्लांट लोड फैक्टर	2020–21	69.49 प्रतिशत
विशिष्ट तेल खपत	2019–20	0.522 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट तेल खपत	2020–21	0.583 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट कोल खपत	2019–20	0.720 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट कोल खपत	2020–21	0.736 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट कोल खपत	2021–22	0.748 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई

11.2.1 विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियाँ :–

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में वार्षिक विद्युत उत्पादन कुल 17,953.18 मिलियन यूनिट (तापीय 17,515.518 मिलियन यूनिट PLF 70.40% जलीय 431.390 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 6.269 मिलियन यूनिट) हुआ।

- चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में 31 अक्टूबर 2022 तक छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के विभिन्न संयंत्रो द्वारा कुल 10,427.897 मिलियन यूनिट (तापीय 10218.79 मिलियन यूनिट PLF 70.06% जलीय 209.107 मिलियन यूनिट) विद्युत उत्पादन किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में (1X500 मेगावाट) कोरबा पश्चिम विस्तार ताप विद्युत गृह द्वारा सर्वकालिक अधिकतम उत्पादन 4,065.531 मिलियन यूनिट व संयंत्र उपयोगिता गुणांक 92.82% किया गया। (पिछला कीर्तिमान 4,009.976 मिलियन यूनिट व संयंत्र उपयोगिता गुणांक 91.55% वर्श 2018–19 में था)।

- (2X250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व इकाई क्रमांक 01 ने दिनांक 14.03.2020 से 01.09.2020 (171 दिन 6:20 मिनट) तक निरंतर इकाई चलाने का कीर्तिमान प्राप्त किया है जो कि इस इकाई का सर्वकालिक अधिकतम है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व की यूनिट क्रमांक 02 ने सर्वकालिक 292 दिन लगातार चलने का कीर्तिमान भी स्थापित किया।

- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के जल विद्युत गृहों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 462.532 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया जो कि छ.ग. राज्य गठन के बाद का सर्वकालिक अधिकतम उत्पादन रहा है। पिछला कीर्तिमान वित्तीय वर्ष 2001–02 में 403.25 मिलियन यूनिट का था।

- (3x40 मेगावाट) मिनीमाता हसदेव–बांगो जल विद्युत गृह, माचाडोली बांगो द्वारा

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 419.18 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया जो कि छ.ग. राज्य गठन के बाद का सर्वकालिक अधिकतम उत्पादन रहा है। पिछला कीर्तिमान वित्तीय वर्श 2001–02 में 403.25 मिलियन यूनिट का था।

- **वित्तीय वर्ष 2021–22** (3X40 मेगावाट) मिनीमाता हसदेव–बांगो जल विद्युत गृह माचाडोली द्वारा माह – अक्टूबर 21 में स्थापना काल से सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 90.10 मिलियन यूनिट (CUF 100.92%) के साथ किया गया है, जो एक कीर्तिमान है।

- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह–मार्च 22 में अधिकतम DSM charge शुल्क राशि ₹13.501 करोड अर्जित किया गया।

- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह – अप्रैल 22 में सर्वकालिक अधिकतम DSM charge शुल्क राशि ₹ 22.45 करोड अर्जित किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमि. के अपने केप्टिव कोल माइन्स गारे–पलमा–III "राबर्टसन साइडिंग" से 23 अक्टूबर 2021 से कोयला मंत्रालय की अनुमति से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व के लिए कोल की सप्लाई प्रारम्भ की गई।

- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमि. के अपने केप्टिव कोल माइन्स गारे–पलमा–III से 15 नवम्बर 2021से नयी "घरघोडा साइडिंग" से कोयले की सप्लाई दोनो संयंत्रो (अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व) के लिए प्रारम्भ की गई।

11.2.2 राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि :–

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली (CEA) की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट सेक्टर के 33 विद्युत गृहों का औसत PLF वित्तीय वर्ष 2020–21 में 50.26% रहा, वहीं छ.स्टे. पा.जन.कं.लिमिटेड 69.49% PLF के साथ स्टेट सेक्टर में तृतीय स्थान पर रहा ।

- भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के विद्युत गृहों ने वित्त वर्ष 2021–22 में देशभर के ताप विद्युत गृहो का औसत पी.एल.एफ. 58.87 प्रतिशत की तुलना में 70.40 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर अर्जित किया है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तथा देशभर के 33 स्टेट पॉवर सेक्टर द्वारा संचालित विद्युत गृहों में **चतुर्थ स्थान** पर होने का कीर्तिमान स्थापित किया है।

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व ने देश के समस्त केन्द्र व राज्य के ताप विद्युत गृहों में 89.22 प्रतिशत पी.एल.एफ. के साथ **चतुर्थ स्थान** प्राप्त किया।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में छ.स्टे.पा.ज.कं.लिमि. को मेसर्स मिशन एनर्जी फाउन्डेशन महाराष्ट्र द्वारा **"Best Water Management - Ash handling"** 2021 में Winner एवार्ड प्राप्त हुआ।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1X500 मेगावॉट कोरबा पश्चिम विस्तार को मेसर्स मिशन एनर्जी फाउन्डेशन महाराष्ट्र द्वारा **"Power Plant Performer ≤500MW – Coal" in Thermal Power 2021 category** में एवार्ड प्राप्त हुआ।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में 2X250 मेगावॉट डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को मेसर्स Council of Enviro Excellence, Mumbai द्वारा आयोजित **Energy Efficiency Awards 2021** में **"Excellence in Energy Efficiency" in the category IPP Coal 250 – 500 MW** में Runner-up का एवार्ड प्राप्त हुआ।

11.2.3 ऑक्जिलरी खपत – ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ऑक्जिलरी में प्रयुक्त होने वाली विद्युत, ऑक्जिलरी खपत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 7.81 प्रतिशत रही ।

11.2.4 प्रदत्त विद्युत :– वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान ताप, जल एवं अन्य सह–उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा ऑक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल **16,582.51**

मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा **16,147.57** मिलियन यूनिट, जल विद्युत उत्पादन द्वारा **430.19** मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह–उत्पादन) द्वारा **4.749** मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही।

11.2.5 ईंधन खपत एवं विशिष्ट ईंधन खपत (2021–22) :– वित्त वर्ष **2021–22** के दौरान ताप विद्युत गृहों की ईंधन खपत का विवरण सारणी अनुसार है।

तालिका 11.6 विद्युत संयंत्र में ईंधन खपत

विद्युत गृह का नाम	विशिष्ट ईंधन खपत	
	विशिष्ट कोयला खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर प्रति यूनिट)
1. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व	**0.718**	**0.086**
2. हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम		
विद्युत गृह–1	**0.787**	**1.277**
विद्युत गृह–2	**0.790**	**0.459**
3. कोरबा पश्चिम संकुल	**0.788**	**0.867**
4. कोरबा पश्चिम विस्तार (इकाई क्र–5)	**0.736**	**0.279**
5. अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा, जांजगीर–चांपा	**0.740**	**0.502**
6. CSPGCL (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी)	**0.748**	**0.467**

11.3 पारेषण की उपलब्धि :–

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित वर्ष 2021–22 के दौरान पारेषण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, गए जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

तालिका 11.7 वर्षवार कंपनी द्वारा उपकेन्द्र की वोल्टेज वार जानकारी

क्रमांक	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या		
		वर्ष 2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 की स्थिति में)	वर्ष 2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की स्थिति में)	वर्ष 2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)
1	400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र	4	4	4
2	220/132 के.व्ही. उपकेन्द्र	25	26	26
3	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र	94	95	97
योग		**123**	**125**	**127**

11.3.1 उपकेन्द्र निर्माण :– वर्ष 2021–22 के अंत में उच्चदाब उपकेन्द्रों की कुल संख्या 125 तथा इनकी संयुक्त क्षमता 21585 एम0 व्ही0 ए0 हो गई, जो वर्ष 2000 में क्रमशः 27 एवं 3795 एम0 व्ही0 ए0 थी।

11.3.2. विद्युत लाईनों का निर्माणः–वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब की कुल लाईनें 5,205.46 सर्किट कि0मी0 थी, जो कि 21 वर्षो में बढ़कर वर्ष 2021–22 में 13,446 सर्किट कि0मी0 हो गई है।

तालिका 11.8 राज्य में वर्षवार विद्युत लाईनों का विवरण

क्र.	वोल्टेज	31 मार्च 2021 की स्थिति में	वर्ष 2021–22 में वृद्धि	31 मार्च 2022 की स्थिति में	सितंबर 2022 की स्थिति में
अति उच्चदाब लाईनें (सर्किट कि.मी.)					
1	400 केवी लाईनें	1918	0	1918	1918
2	220 केवी लाईनें	4032	0	4032	4032
3	132 केवी लाईनें	7192	304	7496	7697
योग		**13142**	**304**	**13446**	**13647**

11.3.3 वर्ष 2021–22 में प्रारंभ की गई नवीन योजनाओं की जानकारी :– छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने राज्य की दीर्घकालीन विद्युत की मांग का आंकलन कर विद्युत पारेषण प्रणाली में क्षमता वृद्धि के लिए वर्ष 2022 में पूंजी निवेश योजना (CIP) वर्ष 2022–25, वर्ष 2021 में पूंजी निवेश योजना (CIP) वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2020 में अतिरिक्त पूंजी निवेश योजना (Addl. CIP) वर्ष 2016–21 में 43 नग अतिउच्च दाब विद्युत उपकेन्द्रों (400 के.व्ही. -2 नग, 220 के.व्ही. -11 नग एवं 132 के.व्ही. -30 नग) के निर्माण की कार्य योजना तैयार की गई है।

छ0ग0 स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु पूँजी निवेश योजना 2022–25 में केन्द्रीय ग्रिड से हस्तांतरण क्षमता (अवैलेबल ट्रांसफर कैपेसिटी – ATC) बढ़ाने हेतु पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड के रायपुर पुल, धरमजयगढ़ एवं भाटापारा स्थित उपेकन्द्रों से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के स्थित एवं प्रस्तावित 400 एवं 220 के.व्ही. उपकेन्द्रों तक नवीन पारेषण लाइनों के निर्माण तथा 01 नग नवीन 400 के.व्ही. उपकेन्द्र तहसील – पिथौरा, जिला–महासमुंद, एवं संबंधित 400,220 के.व्ही. लाईनों के निर्माण हेतु 1606 करोड़ के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है, इन कार्यों को मार्च 2025 तक विभिन्न चरणों में पूर्ण किये जाने के लक्ष्य है।

11.4 वितरण कंपनी की उपलब्धि :—11.4 वितरण कंपनी की उपलब्धि :—

छ.रा.वि.वित. कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2021—22 एवं 2022—23 (सितं 2022) के दौरान उप—पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :—

11.4.1. उपकेन्द्र निर्माण :— छ.रा.वि.मंडल (वर्तमान में छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.) के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 2,9940 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 2,984 एम.व्ही.ए थी। 22 वर्षो में उपकेन्द्रों की संख्या बढ़कर वर्ष 2021—22 के अंत में कुल 2,05,503 हो गये हैं तथा इनकी संयुक्त क्षमता 20,672 एम.व्ही.ए हो गई है, जो कि 22 वर्षों के कार्यकाल में उपकेन्द्र निर्माण में 586 प्रतिशत तथा उनकी क्षमता में 592 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। दिनांक 30.09.2022 की स्थिति में संयुक्त क्षमता 20,785 एम.व्ही.ए. एवं संख्या 2,09,776 हो गई है।

तालिका क. 11.9 उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात जानकारी

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रो की संख्या		
		वर्ष 2021—22 में सितं. 2021 तक	**वर्ष 2021—22 में मार्च 2022 तक**	**वर्ष 2022—23 में सितं. 2022 तक**
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र	1328	1332	1337
2	11/0.4 के.व्ही उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	195263	204171	208439
योग :—		**196591**	**205503**	**209776**

11.4.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :—

छ.रा.वि. मण्डल (वर्तमान में छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.) गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनों की लंबाई 98858 कि.मी. थी, जो 22 वर्षो में बढ़कर वर्ष 2021—22 तक 3,67,176 कि.मी. एवं 30.09.2022 की स्थिति में 3,68,734 कि.मी. हो गई है।

वितरण कंपनी द्वारा विचाराधीन वर्ष 2021—22 के दौरान उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 14,789 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों का निर्माण किया गया जिससे वर्ष 2021—22 के अंत तक विद्युत लाइन की लंबाई कुल 3,67,576 कि.मी. हो गई थी। इस प्रकार वर्षावधि में विद्युत लाईनों की लंबाई में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कंपनी गठन से 22 वर्षों की कार्यावधि में 273 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका क. 11.10 विद्युत लाईनों का निर्माण				
क्र.	वोल्टेज (के.व्ही.)	वर्ष 2021–22 में सितं. 2021 तक	वर्ष 2021–22 में मार्च 2022 तक	वर्ष 2022–23 में सितं. 2022 तक
I	**उच्चदाब लाईनें**			
1	33 के.व्ही. लाईने	23372	23773	23922
2	11 के.व्ही. लाईने	123168	126448	126832
	कुल उच्चदाब लाईने	**146540**	**150221**	**150754**
II	**निम्नदाब लाईने**			
3	400–230 वोल्ट्स	209752	217355	217980
	महायोग	**356292**	**367576**	**368734**

11.4.3. सामान्य विकास कार्य :–

छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्री. कंपनी द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 (30.09. 2022 की स्थिति में) निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :–

तालिका क्र 11.11 सामान्य विकास कार्य उपलब्धि					
क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि (2021–22) दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में	उपलब्धि (2021–22) 31–03–2022 की स्थिति	उपलब्धि (2022–23) दिनांक 30.09.2022 की स्थिति में
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	3	4	0
2	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	10	104	61
3	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी	343	1305	327
4	नये विद्युत कनेक्शन के लिए निम्नदाब लाईन	कि.मी	1161 (8 कि.मी कनवर्सन शामिल)	2966 (83कि.मी कनवर्सन शामिल)	454 (37 कि.मी कनवर्सन शामिल)
5	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1783	4909	1262
6	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	122	611	116
7	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	**59887**	**141307**	**66666**
i)	सिंगल फेस	संख्या	33716	88778	52016
ii)	थ्री फेस	संख्या	26112	52282	14539
8	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	59	247	111

11.5 घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत (हाफ बिजली बिल स्कीम) :–

राज्य शासन के आदेश के अनुरूप छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्री. कंपनी व्दारा राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओ ंको 01 मार्च 2019 से प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आंकलित बिल की राशि को आधा करते हुए बिल जारी किये जा रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य के समस्त बी.पी.एल. एवं अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। इस हेतु राज्य शासन के बजट में वर्ष 2022–23 में रू. 1,065.37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को उसके 400 यूनिट तक के खपत पर प्रभावशील दरों के अनुसार बिल की राशि में आधी राशि की छूट के उपरांत बिल जारी किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में रू. 870.67 करोड़

की छूट लगभग 41.16 लाख उपभोक्ताओं को दी जा चुकी है। वर्ष 2022–23 में सितंबर 2022 तक राज्य के लगभग 41.94 लाख उपभोक्ताओं को रू. 548.77 करोड़ की छूट दी जा चुकी है।

तालिका क्र 11.12 : घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत (हाफ बिजली बिल स्कीम) योजना के अंतर्गत

विवरण	इकाई	उपलब्धि (2021–22) दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में	उपलब्धि (2021–22) 31–03–2022 की स्थिति में	उपलब्धि (2022–23) दिनांक 30.09.2022 की स्थिति में
लाभान्वित उपभोक्ता	संख्या	**40.35**	**41.16**	**41.94**

11.6 पंपों का ऊर्जीकरण :– राज्य गठन के पूर्व राज्य में मात्र 73369 स्थायी कृषि पंप विद्यमान थे, जबकि राज्य गठन के पश्चात 22 वर्षों की अवधि में दिनॉक 30–09–2022 की स्थिति में 4,25,369 अतिरिक्त कृषि पंप कनेक्शनों का उर्जीकरण किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 4,98,738 स्थायी कृषि पंप उर्जीकृत हो गए हैं। वर्ष 2022–23 में सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण हेतु राज्य शासन के बजट में रू. 150 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2022–23 में दिनांक 30.09.2022 तक रुपये 49.62 करोड़ व्यय किया जा चुका है। छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्री.कंपनी द्वारा पंप कनेक्शनों का उर्जीकरण हेतु वर्ष 2022–23 (30.09.2022 की स्थिति में) निम्नलिखित किार्य किए गए :–

तालिका क्र 11.13 पंपों का ऊर्जीकरण

विवरण	इकाई	उपलब्धि(2021–22) दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में	उपलब्धि (2021–22) 31–03–2022 की स्थिति में	उपलब्धि (2022–23) दिनांक 30.09.2022 की स्थिति में
पंपों की संख्या (स्थायी)	संख्या	**16421**	**35257**	**4835**

11.7 कृषक जीवन ज्योति योजना :– राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को 3 अश्वशक्ति तक कृषि पम्प के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पम्प के बिजली बिल में 7,500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। उपरोक्त छूट अस्थाई कृषि पम्पों पर भी दी जाती है। नवम्बर 2013 से कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को फ्लेट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। फ्लेट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को उनके द्वारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए, मात्र 100/ प्रतिमाह प्रति अश्व शक्ति की दर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से फ्लेट रेट की सुविधा राज्य के समस्त किसानों के सभी सिचांई पम्पों पर बिना पम्प की क्षमता के सीमा के उपलब्ध करायी जा रही है। इसके

अन्तर्गत किसानों को 5 अश्व शक्ति तक द्वितीय पम्प के लिए रू. 200/– अश्व शक्ति प्रतिमाह, 5 अश्व शक्ति से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पम्प के लिए रू. 200/– अश्व शक्ति प्रतिमाह, 5 अश्व शक्ति एवं 5 अश्व शक्ति से अधिक तृतीय एवं अन्य पंप के लिए रू. 300/– अश्व शक्ति प्रतिमाह की दर से बिल भुगतान हेतु सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष 2022–23 हेतु रू. 2800 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दिनांक 30.09.2022 की स्थिति में योजना के अंतर्गत 6.33 लाख स्थायी एवं अस्थायी पंप उपभोक्ताओं में से लगभग 6.26 लाख पात्र हितग्राही लाभन्वित हो रहे हैं।

तालिका क्र 11.14 : 05 एचपी तक के पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय

विवरण	इकाई	उपलब्धि (2021–22) दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में	उपलब्धि (2021–22) 31–03–2022 की स्थिति में	उपलब्धि (2022–23) दिनांक 30.09.2022 की स्थिति में
लाभान्वित कृषकों की संख्या(लाख में)	संख्या	**5.81**	**6.18**	**6.26**

11.8 बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन :–गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की प्रारंभिक 30 यूनिट की खपत पर कोई शुल्क नहीं है। इन बी.पी.एल. कनेक्शन धारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को रू. 100/– मासिक की दर से फ्लेट रेट पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। दिनांक 30.09.2022 की स्थिति में तक कुल बीपीएल कनेक्शन की संख्या 16.82 लाख से अधिक जिन्हे वितरण कंपनी द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन बी0पी0एल0 कनेक्शनधारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है। वर्ष 2022–23 हेतु राज्य शासन के बजट में रू. 534.63 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

तालिका क्र 11.15 : बी. पी. कनेक्शनों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय

विवरण	इकाई	(2021–22) दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में	(2021–22) दिनांक 31–03–2022 की स्थिति में	(2022–23) दिनांक 30.09.2022 की स्थिति में
बी. पी.एल. कनेक्शनों की संख्या (लाख में)	संख्या	**17.71**	**16.95**	**16.82**

11.9 मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना :–मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत लाइनो का विस्तार, विद्यमान अव्यवस्थित विद्युत लाईनों को पहुंच मार्गों के अनुरूप व्यवस्थित करना एवं वितरण ट्रांसफार्मरों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित /उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करना, तंग गलियों एवं व्यस्तम मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से ओवर हेड अथवा अंडर ग्राउंड केबलों का इस्तेमाल किया जाना, अधिक लाईन लास वाले क्षेत्रों में ए.बी. केबल लगाया जाना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवार को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराना आदि शामिल है। वर्ष 2022–23 हेतु राज्य शासन के बजट में योजनांतर्गत रू. 35.79 करोड़, का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2022 तक रुपये 10.81 करोड़ व्यय किया गया है।

तालिका क्र 11.16 : मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत

विवरण	इकाई	उपलब्धि (2021–22) दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में	उपलब्धि (2021–22) 31–03–2022 की स्थिति में	उपलब्धि (2022–23) दिनांक 30.09.2022 की स्थिति में
पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	संख्या	133	589	172

11.10 मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना :–इस योजना के अंतर्गत ऐसे अविद्युतीकृत ग्राम एवं मजरे/टोले/बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाना है जो राज्य में चल रही किसी अन्य योजना तथा राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल नहीं है, इसके अतिरिक्त इन ग्रामों/मजरे–टोले/बसाहटों के बी.पी.एल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी प्रदान भी किया जा रहा है। यदि बसाहटों में कुछ अतिरिक्त लाईन विस्तार की आवश्यकता पड़ती है तो यह कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत रू. 45 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2022 तक रुपये 7.59 करोड़ व्यय किया गया है।

तालिका क्र 11.17 : मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत

विवरण	इकाई	उपलब्धि(2021–22) दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में	उपलब्धि (2021–22) 31–03–2022 की स्थिति में	उपलब्धि (2022–23) दिनांक 30.09.2022 की स्थिति में
पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	संख्या	7	129	241

11.11 एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.) :–:– भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS) के कार्यों को पूर्ण कर दिनांक 30.06.2022 तक 15 Circle का कार्यपूर्णता प्रतिवेदन (Clouser) जमा किया जा चुका है।

11.11.1 एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S., IT) :–

भारत सरकार ने पांच हजार से अधिक आबादी वाले छत्तीसगढ़ राज्य के 182 शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली के विस्तार हेतु रूपये 77.71 करोड़ लागत की आई.पी.डी.एस.(सूचना प्रोद्यौगिकी) योजना स्वीकृत की गई थी। आई.पी.डी.एस. (सूचना प्रोद्यौगिकी) परियोजना को नियत तिथि दिसंबर 2021 में भौतिक रूप से पूर्ण कर लिया गया है। योजना की कुल वास्तविक लागत 75.99 करोड़ आंकलित की गई है, जिसका पूर्णता प्रतिवेदन भारत शासन की परियोजना नोडल एजेन्सी मेसर्स पॉवर फायनेंस कॉरपोरेशन को जमा कराया जा चुका है।

11.12 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (D.D.U.G.J.Y.) :- भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रणाली सुदृढीकरण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपये 1257.20 करोड़ जिसमें से कुल व्यय राशि रूपये 1203.78 करोड़ का कार्यपूर्णता प्रतिवेदन (Closure) दिनांक 14.02.2022 तक आरईसी लिमि. नई दिल्ली को जमा किया चुका है।

11.13 मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना (एस.टी.एन) :–प्रदेश की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु इस योजना के अंतर्गत 144 नग नये 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, 166 नग अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, 133 नग पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि एवं लाईनों का विस्तार कार्य प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 से दिनांक 30.09.2022 तक 05 नये 33/11 के.व्ही उपकेन्द्र, 77 नग अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, 47 नग पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2022 तक रुपये 10.81 करोड़ व्यय किया गया है।

तालिका क्र 11.18 मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना (एस.टी.एन)				
विवरण	इकाई	उपलब्धि(2021–22) दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में	उपलब्धि (2021–22) 31–03–2022 की स्थिति	उपलब्धि (2022–23) दिनांक 30.09.2022 की स्थिति में
33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	**0**	**0**	**5**
33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र में अति. पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना	संख्या	**37**	**58**	**19**
स्थापित 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि	संख्या	**14**	**29**	**18**

11.14 वितरण हानि :– वर्ष 2021–22 में वितरण हानि का प्रतिशत 18.12 रहा। जिसके प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्यवाही जारी है। वितरण हानि का विवरण निम्नानुसार है:–

तलिका क. 11.19 वर्षवार वितरण हानि					
क्रं.	वर्ष	विद्युत उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	खपत (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि प्रतिशत में
1	2019-20	27892.57	23175.79	4716.782	16.91
2	2020-21	28092.95	23360.96	4731.992	16.84
3	2021-22	30733.36	25161.44	5571.923	18.13

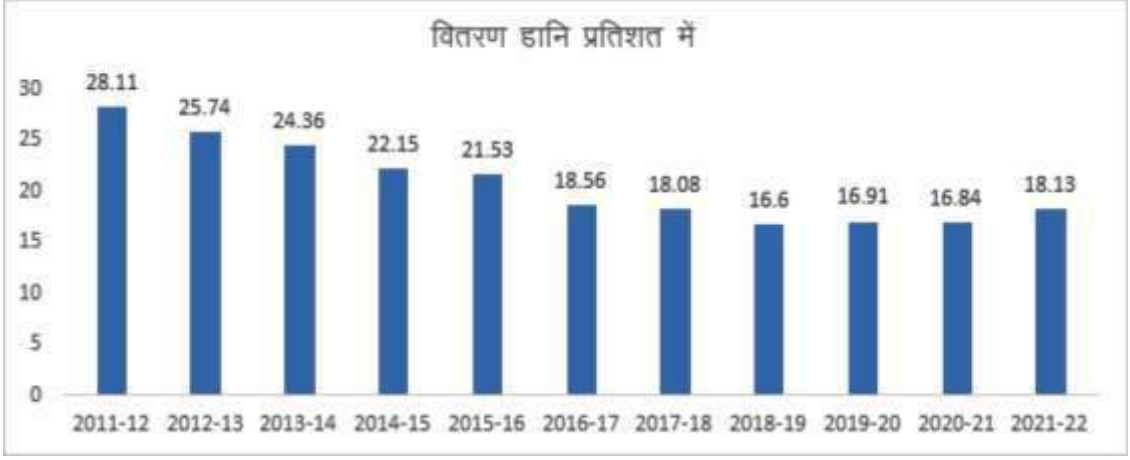

11.15 विद्युत उपभोक्ता :– वर्ष 2021–22 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 60 लाख 24 हजार है जो वर्ष 2020–21 की तुलना में 1.02 प्रतिशत अधिक है। कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2021–22 के अंत में बी.पी.एल. के 28.15 प्रतिशत, घरेलू के 53.17 प्रतिशत, गैर घरेलू के 6.27 प्रतिशत, औद्योगिक श्रेणी के 0.61 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 8.19 प्रतिशत है।

11.16 विद्युत उपभोग का स्वरूप :– वर्ष 2021–22 में राज्य की समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 25161.29 मिलियन यूनिट विद्युत की खपत की गई जो कि विगत वर्ष 2020–21 की खपत से 1.07 प्रतिशत अधिक है।राज्य में विक्रय की गई बिजली में से 24.99 प्रतिशत घरेलू, 6.23 प्रतिशत गैर घरेलू, 37.89 प्रतिशत औद्योगिक, 19.21 प्रतिशत कृषि एवं 2.37 प्रतिशत सार्वजनिक उपभोग (जलकर एवं सड़कबत्ती) के मद में रहा। कुल खपत में से वर्ष 2021–22 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 4.50 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पम्प उपभोक्ताओं की खपत 19.21 प्रतिशत आंकी गई जो कि वर्ष 2020–21 में क्रमशः 6.05 एवं 25.26 प्रतिशत थी।

तालिका 11.20 राज्य में कुल विद्युत विक्रय का विवरण

वर्ष	विवरण	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	कृषि	सार्वजनिक
2019–20	कुल विक्रय (प्रतिशत)	24.59	6.85	44.21	22.31	2.00
2020–21	कुल विक्रय (प्रतिशत)	27.59	6.07	34.77	25.26	2.39
2021–22	कुल विक्रय (प्रतिशत)	24.99	6.23	37.89	19.21	2.37

राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में श्रेणीवार उपभोक्ताओं के विद्युत दर समान है, अतः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत उपभोग की गणना पृथक–पृथक नहीं की गई है।

11.17 राजस्व संग्रहण :– वर्ष 2021–22 में समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरूद्ध कुल रू. 15,458.26 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया जो कि वर्ष 2020–21 में रू. 13,294.53 करोड़ था।

11.18 बकाया राशि :– वर्ष 2021–22 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध कुल बकाया राशि रूपये 4,298.74 करोड़ है, जिसमें 2,356.13 करोड़ निम्नदाब उपभोक्ताओं के तथा 1,942.62 करोड़ रूपये उच्च्दाब उपभोक्ता पर बकाया है। जबकि वर्ष 2020–21 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया राशि कुल रूपये 3,921.93 करोड़ थी, जिसमें 2,130.13 करोड़ निम्नदाब उपभोक्ताओं के तथा 1791.80 करोड़ रूपये उच्च्दाब उपभोक्ता पर बकाया थी।

कुल राशि में से राज्य शासन के विभिन्न विभागों पर रू. 203.46 करोड़ एवं राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमो (स्थानीय निकाय) पर रूपये 898.16 करोड़ एवं रूपये 1319. 69 करोड़ राशि रेल्वे के विरूद्ध बकाया है। जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। रेल्वे के विरूद्ध बकाया राशि विवादित है। जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका कमांक 11.21 बकाया राशि (करोड़ में)

वर्ष	बकाया राशि				कुल	दाब अनुसार उपभोक्ता का प्रकार बकाया राशि		कुल
	राज्य	सार्वजनिक	रेल्वे	अन्य		निम्न दाब	उच्च दाब	
2019–20	129.15	471.87	1131.29	1309.79	3042.10	1469.04	1573.12	3042.16
2020–21	215.17	886.42	1218.74	1601.60	3921.93	2130.13	1791.80	3921.93
2021–22	203.46	898.16	1319.69	1877.43	4298.74	2356.13	1942.62	4298.74

11.19 परिवहन एवं संचार

देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए परिवहन एवं संचार एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह व्यक्तियों को गतिशील बनाता है, जिससे वे अपने जीवनयापन हेतु रोजी–रोटी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सुविधाऐं प्राप्त कर सकें। बाजार के क्षेत्र में व्यापक वृद्वि हेतु सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल एवं वायु परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन प्रमुख रूप से शामिल है। संचार माध्यमों में डाक, कुरियर, टेलीफोन (मोबाइल सहित) तथा ब्राडबेंड (इंटरनेट सहित) सेवाएं आदि प्रमुख हैं।

11.19.1 परिवहन क्षेत्र का योगदान तालिका में निम्नानुसार प्रदर्शित है :–

तालिका 11.22 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में परिवहन (रेल के अलावा) क्षेत्र का योगदान (आधार वर्ष 2011–12)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
भागीदारी (लाख में)	471786	541359	531965	440568	476402	513150
वृद्धि (प्रतिशत)	7.82	14.75	-1.74	-17.18	8.13	7.71
हिस्सा (प्रतिशत)	2.36	2.43	2.26	1.88	1.89	1.88

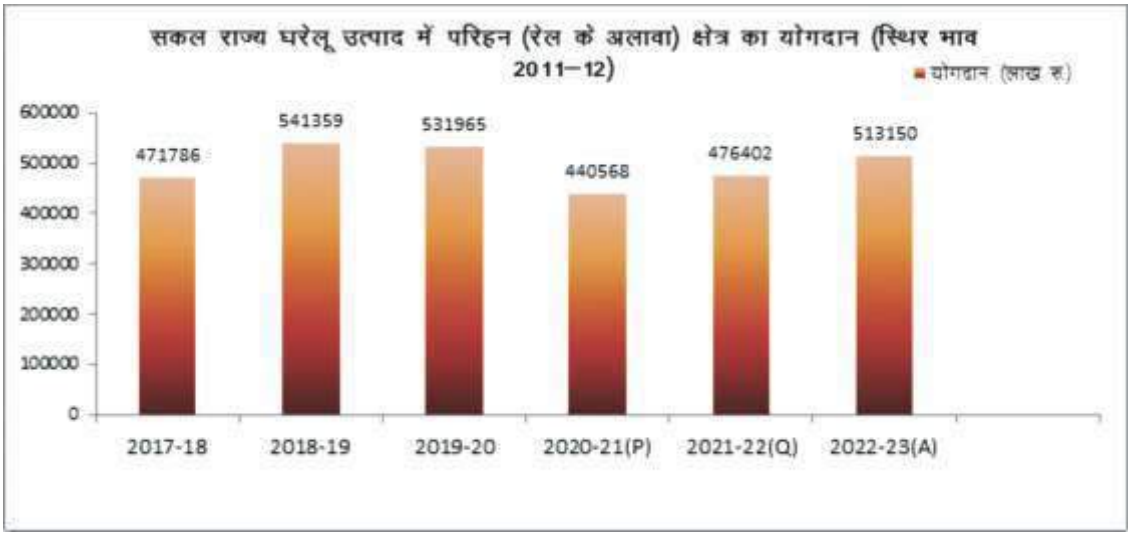

11.20 भूतल परिवहन :–

11.20.1 सड़के एवं पुल

लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़, सड़कों के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2021–22 में 2,777 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन जिसमें गिट्टीकरण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य किये गये। 01 रेल्वे ओव्हर ब्रिज, 50 वृहद पुल एवं 98 मध्यम पुल का निर्माण पूर्ण किया गया है और 08 रेल्वे ओव्हर/अण्डर ब्रिज एवं 116 नग वृहद पुल प्रगति पर रहे। वर्ष 2021–22 में कुल राशि रू. 6,362.88 करोड़ आबंटन के विरूद्ध रू 4,494.73 करोड़ व्यय किया गया।

वर्ष 2022–23 में माह 09/2022 तक 1,464 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया। 03 रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज, 17 वृहद पुल, 50 मध्यम पुल पूर्ण तथा 03 रेल्वे ओव्हर/अण्डर ब्रिज का निर्माण, 171 वृहद पुल एवं 14 मध्यम पुल कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2022–23 में रू. 5,998.00 करोड़ आबंटन के विरूद्ध माह 09/2022 तक रू. 1,790.49. करोड़ का व्यय किया गया है।

11.20.2 छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत एशियन डेव्लपमेंट बैंक की सहायता से तृतीय लोन अंतर्गत 25 मार्ग (लम्बाई 869 कि.मी.) हेतु रू. 3,535 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है। इनमें से 24 कार्य प्रगति पर तथा 1 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रारंभ नहीं हुआ है।

11.20.3 ''जवाहर सेतु योजना'' अंतर्गत पुलों का निर्माण कर पहुंचविहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टीविटी की योजना है। वर्ष 2021–22 में 94 पुल कार्य स्वीकृत थे, इसमें से 13 पुल कार्य पूर्ण, 59 पुल कार्य प्रगति पर तथा शेष कार्य निविदा स्तर पर थे। वर्ष 2022–23 में कुल 105 पुल स्वीकृत कार्यों में 12 पुल कार्य पूर्ण, 55 पुल कार्य प्रगति पर तथा शेष कार्य निविदा स्तर पर है। इस योजना अंतर्गत अब तक कुल 118 पुल कार्यों मे से 27 पुल कार्य पूर्ण एवं 55 पुल कार्य प्रगति पर है।

11.20.4 सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में कुल 500 कार्यों हेतु रू. 5,485 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत 1 कार्य पूर्ण, 431 कार्य प्रगति पर, 66 कार्य निविदा स्तर पर तथा 02 कार्य भूअर्जन स्तर पर थे। वर्ष 2022–23 में कुल 526 कार्यों हेतु रू. 5,661.55 करोड़ के स्वीकृत कार्यों में से इस वर्ष अभी तक 36 कार्य पूर्ण, 449 कार्य प्रगति पर, 39 कार्य निविदा स्तर पर तथा 02 कार्य भूअर्जन स्तर पर है।

11.20.5 एल.डब्ल्यू.ई. (आर.आर.पी.–1) योजना अंतर्गत वर्ष 2021–22 में 51 सड़क (1992 कि.मी.) एवं 03 सेतु हेतु कुल लागत रू. 3,460 करोड़ स्वीकृत है, इनमें से अब तक कुल 38 कार्य (35 सड़क, 03 सेतु) पूर्ण किये गये एवं 16 कार्य प्रगतिरत थे। अभी तक कुल 1,658 कि.मी. सड़क कार्य पूर्ण एवं राशि रू. 2,369 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2022–23 में 51 सड़क (1992 कि.मी.) एवं 03 सेतु हेतु कुल लागत रू. 3460 करोड़ स्वीकृत है, इनमें से अब तक कुल 38 कार्य (35 सड़क, 03 सेतु) पूर्ण किये जा चुके है एवं 16 कार्य प्रगतिरत हैं। अभी तक कुल 1,666 कि.मी. सड़क कार्य पूर्ण एवं राशि रू. 2407 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

11.20.6 RCPLWE योजना (आर.आर.पी.–2) अंतर्गत वर्ष 2021–22 में दो चरणों में 291 सड़क (2,478 कि.मी.) एवं 25 पुल हेतु कुल राशि रू. 1,637.08 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इनमें से 121 सड़क एवं 07 पुल निर्माण पूर्ण किये गये है। 1,489 कि.मी. लंबाई में सड़क कार्य पूर्ण एवं राशि रू. 977.01 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2022–23 में अभी तक दो चरणों में 291 सड़क (2478 कि.मी.) एवं 25 पुल हेतु कुल राशि रू. 1,637.08 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें से 166 सड़क एवं 07 पुल निर्माण पूर्ण किये गये है। 1,671 कि.मी. लंबाई में सड़क कार्य पूर्ण एवं राशि रू. 1,080 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

11.20.7 RCPLWE योजना (आर.आर.पी.–2) फेस–3 के वर्ष 2021–22 में 120 कार्य (104 सड़क, 16 पुल) की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है। वर्ष 2022–23 में 158 (95 सड़क,

63 पुल) कार्य, लंबाई 614 कि.मी. हेतु रू. 624 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में निविदा की कार्यवाही स्थागित रखी गई है तथा कार्य पूर्णता की अवधि मार्च 2024 तक बढ़ाने हेतु भारत सरकार को पत्र लिखा गया है।

11.20.8 सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत वर्ष 2021–22 में कुल 111 कार्य (91 सड़क, 20 पुल) लम्बाई 2,140.31 कि.मी. एवं लागत रू. 3,060.22 करोड़ स्वीकृत थे। इनमें से अब तक कुल 85 कार्य (73 सड़क, 12 पुल) पूर्ण किये जा चुके है एवं 10 कार्य (3 सड़क, 7 पुल) प्रगतिरत है एवं 1 कार्य विलोपन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है। 15 नये स्वीकृत कार्य निविदा स्तर पर है। योजनांतर्गत अब तक कुल 1,861 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2022–23 में 111 कार्य (91 सड़क, 20 पुल) लम्बाई 2,140.31 कि.मी. एवं लागत रू. 3,060.22 करोड़ स्वीकृत है। इनमें से अब तक कुल 86 कार्य (73 सड़क, 13 पुल) पूर्ण किये जा चुके है एवं 09 कार्य (3 सड़क, 6 पुल) प्रगतिरत है एवं 1 कार्य विलोपन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है। 15 नये स्वीकृत कार्य निविदा स्तर पर है। योजनांतर्गत अब तक कुल 1,905.79 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का उद्देश्य समस्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों को बारहमासी पहुंच मार्ग से जोड़कर लोक कल्याण एवं जनसुविधा के लिए सुगम बनाया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में ''मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना'' के अंतर्गत कुल 3,371 मार्गों में से 1,302 कार्य पूर्ण किये गये।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना के अंतर्गत कुल 2,281 मार्गों में से 191 कार्य पूर्ण, 424 कार्य प्रगति पर, 107 कार्य अप्रांरभ, 208 कार्य निविदा स्तर पर, 1,293 कार्य निविदा लंबित है तथा 58 कार्यों की आवश्यकता नहीं है।

भवन कार्यो के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस राजस्व तथा अन्य विभागों के लिये आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2021–22 में रू. 882.44 करोड़ के आंबटन के विरूद्ध रू. 356.40 करोड़ व्यय किये गये। इसमें से 234 भवन कार्य पूर्ण किये गये थे तथा 274 भवन कार्य प्रगति पर थे। वर्ष 2022–23 में माह 09/2022 तक रू. 930.49 करोड़ आबंटन के विरूद्ध रू. 227.76 करोड़ व्यय किया गया है। इस वर्ष अब तक 86 भवन कार्य पूर्ण किये जा चुके है एवं 208 कार्य प्रगति पर है।

सड़कों की लम्बाई 09/2022 की स्थिति में

• राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई	–	3526 कि.मी.
• राज्य मार्ग की लम्बाई	–	4137 कि.मी.
• मुख्य जिला मार्ग की लम्बाई	–	11580 कि.मी.
• ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग की लम्बाई	–	14819 कि.मी.
योग	–	**34062 कि.मी.**

11.21 वाहन :—वर्ष 2021—22, माह अगस्त 2021 तक 1,17,360 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है तथा (31 मार्च 22) तक 4,06,857 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा वर्ष 2022—23 में माह सितम्बर 22 तक 1,85,571 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

ग्रामीण विकास एवं रोजगार

12

ग्रामीण विकास एवं रोजगार

मुख्य बिन्दु

- मनरेगा–वित्तीय वर्ष 2021–22 में 28.54 लाख परिवारों को रोजगार, 1,692.37 लाख मानव दिवस सृजित जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 51 है। वर्ष 2021–22 में 5,55,540 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2022–23 में सितम्बर तक 13.55 लाख परिवारों को रोजगार, 325.57 लाख मानव दिवस सृजित, महिलाओं का प्रतिशत 52 है। वर्ष 2022–23 में सितम्बर तक 6,185 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- वर्ष 2022–23 (सितंबर) में उपलब्ध राशि 2,281.26 करोड़ रू. से 1,498.81 करोड़ रू. व्यय।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :– वर्ष 2021–22 में सामुदायिक निवेश निधि से 34,402 स्व–सहायता समूहों को रू. 20,641.37 लाख, वर्ष 2022–23 में सितम्बर तक 8,292 समूहों को रू. 4,975.16 लाख ऋण प्रदाय।?
- चक्रिय निधि से 2021–22 में 41,621 स्व–सहायता समूहों को रू. 6,243.15 लाख, 2022–23 में सितम्बर तक 8,640 समूहों को रू. 1,296.15 लाख प्रदाय।
- बैंक क्रेडिट लिंकेज अंतर्गत वर्ष 2021–22 में 77,657 स्व–सहायता समूहों को रू. 92,481.62 लाख तथा वर्ष 2022–23 में सितम्बर तक 48,480 समूहों को रू. 52,480.88 लाख ऋण प्रदाय।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में 326 सड़कें लंबाई 2,314.34 कि.मी. एवं 15 वृहद पुल पूर्ण।

ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ में त्रि–स्तरीय पंचायत राजव्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों (11वीं अनुसूची) का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255.45 लाख है। जहां 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, इस प्रकार राज्य में ग्रामीण विकास का विश्लेषण अति आवश्यक है।

12.1 वर्तमान में प्रदेश में 28 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें तथा जनगणना 2011 के अनुसार 10971 ग्राम पंचायतें तथा 20126 ग्राम हैं एवं पंचायत विभाग 2019–20 के अनुसार 11,664 ग्राम पंचायतें तथा 20,255 ग्राम स्थापित हैं प्रदेश के कुल 28 जिलों में से 14 जिले पूर्णरूपेण एवं 6 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 85 जनपद पंचायतें एवं 5,050 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। पंचायतराज संस्थाओं के कार्यक्रमों हेतु उनके स्वयं के संसाधन तथा राज्य एवं केन्द्र से प्राप्तियां शामिल हैं।

छत्तीसगढ़में गाँव की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है।

तालिका – 12.1 ग्रामीण छत्तीसगढ़ की स्थिति

मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
छ.गः कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.40	176.15	208.33	255.45
छ.गः पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	9.42	22.72	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
छ.गः ग्रामीण जनसंख्या (%)	70.93	83.91	104.29	119.52	145.5	166.47	196.08
छ.गः पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		18.30	24.29	14.60	21.74	14.41	17.79
छ.गः पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (%)		12.98	20.38	15.23	25.98	20.97	29.61
छ.गः कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जन संख्या के अनुपात में (%)	95.12	91.66	89.62	85.31	82.60	79.91	76.76
भारतः कुल जनसंख्या (लाख)	3611	4392	5482	6833	8464	10287	12109
भारतः पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	13.31	21.64	24.8	28.66	23.87	21.54	17.7
भारत : ग्रामीण जनसंख्या(लाख)	2987	3603	4391	5238	6288	7426	8338
भारतः पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		20.62	21.87	19.29	20.05	18.10	12.28
भारतः पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (लाख)		616	788	847	1050	1138	912
भारतः कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में (%)	82.72	82.04	80.10	76.66	74.29	72.19	68.86

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है की छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 दशकों में समग्र राज्य की वृद्धि की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पायी गयी है। जहां वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का ग्रामीण भाग 95 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 77 प्रतिशत तक हो गया है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में ग्रामीण जनसंख्या केवल 70.93 लाख थी जो अब 2011 जनगणना के अनुसार 196.08 लाख है।

12.2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा, पानी तथा साफ–सफाई, पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सहकारिता आवश्यक हैं, विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार ग्रामीण विकास, विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक एकीकृत अवधारणा है, जिसकी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता रही है। किसी भी अर्थतंत्र की प्रगति के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण माना जाता है, भारत में ग्रामीण विकास की गति चिंता का विषय है। भारत ग्रामीण विकास में अभी भी बहुत पीछे है।

तालिका 12..2 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांक

सूचकांक	2019-21			2020		
	शही	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल
अशोधित जन्म दर				17.3	23.4	22.0
कुल प्रजनन क्षमता दर	1.4	1.9	1.8			
शिशु मृत्यु दर	26.2	48.7	44.3	31	40	38
5 साल के नीचे मृत्यु दर	28.9	55.8	50.4			
अशोधित मृत्यु दर				6.3	8.4	7.9
Source:- NFHS 2019-21				**Source:- SRS 2019**		

निम्न तालिकाओ में छत्तीसगढ़ के सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

तालिका 12.3 जीवित जन्म 2008–2021 संस्थागत प्रसव (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत

मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5	71.8	57.9	50.7	59.2	73.8	80.5	88.0	86.7
ग्रामीण	30.7	35.9	43.0	50.3	60.5	64.0	68.2	47.6	40.0	52.3	37.7	40.5	85.7	83.2
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3	85.2	73.9	72.2	73.4	36.1	40.0	90.4	89.9
Source : Annual Vital Statistics Report														

तालिका 12.4 मृत्यु 2008–21 संस्थागत (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत

मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1	35.9	29.1	30.5	36.8	40.8	39.9	26.2	24.3
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8	31.5	20.9	22.6	25.3	21.0	13.9	9.9	3.7
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7	56.8	46.3	49.5	56.0	19.9	21.0	51.2	58.3
Source : Annual Vital Statistics Report														

राज्य में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं यथा ग्रामीण विकास के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आजीविका मिशन (NRLM) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना आदि कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है।

12.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दिनांक–07 सितम्बर, 2005 को जारी की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ में 02 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में 11 जिले (बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा), द्वितीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल 2007 से 04 जिले (रायपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा एवं महासमुंद) तथा तृतीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।

12.3.1 उद्देश्य :–

- अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।
- किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है उनके द्वारा आवेदन किये जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराये जाने की गारंटी लागू है।
- अधिनियम के तहत पंजीकृत परिवार की महिलाएं, रोजगार हेतु आवेदन करती है; उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम एक तिहाई महिला लाभान्वित हो।

- ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजन (निःशक्तजन) रोजगार के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें योग्यता एवं क्षमता अनुसार काम दिया जाता है।
- काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है एवं 30 दिवस के उपरान्त न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य द्वारा **"छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम–2013"** बनाया गया है।
- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013–14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।
- वन अधिकार पत्रधारक आदिवासी परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, बशर्ते उन परिवारों के पास FRA अधिनियम, 2006 द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी सम्पत्ति न हो।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी नरेगा से सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस कार्य का अतिरिक्त लाभ प्रदान की जाती है।
- योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 हेतु रू0 204/– प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मशीनों से कार्य कराना प्रतिबंधित है, परंतु निम्नाकिंत कार्यों के लिये मशीनों का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है :– भूमि का उत्पादकता बढ़ाने हेतु–कुआँ खोदने के लिये पंप सेट, कम्प्रेसर हैमर, लिफ्ट

डिवाईस, सड़क निर्माण के लिये–पावर रोलर, ट्रेलर माउन्टेड वाटर ब्रोसर, स्टैटिक स्मूथ विल्ड रोलर आफ 8–20 टन वेट, मैक्निकल मिक्सर, मैक्निकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण के लिये–मिक्सर और मैक्निकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन–मशीन फार सी एस ई बी का ब्रिक्स/ब्लाकमेकिंग मशीन, मेकेनिकल ऑगर प्रावधान किया गया है।

12.3.2 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व :–

- भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से "**सामाजिक अंकेक्षण इकाई**" का गठन किया गया है।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु **"छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम, 2012"** बनाया गया है।
- योजनांतर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु राज्य द्वारा www.mgnrega.cg.gov.in में ऑनलाईन व्यवस्था की गई है।
- पारदर्शिता तथा Realtime MIS अद्यतन करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों हेतु पूरे राज्य में e-Muster Roll का प्रयोग किया जा रहा है।
- महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत् योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण (निपटारे) के लिए जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।
- जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण गठन किया गया है।

12.3.3 गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण :–

- योजनांतर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्माणाधीन कार्यों की सतत् निगरानी की व्यवस्था की गयी है। राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर से अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं।

- योजनांतर्गत गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंताओं के सतत् पर्यवेक्षण के साथ ही विभाग के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के द्वारा भी आबंटित जिलों में निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

- **BFT (Barefoot Technician) प्रणाली** :– निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायकों के सहयोग के लिए बेयरफुट तकनीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाकर ग्राम पंचायतों में कार्य लिया जा रहा है। इनका कार्य कामों का चिन्हांकन, ले–आउट करना, किये गये कार्यों का माप करना एवं माप पुस्तिका में दर्ज करने में तकनीकी सहायक को सहायता करना है।

- **GIS (Geogrophic Information System) प्रणाली** :–भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा हेतु NRSC (National Remote Sensing Center) के माध्यम से केंद्रीकृत GIS प्रणाली Geo-MGNREGA को क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। इस प्रणाली से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों को मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से (Geo-tagged (latitude & longitude) फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

- **जनमनरेगा** :–भारत सरकार द्वारा आमजनों के लिये महात्मा गांधी नरेगा की मूलभूत जानकारी तथा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के Geo-tagged के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध कराये गये हैं। जिसे आमजन जनमनरेगा एप पर देख सकते हैं।

- **National Mobile Monitoring System (NMMS):-** भारत सरकार द्वारा मनरेगा कार्यो के कार्य स्थल से मस्टररोल उपस्थिति लेने हेतु मोबाईल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया।

12.3.4 भुगतान प्रक्रिया :–

- मजदूरी भुगतान समय पर करने के उद्देश्य से PFMS/e-FMS प्रणाली प्रारंभ की गई है। योजना के समस्त भुगतान PFMS/e-FMS से श्रमिकों के बैंक/पोस्ट के खाते में किये जा रहे हैं। नवम्बर, 2016 से NeFMS के माध्यम से मजदूरों को मजदूरी भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित की जा रही है।

- **SECURE SOFTWARE :-**भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाईन प्रदान करने हेतु "SECURE SOFTWARE" (software for estimate calculation using rural rate for employment) का राज्य के सभी 27 जिलों में वर्ष 2018–19 से प्रारंभ किया जा चुका है। जो MIS से लिंक है।

- प्रोजेक्ट उन्नतिः– प्रोजेक्ट उन्नति के तहत् वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत 100 दिवस से अधिक कार्य करने वाले महात्मा गांधी नरेगा के निर्धारित हितग्राहियों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से RSETI/DDU-GKY/KVK के द्वारा उनके रूचि के ट्रेड्स अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करते हुए, उन्हे रोजगार/स्व–रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है।

12.3.5 विलंबित मजदूरी भुगतान के लिये मुआवजा :–महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(3) के अनुसार, श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी के भुगतान के हकदार होते हैं मस्टर रोल के बंद होने की तारीख के पंद्रह दिन के अंदर भुगतान पाने के हकदार है। यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 29 के अनुसार मजदूरी प्राप्तकर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद के विलंब के लिये भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब मुआवजे के भुगतान के लिये हकदार होता है।

12.3.6 मातृत्व अवकाश भत्ता :– राज्य शासन द्वारा योजनांतर्गत कार्यरत ऐसे महिला श्रमिकों को जो विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी कार्य किया है उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में एक माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है। उक्त राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

12.3.7 कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं:– कार्यस्थल पर पेयजल, छाया हेतु शेड, प्राथमिक उपचार सुविधा तथा मजदूरों के 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर शिशुघर (Creche) की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है।

❖ **12.3.8 प्रगति :–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में माह अप्रैल से सितम्बर एवं अप्रैल से मार्च 2022 तक की प्रगति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 2022 तक की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :–**

तालिका क. 12.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वर्षवार प्रगति

क्र.	मद	2019–20	2020–21	2021–22		2022–23
		अप्रैल से मार्च	अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितं.	अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितं.
1	पंजीकृत परिवार (लाख में)	38.08	40.94	40.60	41.11	41.13
2	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवार की संख्या (लाख में)	24.41	30.60	22.46	28.54	13.55
3	उपलब्ध राशि (करोड़ में)	3041.88	4537.79	2679.20	4484.64	2281.26
4	व्यय राशि (करोड़ में)	2860.05	4419.35	2270.06	3881.41	1498.81
5	सृजित मानव दिवस (लाख में)	1356.17	1840.93	737.82	1692.37	325.57
6	महिलाओं का प्रतिशत	51%	50%	50%	51%	52%
7	स्वीकृत कार्य संख्या (स्पील ओवर सहित)	7.02	5.25	3.48	4.83	2.96
8	100 दिवस पूर्ण परिवारों की संख्या	4,13,885	6,11,991	32,405	5,55,540	6,185

12.4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान''(NRLM) :– स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 01.04.2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। योजनांतर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना इस योजना में शामिल है एवं मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य किया जाना है।

12.5 सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund) :– राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान स्व–सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़वा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया गया है, जिसके अंतर्गत स्व सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60–75 हजार रूपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जिसकी वापसी महिला स्व–सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है।

तालिका क. 12.6 सामुदायिक निवेश कोष					
क	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	12661	20396	12237.87	161%
2	2021-22 (अप्रैल से मार्च)	25321	34402	20641.37	136%
3	2022-23 (अप्रैल से सितम्बर)	23180	8292	4975.16	36%

सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन (Cluster Level Federation-CLF) के लिये अनुदान है, परन्तु ग्राम संगठन, स्व सहायता समूह एवं उनके सदस्यों के लिये ऋण के रूप में दिया जाता है। जहां पर संकुल स्तरीय संगठन का गठन हो चुका है, वहां पर सामुदायिक निवेश निधि सीएलएफ के माध्यम से दिया जाता है, परन्तु जिस विकासखण्ड में संकुल स्तरीय संगठन का गठन नहीं हुआ है, वहां पर सामुदायिक निवेश निधि की राशि सीधे महिला स्व–सहायता समूहों को जनपद के माध्यम से दिया जा रहा है।

12.6 चक्रिय निधि (RevolvingFund) **:-** चक्रिय निधि की परिकल्पना स्व–सहायता समूह में आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने, कोष के आकार में वृद्धि करने एवं समूहों के विकास हेतु एक तंत्र के रूप में की गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वैसे स्व–सहायता समूह जो तीन माह से पंचसूत्र (नियमित साप्ताहिक बैठक,नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन–देन, नियमित ऋण वापसी तथा नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण) का पालन कर रहे हों, उन्हें 15,000/– रूपये की राशि चक्रिय निधि के रूप में प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

तालिका क्र. 12.7 चक्रिय निधि					
क.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहाय ता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	25292	24232	3634.8	96%
2	2021-22 (अप्रैल से मार्च)	50583	41621	6243.15	82%
3	2022-23 (अप्रैल से सितम्बर)	40000	8640	1296.15	22%

12.7 बैंक लिंकेज :– महिला स्व–सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना मिशन का मुख्य उद्देश्य है। महिला स्व–सहायता समूहों को रिपीट ऋण के माध्यम से निरंतर बैंकों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

अनुपालित महिला स्व–सहायता समूह को 03%ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, ताकि स्व–सहायता समूह के सदस्य अपनी आजीविका संबंधी गतिविधि को बढ़ावा दे सके। प्रदेश में वर्तमान में कुल 2,04,750 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित स्व–सहायता समूह है।

तालिका क्र. 12.8 स्व–सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज

क	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	41500	17150	27325.76	41%
2	2021-22 (अप्रैल से मार्च)	83000	77657	92481.62	94%
3	2022-23 (अप्रैल से सितम्बर)	86000	48480	52480.88	56%

12.8 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) :– दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण प्रदाय कर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदाय करना है। राज्य में योजना वर्ष 2014 से YP State के तहत संचालित थी वर्ष 2016 से राज्य को Annual Action Plan का दर्जा प्राप्त हुआ जिसके पश्चात् योजना क्रियान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाता है।

- 15 से 35 आयु वर्ग के इच्छुक ग्रामीण गरीब एवं वंचित वर्ग के युवाओं के लिए विशेष योजना, विशेष समूहों यथा पीवीटीजी, दिव्यांग आदि के लिए 45 वर्ष तक निःशुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रावधान।
- समुचित काउंसलिंग के उपरांत युवाओं की अभिरूचि, योग्यता एवं रोजगार के अवसर के अनुसार प्रशिक्षण।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत रोशनी प्रोग्राम के तहत सुदूर, अतिसंवेदनशील नक्सली क्षेत्रों के युवक–युवतियों को योजनांतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- डीडीयू–जीकेवाय (रोशनी) योजना अंतर्गत Live Monitoring System का सफलीभूत क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं परिणाम सकारात्मक आए है इस नवोन्मेश के लिए राज्य को दिनांक 25 सितंबर 2019 को स्कोच अवार्ड प्राप्त हुआ तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश के सभी डीडीयू–जीकेवाय केन्द्रों में इसे लागू किया गया।

क्र	वित्तीय वर्ष	कुल प्रशिक्षित	कुल सेटल्ड
01	2021–22 (अप्रैल से सितम्बर)	2173	240
02	2021–22 (अप्रैल से मार्च)	10196	2998
03	2022–23 (अप्रैल से सितम्बर)	4400	2034

12.9 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान –

RSETI (Rural Self Employment Training Institute**)** ग्रामीण बी पी एल हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (MoRD) के सहयोग से लीड बैंको के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (R-SETI) की स्थापना की गई है। योजना अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (MoRD) द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में राज्य के 18 जिलों में 03 लीड बैंको के माध्यम R-SETI संचालित है (सेंट्रल बैंक –02 ,बैंक ऑफ बड़ौदा– 05 तथा भारतीय स्टेट बैंक (SBI)–11) शेष 10 जिलों के हितग्राहियों को समीप के R-SETI से प्रशिक्षण करवाया जाता है।

तालिका क. 12.9 RSETI (Rural Self Employment Training Institute)

क्र.	वित्तीय वर्ष	कुल प्रशिक्षित	कुल सेटल्ड
1	2021–22 (अप्रैल से सितम्बर)	2016	1553
2	2021–22 (अप्रैल से मार्च)	10030	7354
3	2022–23 (अप्रैल से सितम्बर)	5135	1559

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (MoRD) द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत 24 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रोजेक्ट उन्नति अंतर्गत हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु राज्य में संचालित आर–सेटी धमतरी का अभिनंदन (Felicitation) माननीय केन्द्रीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया।

- RSETI अंतर्गत राज्य में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध प्रमुख प्रशिक्षण ट्रेड है – मशरुम उत्पादन, सिलाई प्रशिक्षण, अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, मुर्गीपालन, कंप्यूटर लेखांकन, बैंक मित्र, बकरी पालन, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, डेयरी, वर्मी कंपोज्ड, वाहन चालक, टू व्हीलर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेशम कोशा उत्पादन आदि ।

12.10 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एक केंद्र पोषित परियोजना है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी के लिये आवास के उद्धेश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर एवं कच्चे मकानो में रह रहे गरीब परिवारों को स्वयं का पक्का एवं आपदा रोधक मकान उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से 01 अप्रैल 2016 से **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** का कियान्वयन किया जा रहा है।

पीएमएवाई–जी की मुख्य विशेषताएं –

- आवास निर्माण के लिए जगह 25 वर्ग मीटर किया गया है। जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।
- मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता राशि रू. 1.20 लाख और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं आईएपी जिलों में राशि रू. 1.30 लाख प्रावधानित किया गया है।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई (आवास) सहायता लागत का वहन 60:40 के आधार पर किया जाता है।
- सामान्य क्षेत्र के हितग्राही को आवास निर्माण हेतु राशि रू. 1.20/– लाख, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी शौचालय सहित एवं IAP जिलों में कुल राशि रू. 1.30/– लाख, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 95 दिन की मजदूरी शौचालय सहित अनुदान दिया जा रहा है।
- ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आधार पर ही किया जाता है।
- लाभार्थियों के पंजीकृत बैंक खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक तरीके (एफ.टी.ओ.) के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाती है।
- पीएमएवाई–जी के संबंध में लाभार्थियों को समय–समय पर आवश्यक जानकारी हितग्राही उन्मुखीकरण के माध्यम से प्रदाय की जा रही है।
- स्थानीय सामाग्रियों, डिजाईनों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों द्वारा अच्छे आवास का निर्माण किया जा रहा है।

पात्र लाभार्थियों के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण–पीएमएवाई (जी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण सामाजिक–आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर किया गया है :–

- स्वतः शामिल परिवार
- शून्य कमरे वाले परिवार
- सभी 5 वंचन सूचकांक में शामिल
- सांसद आदर्श ग्राम और रूरबन के चयनित ग्रामों में सभी पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित करना।
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार।
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते है।
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं हैं।

- पात्र लाभार्थियों के प्राथमिकता के निर्धारण के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत/काउंसिल या संबंधित राज्य/सं.शा. क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्व–शासन की सबसे निम्नतम इकाई के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य और अल्पसंख्यक वर्गों की अलग–अलग प्राथमिकता सूचियां पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता के आधार पर तैयार किया जाता है। तत्पश्चात ये सूचियां ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है।

भारत सरकार के आवास सॉफ्ट पोर्टल से प्राप्त 25 लाख परिवारों की सूची व ग्रामसभा सत्यापन कर अपिलीय समिति के अनुमोदन उपरांत कुल 18,76,791 पात्र परिवारों का स्थायी प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा आबंटित लक्ष्य के विरुद्ध स्थायी प्रतीक्षा सूची से हितग्राहियों का चयन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्षवार लक्ष्य से लाभान्वित करने के उपरांत स्थायी प्रतीक्षा सूची की स्थिति निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक योजनांतर्गत कुल 10,97,150 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से कुल 10,97,140 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है। स्थायी प्रतीक्षा सूची में कुल 7,79,641 पात्र हितग्राही शेष है, योजना वर्ष 2024 तक लक्षित है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 हेतु कुल स्वीकृत आवास 10,97,140 के विरुद्ध 8,26,836 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 2,70,304 आवास निर्माणाधीन/अपूर्ण है। हितग्राहियों द्वारा स्वयं प्रेरित होकर आवास बनाये जा रहे हैं।

तालिका क. 12.10 वर्षवार भौतिक प्रगति

स. क.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष मे आवास निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध भौतिक प्रगति	
			पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास
1	2016–17	2,32,903	2,26,423	6,477
2	2017–18	2,06,372	2,00,964	5,405
3	2018–19	3,48,960	3,26,038	22,918
4	2019–20	1,51,100	73,411	77,689
5	2020–21	1,57,815	0	1,57,815
योग		**10,97,150**	**8,26,836**	**2,70,304**

12.11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :–गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जावे। अतः भारत सरकार द्वारा 25.12.2000 को ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि ''सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है''। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 09 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

तालिका क्र. 12.11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (राशि करोड़ रू. में, लंबाई कि.मी. में)

क.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	पूर्ण वृहद पुल की संख्या	व्यय राशि
1	2020–21 (अप्रैल से सितम्बर)	93	131.11	20	362.89
2	2020–21 (अप्रैल से मार्च)	282	4228.46	75	1546.46
3	2021–22 (अप्रैल से सितम्बर)	133	305.32	4	600.20
4	2021–22 (अप्रैल से मार्च)	326	2314.34	15	1748.21
5	2022–23 (अप्रैल से सितम्बर)	244	143.21	12	536.14

योजना के प्रारंभ से अब तक 8,539 सड़कें, लंबाई 42,524 किमी. एवं 375 वृहद पुल कुल राशि रु. 16,128 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई। माह–सितम्बर 2022 तक 8104 सड़कें, 40,192 किमी. लंबाई एवं 346 वृहद पुल पूर्ण कर रु. 14,716 करोड़ का व्यय किया गया है।

12.12 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना :– 23 अप्रैल 2011 से शत–प्रतिशत राज्य पोषित योजना अंतर्गत ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में नहीं हैं, को डामरीकृत/पक्के मार्गों से जोड़ने का प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकासखण्डों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या (2011 जनगणना के आधार पर) की बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी डामरीकृत सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत अद्यतन निर्माण योग्य 1771 सड़कें, लंबाई 5361 कि.मी., राशि रू. 2727 करोड़ स्वीकृत है। माह–सितम्बर 2022 तक 1693 सड़कें, लंबाई 4780 कि.मी., लंबाई पूर्ण कर रू. 2166 करोड़ व्यय किया गया है।

तालिका क्र. 12.12 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (राशि करोड़ रू. में, लंबाई कि.मी. में)

क्र.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	व्यय राशि
1	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	59	133.01	45.70
2	2021-22 (अप्रैल से मार्च)	125	296.40	109.12
3	2022-23 (अप्रैल से सितम्बर)	35	35.70	4.14

12.13 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना:–वर्ष 2012–13 से लागू सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण (शहरो में गौरव पथ के तर्ज पर), कम से कम 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर लंबाई, 6.00 मी. चौड़ाई की सड़क, बीच में 4.00 मी. चौड़ाई में कांक्रीट मार्ग निर्माण, 0.50 मी. चौड़ाई में दोनों तरफ कांक्रीट पेविंग/खरंजा तथा शेष चौड़ाई में दोनों तरफ 0.50 मी. चौड़ाई में "V" आकार की नाली का निर्माण कराया गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है। यदि अपरिहार्य कारणों से एक तरफ भी नाली निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध न हो ऐसी स्थिति में गौरव पथ का निर्माण प्रारंभ नहीं कर कार्य निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित करने के निर्देश हैं।

इस योजना अंतर्गत अब तक 7178 कार्य, लंबाई 2143.98 कि.मी., लागत रू. 1330.70 करोड़ की स्वीकृत है, माह सितम्बर 2022 तक कुल 7078 ग्राम गौरवपथ, लंबाई 2101.28 कि.मी. पूर्ण कर राशि रू. 1047.50 करोड़ व्यय किया गया है।

तालिका क्र. 12.13 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना (राशि करोड़ रू.में, लंबाई कि.मी. में)				
क्र.	वर्ष	पूर्ण गौरवपथ की संख्या	पूर्ण लम्बाई	व्यय राशि
(अ)	2021-22(अप्रैल से सितम्बर तक)	13	7.00	6.2729
	2021-22(अप्रैल से मार्च तक)	20	8.00	8.9147
(ब)	2022-23(अप्रैल से सितम्बर तक)	11	11.00	7.9463

12.14 सांसद आदर्श ग्राम योजना :– 11 अक्टूबर, 2014 से पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई।

सांसद आदर्श ग्राम योजना– 2 के तहत राज्य के सभी 16 माननीय सांसदो द्वारा उनके कार्यकाल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक प्रत्येक वर्ष हेतु एक–एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाना है। इस प्रकार कुल 80 पंचायतों का चयन अपेक्षित है, जिसके विरूद्ध अब तक कुल 72 पंचायतों का चयन किया जा चुका है एवं इनमें से 61 ग्राम पंचायतों की ग्राम विकास योजना तैयार कि जा चुकी हैं। इन 61 पंचायतों की ग्राम विकास योजना में 2651 कार्यो को सूचीबद्ध किया गया जिसमें से 765 कार्य पूर्ण हो चुके है जिसकी प्रगति 29 प्रतिशत है।

12.15 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :– 02 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में स्वच्छता के माध्यम से सुधार लाना है। उक्त उद्देश्य की पूर्ती के क्रम में पूरे राष्ट्र को 02 अक्टूबर, 2019 तक खुलें में शौचमुक्त किया जाना था। प्रदेश को खुले में शौचमुक्त किए जाने के क्रम में वर्ष 2012 में हुए आधारभूत सर्वेक्षणों के अनुसार प्रदेश में कुल 26,76,670 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण लक्षित था। वर्ष 2012 के सर्वेक्षणों में छूटे एवं बढ़े हुए परिवारों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में कुल **32,39,197 व्यक्तिगत पारिवारिक** शौचालयों का निर्माण हुआ। तत्समय प्रदेश के समस्त 10,971 ग्राम पंचायतों में से 10728 ग्राम पंचायतें (LWE क्षेत्रों की 246 ग्राम पंचायतों को छोड़कर) 04 जनवरी, 2018 को खुले में शौचमुक्त हुए।

तालिका क्र. 12.14 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भौतिक प्रगति					
क्र.	मद	वर्ष 2021–22		वर्ष 2022–23 (सितंबर, 2022)	
		लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	154418	70560	135956	46932
2	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	4853	1894	8185	1450
3	सामुदायिक शौचालय	6031	4984	4125	1119

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस 2 :–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्यानुरूप 02 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र खुले में शौचमुक्त घोषित हुआ। 01 अप्रैल, 2020 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के फेस–2 की शुरूआत हुई जिसका क्रियान्वयन 31 मार्च, 2025 तक किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपलब्ध राशि रू. 322.7 करोड़ के विरूद्ध 154.00 करोड़ का व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध राशि रू. 314.84 लाख रू. के विरूद्ध (माह सितंबर, 2021 की स्थिति) 111.38 करोड़ राशि का व्यय हुआ।

प्राप्त पुरस्कार :–

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में प्रदेश को पूर्वी राज्यों में प्रथम पुरस्कार।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में पूर्वी राज्यों में प्रदेश के दुर्ग एवं बालोद जिलों को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में नारा लेखन में प्रदेश को मध्यम क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार।

1. **12.16 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना** :–श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरूआत छत्तीसगढ़ राज्य से दिनांक 21.02.2016 को की गई। मिशन की परिकल्पना अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किये बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जन–जीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गांवों के क्लस्टर को ''रूर्बन गांव'' के रूप में विकसित करना है।

2. **लक्ष्य**:– मिशन अंतर्गत देशभर में कुल 300 रूर्बन क्लस्टर का सृजन किया जाना है। उक्त लक्ष्य में से छत्तीसगढ़ राज्य से तीन चरणों में कुल 19 क्लस्टर का चयन किया गया है, जिसमें 12 जनजातीय क्लस्टर तथा 07 गैर–जनजातीय क्लस्टर शामिल हैं।

3. **भौतिक उपलब्धि** :–योजना अंतर्गत चयनित समस्त 19 में से 18 क्लस्टर विस्तृत कार्य योजना (डी.पी.आर.) को राज्य स्तरीय सशक्त समिति एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। डीपीआर (Revised) में सम्मिलित कुल 7184 कार्यों में से अक्टूबर 2022 तक 6071 (84.50%) कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, जिसमें से CGF अंतर्गत कुल 4494 कार्यों में से 3618 (80.50) व अभिसरण अंतर्गत कुल 2690 कार्यों में 2453 (91.18%) कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

4. **वित्तीय उपलब्धि** :–योजनांतर्गत आवश्यक पूरक वित्त पोषण (सीजीएफ) मद में राज्य को कुल राशि रूपए 290.45 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जबकि कुल स्वीकृत सी.जी.एफ. राशि रू. 375.00 करोड़ है, जिसके विरूद्ध राशि रूपए 267.24 करोड़ (92%) का व्यय किया जा चुका है एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं (अभिसरण मद) से लक्षित राशि रू. 1021.90 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 914.56 करोड़ (89.49%) का व्यय किया जा चुका है।

5. **एम.आई.एस.प्रगतिः**–चयनित सभी 18 क्लस्टर के विस्तृत कार्ययोजना के एमआईएस पोर्टल पर एंट्री पूर्ण करने वाला देश का पहला राज्य बना। वर्तमान में समस्त क्लस्टर में रूर्बन सॉफ्ट पोर्टल पर FTO के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। मिशन अंतर्गत जीओ टैगिंग का पायलट रन वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है तथा अभी तक कुल 5158 (84.96%) कार्यों की जीओ टैगिंग पूर्ण कर ली गई है।

6. **राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि** – भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय जारी पत्र क्रमांक K-11033/10/2018-Rurban-Part-2 दिनांक 08.01.2021 अनुसार छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है।

7. भारत सरकार द्वारा देश के 75 शीर्ष रूर्बन क्लस्टर में छत्तीसगढ़ राज्य के 14 क्लस्टरों को शामिल किया गया है।

12.17 रोजगार सेवा –

12.17.1 युवा क्षमता विकास योजनाः–प्रदेश में युवाओं की क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य के युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रियाओं एवं ऋण अदायगियों में ऐसी कुछ सुविधा प्राप्त हो जिससे वह अपने विकास के राह में आने वाली बाधाओं को सहजता से पारकर अपनी क्षमता का विकास कर सकें । इसी उद्देश्य को दृष्टिगत कर राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं की क्षमता में वृद्वि करने के लिए ''युवा क्षमता विकास योजना'' प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान है–

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6 प्रतिशत की छूट।

(ख) व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में रू. 100 प्रति परीक्षार्थी की दर से छूट।

(ग) शासकीय आई.टी.आई. में अध्यनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क (अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा देय रू. 1,000/– प्रतिवर्ष) तथा परीक्षा शुल्क (रू. 100 प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

(घ) स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नात्कोत्तर परीक्षाओं (बैक पेपर्स को छोड़कर) के परीक्षा शुल्क (लगभग रू. 800 प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

योजान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 4.60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.17.2 रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प का आयोजनः–प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ शासन की सर्वदा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। शासकीय नौकरियों की अपनी सीमा है, जो समस्त बेरोजगारों के लिए पूर्ण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। रोजगार के 92 प्रतिशत अवसर निजी क्षेत्र में ही उपलब्ध है, क्योंकि राज्य स्थापना के उपरांत बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति में स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रावधान भी किये हैं।

निजी क्षेत्रों मे रोजगार के उपलब्ध अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को प्रदान करने के शासन की मंशा को कार्यरूप में परिणित करने, प्रदेश के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों को स्थानीय युवाओं हेतु उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभिनव कार्यक्रम को रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 1.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.17.3 भारतीय सैन्य बलों में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण :– छत्तीसगढ़ शासन के दूरदर्शी नीति के फलस्वरूप भारतीय सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों हेतु भर्ती रैली का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के युवाओं की भागीदारी भारतीय सैन्य बलों में बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। शासन द्वारा रोजगार विभाग को आवश्यक बजट उपलब्ध करवाकर भारतीय सैन्य बलों की भर्ती रैली के सफल आयोजन एवं उन रैलियों में राज्य के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार एवं भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था रोजगार विभाग के

माध्यम से की जाती है। इसका सुपरिणाम राज्य के युवाओं के चयन में निरंतर वृद्धि के रूप में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 64 लाख़ का बजट प्रावधान किया गया है।

''**रोजगार पक्ष**'' की विभागीय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 12.15 रोजगार पक्ष'' की विभागीय योजनाओं का विवरण (राशि लाखों में)

क.	योजना का नाम	वर्ष 2021–22 (अप्रैल से सितं.) उपलब्धि				वर्ष 2021–22 (अप्रैल से मार्च) उपलब्धि				वर्ष 2022–23 (अप्रैल से सितं.) उपलब्धि			
		भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय		
			प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत		प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत		प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	युवा क्षमता विकास योजना	0	460.00	0	0	3568	460.00	17.84	3.88	0	460.00	0	0
2	रोजगार मेला प्लेसमेंट केम्प	1248	100.00	3.96	3.96	3533	100.00	35.89	35.89	3255	100.00	7.09	7.09
3	सेना भर्ती	0	64.00	0.32	0.50	0	64.00	3.08	4.81	0	64.00	2.08	3.25

नगरीय विकास

13

नगरीय विकास

मुख्य बिन्दु

- ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि सम्पन्नता को बढ़ाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, दूरसंचार इसके मूल तत्व हैं। वर्ष 1951 में जहॉ शहरीकरण 4.88 प्रतिशत (3.64 लाख) था, यह वर्ष 2011 में बढ़कर 23.24 प्रतिशत (59.37 लाख) हो गया है।
- शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं हेतु संचालित योजनाएं – पौनी पसारी योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सरोवर धरोहर योजना, ज्ञानस्थली योजना, उन्मुक्त खेल मैदान योजना, पुष्प वाटिका उद्यान योजना, राजीव गॉधी स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुक्तिधाम निर्माण योजना, हाट–बाजार समृद्धि योजना, सॉस्कृतिक भवन योजना, भागीरथी नलजल योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, मिशन क्लीन सिटी इत्यादि।
- "मुख्यमंत्री मितान योजना" की शुरुआत प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में की गई है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के नगरीय निकायों ने 67 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।
- गोधन न्याय योजना के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल 21,647 पशुपालकों से 23,54,513.47 क्विंटल गोबर की खरीदी किया जा चुका है वर्तमान में कुल 5,82,361.024 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट 2,06,79,017 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट तैयार किया जा चुका है

नगरीय विकास

13. नगरीय विकास

विश्व तीव्रगति से शहरीकृत होता जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता अधिकाधिक नगरीय सभ्यता बनती जा रही है। मानव सभ्यता की प्रवृत्ति ग्रामों से शहरों की ओर जाने की है। अर्थव्यवस्था के पैमाने के अनुसार उच्च जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व लेन–देन का व्यय कम करता है तथा सेवाओं को सस्ता बनाता है। बड़े शहरों में आनुपातिक रूप से प्रवर्तन, उत्कर्ष, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक होता है।

तालिका 13.1 छत्तीसगढ़ में शहरीकरण की गति

मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.1	176.15	208.34	255.45
दशकीय जनसंख्या कुल वृद्धि दर	9.42	22.77	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
शहरी जनसंख्या (लाख)	3.64	7.63	12.08	20.58	30.65	41.86	59.37
दशकीय शहरी जनसंख्या वृद्धि दर		109.52	58.37	70.39	48.9	36.58	41.84
कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	4.88	8.33	10.38	14.69	17.4	20.09	23.24
भारत की कुल जनसंख्या	3,611	4,392	5,482	6,833	8,464	10,287	12,109
भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	13.31	21.64	24.8	24.66	23.87	21.54	17.7
भारत की शहरी जनसंख्या (लाख)	624	789	1,091	1,595	2,176	2,861	3,771
भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	17.28	17.96	19.9	23.34	25.71	27.81	31.14

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या न केवल छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या की वृद्धि से अधिक बढ़ रही है, बल्कि यह समस्त देश के शहरी जनसंख्या वृद्धि से अधिक गति से बढ़ रही है। जहां वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का नगरीय भाग 5 प्रतिशत से भी कम था वहीं वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इसमें 23 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में शहरी जनसंख्या केवल 3.64 लाख थी जो अब बढ़कर 2011 जनगणना के अनुसार 59.37 लाख हो गई है। यह वास्तव में शहरीकरण के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति है। तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि शहरीकरण का स्तर (23.24 प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार) देश के स्तर (31.23 प्रतिशत 2011 जनगणना अनुसार) से काफी कम है। यह मुख्यतः शहरीकरण के देर से आरंभ होने, राज्य में कम औद्योगीकरण एवं गरीबी का स्तर उच्च होने इत्यादि के

कारण हैं। गरीब अर्थव्यवस्था से अमीर अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या के जाने की गति पर निर्भर करता है। राज्य में रायपुर–भिलाई पेटी में सबसे तीव्र शहरीकरण देखा जा सकता है।

मूल निवास इकाइयों की श्रेणी एवं गुणवत्ता अर्थव्यवस्था की सफलता निर्धारित करती है। बड़ी उत्पादन इकाइयों को बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे सहायक गतिविधियॉ बढ़ जाती है, जिससे पुनः अधिक जनबल की आवश्यकता पड़ती है। किसी विशेष स्थान पर बहुत बड़ी जनसंख्या होने से भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, सड़कें, दूरसंचार, जलप्रदाय, स्वच्छता इत्यादि की अधिक मांग बढ़ती है।

सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य क्रमांक 11 के अंतर्गत भी शहर और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित लचनशील और चिरस्थायी बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने हेतु निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं–

1. पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और आधारभूत सेवाओं तक सभी के लिए पहुँच सुनिश्चित करना और मलिन बस्तियों का उन्नयन करना।
2. सड़क सुरक्षा में सुधार करते हुए, विशेषकर कमजोर स्थिति वाले लोगों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध व्यक्तियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करके, सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती, सुलभ और चिरस्थाई परिवहन व्यवस्था तक पहुँच प्रदान करना।
3. सभी देशों में समावेशी और चिरस्थाई शहरीकरण और सहभागी, एकीकृत और चिरस्थाई मानव बस्ती योजना और प्रबंधन के लिए क्षमता का संवर्धन करना।
4. विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए प्रयासों का सुदृढ़ीकरण करना।
5. हवा की गुणवत्ता और नगर निगम और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने सहित शहरों का प्रति व्यक्ति प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव कम करना।
6. विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरित और सार्वजनिक स्थलों तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना।

छत्तीसगढ़ के नगरीय सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर कार्य निष्पादन को भी दर्शाता है।

तालिका 13..2 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांक

सूचकांक	2019-21			2020		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
अशोधित जन्म दर				17.3	23.4	22.0
कुल प्रजनन क्षमता दर	1.4	1.9	1.8			
शिशु मृत्यु दर	26.2	48.7	44.3	31	40	38
5 साल के नीचे मृत्यु दर	28.9	55.8	50.4			
अशोधित मृत्यु दर				6.3	8.4	7.9
Source:- NFHS 2019-21				Source:- SRS 2020		

तालिका 133 जीवित जन्म 2008–21 संस्थागत प्रसव (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत

मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5	71.8	57.9	50.7	59.2	73.8	80.5	88.0	86.7
ग्रामीण	30.7	35.9	43.0	50.3	60.5	64.0	68.2	47.6	40.0	52.3	37.7	40.5	85.7	83.2
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3	85.2	73.9	72.2	73.4	36.1	40.0	90.4	89.9
Source : Annual Vital Statistics Report														

तालिका 13.4 मृत्यु 2008–21 संस्थागत (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत

मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1	35.9	29.1	30.5	36.8	40.8	39.9	26.2	24.3
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8	31.5	20.9	22.6	25.3	21.0	13.9	9.9	3.7
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7	56.8	46.3	49.5	56.0	19.9	21.0	51.2	58.3
Source : Annual Vital Statistics Report														

13.1 नगरीय निकाय :– क्रं. निकाय संख्या 1 नगर पालिक निगम 142 नगर पालिका परिषद् 443 नगर पंचायत 112 कुल 170 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या निम्नानुसार हैः– संविधान के अनुच्छेद 243 'ब' के अधीन नगरीय निकायों को अनुसूची–XII में दर्शित दायित्वों का निर्वहन किया जाना है। नगरीय व्यवस्था के प्रबंधन एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुच्छेद 243 'द' के अधीन प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु जनता द्वारा चुनी गई नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की व्यवस्था है।

क्रं.	निकाय	संख्या
1	नगर पालिक निगम	14
2	नगर पालिका परिषद्	44
3	नगर पंचायत	112
	कुल	170

13.2 सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ :–

13.2.1 वित्तीय प्रशासन :–

संविधान के अनुच्छेद 243 'भ' में करारोपण द्वारा राजस्व वसूली का अधिकार नगरीय निकायों को प्राप्त है। इस संवैधानिक व्यवस्था को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 132 एवं 127 में क्रमशः स्थापित किया गया है। निकायों को शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान तथा यात्रीकर विशेष अनुदान का भुगतान मासिक तौर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निकाय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नांकित कर अधिरोपित किए जाते हैं:–

1.संपत्ति कर 2.समेकित कर 3.जलकर 4.निर्यात कर

नगरीय क्षेत्रों में संपत्तिकर के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया में अनुभव की गई कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा संपत्तिकर के स्व–निर्धारण की प्रक्रिया नगरीय क्षेत्रों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत संबंधित निकायों द्वारा क्षेत्रवार अधिसूचित वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर करदाता स्वयं उसके द्वारा धारित संपत्ति पर देय संपत्ति कर का आंकलन तथा तद्नुसार स्व–निर्धारित राशि निकाय के कोष में जमा करता है।

शासन द्वारा संपत्तिकर के स्वनिर्धारण प्रक्रिया लागू करने के साथ ही सफाई कर, प्रकाश कर एवं अग्निकर के बदले वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर समेकित कर नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है।

13.2..2 छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि :– प्रदेश में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम, 2003 बनाया गया है। जिसके अध्यक्ष विभाग के माननीय मंत्री जी हैं।

नगर विकास निधि के अंतर्गत दो खातों, न्यागमन खाता एवं अधोसंरचना खाते का संधारण किया जाता है। न्यागमन खाते के अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति, यात्रीकर, मुद्रांक शुल्क, बार लायसेन्स एवं अन्य क्षतिपूर्ति के अनुदान को शामिल किया जाता है, जिसे नगरीय निकाय द्वारा स्वविवेक से खर्च किया जाता है।

अधोसंरचना खाते के अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति के बाद शेष अतिरिक्त राशि, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, सड़क मरम्मत अनुरक्षण जैसे मद को शामिल कर निधि का निर्माण किया जाता है एवं इस राशि से निम्नानुसार कार्यों को संपादित किया जाता है:–

- सड़कों से संबंधित कार्य, जिसमें उनके मरम्मत कार्य भी सम्मिलित है।
- पेयजल योजना के लिए आवश्यक रकम में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला अनुदान भी शामिल है।
- किसी विशेष योजना, जो राज्य शासन द्वारा लागू की गई है।
- कूड़ा–कचरा अपशिष्ठ का प्रबंधन।
- नगरीय स्थानीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं का विकास।

13.2.3 निर्वाचन :– 74 वें संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में स्थानीय निकायों के समय–सीमा में निर्वाचन कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

13.2.4 मेयर/प्रेसीडेंट–इन कौंसिल की व्यवस्था :– निकायों के सामान्य कामकाज के संचालन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से छ.ग. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नगर पालिक निगमों में मेयर–इन–कौंसिल तथा छ.ग. नगर पालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचातयों में प्रेसीडेण्ट–इन–कौंसिल के गठन की व्यवस्था की गई है। उक्त व्यवस्था के अनुसार संबंधित महापौर/अध्यक्ष द्वारा अपने विवेक के आधार पर निर्वाचित पार्षदों में से मेयर–इन–कौंसिल/प्रेसीडेण्ट–इन–कौंसिल का गठन करते हैं। नगर पालिक निगमों में कुल वार्डों की संख्या के आधार पर मेयर–इन–कौंसिल में सदस्यों की संख्या 20 प्रतिशत रखी गई है। नगरपालिका परिषद्ों एवं नगर पंचायतों में प्रेसीडेण्ट–इन–कौंसिल में क्रमशः 7 सदस्य एवं 5 सदस्य रखे गये हैं। शासन द्वारा मेयर–इन–कौंसिल तथा प्रेसीडेण्ट–इन–कौंसिल हेतु निकायों के वित्तीय एवं प्रशासनिक कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाए गए हैं तथा उन्हें विभिन्न शक्तियां भी सौंपी गयी है।

13.3 विभाग द्वारा संचालित प्रमुख राज्य प्रवर्तित योजनाएँ :–

13.3.1 नवीन सरोवर धरोहर योजना :– शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की एकीकृत योजना। जलाशयों के संपूर्ण विकास हेतु

आवश्यकतानुसार चरण बद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करना। जलाशयों में दूषित जल के प्रवेश को रोकना तथा अतिक्रमण मुक्त कराना। परिसर में वृहद वृक्षारोपण संरक्षण ऐरियेशन से जल की सफाई पाथवे विद्युतीकरण सहित एवं महिला घाट का अनिवार्य प्रावधान। तालाब में मत्स्य पालन मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंध। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 32 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 1,056.387 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2021–22 में 70 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 3,356.628 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार से वर्ष 2022–23 में 49 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 2,339.32 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.2 ज्ञानस्थली योजना :– शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण की योजना। प्राथमिक शाला के लिए 8.75 लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के लिए 13.70 लाख, उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं के लिए 15.25 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 18.24 लाख रूपये का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वर्ष 2021–22 में 08 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 53.92 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।इसी प्रकार वर्ष 2022–23 में 03 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 115.92 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.3 पुष्प वाटिका उद्यान योजना :– शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कालोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने की योजना। प्रति हेक्टेयर राशि रू. 37.00 लाख का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान।योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में कुल 17 परियोजनाओं हेतु राशि रू.746.15 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में 44 परियोजनाओं हेतु राशि रू.1,206.54 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2018–19 में 42 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 504.84 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 33 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 1054. 64 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 10 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 257.29 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2021–22 में 46 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 960.179 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।इसी प्रकार वर्ष 2022–23 में 31 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 629.215 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.4 राजीव गॉधी स्वालंबन योजनाः– असंगठित रूप से गुमटी–ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों की आर्थिक उत्थान की योजना। प्रति गुमटी

रू. 0.30 लाख का प्रावधान। नगरीय निकाय को शत–प्रतिशत अनुदान। योजनांतर्गत वर्ष 2017–18 में 19 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 5.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब–तक 3,714 गुमटियों हेतु राशि रू. 642.30 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.5 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :– नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना। बड़ी दुकानों के लिए रू.1.18 लाख तथा रू.0.98 लाख की लागत से छोटी दुकान एवं रू. 6,500.00 की लागत से चबूतरों का निर्माण। नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान। दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन। वर्ष 2018–19 में 250 परियोजनाओं हेतु राशि रू.106.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2020–21 में 30 परियोजनाओं हेतु राशि रू.35.40 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2021–22 में 50 परियोजनाओं हेतु राशि रू.61.33 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.6 मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना :– विभाग द्वारा नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढीकरण हेतु तथा एक स्थान पर नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ नगर के सुव्यवस्थित विकास तथा रोजगार के संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से कमर्शियल कॉम्पलेक्स के विकास एवं निर्माण हेतु मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना प्रारंभ की गई है। इससे नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा वे आय अर्जित कर, आर्थिक रूप से सक्षम बनने की दिशा में अग्रसर होंगे।

13.3.7 पौनी पसारी योजना :– प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व–सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरान्त सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु किफायती दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपरा के अंतर्गत ''पौनी–पसारी'' व्यवसाय को नवजीवन प्रदान करने में सहायक होगी, जिसमें स्थानीय परंपरागत व्यवसायों जैसे – लोहे से संबंधित कार्यो, मिट्टी के बर्तन, कपड़े धुलाई, जूते चप्पल तैयार करना, लकड़ी से संबंधित कार्य, पशुओं के लिए चारा, सब्जी–भाजी उत्पादन, कपड़ों की बुनाई, सिलाई, कंबल, मूर्तिया बनाना, फूलों का व्यवसाय, पूजन सामग्री, बांस का टोकना, सूपा, केशकर्तन, दोना–पत्तल, चटाई तैयार

करना तथा आभूषण एवं सौंदर्य सामग्री इत्यादि का व्यवसाय ''पौनी–पसारी'' व्यवसाय के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। योजनांतर्गत प्रति नग 30.00 लाख की पात्रता निर्धारित है। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 108 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 2,750.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 152 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 4,506.02 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2021–22 में 01 परियोजना हेतु राशि रू. 26.35 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है । वित्तीय वर्ष 2022–23 में 02 परियोजनाओं हेतु रू.55. 24 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन 263 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 7,338.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.8 मुख्यमंत्री मितान योजना :– प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक शासकीय कार्य सुनियोजित तरीके से संचालित हों और राज्य के नागरिकों को बिना किसी व्यावधान के सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिले, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बदलते आधुनिक समय के साथ नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुँच सेवा "मुख्यमंत्री मितान योजना" की शुरुआत प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में की गई है। मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत प्रमाणपत्र, लाइसेंस बनवाने, आधार संबंधित सेवाओं एवं पैन संबंधित सेवाओं हेतु टोल–फ्री नंबर 14545 जारी किया गया है, जो सभी कार्य दिवसों में प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक संचालित किया जा रहा है, जिसमे नागरिकों से सबंधित शासकीय सेवा प्राप्त करने हेतु अपॉइंटमेंट लिए जाने एवं सेवा के लिए दस्तावेज संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है। अब तक इस योजनांतर्गत 4,2000 से अधिक लोगों को मितान योजना के माध्यम से घर पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गए हैं।

13.3.9 मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना :– मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना सुशासन के द्वष्टिकोण से शहरी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को दैनिक समस्याओं का निराकरण उनके ही वार्ड में मिले एवं निकाय के अधिकारी प्रत्येक वार्ड में नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का त्वरित निदान करें इस उद्देश्य से वार्ड कार्यालयों का गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 14 नगर निगमों में 101 वार्ड कार्यालय कार्यरत हैं।

13.3.10 श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना :– आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की रियायती दवा उपलब्ध कराने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। इस हेतु नगरीय निकायों द्वारा लगभग 194 दुकानों

का चिन्हाकन किया गया, जिसमें से 193 दुकानें प्रारंभ की जा चुकी हैं। इन दुकानों में 329 जेनेरिक दवाएं, 28 सर्जिकल आइटम आदि उपलब्ध है। शासकीय चिकित्सकों हेतु जेनेरिक दवाई पर्ची पर लिखना अनिवार्य किया गया है।

- दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इन दुकानों में देश की ख्यातिप्राप्त कंपनियों की जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने की शर्त रखी गई है। उपलब्ध दवाइयों में सर्दी, खासी, बुखार, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन आदि सम्मिलित रहेगी साथ ही साथ गंभीर बीमारियों की दवा, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम भी न्यूनतम 50 प्रतिशत की भारी छूट के साथ उपलब्ध हैं।

- राज्य शासन द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालक को आकर्षक दर 2 रु प्रति वर्गफुट की दर से नगर पालिक निगम द्वारा किराये पर दुकानें उपलब्ध कराई है साथ ही अन्य योजनाओं में इन मेडिकल स्टोर्स से दवाई खरीदने हेतु प्रावधान किया गया है।

- 31 दिसंबर 2022 तक निकायों द्वारा राशि रु.125.69 करोड़ एमआरपी की दवाइयाँ राशि रु.50.59 करोड़ में विक्रय से 43.19 लाख नागरिकों को राशि रु.75.10 करोड़ की बचत का लाभ दिया गया है।

13.3.11 भागीरथी नल–जल योजना :– राज्य के लगभग 5.00 लाख परिवार विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत है। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किये जाने हेतु भागीरथी नल जल योजना लागू की गई है। प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू. 3000.00 का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान।

13.3.12 मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना :– शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 01 नवम्बर 2020 से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई। प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एंबुलेंस के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

- इस योजना में आम नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से मुफ्त में परामर्श, उपचार, दवाइयां एवं दैनंदिन होने वाले टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लीनिक भी इसी योजना की कड़ी है।

इसमें संपूर्ण महिला स्टॉफ के साथ एमएमयू गरीब बस्तियों की महिलाओं के इलाज हेतु उनकी बस्तियों में जा रही है। द्वितीय चरण में नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों हेतु 60 मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन 31 मार्च 2022 से प्रारंभ किया गया है।

- अब 120 मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही न्यूनतम एमबीबीएस स्तर के डॉक्टर द्वारा निःशुल्क परामर्श, ईलाज, दवाईयों एवं पैथोलॉजी लैब की सुविधा समस्त नगरीय निकायों में उपलब्ध है।
- 31 दिसंबर 2022 तक 50,035 से अधिक शिविर आयोजित किये जा चुके हैं, जिनमे 37.51 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है। 31.59 लाख मरीजों को मुफ्त दवा वितरित की गई है तथा 8.53 लाख मरीजों को मुफ्त लैब टेस्ट का लाभ मिला है।
- मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लीनिक के तहत रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई में महिला स्पेशल एमएमयू में महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 1.37 लाख से अधिक महिला मरीजों का उपचार किया गया है।

दाई दीदी क्लीनिक :– मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लीनिक भी इसी योजना की कड़ी है, इसमें संपूर्ण महिला स्टाफ के साथ एमएमयू के डॉक्टर गरीब बस्तियों की महिलाओं के इलाज हेतु उनके घरों तक जा रहे हैं। समर्पित महिला स्टाफ के माध्मय से महिला श्रमिकों एवं बच्चियों को निःशुल्क उपचार एवं परामर्श दिया गया है। देश की पहली महिला स्पेशल क्लीनिक। अब तक 881 से अधिक शिविर का आयोजित किये जा चुके हैं तथा 65061 से अधिक महिला मरीजों का ईलाज किया गया है।

विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:–

13.4 स्मार्ट सिटी मिशन :– भारत सरकार द्वारा देश में कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मिशन स्मार्ट सिटी प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रदेश के 03 शहरों रायपुर, बिलासपुर एवं नवा रायपुर अटल नगर को सम्मिलित किया गया है।

- मिशन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त प्लान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु पेयजल, विद्युत की 24 घण्टे उपलब्धता

तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु बिजली की खपत में कमी लाने हेतु एलईडी लाईट, अण्डरग्राउण्ड विद्युत वितरण प्रणाली, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास, अत्याधुनिक पार्कों एवं ग्रीन स्पेसेस तथा बाजारों के विकास का कार्य प्रस्तावित है।

- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू.927.00 करोड़ का एससीपी फंड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें से लगभग रू.404.00 करोड़ के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, इसी प्रकार राशि रू. 523. 00 करोड़ के कार्य प्रगति पर है।

- शहर में प्रदूषण रहित यातायात प्रणाली के विकास एवं संचालन हेतु ई–रिक्शा, सायकल शेयरिंग, ट्रैफिक पुलिस एवं प्रशासन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किये जाने के साथ साथ शहरी नागरिकों को दी जाने वाली सार्वजनिक सुविधाओं की समस्त जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने हेतु इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम एवं कंट्रोल सेंटर – ''दक्ष'' स्थापित किया गया है। बहुप्रतीक्षित जवाहर बाजार पुनर्विकास (रिडेव्हल्पमेंट) का कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किया गया है। मल्टीलेवल पार्किंग, आक्सीजोन, नालंदा परिसर, आनंद समाज लाईब्रेरी, इंडिग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर, सिटी कोतवाली थाना, शास्त्री बाजार पुनरोध्दार, आर.डी. तिवारी, बीपी पुजारी स्कूल का उन्नयन, तेलीबांधा, बूढ़ा, खोखो, बंधवा, प्रहलदवा तालाब का पुनरोध्दार आदि प्रमुख कार्य पूर्ण किए गए हैं। शीघ्र ही अन्य बड़ी परियोजनाओं का लाभ भी राजधानीवासियों को मिल सकेगा।

- बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू.783.00 करोड़ का एससीपी फंड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। लगभग रू.88. 00 करोड़ के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, राशि रू.695.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं।

- बिलासपुर स्मार्ट सिटी अंतर्गत बिलासपुर शहर में सेंट्रल लाईब्रेरी, इन्क्यूबेशन सेंटर, वर्किंग वूमन हॉस्टल, मिट्टी तेल गली एवं व्यापार विहार में स्मार्ट रोड का कार्य, तारामण्डल तथा जातिया तालाब पुनरोध्दार जैसे कार्य पूर्ण किए गए हैं। प्रमुख परियोजनाएं यथा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, अरपा रिडवल्पमेंट प्रोजेक्ट का लाभ भी शीघ्र ही जनता को मिलेगा।

- अटल नगर नवा रायपुर स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 943.00 करोड़ का एससीपी फंड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। अटल नगर में कण्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर का संचालन प्रारंभ किया गया है। वर्तमान तक राशि रू.193.00 करोड़ के कार्य पूर्ण तथा लगभग राशि रू.750.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर है।

13.5 स्वच्छ भारत मिशन :–

<u>स्वच्छ सर्वेक्षण 2022</u>

- नई दिल्ली मे आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार वर्ष 2021 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छतम राज्य का खिताब मिला। वर्ष 2019 एवं 2020 में भी था अग्रणी राज्य। वर्ष 2022 में छ.ग. को द्वितीय स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में छत्तीसगढ़ ने सर्वोत्तम राज्य के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के नगरीय निकायों ने 67 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।
- छत्तीसगढ़ के 2 शहर – 5 स्टार, 44 शहर – 3 स्टार, 48 शहर – 1 स्टार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किये गए हैं, पाटन एवं अंबिकापुर को 5 स्टार शहरों का प्रमाणीकरण दिया गया है।
- सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ–साथ राज्य के अन्य 4 शहर– बिलासपुर,रायपुर, अम्बिकापुर एवं रायगढ़ को भी सम्मानित किया गया है।
- राज्य के 15 नगरीय निकायों को स्वच्छ सर्वेक्षण के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया है।

13.6 मिशन क्लीन सिटी :– भारत सरकार द्वारा लागू स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, प्रदेश के नगर निगम अंबिकापुर द्वारा विकसित ठोस पुनर्चक्रीकरण योग्य कचरे के पृथकीकरण की अवधारणा पर आधारित मॉडल पर 166 नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी योजना लागू की गई है।

उक्त योजनांतर्गत प्रतिदिन लगभग 1,600 टन उत्सर्जित अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निपटान किया जा रहा है। योजना में स्थानीय स्वसहायता समूहों द्वारा, डोर टू डोर कलेक्शन, एसएलआरएम सेन्टर का संचालन–संधारण, आर्गेनिक कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है। अंतिम शेष अपशिष्ट के लिए लैण्डफिल निर्माण किया गया है। एसएलआरएम सेन्टर्स तथा कम्पोस्टिंग शेड, आवश्यक वाहन, उपकरण तथा आनुषांगिक सामग्री क्रय हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता नगरीय निकायों को प्रदान की गई है। उक्त योजना के क्रियान्वयन से नगरीय निकायों में स्वच्छता का वातावरण निर्मित हुआ है तथा महिला स्वसहायता समूहों की लगभग 9,000 महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नवीन अवसर सृजित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लागू मिशन क्लीन सिटी योजना का पृथक्कीकरण आधारित सलिड वेस्ट मैनेजमेंट माडल संपूर्ण प्रदेश में प्रसिद्ध हुआ है जिसे माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस निरूपित करते हुए अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया है। नगर निगम बिलासपुर एवं रायपुर में कचरे से आर.डी.एफ. तैयार करने हेतु संयंत्र स्थापना का कार्य पूर्ण कर कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

13.7 सुविधा–24 योजना :– स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यथा संभव समस्त परिवारों को निजी शौचालय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, किन्तु तालाब की पार, अथवा निकाय की योजना से प्रभावित होने पर अपवाद–स्वरूप अंतिम विकल्प के रूप में सामुदायिक, सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु योजना ''सुविधा–24'' लागू की गई है। योजना अंतर्गत प्रति सीट औसत लागत राशि रू.1,40,000 है, जिसमें भारत सरकार का अंशदान राशि रू.39200, राज्यांश की राशि रू.13,067.00 एवं शेष राशि अतिरिक्त राज्यांश के रूप में राज्य शासन से अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के अंतर्गत जर्जर/अनुपयोगी सामुदायिक शौचालयों को तोड़कर नवीन शौचालयों के निर्माण तथा सभी वर्गों महिलाओं, पुरूषों, बच्चों तथा दिव्यांगों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक प्रावधान किया गया है। महिला शौचालय में सेनेटरी नेपकिन इनसिनेरेटर तथा रात्रि में शौचालय बन्द होने पर चौबीस घण्टे एक महिला एवं एक पुरूष सीट प्रारंभ रखने की विशेष व्यवस्था की गई है। नगरीय निकायों में एकरूपता के प्रयोजन से विभिन्न सीटों की संख्या के शौचालयों के मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराये गए हैं। अद्यतन कुल 17,796 सीट में से 17,446 सीटों का निर्माण पूर्ण एवं 350 का कार्य प्रगति पर है।

13.8 स्वच्छता श्रृंगार योजना :– प्रदेश के नगरीय निकायों में सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं संधारण हेतु स्वच्छता श्रृंगार योजना लागू की गई। योजनांतर्गत शौचालयों के संचालन एवं रखरखाव (लघु टूटफूट) के लिए निकायों को शत् प्रतिशत मासिक अनुदान– सामुदायिक शौचालय (20 सीटर) राशि रू.15,000, सामुदायिक शौचालय 20 सीटर से अधिक राशि रू.18,000 तथा सामुदायिक शौचालय (जिसमें केयर टेकर न हो) हेतु राशि रू. 1,200 प्रतिसीट प्रतिमाह किंतु अधिकतम राशि रू.15,000 उपलब्ध कराई जाती है।

योजनांतर्गत शौचालयों में उपलब्ध कराने हेतु अनिवार्य सुविधाएं– सामुदायिक शौचालय में शौचालय, मूत्रालय तथा स्नानागार इत्यादि समस्त सुविधाएं निःशुल्क, केयर टेकर, प्रतिदिन न्यूनतम 02 बार एवं आवश्यकतानुसार सफाई, साबुन, साबुनदानी, एयर फ्रेशनर, फ्लोर वाईपर, आईना, नीले/हरे डस्टबीन, पेपर नेपकीन, फिनाईल, झाड़ू, ब्रश, प्रकाश हेतु एलईडी लाईट, सभी दरवाजों की कुण्डी आदि की व्यवस्था। साथ ही सेनिटरी पैड वेडिंग मशीन (पे–एण्ड यूज के आधार पर), अनिवार्यतः ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरण (एलईडी लाईट) का उपयोग, नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली (आईसीटी फिडबैक सिस्टम), नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली, निदान 1100, स्वच्छता ऐप के माध्यम से दर्ज की जाने वाली शौचालयों से संबंधित शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है।

13.9 मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) –

अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में जनगणना 2011 के अनुसार 01 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 09 नगरीय निकाय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरबा सम्मिलित है। मिशन के प्रमुख घटक जल प्रदाय, सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट तथा उद्यान विकास है। मिशन अवधि (वर्ष 2015–2023) हेतु राशि रू. 2,236.00 करोड़ की कार्य योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसमें राशि रू. 1,804.00 करोड की लागत से जल प्रदाय परियोजनाएं, राशि रू. 399.00 करोड़ से सेप्टेज मैनेजमेंट तथा राशि रू. 33.00 करोड़ से उद्यान विकास कार्य प्रस्तावित है।

मिशन का मुख्य उद्देश्य समस्त आवासों में निजी नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। मिशन अंतर्गत कुल 3,19,209 नग निजी नल कनेक्शनों में से 2,52,364 निजी नल कनेक्शन अद्यतन प्रदाय किये जा चुके है। मिशन अंतर्गत कुल 09 नग जल शोधन संयंत्र का निर्माण कराया जाना था, जिसमें से अद्यतन 07 नग जल शोधन

संयंत्र का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 77 नग उच्च स्तरीय जलागारों में 70 नग उच्च स्तरीय जलागारों का निर्माण कार्य पूर्ण कर, जल आपूर्ति की जा रही है। मिशन अंतर्गत कुल 76 नग उद्यान का निर्माण कार्य किया जाना था जिसमें से अद्यतन कुल 73 नग उद्यान का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्ति मिशन अंतर्गत सीवरेज/सेप्टेज घटक अंतर्गत कुल 07 नग एसटीपी (कुल क्षमता 263.20 एमएलडी) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें से अद्यतन कुल 06 नग एसटीपी (कुल क्षमता 188.20 एमएलडी) का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

13.10 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – छत्तीसगढ़ संक्षिप्त जानकारी :–

शहरी आवासहीन गरीब परिवार एवं अल्प आय वर्ग (3.00 लाख रू. से कम) के हितग्राहियों (पति, पत्नि एवं अविवाहित संतान) जिनका देश में कही भी पक्का आवास नहीं है एवं दिनाक 31.08.2015 से पूर्व निकाय क्षेत्रांतर्गत निवासरत हैं, ऐसे पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास प्रदान किया जाना है।

13.10.1 योजना के घटक :–

- **मोर जमीन मोर मकान (BLC) :–** मिशन के घटक अन्तर्गत हितग्राहियों द्वारा स्वयं की उपलब्ध भूमि पर आवास निर्माण/विस्तार किया जाना है। इस घटक अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में अधिकतम 30 वर्ग मीटर, कारपेट एरिया में, व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु 04 किस्तों में राशि रू. 2.29 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना अन्तर्गत अद्यतन 2,20,189 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें से 99,241 आवास पूर्ण एवं 62,032 आवास प्रगतिरत् हैं।
- **मोर मकान मोर चिन्हांरी (AHP) :–** स्लम के हितग्राहियों के व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा बहुमंजिले ईमारतों में मूलभूत सुविधाओं के साथ 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल के फ्लैट्स निर्मित किये जाते हैं, जिसमें शासन द्वारा कुल राशि रू. 4.00 लाख अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों को राशि रू. 75000 में यह आवास उपलब्ध कराये जाते हैं। योजना अन्तर्गत अद्यतन 47,593 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें से 11,727 आवास पूर्ण एवं 25,909 आवास प्रगतिरत् हैं।
- **मोर मकान–मोर आस (AHP) :–** मोर मकान–मोर चिन्हारी (एएचपी) घटक अन्तर्गत स्लम में निवासरत् पात्र हितग्राहियों के व्यवस्थापन उपरान्त शेष आवासों

को स्लम/गैर स्लम में किराये से निवासरत् पात्र परिवारों को आबंटित किया जाना प्रावधानित है।

उपलब्धियाँ :–

- छत्तीसगढ़ राज्य को मोर जमीन–मोर मकान घटक अंतर्गत बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन की श्रेणी में उत्तम प्रदर्शन करने हेतु पुरस्कृत किया गया है।
- राजनांदगांव में बीएलसी घटक अन्तर्गत "आशा चढ़ी परवान" योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु हुड्को द्वारा प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य को Indian Urban Housing Conclave (IUHC), 2022 में "बेस्ट कम्यूनिटी ओरिएन्टेड प्रोजेक्ट्स" की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- नगर पंचायत पाटन को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के मोर जमीन मोर मकान घटक अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यो हेतु Indian Urban Housing Conclave (IUHC), 2022 में "बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत" की श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

13.11 डे–एनयूएलएम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :– दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :– भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए '' दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन '' का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, कौशल उन्नमुखी, स्व–रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला समूहों का संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध के लिये प्रतिबद्ध है। शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराना तथा शहरी पथ विक्रेताओं की समस्याओं का निदान कर, समुचित स्थानों पर वेन्डिग जोन विकसित किया जाना है। वर्तमान में सभी 170 निकायों में मिशन लागू है।

डे – एनयुएलएम – प्रमुख घटक

सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास –

- छोटी–छोटी बचत आदतों एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में 10 से 20 शहरी गरीब महिलाओं को जोड़ कर महिला स्व–सहायता समूह का गठन तथा 10 हजार

रूपये आवर्ती निधि सहित पंचसूत्र जैसे – नियमित बैठक, बचत, लेखा संधारण, ऋण आदान–प्रदान एवं अदायगी का पालन करने वाले महिला समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है स्वयं–सहायता समूहों (एसएचजी) को आवर्ती निधि के रूप में 10,000/– रूपए प्रति स्वयं–सहायता समूह (एसएचजी) तथा 50,000/– रूपय प्रति पंजीकृत एरिया लेबल फेडरेशन (एएलएफ) को दिये जाने का प्रावधान है, जिससे स्वयं सहायता समूह एवं एरिया लेबल फेडरेशन (एएलएफ) अपने कार्यकलापों को संचालित कर सकें।

- दिव्यांग, रिक्शाचालक, रैगपिकर्स, वेंडर्स इत्यादि 5 पुरूषों को जोड़कर भी समूह गठन किया जा सकता है, परन्तु ऐसे समूहों को आवर्ती निधि/अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय नहीं होगा, शेष योजना से संबंधित लाभ दिया जा सकता है।

स्व–रोजगार कार्यक्रम–

- स्व रोजगार हेतु वित्तीय सहायता तथा केन्द्र/शासन द्वारा योजनांतर्गत ब्याज अनुदान, बैंकों के माध्यम से हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, इसमें व्यक्तिगत ऋण अधिकतम 2.00 लाख, समूह ऋण अधिकतम 10.00 लाख तथा समूहों की महिलाओं की बचत राशि के 1–4 अनुपात में बैंक लिंकेज के माध्यम से शहरी गरीबों को स्व रोजगार से जोड़ा जा रहा है।

- ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर देय होगी तथा शेष ब्याज का वहन योजनांतर्गत ब्याज अनुदान के रूप में किया जाएगा।

- महिला स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज ऋण के समय पर ऋण अदायगी पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा।

कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार –

- शहरी गरीब युवक–युवतियों को बाजार मांग आधारित विभिन्न कोर्स/ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे स्व–रोजगार कर वेतन युक्त रोजगार प्राप्त कर सकें।

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता–

- इस घटक में पथ विक्रेताओं का उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन, कार्यशाला, बैंक लिंकेज एवं ऋण सुविधा, पहचान–पत्र, विक्रेता हेतु सुनिश्चित स्थान आदि सुविधाओं से लाभान्वित किया जाएगा।
- निकायों में नॉन वेंडिंग जोन, वेंडिंग जोन एवं प्रतिबंधित जोन की पहचान एवं जोनों के वर्गीकरण से आधार पर शहरी पथ विक्रेताओं को व्यवसाय किये जाने हेतु वेंडिंग प्लान निर्माण एवं बाजार विकास।

शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना–

- इस घटक के अंतर्गत सामुदायिक आश्रय भवन का निर्माण कर गरीबों लोगों के 50–100 व्यक्तियों के लिए रहने का स्थान एवं मूलभूत सुविधायें (किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन आदि) उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे आश्रय भवन सभी मिशन नगरों में रेल्वे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैण्ड, मण्डी आदि के समीप निर्मित किया जाएगा । इन भवनों एवं सुविधाओं का संचालन एवं प्रबंधन, इस कार्य हेतु गठित प्रबंधन समिति/पूर्ण कालिक कर्मचारियों/अन्य के द्वारा किया जाएगा।

क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण– पदस्थ मिशन प्रबंधकों, सामुदायिक संगठक एवं अन्य के क्षमता वर्धन के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।

हितग्राही चयन का आधार – दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्राथमिक लक्ष्य शहरी गरीब वर्ग (Urban Poor) है। शहरी गरीब वर्ग के पहचान हेतु वर्तमान में पूर्व से प्रचलित सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे निवासरत लोगों को मिशन की गतिविधियों से जोडा है। 25 प्रतिशत अन्य समकक्ष, वंचित वर्ग जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिलाऐं, अल्पसंख्यक, विकलांग इत्यादि को भी मिशन के योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। योजना में महिला 30 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत, विकलांग 3 प्रतिशत्, अनुसूचित जनजाति/जाति का आरक्षण एवं शहरी में निवासरत् अनुसूचित जनजाति/जाति के प्रतिशत के आधार पर आरक्षण दिये है।

तालिका 13.5 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन वित्तीय वर्ष 2022–23 घटकवार उपलब्धि		
क्रं.	घटक	उप घटक
1	समाजिक गतिशीलता व संस्थागत विकास (Social Mobilization & Institution Develpment)	• स्वयं सहायता समूह का गठन – 3099, प्रति समूह 10–20 सदस्य कुल सदस्य – 28708 • स्वयं सहायता समूह हेतु आवर्ती निधि – 2187 कुल राशि 218.70 लाख अनुदान • एरिया लेवल फेडरेशन का गठन – 122 • एरिया लेवल फेडरेशन हेतु आवर्ति निधि – 64, कुल राशि 32.00 लाख का अनुदान
2	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (Capacity Building & Training)	• विशेषज्ञों के नियुक्ति राज्य स्तर – 6/ शहर स्तर पर – 75, सामुदायिक संगठक – 208, सहायक कर्मचारी 56
3	स्व–रोजगार कार्यक्रम (Self Employment programme)	• व्यक्तिगत ऋण प्रकरण – 3343 बैकों से राशि 2741.05 लाख का ऋण • समूह ऋण प्रकरण – 340 समूहों को बैकों से राशि 540.10 लाख का ऋण • स्वयं सहायता समूहों हेतु बैंक लिंकेज अंतर्गत ऋण – 1772 समूहों को बैकों से राशि 2847.25 लाख का ऋण • योजनांतर्गत ब्याज अनुदान – 92.87 लाख
4	शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (Support to Street Vendors)	• पथ विकेताओं के चिन्हांकन हेतु सर्वे 56 निकायों में पूर्ण, • पथ विकेताओं के चिन्हांकन – 31618 • वेडिंग जोन का चिन्हांकन – 71 • 109 निकायों में पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर।
5	शहरी बेघरों के लिए आश्रय की (Shelter for Urban Homeless)	• संचालित आश्रय स्थलों की संख्या –45 • आश्रय स्थलों का निर्माणधीन – 1, • पूर्ण निर्मित असंचालित आश्रय स्थलों की संख्या– 3, • निविदा प्रक्रियाधीन आश्रय स्थल –2

13.12 नरूवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाडी :– शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी अतंर्गत नगरीय निकायों में गौठान निर्माण का कार्य कराया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य नगर के गौधन (पालतू/आवारा) के रख–रखाव हेतु पारम्परिक एवं प्रचलित व्यवस्था को बरकरार रखना हैं, जिससे गौवंश का सुरक्षात्मक व्यवस्थापन होकर नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालन, जैविक खाद निर्माण, बॉयोगैस उत्पादन इत्यादि कार्य किया जा सके।

नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजनांतर्गत गौठान निर्माण हेतु 300 गौधन हेतु 3.00 एकड़ भूमि का नक्शा एवं राशि रू. 23.69 लाख का आदर्श प्राक्कलन तैयार किया गया है। जो कि गोधन की संख्या एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार निकाय (आयुक्त/मुख्य नगर

पालिक अधिकारी) द्वारा परिवर्तन कर प्रस्ताव तैयार किया जावेगा। वर्तमान में नगरीय निकायों में कुल 180 गौठान की स्वीकृति जारी किया जाकर 93 गौठान का निर्माण पूर्ण कर संचलान किया जा रहा है तथा शेष गोठान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गौठान निर्माण का कार्य दो चरणो में किया जाता है।

प्रथम चरण के कार्य –

प्रथम चरण में बुनियादी कार्य फेंसिंग कार्य, अहाता निर्माण कार्य, पानी की व्यवस्था, चरवाहा कक्ष निर्माण कार्य, भंडार कक्ष निर्माण कार्य, डिस्पेंसिंग कक्ष निर्माण कार्य, पशुओं एवं चारा हेतु शेड निर्माण कार्य, बिजली आदि की व्यवस्था की जाएगी।

द्वितीय चरण के कार्य

द्वितीय चरण में बायोगैंस प्लांट निर्माण कार्य, कम्पोस्टिंग पिट निर्माण कार्य, गौमूत्र एकत्रीकरण केन्द निर्माण कार्य, चारा विकास एवं दुध संग्रहण केन्द निर्माण कार्य आदि की व्यवस्था की जाएगी।

13.13 गोधन न्याय योजना

दिनांक 20 जुलाई 2020 को मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरूआत नगर पंचायत पाटन के गोठान से की गई। राज्य शासन द्वारा परियोजना हेतु कृषि एवं जैव प्रौद्यागिकी विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों से 2 रू प्रति कि.ग्रा. में गोबर क्रय कर उसे वैज्ञानिक तरीके से गोबर का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद बनाने में किया जा रहा है। उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट को को–ऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से 10 रू. प्रति कि.ग्रा. में विक्रय किया जा रहा है। गौधन न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालको के आय में वृद्धि एवं व्यर्थ गोबर को वर्मी खाद बनाने में उपयोग किया जाना है।

गोधन न्याय योजना के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल 21647 पशुपालकों से 23,54,513.47 क्विंटल गोबर की खरीदी किया जा चुका है वर्तमान में कुल 5,82,361.024 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 24,781.768 क्विंटल गोकाष्ठ, 2,06,79017 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट तैयार किया जा चुका है तथा इनके विक्रय से कुल राशि रू. 24,72,98,410.2 प्राप्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से कुल 39,507.20 क्विंटल कण्डे एवं दीया बनाकर राशि रू. 66,03,993.00 की आय अर्जित की गई है। शहरी क्षेत्रों में परियोजना का क्रियान्वयन हेतु स्वच्छ भारत मिशन, 14वें वित्त

आयोग एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन आदि कार्यक्रम का अभिसरण करते हुए लगभग 9000 स्व सहायता समूह की महिलाओं की आय में वृद्धि हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूहों एवं गोठान समिति को कुल 10,57,43,266.24 रु के लाभांश राशि का भुगतान किया जा चुका है। गोबर खरीदी हेतु समस्त 170 नगरीय निकायों में 377 गोधन खरीदी केंद्र स्वीकृत किये गए हैं।

शिक्षा

14

शिक्षा

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2021–22 में सरस्वती सायकल योजना के तहत् 1.55 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- वर्ष 2021–22 में निःशुल्क गणवेश योजना अंतर्गत 29.26 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित।
- सत्र 2021–22 के लिए यू डाइस के आधार पर राज्य में सकल नामांकन दर प्राथमिक विद्यालयों में 96.61 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 94.49 है।
- वर्ष 2022–23 में 186 औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 37,120 सीट स्वीकृत हैं।
- वर्ष 2022–23 में शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 3,35,139 छात्र–छात्राएं अध्ययनरत है।
- इंजीनियरिंग महाविद्यालय की कुल प्रवेश क्षमता 11,494 एवं पॉलीटेक्निक संस्था की कुल प्रवेश क्षमता 8,664 है।

शिक्षा

14.1 स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात् ही संम्पूर्ण राज्य में शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए निरन्तर प्रयासरत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 06 से 18 वर्ष आयुवर्ग के प्रत्येक बच्चों हेतु प्रदेश में आवश्यकतानुसार नये विद्यालयों की स्थापना एवं विद्यालयों को आवश्यकतानुसार उन्नत एवं विकसित किया जा रहा है। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता के विकास हेतु इसी अनुक्रम में राज्य में सत्र 2020 से उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन भी एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय प्रयास है। राज्य में शाला त्यागी विद्यार्थियों को चिन्हांकित कर उनकी शिक्षा हेतु विशेष आवासीय विद्यालय/गैर आवासीय विद्यालयों में लाने का प्रयास किया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के दृष्टिकोण से प्रदेश में शालाएं खोलने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है अब मात्र जनसंख्या वृद्धि होने पर ही नवीन शालाएं खोलने की आवश्यकता होगी। प्रदेश ने लगभग 57 लाख विद्याथियों को शाला में नियमित रूप से जोड़ने हेतु सफलता हासिल की है।

प्रदेश में प्रत्येक छात्र के गुणवत्ता स्तर में उन्नयन हो, उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए आउटकम लर्निंग शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रदेश के छात्र कक्षा स्तर के अनुकूल ज्ञान अर्जन करे इस हेतु राज्य स्तरीय आंकलन का सहारा लिया गया जिसमें प्रत्येक बच्चे के स्तर का मापन एवं मूल्यांकन लिपिबद्ध ढंग से रखा गया है जिसके आधार पर आगामी वर्षों में प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक उपचारात्मक शिक्षा माह अप्रैल में किये जाने की योजना है। प्रदेश के छात्रों को पढ़ाई में सहज ढंग से आगे अग्रसर हो इस हेतु प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है। इन सबका मूल उद्देश्य यह है कि, प्रत्येक छात्र एक समान गति से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े।

राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के संचालन के कारण विद्यालयों में बालक बालिकाओं की दर्ज संख्या में वृद्धि के साथ साथ शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है। विगत वर्षो की तुलना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का रूझान भी शिक्षा के प्रति बढ़ा है। राज्य शासन की प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक,

माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के प्रति वचनबद्धता से सभी स्तर पर छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि पायी गयी है। कोविड महामारी के कारण शालाएँ नही खुल सकी इस समस्या को चुनौती मानकर विभाग द्वारा महति योजना **''पढ़ाई तुंहर दुआर''** के माध्यम से छात्रों तक अध्यापन पहुचाया गया एवं पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

समाज की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ी है। शासकीय विद्यालयों में छात्र–छात्रा अनुपात लगभग समान है परन्तु गुणवत्तायुक्त शिक्षण के लिए आवश्यक है कि, समाज भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी प्रदर्शित करे। यद्यपि विकास समितियां हैं तथापि शासन की यह मंशा है कि, शिक्षण के क्षेत्र में तभी प्रगति प्रदर्शित होगी जब समाज अपने क्षेत्र में स्थित विद्यालय के स्वयं कार्ययोजना तैयार करे। बच्चों के लिए नवाचार, एक्टिव लर्निंग पद्धति, प्रोफेसनल लर्निंग कमिटी एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग विभाग प्राप्त कर रहा है। विभाग इस संबंध में बाइसवीं शताब्दी को दृष्टिगत् रखते हुए शिक्षा के संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी अध्ययन–अध्यापन में करने हेतु तत्पर है।

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है।

स्कूल शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जा रहा है। संभाग स्तर पर 05 संभागीय कार्यालय सहित जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की संख्या 29 है, यह कार्यालय 28 राजस्व जिलों में स्थित है। जांजगीर जिला को विभक्त कर नया शिक्षा जिला सक्ती का निर्माण किया गया है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय 146 है, जिनमें से 85 कार्यालय आदिम जाति विकासखण्डों मे एवं 61 सामुदायिक विकासखण्डों में हैं। इनके माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है।

विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैं :

1. प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा व्यवस्था (आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को छोड़कर)।

2. प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन।
4. अशासकीय शैक्षणिक संस्थान को अनुदान एवं उन पर नियंत्रण ।
5. छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों का निर्धारण/सामयिक पुनरीक्षण ।
6. शिक्षकों की भरती, प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण की व्यवस्था ।
7. शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार।
8. शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान ।
9. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण की व्यवस्था ।
10. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम।
11. शालाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की व्यवस्था ।
12. परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था ।
13. निःशक्त छात्रों की शिक्षा व्यवस्था ।
14. समग्र शिक्षा अभियान का संचालन ।
15. वयस्क असाक्षर (विशेषकर 15 से 35 वर्ष) के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ।
16. नवसाक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा का प्रबंध।
17. सबके लिए शिक्षा व्यवस्था।
18. मदरसा शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का आधुनिकीकरण।
19. संस्कृत शिक्षा का विकास।
20. शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदाय करना ।

14.1.1 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय :– 71 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को अधोसंरचना, विज्ञान उपकरण, खेल सामग्री, पुस्तकालय के विकास हेतु प्रति विद्यालय राशि रू. 43.00 लाख के मान से कुल राशि रू. 3053.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। समस्त 71 विद्यालयों को राशि उनके विद्यालयों के खातें में अंतरित कर दी गई है।

योजना के तहत वर्षवार प्राप्त उपलब्धियां लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि तालिका 14.1 में दर्शित है।

तालिका 14.1 _ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भौतिक/वित्तीय प्रगति 2021–22					
क्र.	विवरण	स्वीकृति		व्यय	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	71 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय	71	3053.00	71	3053.00

14.1.2 बालिका प्रोत्साहन योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना) :–

- ❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील।
- ❖ योजनान्तर्गत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की समस्त छात्राएं योजना की हितग्राही।
- ❖ 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000/– रूपये छात्रवृत्ति की पात्रता।
- ❖ छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभान्वित छात्राओं के पासबुक में जमा करने का प्रावधान।

14.1.3 राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

- ❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील।
- ❖ परीक्षाएं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित।
- ❖ कक्षा 8वीं में मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
- ❖ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता।
- ❖ गैर अनुदान प्राप्त शाला के विद्यार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकते।
- ❖ सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत् एवं अन्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत् अंक होने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता।
- ❖ परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो।

14.1.4 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय :– प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान शालाओं के समस्त बालक. बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। कक्षा 1 से 10 तक सभी छात्र/छात्राएं पात्र हैं। योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां.लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि तालिका 14.2 में दर्शित है।

तालिका 14.2 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय (करोड़ रू.में)				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या
1	2017–18	147.03	88.14	56.50 लाख
2	2018–19	186.75	84.87	57.63 लाख
3	2019–20	230.12	109.14	51.60 लाख
4	2020–21	109.18	–	
5	2021–22	17676.38	132.62	53.59 लाख

14.1.5 निःशुल्क गणवेश योजना :–संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 स्तर के समस्त छात्र.छात्राओं के लिए दो सेट निःशुल्क गणवेश दिए जाते हैं। समस्त शासकीय शालाओं एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त बालक/बालिकाओं को दो सेट **गणवेश** तथा पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त बालक/बालिकाओं को एक सेट गणवेश प्रदान किया जाता है। योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां तालिका 14.3 में दर्शित है।

तालिका 14.3 निःशुल्क गणवेश योजना				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	2017–18	16,880.00 लाख	14,305.00 लाख	31.60 लाख छात्र–छात्राएं
2	2018–19	20,167.00 लाख	14,460.00 लाख	32.20 लाख छात्र–छात्राएं
3	2019–20	21,315.00 लाख	15,079.00 लाख	29.01 लाख छात्र–छात्राएं
4	2020–21	76.50 लाख	–	22.08 लाख छात्र–छात्राएं
5	2021–22	20504.09 लाख	14840.65 लाख	29.26 लाख छात्र–छात्राएं

14.1.6 सरस्वती सायकल योजना :–संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार के छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां, लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि आदि का विवरण तालिका 14.4 में दर्शित है।

तालिका 14.4 सरस्वती सायकल योजना				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2017–18	6100.00 लाख	5,938.55 लाख	1.83 लाख छात्राएं लाभान्वित
2	2018–19	6500.00 लाख	2,589.29 लाख	1.84 लाख छात्राएं संभावित
3	2019–20	6450.00 लाख	01.74 लाख	1.74 छात्राएं संभावित लक्ष्य
4	2020–21	6500.00 लाख	–	1.63 छात्राए संभावित
5	2021–22	6460.00 लाख	6453.13 लाख	1.55 लाख छात्राएं संभावित

14.1.7 छात्र दुर्घटना बीमा :–स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र–छात्रायें एवं महाविद्यालयीन छात्र/छात्राएं दुर्घटना बीमा के अंतर्गत मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 1,00,000/– की क्षतिपूर्ति एवं आंशिक अपंगता पर 50,000/– रुपये की क्षतिपूर्ति एवं भैषजिक उपचार हेतु 25,000/– अधिकतम छात्र दुर्घटना बीमा दिया जाता है।

योजना के तहत वर्ष 2017–18 से मृत्यु पर बीमा राशि की दर रूपये 10 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई, वर्षवार हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि आदि का विवरण तालिका 14.5 में दर्शित है।

तालिका 14.5 छात्र दुर्घटना बीमा				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या
1	2017–18	368.00	340.25	341
2	2018–19	368.00	272.25	316
3	2019–20	410.00	155.00	276
4	2020–21	410.00	153.00	419
5	2021–22	450.00 लाख	327.00 लाख	480

14.1.8 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :– योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति की कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन; हितग्राही की पात्रताएं शालाओं में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्राएं।

योजना के तहत वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जनजाति की कुल 68371 छात्राओं को कुल रूपये 3,41,85,500/– तथा अनुसूचित जाति की कुल 29741 छात्राओं को कुल रूपये 1,48,70,500/– का भुगतान किया गया है। योजना के तहत वर्ष 2021–22 में

अनुसूचित जनजाति की कुल 68486 छात्राओं को कुल रूपये 3,42,43,000/– तथा अनुसूचित जाति की कुल 30637 छात्राओं को कुल रूपये 1,53,18,500/– का भुगतान किया गया है।

14.1.9 अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना :– अस्वच्छ धंधों में लगे हुए परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु हितग्राही की पात्रताएं अस्वच्छ धंधा व्यवसाय में कार्यरत् माता–पिता के कक्षा 1ली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को माता–पिता के अस्वच्छ धंधा व्यवसाय के प्रमाण पत्र के आधार पर। योजना के तहत वर्ष 2021–22 में कुल 8425 विद्यार्थियों को राशि रू. 2,57,15,000/– का भुगतान किया गया है।

14.1.10 मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति समूह के मेधावी छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता हेतु हितग्राही की पात्रताए शालाओं में बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आये अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थी जिनके पास छ.ग.राज्य का स्थायी जाति व निवास प्रमाण पत्र तथा नियमित अध्ययनरत् होना आवश्यक है। योजना के तहत सत्र 2021–22 में कोरोना आपदा के कारण सी.जी.बोर्ड, सी. बी.एस.ई. बोर्ड एवं आई.सी.एस.ई. बोर्ड की मेरिट सूची अप्राप्त है। वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति के 288 विद्यार्थियों को राशि रू. 43.20 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के 672 विद्यार्थियों को राशि रू. 100.80 लाख का भुगतान किया गया है।

14.2 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) द्वारा शासित एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, विनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है। छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल का गठन 20 जुलाई 2001 को हुआ है।

14.2.1 मण्डल के मुख्य कार्य :–

1. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि प्रमाण पत्र परीक्षा एवं डी.एड. की परीक्षाओं का संचालन। परीक्षाफल घोषित कर अंकसूचियां जारी करना।
2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु शासन को सलाह देना।
3. पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण कार्य

4. छत्तीसगढ़ में स्थित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की मान्यता
5. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्तर को उच्च करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।
6. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के उत्साहवर्धन एवं प्रेरणा के लिये प्रयास करना।
7. अन्य गतिविधियां

14.2.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षाएं मुख्य हैं। वर्ष 2014–2021 तक परीक्षा संबंधी संख्यात्मक जानकारी इस प्रकार है–

तालिका 14.6 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा संबंधी संख्यात्मक

वर्ष	हाई स्कूल			हायर सेकेण्डरी		
	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत
2014	427446	229917	54.00	268891	195115	72.86
2015	426675	227595	53.34	290777	211460	72.72
2016	433218	236073	54.00	277114	202646	73.43
2017	401641	242918	60.51	271994	207133	76.36
2018	381737	258573	68.04	270043	207111	77.00
2019	388120	261177	68.20	262492	203893	76.43
2020	384761	283157	73.62	275736	216526	78.59
2021	467261	461093	100	286850	276817	97.43

तालिका 14.7 परीक्षा वर्ष 2022 तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी

क्र.	परीक्षा का नाम	मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या		
		शासकीय	अशासकीय	कुल संस्था
1	हाईस्कूल	4738	2376	7114
2	हायर सेकण्डरी	2806	1465	4271

तालिका 14.8 परीक्षा वर्ष 2021–2022 के परीक्षा केन्द्रों की जानकारी

क.	परीक्षा का नाम	केन्द्र संख्या
1	हाईस्कूल	2355
2	हायर सेकण्डरी (10+2)	2224

	तालिका 14.9 नवीन विद्यालयों की स्थापना														
क्र.	स्तर	नवीन प्रारंभ किए गए विद्यालयों की संख्या													
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
1	प्राथमिक शाला	1	319	193	8	45	0	0	4	0	0	0			579
2	माध्यमिक	404	85	140	30	35	0	0	15	1	0	0			735
3	हाईस्कूल	9	218	1033	0	70	10	35	184	140	145	18	निरंक	निरंक	2138
4	हायर सेकेण्डरी	31	95	119	217	150	9	12	98	116	127	22			1142
	योग	**445**	**717**	**1485**	**255**	**300**	**19**	**47**	**301**	**257**	**272**	**40**			**4594**

तालिका 14.10 शैक्षणिक संस्थान एवं नामांकन वर्ष 2020–21					
क्रमांक	संस्था का नाम	शैक्षणिक संस्थाएं	संस्थावार नामांकन		
			छात्र	छात्राएं	योग
1	प्राथमिक	32,766	13,60,383	12,96,333	26,56,716
2	माध्यमिक	16,453	7,45,791	7,27,096	14,72,887
3	हाई स्कूल	2,732	4,56,242	4,75,030	9,31,272
4	हायर सेकेण्डरी	4,543	2,92,236	3,41,601	6,33,837
	कुल योग	56,494	28,54,652	28,40,060	56,94,712

तालिका 14.11 शिक्षक संख्या वर्ष 2020–21							
क्रमांक	संस्था का नाम	संस्थावार शिक्षक संख्या			प्रशिक्षित	प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत्	शिक्षक छात्र अनुपात
		पुरुष	महिला	योग			
1	प्राथमिक	54,532	38,108	92,640	87,347	94	29
2	माध्यमिक	39,377	36,854	76,231	66,307	87	19
3	हाई स्कूल	9,647	11,648	21,295	17,866	84	44
4	हायर सेकेण्डरी	34,349	40,813	75,162	64,952	86	8
	कुल योग	1,37,905	1,27,423	2,65,328	2,36,472	89	21

स्त्रोत : यूडाइस डाटा 2020–21

14.3 समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ

- समग्र शिक्षा, भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक प्रशिक्षण को सम्मिलित करती हुयी विद्यालयीन शिक्षा की एकीकृत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। वर्तमान में इसमें भारत शासन का अंशदान 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का योगदान 40 प्रतिशत है।
- इसके अंतर्गत मानदण्ड अनुसार 03 कि.मी. पर पूर्व माध्यमिक शाला, 05 कि.मी. पर माध्यमिक शाला एवं 07 कि.मी. पर उच्चतर माध्यमिक शाला उन्नयित कर संचालित की जा रही है।

- आवश्यकतानुसार उन्नयित शालाओं का भवन, पोर्टा केबिन, आवासीय विद्यालय एवं कन्या छात्रावास, पूर्व से संचालित शालाओं में कक्ष, पेयजल सुविधा, बालक/बालिका टॉयलेट सुविधा एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का ध्यान रख कर निर्माण कार्य किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त उन्नयित विद्यालयों हेतु शिक्षक वेतन , शिक्षक प्रशिक्षण, आर टी ई अंतर्गत प्रदान की जा रही समस्त सुविधाएं, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को स्कार्ट एलाउंस, ट्रांसपोर्ट एलाउंस, ब्रेल बुक एवं छात्रवृत्ति तथा सहायक सामग्री आदि उपलब्ध कराई जाती हैं।
- भारत शासन द्वारा सत्र 2013–14 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत **कन्या छात्रावास, आई ई डी एस एस {समावेशी शिक्षा}, व्यावसायिक शिक्षा एवं आई सी टी** योजनाओ को शामिल किया गया है। राज्य में सत्र 2014–15 सें ये सभी योजनाऐं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित है।

14.4 शैक्षणिक सूचकांक :– सत्र 2021–22 के लिए राज्य के विद्यालयीन शिक्षा से संबंधित समस्त मुख्य सूचकांक यू–डाईस 2021–22 के आधार पर निम्नानुसार हैः–

सकल नामांकन दर (Gross Enrolment Ratio)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	96.49	96.74	96.61
उच्च प्राथमिक स्तर	94.28	94.71	94.49
प्रारंभिक स्तर	95.70	96.00	95.85
माध्यमिक स्तर	75.26	81.44	78.30
उच्चतर माध्यमिक स्तर	62.85	73.55	68.11

शुद्ध नामांकन दर (Net Enrolment Ratio)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	85.65	86.20	85.92
उच्च प्राथमिक स्तर	75.95	76.96	76.45
प्रारंभिक स्तर	82.18	82.85	82.50
माध्यमिक स्तर	52.75	57.58	55.13
उच्चतर माध्यमिक स्तर	42.84	50.89	46.80

समायोजित शुद्ध नामांकन दर (Adjusted Net Enrolment Ratio)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	91.78	92.34	92.05
उच्च प्राथमिक स्तर	83.99	88.20	82.75
प्रारंभिक स्तर	88.99	90.84	88.70
माध्यमिक स्तर	63.67	70.02	66.79
उच्चतर माध्यमिक स्तर	42.84	50.89	46.80

ठहराव दर (Retention Rate)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	96.97	96.66	96.82
प्रारंभिक स्तर	84.82	87.41	86.08
माध्यमिक स्तर	70.17	79.24	74.59
उच्चतर माध्यमिक स्तर	39.32	49.69	44.35

छात्र शिक्षक अनुपात (PTR)		
स्तर	समस्त प्रबंधन	शासकीय
प्राथमिक स्तर	22	23
उच्च प्राथमिक स्तर	20	23
माध्यमिक स्तर	19	19
उच्चतर माध्यमिक स्तर	27	30

औसत वार्षिक शाला त्यागी दर (AADOR)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर 1 से 5	0.97	0.59	0.78
उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8	4.90	3.37	4.13
प्रारंभिक स्तर 1 से 8	2.93	1.98	2.46
माध्यमिक स्तर 9 से 10	11.38	7.88	9.63
उच्चतर माध्यमिक स्तर 11 से 12	8.88	6.01	7.45

अंतरण दर (Transition Rate)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक	96.61	97.63	97.11
उच्च प्राथमिक से हाईस्कूल	85.97	90.38	88.15
हाईस्कूल से हायर सेकेन्डरी स्कूल	85.88	88.87	87.41

तालिका क्र. 14.19 बालिकाओं का प्रतिशत एवं बालिका समानता सूचकांक

स्तर	बालिकाओं का प्रतिशत	बालिका समानता सूचकांक
प्राथमिक स्तर	48.75	0.95
उच्च प्राथमिक स्तर	49.32	0.97
माध्यमिक स्तर	51.18	1.05
उच्चतर माध्यमिक स्तर	53.10	1.13

तालिका 14.20 प्रबंधनवार शालाओं की संख्या						
क.	प्रबंधन	प्राथमिक	उच्चप्राथमिक	हाईस्कूल	हायरसेकेन्डरी	योग
1	स्कूल शिक्षा विभाग	1810682	1065285	187549	1094882	**4158398**
2	आदिम जाति विभाग	55	4961	598	11079	**16693**
3	अनुदान प्राप्त	19731	14580	2396	37011	**73718**
4	अशासकीय	100892	386761	189466	742262	**1419381**
5	अन्य प्रबंधन	0	363	0	1976	**2339**
6	माडल स्कूल	0	0	0	29273	**29273**
7	समाज कल्याण विभाग	205	191	161	227	**784**
8	केन्द्रीय विद्यालय	226	1490	1914	31694	**35324**
9	नवोदय विद्यालय	0	0	1091	10175	**11266**
10	सैनिक स्कूल	0	0	0	662	**662**
11	रेल्वे स्कूल	0	0	223	3840	**4063**
12	तिब्बतन स्कूल	31	0	0	0	**31**
13	मान्यता प्राप्त मदरसा	6874	3853	0	55	**10782**
14	गैरमान्यता प्राप्त मदरसा	991	522	0	0	**1513**
	योग	**1939687**	**1478006**	**383398**	**1963136**	**5764227**

14.5 तकनीकी शिक्षा

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक संस्थाओं, फॉर्मेसी संस्थाओं, मैनेजमेंट संस्थाओं, एम.सी.ए. संस्थाओं एवं आर्किटेक्चर संस्थाओं में दी जाती है। उक्त संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कास्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा मार्डन आफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा फॉर्मेसी, डिप्लोमा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फॉर्मेसी, तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.टेक., एम.फॉर्मेसी, एम.सी.ए. एवं एम. बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है।

सत्र 2022–23 में राज्य में 03 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 01 सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, रायपुर, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, 01 विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबिकापुर, 02 स्वशासी–स्ववित्तीय एवं 26 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कुल प्रवेश क्षमता 11,494 के साथ संचालित है।

राज्य में 32 शासकीय, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई एवं 15 निजी पॉलीटेक्निक संस्था स्थापित है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 8,664 है। सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन व परीक्षा की व्यवस्था लागू है। राज्य में 01 विश्वविद्यालयीन फॉर्मेसी संस्था एवं 33 निजी

संस्थाओं में बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 3,192 प्रवेश क्षमता, 01 विश्वविद्यालयीन फॉर्मेसी संस्था एवं 08 निजी संस्थाओं में एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 314 प्रवेश क्षमता, 01 शासकीय एवं 43 निजी संस्थाओं में डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम कुल 2,741 प्रवेश क्षमता के साथ संचालित हैं। वर्श 2022–23 हेतु नवीन फॉर्मेसी संस्थाओं एवं वर्तमान में संचालित फॉर्मेसी संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों की अनुमोदन प्रक्रिया फॉर्मेसी कॉउसिंल ऑफ इंडिया के स्तर पर 30 नवम्बर 2022 तक पूर्ण की जावेगी। राज्य में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 1,216 प्रवेश क्षमता के साथ एम.टेक. पाठ्यक्रम संचालित है साथ ही 01 विश्वविद्यालयीन संस्था एवं 14 निजी संस्थाओं में 1,560 प्रवेश क्षमता के साथ एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है। 02 विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं 06 निजी संस्थानों में 482 प्रवेश क्षमता के साथ एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है।

राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 26 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर 38 तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 19 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक संस्थान छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से सम्बद्ध हैं तथा इनमें संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। फॉर्मेसी संस्थाओं को फॉर्मेसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली तथा आर्किटेक्चर संस्थाओं को कॉउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

14.6 त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमः– राज्य में कुल 48 पॉलीटेक्निक संस्थाएं संचालित हैं। जिनमें 04 शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, 28 शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई एवं 15 निजी सहशिक्षा पॉलीटेक्निक शामिल हैं। इन संस्थाओं में निम्नानुसार 19 त्रिवर्षीय एवं 01 द्विवर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित हैं।

14.7 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

14.7.1 योग्यता एवं योग्यता सह–साधन छात्रवृत्तियाँ :– शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिये योग्यता छात्रवृत्ति और योग्यता सह–साधन छात्रवृत्ति रू. 1,000 प्रति माह तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में रू. 600 प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है। राज्य के बाहर अध्ययनरत छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र–छात्राओं को रू. 2,000 प्रतिमाह की दर से योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है।

14.7.2 बी.पी.एल. छात्रवृत्तिः– छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, जिनके पालक बी.पी.एल. कार्डधारी हैं, उनके लिए यह छात्रवृत्ति सत्र 2007–2008 से लागू की गई है।इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 1,000 प्रतिमाह एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 500 प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।

14.7.3 ट्यूशन फी व्हेवर स्कीम (टी.एफ.डब्लू.):– यह योजना एआईसीटीई/पीसीआई/सीओए के दिशा निर्देशानुसार लागू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर शिक्षण शुल्क में छूट देकर प्रोत्साहन किया जाना है। यह योजना स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.सी.ए. में भी यह योजना लागू है।

शासकीय संस्थाओं में जहॉ विगत अकादमिक वर्ष में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो, उन संस्थाओं में अतिरिक्त प्रवेश न होने पर भी 5 प्रतिशत सीटों पर TFW देय होगा। मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र–छात्राओं को प्रवेशित संस्था की निर्धारित शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। छात्र–छात्राओं के पालक/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14.7.4 छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क में छूट :– छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित स्नातकोत्तर, स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है।

14.7.5 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना :– तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों से बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत रू. 2.00 लाख तक वार्षिक आय के परिवार से आने वाले तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों को रू. 4.00 लाख तक की ऋण पर मोरेटोरियम अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि एवं नौकरी लगने के उपरांत 1 वर्ष अथवा छः महीना जो भी पहले हो) के उपरांत राज्य के वामपंथी चरमपंथी प्रभावित जिलों जैसे – बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाडा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर के निवासी शिक्षार्थियों को शून्य प्रतिशत एवं शेष जिलों के निवासी शिक्षार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज भार वहन करना होता है एवं बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज दर के शेष का व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। ब्याज अनुदान का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 14.21 उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना (राशि करोड़ में)

क.	सत्र	लाभांवित विद्यार्थियों की संख्या	ऋण ब्याज अनुदान की कुल राशि
01	2016–17	773	1.64 करोड
02	2017–18	1540	2.76 करोड़
03	2018–19	2094	3.96 करोड
04	2019–20	2060	4.02 करोड़
05	2020–21	1474	2.90 करोड़

14.8 सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट)

14.8.1 सिपेट का उद्देश्यः— विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से देश में प्लास्टिक प्रसंस्करण तथा सहायक उद्योगों हेतु तकनीकी कौशल प्राप्त श्रमशक्ति का निर्माण, प्लास्टिक उद्योगों के क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी परामर्श सहित मोल्ड्स, डाई और प्लास्टिक उत्पादों के डिजाईन तथा प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध एवं विकास को गति देना है।

14.8.2 महत्वपूर्ण लक्ष्य :— इसके अलावा सिपेट रायपुर का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन एवं लघुकालीन पाठ्यक्रम चलाया जाना है। जिसके अंतर्गत ए.आई.सी.टी.ई. (AICTE) नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक पाठ्यक्रम जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एण्ड टेस्टिंग (PGD-PPT), डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी (DPT), डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी (DPMT), जिन पाठ्यक्रमों की अवधि 2 वर्ष से 03 वर्ष तक की हैं। इसके अंतर्गत 328 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सत्र 2017—18 से बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E. in Plastics Engineering) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त 04 वर्षीय पाठ्क्रम संचालित होता है इसके अंतर्गत 352 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं अन्य प्रायोजक द्वारा लघुकालीन कौशल विकास पाठ्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं। वर्श 2021—22 की अवधि में लगभग 800 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं।

पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्रों को देश के विभिन्न नामी कंपनियों ने रोजगार दिया, जिसमें डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा छात्रों को अधिकतम रू. 5.00 लाख, बी.टेक (प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग) को अधिकतम रू. 7.00 लाख तथा लघुवधि पाठ्यक्रम में सफल प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम रू. 2.25 लाख तक वार्षिक वेतन दिया जाता है।

14.9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें :– वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकताओं एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार मुहैया कराना तथा प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये छ.ग. शासन कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालनालय प्रशिक्षण द्वारा भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, महानिदेशालय, प्रशिक्षण, के राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.व्ही.टी.) नई दिल्ली के मापदण्ड के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 186 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

तालिका 14.22 वर्षवार औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि

वर्ष	संस्थाओं की संख्या	खोले गये नवीन संस्था
2014–15	146	17
2015–16	163	17
2016–17	172	09
2017–18	178	06
2018–19	178	0
2019–20	181	03
2020–21	184	03
2021–22	186	02
2022–23	186	00

तालिका 14.23 विगत वर्षों में शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत सीटों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत सीट
2015-16	18184
2016-17	19360
2017-18	25589
2018-19	28177
2019-20	33660
2020-21	34036
2021-22	34996
2022-23	37120

14.10 राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थिति :

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

जिले	33
संस्थायें	186
अनुसूचित जनजाति विशेष संस्थायें	09
महिलाओं के लिये विशेष	09
संचालित व्यवसाय	51
इंजीनियरिंग व्यवसाय	34
नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय	17
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	37120

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

जिले	21
संस्थायें	113
संचालित व्यवसाय	21
इंजीनियरिंग व्यवसाय	11
नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय	10
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	20856

क.	जिला	शासकीय औ.प्र.संस्थाओं की स्थिति		
		संस्थायें	स्वीकृत सीट्स	रिमार्क
1	बालोद	8	1560	
2	बेमेतरा	5	812	
3	बलरामपुर	7	648	
4	बस्तर	9	1904	
5	बीजापुर	4	448	
6	बिलासपुर	9	3020	
7	बलौदाबाजार–भाटापारा	6	1476	
8	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	4	496	
9	धमतरी	9	1780	
10	दुर्ग	6	3064	
11	कबीरधाम	4	412	
12	जशपुर	8	984	
13	जॉजगीर–चॉपा	7	1052	
14	गरियाबंद	5	704	
15	कोरिया	2	302	
16	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	3	784	
17	कोरबा	6	1448	
18	कोण्डागांव	7	920	
19	नारायणपुर	2	360	
20	मुंगेली	3	520	
21	महासमुन्द	5	976	
22	रायपुर	10	2856	
23	रायगढ़	8	2064	
24	राजनांदगांव	6	1128	
25	उत्तर बस्तर (कांकेर)	8	1408	
26	सरगुजा	8	1484	
27	सूरजपुर	7	1280	
28	सुकमा	3	440	
29	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	2	176	
30	मानपुर–मोहला–अंबागढ़ चौकी	3	452	
31	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	4	648	
32	सक्ती	5	936	
33	सरंगढ़–बिलाईगढ़	3	552	
	योग	**186**	**37120**	

उच्च शिक्षा

छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक युवा को उच्च शिक्षा के सर्व सुविधा सम्पन्न अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सत्र 2022–23 में 6 नवीन शासकीय महाविद्यालय तथा 25 नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किए गए हैं। विभाग के प्रदेश–व्यापी विस्तार के कारण राज्य में अब कुल 9 शासकीय विश्वविद्यालय, 15 निजी विश्वविद्यालय, 285 शासकीय महाविद्यालय, 12 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 256 अनुदान–अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं। शासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कुल छात्र–संख्या 335139 है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय सकल नामांकन अनुपात (GER) 3.5 था, जो बढ़कर अब 18.6 हो गया है ।

महाविद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि के साथ–साथ अधोसंरचनात्मक विकास तथा गुणात्मक उन्नयन के प्रति भी विभाग निरन्तर सचेष्ट है। विगत एक वर्ष के दौरान पूर्व से रिक्त पदों के विरुध्द विभिन्न विषयों के 1167 सहायक प्राध्यापक, 40 ग्रंथपाल एवं 39 क्रीड़ा अधिकारियों को महाविद्यालयों में नियुक्ति दी गई है तथा इसी अवधि में शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

छात्रों की अध्ययन–सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न पूर्वसंचालित तथा नवीन विषयों/संकायों में 15855 सीट की स्वीकृति दी गई है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत 8 स्वशासी महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली के साथ च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सहित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जिसमें मूल्य आधारित शिक्षा का भी समावेश किया गया है। इसी सत्र से प्रदेश के 10 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के शिक्षण का कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति जारी की गई है।

प्रदेश के पात्र 211 शासकीय महाविद्यालयों में 175 महाविद्यालयों का तथा 244 अशासकीय महाविद्यालयों में से 27 का नैक मूल्यांकन हो चुका है। अन्य महाविद्यालयों का नैक मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

1. सत्र 2022–23 में प्रदेश में 06 नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं, जिसमें शैक्षणिक/अशैक्षणिक के 198 पद स्वीकृत किये गये हैं।
2. सत्र 2022–23 में प्रदेश में 25 नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं, जिसमें 4955 सीट स्वीकृत किये गये हैं।
3. सत्र 2022–23 में 78 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों/संकाय में 6030 एवं 34 अशासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों/संकाय में 1465 सीट–वृद्धि की गई एवं 60 अशासकीय महाविद्यालय में नवीन विषयों के लिए 3405 सीट की स्वीकृति प्रदान की गई ।
4. शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग, को एन. आई. आर. एफ (National Institutional Ranking Framework) में पंजीयन हेतु विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापकों के 40 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके परिणामस्वरूप महाविद्यालय द्वारा एन.आई.आर.एफ (National Institutional Ranking Framework) रैंकिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
5. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में अब तक राज्य के 26 जिलों में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है । अन्य महाविद्यालयों में सह–अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है, परिणामस्वरूप शासकीय महाविद्यालयों में आज लैंगिक अनुपात वर्ष 2004 की तुलना में 1:0.7 से बढ़कर अब 1:1.57 हो गया है ।
6. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद के 27 विषयों के कुल 1384 रिक्त पदों के विरुध्द विभिन्न विषयों की कुल 1167 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।
7. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल एवं कीड़ाधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर से विज्ञापन जारी कर साक्षात्कार उपरांत 40 ग्रंथपाल एवं 39 क्रीडा अधिकारियों को नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।
8. वर्ष 2020 में कुल 36 शासकीय महाविद्यालय नैक से मूल्यांकित थे। वर्तमान में प्रदेश के मूल्यांकन हेतु अर्हता प्राप्त 211 शासकीय महाविद्यालयों में 175

महाविद्यालयों का तथा अर्हता प्राप्त 244 अशासकीय महाविद्यालयों में से 27 का नैक मूल्यांकन हो चुका है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। वर्ष 2022 में कुल 109 शासकीय महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन होना गुणवत्ता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि है।

9. वर्तमान में प्रदेश के 285 शासकीय महाविद्यालयों में से 207 महाविद्यालयों के स्वयं के भवन है, 22 महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन है एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में 18 शासकीय महाविद्यालयों हेतु नवीन भवन–निर्माण का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध सभी 18 शासकीय महाविद्यालय कमशः शासकीय नवीन महाविद्यालय, सोनाखान, बलौदाबाजार, शासकीय नवीन महाविद्यालय, तेदूकोंना महासमुंद, शासकीय नवीन महाविद्यालय, महोद बालोद, शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुईकुकदर, कबीरधाम, शासकीय नवीन महाविद्यालय, कंडेल, धमतरी, शासकीय नवीन महाविद्यालय, चपले, रायगढ़,शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुसमुरा रायगढ़, शासकीय नवीन महाविद्यालय, पेन्ड्रावन, दुर्ग शासकीय नवीन महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, रायपुर, शासकीय नवीन महाविद्यालय, सिलौटी,धमतरी, शासकीय नवीन महाविद्यालय, अमोरा, मुंगेली, शासकीय नवीन महाविद्यालय, बिर्रा,जांजगीर–चांपा,शासकीय नवीन महाविद्यालय, गोहरापदर,गरियाबंद, शासकीय नवीन महाविद्यालय,जटगा, कोरबा, शासकीय नवीन महाविद्यालय, मनोरा, जशपुर शासकीय नवीन महाविद्यालय, कमलेश्वरपुर, सरगुजा, शासकीय नवीन महाविद्यालय, रिसाली, दुर्ग एवं शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुम्हारी, दुर्ग हेतु प्रति संस्था 465.84 लाख की दर से (कुल राशि रु 83.85 करोड.) प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

10. वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में 10 शासकीय महाविद्यालयों के लिए अतिरिक्त कक्ष–निर्माण का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध शासकीय महाविद्यालय धरसींवा, रायपुर, शासकीय महाविद्यालय आरंग, रायपुर, शासकीय महाविद्यालय अभनपुर, रायपुर, शासकीय कन्या महाविद्यालय बलौदाबाजार शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, महासमुंद, शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, महासमुंद,शासकीय पी.जी महाविद्यालय, धमतरी, शासकीय कन्या महाविद्यालय, धमतरी, शासकीय महाविद्यालय, सक्ती, जांजगीर–चांपा एवं शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर हेतु कुल राशि रू.541.96 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

11. वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में 01 शासकीय महाविद्यालय में बालक–बालिका छात्रावास–निर्माण का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध शासकीय

महाविद्यालय पखांजूर हेतु प्रति छात्रावास 272.81 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

12. आदेश क्रमांक एफ 1–26/2021/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21.01.2022 द्वारा 261 सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपालों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने सम्बंधी आदेश प्रसारित किया गया।

13. सत्र 2022–23 में सहायक ग्रेड–1 से छात्रावास अधीक्षक के 58 पद, सहायक ग्रेड–2 से सहायक ग्रेड–1 के पद पर 21 सहायक ग्रेड–3 से सहायक ग्रेड–2 के 29 पद ,प्रयोगशाला परिचारक से प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर 59 एवं भृत्य से सहायक ग्रेड–3 के 27 पदों सहित कुल 164 पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई ।

14. सत्र 2022–23 में सहायक ग्रेड–3 के 08 एवं भृत्य के 10 कर्मचारियों की परिविक्षा अवधि समाप्त की गई ।

15. सत्र 2022–23 में सहायक ग्रेड–1 के 34, सहायक ग्रेड–2 के 34, सहायक ग्रेड–3 के 27 एवं प्रयोगशाला तकनीशियन के 101 कुल 196 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

16. सत्र 2022–23 में 17 कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई ।

तालिका 14.24 शासकीय महाविद्यालयों की संवर्गवार छात्र एवं छात्राओं की संख्याः–

संवर्ग	स्नातक एवं स्नातकोत्तर			महायोग
	छात्र	छात्रा	योग	
सामान्य	13569	22940	36509	335139
अनुसूचित जाति	21311	29260	50571	
अनुसूचित जनजाति	31397	54315	85712	
अन्य पिछड़ा वर्ग	62033	100314	162347	
योग –	128310	206829	335139	

छात्रवृत्ति

➢ **बी.पी.एल. छात्रवृत्ति** :– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्रों हेतु बी.पी.एल. छात्रवृत्ति सत्र 2005–06 से प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत आने वाले स्नातक स्तर के छात्रों को रू. 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए कुल 3000/– रू. एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को रू. 500/– प्रति माह की दर से 10 माह के लिए

कुल 5000/– प्रति छात्र प्रदान किया जाता है। सत्र 2021–22में बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर 21,333 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 19,881 कुल 41,214 विद्यार्थियों को लगभग राशि रूपये 5,55,95,200.00 डी.बी.टी के माध्यम से वितरित की गई है।

- **बी.पी.एल. बुक बैंक योजना** :–बी.पी.एल. बुक बैंक योजना राज्य शासन द्वारा 2005 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. छात्र–छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालय द्वारा क्रय कर प्रदान की जाती हैं।

- **अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिये मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करना** :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें प्रदान करने के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं प्रति दो विद्यार्थी रूपये 600/– की पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी तथा प्रति दो विद्यार्थी रूपये 800/– की पुस्तकें देने का प्रावधान है।

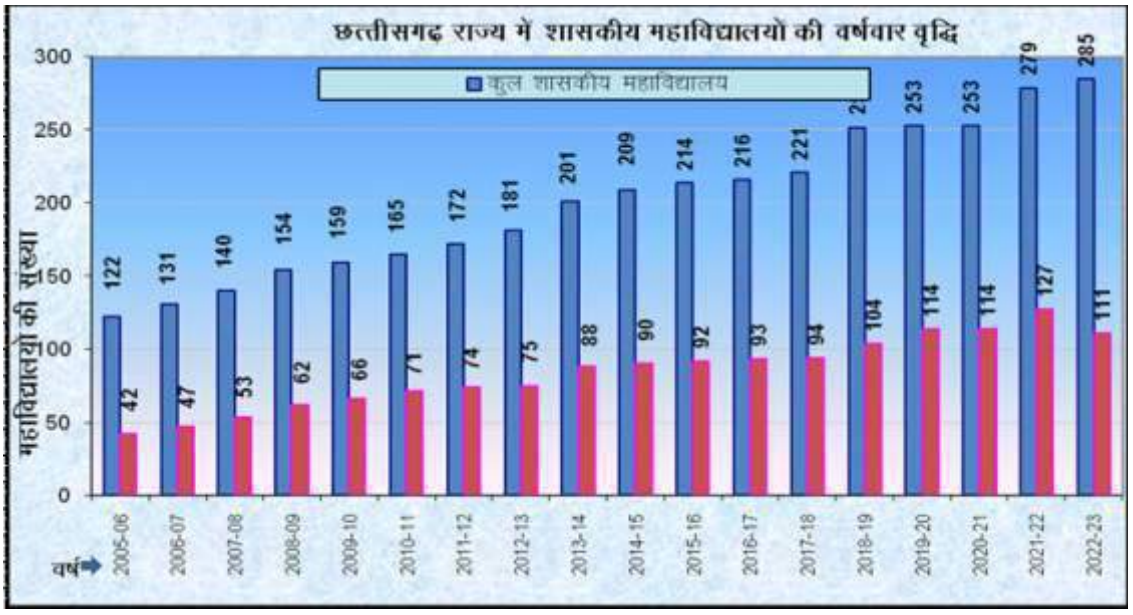

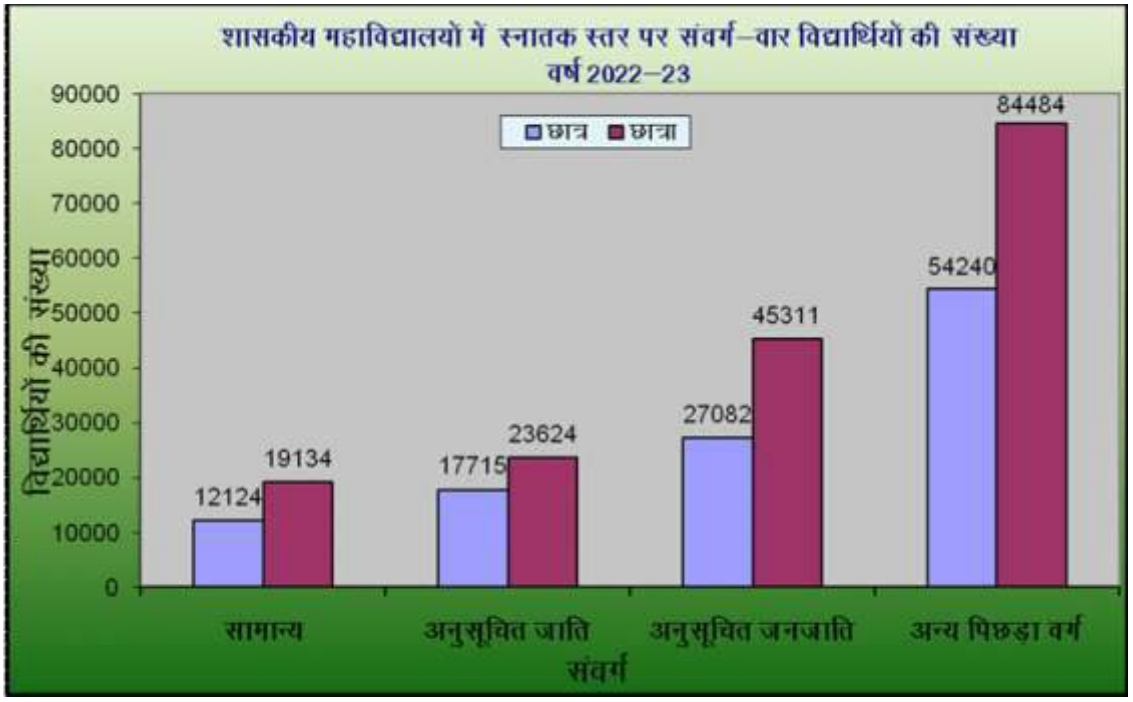
शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर संवर्ग–वार विद्यार्थियों की संख्या
वर्ष 2022–23
छात्र
छात्रा
विद्यार्थियों की संख्या
संवर्ग
सामान्य
अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति
अन्य पिछड़ा वर्ग
12124
19134
17715
23624
27082
45311
54240
84484

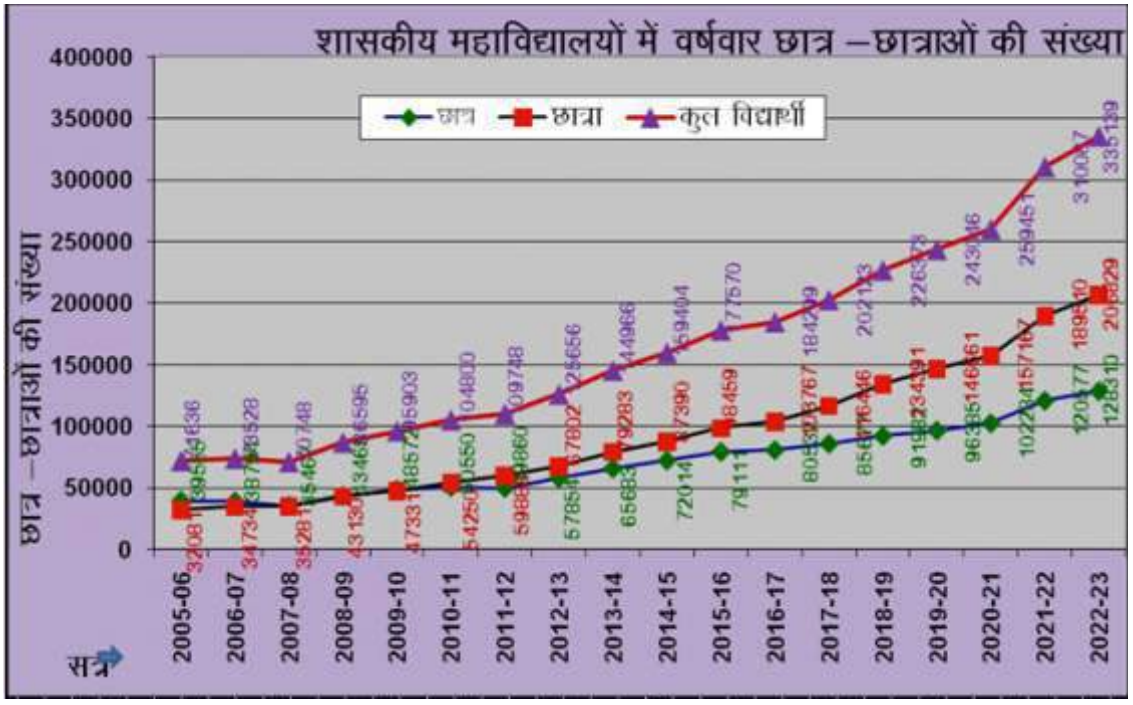
शासकीय महाविद्यालयों में वर्षवार छात्र –छात्राओं की संख्या
छात्र
छात्रा
कुल विद्यार्थी
छात्र –छात्राओं की संख्या
सत्र
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23

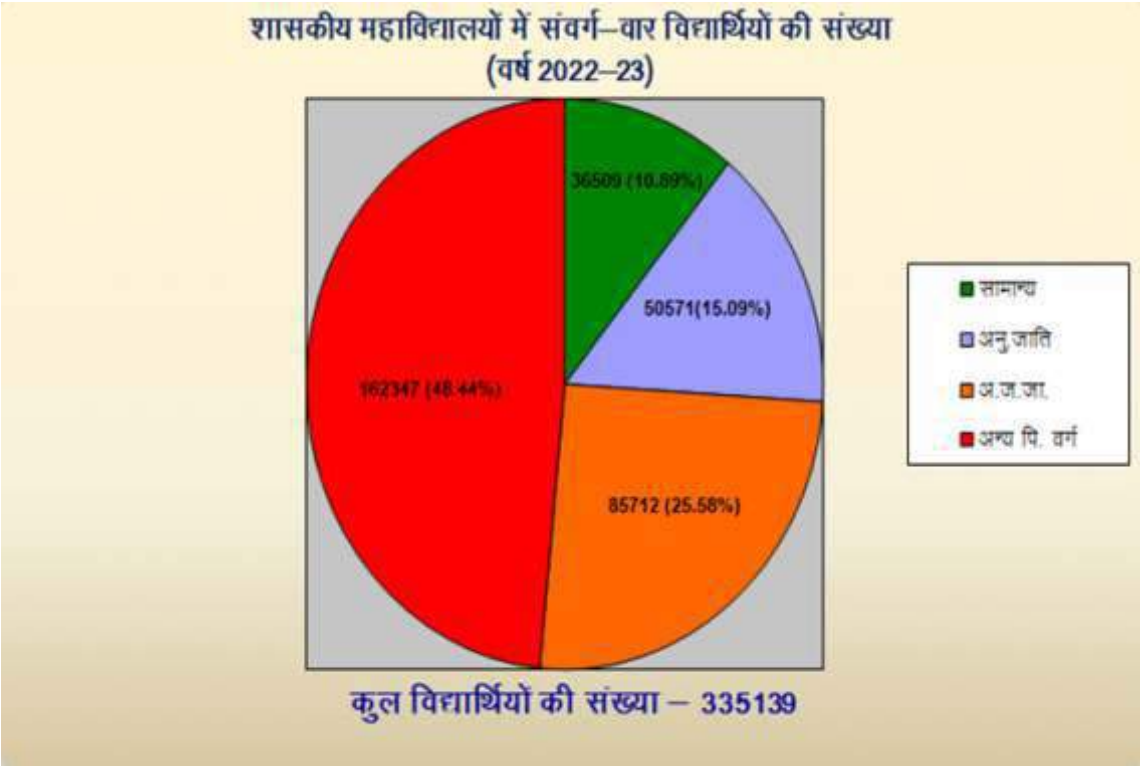
शासकीय महाविद्यालयों में संवर्ग–वार विद्यार्थियों की संख्या
(वर्ष 2022–23)
36509 (10.89%)
50571(15.09%)
162347 (48.44%)
85712 (25.58%)
सामान्य
अनु.जाति
अ.ज.जा.
अन्य पि. वर्ग
कुल विद्यार्थियों की संख्या – 335139

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

15

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

मुख्य बिन्दु

- संस्थागत प्रसव की दर वर्ष 2015–16 (NFHS 4) में 70.2 प्रतिशत थी, जो 2019–21 (NFHS 5) में बढ़कर 85.7 प्रतिशत हो गई।
- छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 में प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 77 थी, जो वर्ष 2022 की स्थिति में घटकर 38 हो गई है।
- छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश का कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 थी, जो वर्तमान माह सितम्बर 2022 में 1.77 प्रति दस हज़ार है।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है।
- प्रदेश में वर्तमान में 46,059 आंगनवाड़ी एवं 5,644 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं।
- जल जीवन मिशन अंतर्गत सितंबर 2022 की स्थिति में कुल 14,94,614 परिवारों को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है वजन त्यौहार वर्ष 2022 के अनुसार कुपोषण की दर 17.76 प्रतिशत पर आ गई है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में कुपोषण की दर में 2.1 प्रतिशत् की कमी आई है।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार "स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल रोगों अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति से ही नहीं वरन् संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से है"। इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपचारात्मक के साथ साथ निवारक होना भी आवश्यक है। अनुपूरक घटक जैसे जल, स्वच्छता एवं पोषण आदि स्वास्थ्य की समग्र देखभाल के महत्वपूर्ण पहलू है।

स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है जिससे मानव की जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। कुपोषण, निम्न जीवन स्तर, बीमारियां तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी मानव की दक्षता में कमी लाता है। अतः यह आवश्यक है कि देश में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को उच्च स्तर पर बनाये रखने के लिये इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में व्यय तथा विनियोग किया जाए, ताकि देश की मानव शक्ति कार्यकुशल एवं दक्ष बनी रहे।

सितंबर 2015 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स) की अवधि पूरी होने पर इन लक्ष्यों को और विस्तार देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अगले 15 वर्षों यानी 2030 तक के लिए एक नया वैश्विक एजेंडा– सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) तय किया गया, जिनमें विश्व की बेहतरी के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया। इनमें लक्ष्य–3 सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने हेतु है।

15.1 मातृ स्वास्थ्य :– राष्ट्र के समग्र विकास और कल्याण में मातृत्व स्वास्थ्य का निर्णायक महत्व है। गर्भावस्था एवं प्रसव पूर्व एवं पश्चात् महिलाओं का पर्यवेक्षण देखभाल और सलाह, उपयुक्त औषधि तथा इलाज कुशल स्वास्थ्य कर्मियों एवं संस्थागत प्रसव के कारण मातृत्व मृत्यु दर में कमी परिलक्षित हुई। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन ने राज्य में मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

मातृ मृत्यु दर 2001–03 में एक लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 301 तथा राज्य में 379 थी। जो घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 103 व 160 (SRS Report 2017-19) हो गयी। SDG में 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 110 लाने का लक्ष्य रखा गया है। विगत वर्षो में प्रदेश में गर्भवती माताओं का प्रसव अस्पतालों में कराने के प्रति विश्वास बढ़ा है। शासकीय अस्पतालों में NFHS-4 वर्ष 2015–16 अनुसार 55.9 प्रतिशत प्रसव होता था जो NFHS-5 वर्ष 2019–21 में बढ़कर 70.2 प्रतिशत हो गया है। NFHS-4 वर्ष 2015–16 अनुसार संस्थागत प्रसव 70.2 प्रतिशत प्रसव होता था जो NFHS-5 वर्ष 2019–21 में बढ़कर 85.7 प्रतिशत हो गया है।

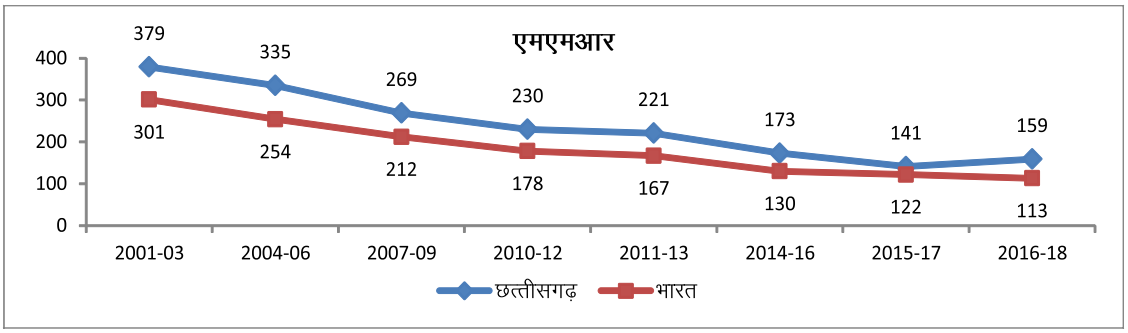

Source: Special Bulletin on Maternal Mortality in India, SRS, RGI

मातृ मृत्यु अनुपात में और कमी लाने के लिये विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है।

15.1.1 प्रसव पूर्व जॉच एवं संस्थागत प्रसव– प्रदेश में प्रसव पूर्व जांच एवं संस्थागत प्रसव में निरंतर वृद्धि हो रही है।

तालिका 15.1 प्रसव पूर्व जॉच एवं संस्थागत प्रसव

सूचकांक	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)
प्रथम तिमाही में ए.एन.सी. जांच (%)	70.8	65.7
कम से कम 4 ए.एन.सी. जांच (%)	59.1	60.1
संस्थागत प्रसव (%)	70.2	85.7

प्रथम संदर्भन ईकाईयों (First Referral Units-FRU) का क्रियान्वयन– राज्य में 57 प्रथम संदर्भन ईकाई का चिन्हांकन किया गया है। वर्तमान में 43 प्रथम संदर्भन ईकाई क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त 21 Non-FRU सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी C-section की सुविधा उपलब्ध है ।

प्रथम संदर्भन ईकाईयों के मापदंड

- प्रत्येक 5 लाख जनसंख्या में एक FRU
- विशेषज्ञ / विशेष दक्षता प्राप्त चिकित्सक की उपलब्धता।
- Blood Transfusion की उपलब्धता।
- आपात प्रसूति प्रबंधन के साथ सिजेरियन प्रसव की सुविधा।
- DHFRU में प्रतिमाह 50 से अधिक प्रसव एवं CHCFRU में प्रतिमाह 20 से अधिक प्रसव

15.2 जननी सुरक्षा योजना (JSY) :– जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व एवं संस्थागत प्रसव में वृद्धि करने की अभिनव योजना है। इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव / घर प्रसव होने पर प्रसूता को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

तालिका 15.2 जननी शिशु सुरक्षा योजना	
पात्रता	प्रोत्साहन राशि
➢ शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर सभी गर्भवती महिला के लियेः–	
ग्रामीण क्षेत्र की महिला	a)राशि 1400 रूपये।
शहरी क्षेत्र की महिला	b)राशि 1000 रूपये।
➢ JSY अंतर्गत मान्यता प्राप्त समस्त निजी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर केवल BPL गर्भवती महिला के लियेः–	
ग्रामीण क्षेत्र की महिला	a)राशि 1400 रूपये।
शहरी क्षेत्र की महिला	b)राशि 1000 रूपये।
➢ घर में प्रसव होने पर केवल BPL (ग्रामीण एवं शहरी) गर्भवती महिला के लियेः–	राशि 500 रूपये।
BPL प्रमाण पत्र	

वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 2022 तक 1.58 लाख हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है।

15.3 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)– गर्भवती महिलाओं की गुणवत्ता पूर्वक प्रसव पूर्व जॉच एवं जटिल प्रकरणों की समय से पहचान व उपचार हो इसे पूर्ण करने के लिये भारत सरकार द्वारा **''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' (PMSMA)''** का प्रारंभ राज्य में 09 मई 2016 से किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं **(MC/DH/CH/CHC** एवं चिन्हांकित PHC) में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (**PMSMA**) संचालित किया जा रहा है। जिसमें मेडिकल ऑफिसर / CEmONC/BEmONC (प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी)/स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निजी चिकित्सकों के द्वारा गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण

प्रसव पूर्व जॉच की जा रही है। 09 मई 2016 से माह अक्टूबर 2022 तक 11.71 लाख गर्भवती महिलायें लाभान्वित हुई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान **(PMSMA)** पोर्टल में 302 प्राइवेट डॉक्टर पंजीकृत है।

15.4 24X7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– प्रदेश में 24 घंटे आवश्यक प्रसूति सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया गया है। इन केन्द्रों में राज्य बजट एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है। वर्ष 2022–23 में माह अक्टूबर तक की स्थिति में 294 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिमाह औसतन 10 एवं 10 से ज्यादा प्रसव कराये जा रहे हैं।

15.5 शिशु स्वास्थ्य :– शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करना है। शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारकों में माता का स्वास्थ्य, प्रसव पूर्व एवं पश्चात् नवजात की देखभाल, सामान्य जीवन स्तर, बीमारी की दर, पर्यावरण का स्तर आदि है। शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करने में छत्तीसगढ़ में प्रभावशील सुधार कार्य किये गये हैं। छत्तीसगढ़ में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कारण राज्य स्थापित होने से अब तक शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्श 2001 (SRS 2001) में प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 77 थी, जो वर्ष 2022 की स्थिति में 40 से घटकर 38 हो गई है।

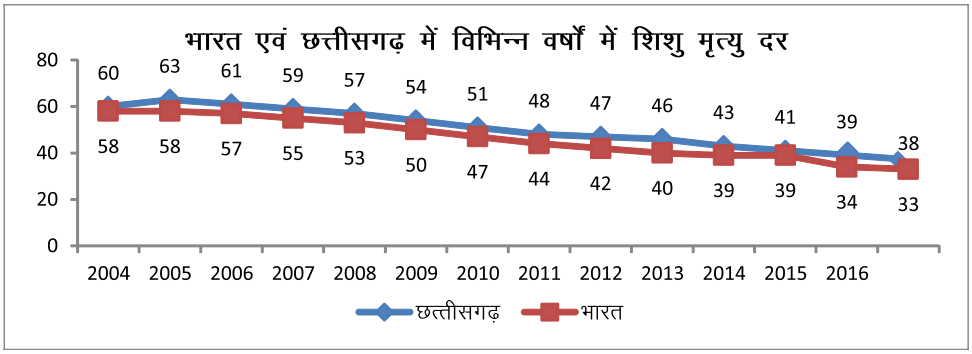

Source: SRS Reports

- **विशेश नवजात शिशु देखभाल इकाई (SNCU)** :– बीमार व कम वनज के नवजात (< 1800 ग्राम) शिशुओं को विशेश देखभाल (प्रमुख सर्जरी व कृत्रिम वैटिलेशन के अतिरिक्त समस्त देखभाल) प्रदाय करने के लिए जिला अस्पताल स्तर पर एस.एन.सी.यू. स्थापित की जाती है। वर्ष 2022–23 तक 26 एस.एन.सी.यू. क्रियाशील किये जा चुके है। एस.एन.सी.यू. के स्टाफ (डाक्टर व स्टाफ नर्स) को मेडिकल कॉलेज रायपुर में Facility Based New Born Care पर तथा के.ई.एम. अस्पताल, मुंबई में Observership प्रशिक्षण प्रदाय किया जाता है।

- **न्यूबार्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट (NBSU)** :– बीमार व कम वजन के नवजात (>1800 ग्राम) शिशुओं को कम समय के लिए देखभाल व स्थिरिकरण सुविधाएं प्रदान करने के लिए एन.बी.एस.यू. का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक एन.बी.एस.यू. में 03 रेडियंट वॉर्मर व 01 फोटोथैरेपी मशीन के द्वारा नवजात को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। वर्श 2022–23 तक कुल 178 एन.बी.एस.यू. क्रियाशील किए जा चुके हैं।

- **न्यूबार्न केयर कार्नर (NBCC)** :– प्रसव के तुरंत बाद समस्त नवजात शिशुओं को आवश्यक नवजात देखभाल प्रदाय किये जाने हेतु प्रसव कक्ष के एक कोने को एन.बी.सी.सी. के रूप में चिन्हाकिंत किया जाता है। एन.बी.सी.सी. ने रेडिएंट वॉर्मर स्थापित कर शिशु को आवश्यक जीवनरक्षक देखभाल प्रदाय की जाती है। एन.बी.सी.सी. जिला अस्पतला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर जहॉ प्रसव कराया जाता है, वहॉ स्थापित किया जाता है। वर्ष 2022–23 में 1701 एन.बी.सी.सी. क्रियाशील है।

15.6 टीकाकरण :– पूर्ण टीकाकरण की दर NFHS 3 (2005–06) में 48.7 प्रतिशत से बढकर NFHS 5 (2020–21) में 79.7 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। वर्ष 2021–22 में पूर्ण टीकाकरण (एक वर्ष तक के बच्चों) का कवरेज 90.5 प्रतिशत रहा तथा वर्ष 2022–23 हेतु अक्टूबर 2022 तक पूर्ण टीकाकरण (एक वर्ष तक के बच्चों) का कवरेज 53 प्रतिशत है। जापानीज़ इनसेफेलाईटिस टीकाकरण हेतु चिन्हाकित 06 जिलों (सुकमा, बीजापुर, दंतेवाडा, बस्तर, धमतरी एवं कोंडागांव) में माह अप्रेल–अक्टूबर 2022 तक 35,939 पात्र लाभार्थियों को प्रथम डोज़ तथा 29,659 पात्र लाभार्थियों को द्वितीय डोज़ लगाया गया।

आदिवासी आंचलों में टीकाकरण सुदृढीकरण हेतु NHM अंतर्गत अतिरिक्त बजट का प्रावधान कर विशेष दिशा–निर्देश प्रदान किये गये। राज्य हेतु विशेश योजना तैयार कर जिलों को प्राथमिकता के आधार पर विभाजित कर टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढीकरण हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

15.7 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यकम (NLEP) :– इस कार्यकम का उद्देश्य है, कि समाज में छिपे सभी रोगियों को खोजकर उन्हें बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाये, ताकि रोग का प्रसार रूक जाये व रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा कम प्रति 10,000 जनसंख्या हो जाए।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश का कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 था, जो वर्तमान माह सितम्बर 2022 में 1.77 प्रति दस हज़ार है। वर्तमान माह सितम्बर 2022 में राज्य में कुल 54,10 रोगियों को बहुऔषधि उपचार के अंतर्गत नियमित उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है।

तालिका 15.3 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यकम भौतिक प्रगति

विवरण	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक	अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक
खोजे गये नये रोगियों की संख्या	6137	3639
रोगमुक्त रोगियों की संख्या	5138	2913
उपचाररत् रोगियों की संख्या	4684	5410
विकृति सुधार शल्यक्रिया	124	46
रोग प्रभाव दर	1.54	1.77

तालिका 15.4 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यकम वित्तीय उपलब्धि

वर्ष	कुल स्वीकृत राशि	कुल व्यय राशि
2019-20 (As on March)	1024.63	637.74
2020-21 (As on March)	954.84	306.90
2021-22 (As on March)	1386.11	619.44
2022-23 (Till September 2022)	1614.65	77.73

15.8 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वेक्टर जनित बिमारियां प्रचलित हैः मलेरिया, डेंगू, जापानीज एनसेफालाइटीस, फायलेरिया, चिकुनगुनिया एवं काला–आजार।

छत्तीसगढ़ राज्य में चार बिमारियां, मलेरिया, डेंगू, जापानीज इनसेफालाइटीस एवं फायलेरिया पाए जाते हैं। राज्य के उत्तर एवं दक्षिणी क्षेत्र में मलेरिया का अधिक प्रकोप रहता है। छ0ग0 के मध्य क्षेत्र में फायलेरिया के रोगी पाए जाते है। वर्श 2022 में राज्य के सभी जिलों से डेंगू प्रकरण पाये गये है।

15.8.1 मलेरिया उन्मूलन :– राज्य के बस्तर संभाग मलेरिया हेतु अतिसंवेदनशील क्षेत्र है। मलेरिया उन्मूलन के अंतर्गत त्वरित निदान हेतु सभी मितानिन, उप स्वास्थ्य केन्द्र में रेपिड डायग्नोस्टिक किट (आर.डी. किट) उपलब्ध कराई गई है, जिससे मरीजों का तत्काल पहचान कर सम्पूर्ण उपचार दी जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालय में अपातकालीन स्थिति में उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में माह अक्टूबर तक 45.88 लाख बुखार पीड़ितों की जांच की गई, जिसमें से कुल 26.16 लाख मरीजों की आर.डी.टेस्ट से जांच की गई। मलेरिया सकारात्मक प्रकरण कुल 24123 पाया गया जिसमें से 17981 प्रकरणों का आर.डी. टेस्ट से जांच उपरांत सकारात्मक पाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालय स्तर पर रक्तपट्टी बनाया जा कर जांच किया गया। रक्त परीक्षण के परिणाम मलेरिया सकारात्मक होने पर मरीज को मलेरिया के प्रकार अनुसार उपचार दिया जा रहा है। वाइवैक्स मलेरिया से पीड़ितों को 3 दिवस क्लोरोक्वीन गोली तथा 14 दिवस तक प्राइमाक्वीन गोली की खुराक, फैल्सीपेरम मलेरिया से पीड़ितों को 3 दिवस तक ए.सी. टी. गोली एवं दूसरे दिन में प्राइमाक्वीन गोली की एक खुराक, मिश्रित संक्रमण से पीड़ितों को 3 दिवस तक ए.सी.टी. गोली एवं दूसरे दिन से 14 दिन तक प्राइमाक्वीन गोली की खुराक दिया जा रहा है। प्रतिमाह केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला

तालिका 15.5 वर्ष 2020 से 2022 में मलेरिया रोग की एपियोडेमिलॉजीकल स्थिति

क्र.	विवरण	2020 (1जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक)	2021 (1जनवरी से 31 दिसंबर 2021 तक)	2022 (1जनवरी से 31 अक्टुबर 2022 तक)
1	रक्त पट्टी एवं आर.डी.टी. परीक्षण	4162288	4486737	4588615
2	सकारात्मक	36667	29733	24123
3	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरण	31200	25326	20289
4	रक्तपट्टी सकारात्मक दर	0.88	0.66	0.53
5	वार्षिक परजीवी सूचकांक	1.17	0.92	0.75
6	रक्त जांच फेल्सीपेरम दर	0.77	0.58	0.44
7	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरणों का प्रतिशत	87.60	86.86	84.11
8	मृत्यु	34	38	11

भारत सरकार, लालपुर, रायपुर में जांच किए गए रक्तपट्टी का क्रॉसचेक किया जाता है। जिले में पदस्थ मानव संसाधनों को कार्यक्रम के सुचारू संपादन हेतु विकासखंड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर तथा राज्य स्तर में समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्श 2022 में वेक्टर नियंत्रण गतिविध अंतर्गत राज्य के वार्षिक परजीवी सूचकांक एक से अधिक वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत ग्रामों में कुल 11.45 लाख दीर्घकालीन कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी का वितरण किया गया है। जिसमें कुल 10 जिले के 19 विकासखंड के 485 उप स्वास्थ्य केन्द्र को मच्छरदानी वितरण हेतु चयनित किया गया था। राज्य के वार्षिक परजीवी सूचकांक दो से अधिक वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत ग्रामों में दो चक्र में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया है, जिसमें 22 जिले के 92 विकासखंड में किया गया है। कुल 84% जनसंख्या प्रतिरक्षित किया गया है। सभी स्तर पर मलेरिया रोधी दवाई एवं सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई है। जन जागरूकता हेतु सभी स्तर पर विशेष प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

15.8.2 फायलेरिया उन्मूलन :–

- राज्य के कुल 19 फायलेरिया संवेदनशील जिलों में से जिला दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, एवं जांजगीर में सामुहिक दवा सेवन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें लक्ष्य के विरूद्ध 84.17% उपलब्धि है। लिम्फेटिक फायलेरिया प्रकरणों का अपंगता प्रबंधन हेतु जिला स्तर पर शिविर आयोजन कर मरीजों को घरेलू प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।

- चयनित जिलों में मरीजों के चिन्हांकन का कार्य संपादित कराया जा रहा है।

15.8.3 डेंगू नियंत्रण :– डेंगू शंकास्पद प्रकरण के एलाइजा पुष्टि हेतु राज्य में कुल 10 सेन्टीनल सर्वेलेंस चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर, कोरबा तथा जिला चिकित्सालय बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कबीरधाम एवं दुर्ग क्रियाशील है। 01 जनवरी 2022 से 30 नवंबर 2022 तक 2566 डेंगू प्रकरण की पुष्टि की गई है। डेंगू के पुष्टि होने पर मरीज के घर के आस–पास मच्छर लार्वा पनपने के स्रोत जैसे कुलर, टंकी आदि का साफ–सफाई, नारियल के खोल, अनुपयोगी बर्तन आदि को नष्ट किया जा कर स्रोत नियंत्रण किया जा रहा है। सेन्टीनल सर्वेलेंस चिकित्सालय के आवश्यकतानुसार भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय वायरोंलॉजी संस्थान पुणे से जांच किट उपलब्ध कराया जा रहा है। डेंगू के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वय से गतिविधि किया जा रहा है। डेंगू से बचाव हेतु प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

तालिका 15.6 वर्षवार डेंगू प्रकरण एवं मृत्यु

क्र.	वर्ष	प्रकरण	मृत्यु
1	2020	57	00
2	2021	1086	00
3	2022 (नवंबर)	2566	07

15.8.4 जापानीज एनसेफालाइटीस नियंत्रण :– जापानीज एनसेफालाइटीस के शंकास्पद प्रकरण के पुष्टि हेतु मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, सेन्टीनल सर्विलेंस चिकित्सालय के रूप में क्रियाशील है, राज्य के कुल 5 जिला बस्तर, दन्तेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा एवं कोण्डागांव से जे.ई. प्रकरण पायी गयी है। सेन्टीनल सर्वेलेंस चिकित्सालय के आवश्यकतानुसार भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय वायरोंलॉजी संस्थान पुणे से जांच किट उपलब्ध कराया जा रहा है। जे.ई. से बचाव हेतु प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। जे.ई. मरीज की पुष्टि होने पर प्रभावित क्षेत्र में सुअर आदि पशुधन को घर से बाहर रखने हेतु सलाह दी जा रही है।

तालिका 15.7 वर्षवार जापानीज एनसेफालाइटीस

क्र.	वर्ष	प्रकरण	मृत्यु
1	2020	13	04
2	2021	05	00
3	2022 (नवंबर)	18	01

15.9 पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम :– राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम डॉट्स रणनीति के साथ वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के समस्त टीबी रोगियों को उच्च गुणवत्ता की जॉच एवं उपचार उपलब्ध कराकर **''टीबी मुक्त प्रदेश''** बनाना है। एनटीईपी कार्यक्रम द्वारा टीबी के मरीजों को अतिशीघ्र खोजकर ईलाज प्रारंभ किया जाता है, जिससे टीबी का फैलाव एवं टीबी से होने वाले मृत्यु को रोका जा सकता है। डॉटस पद्वति (देख–रेख में दवा खिलाना) के माध्यम से टीबी का ईलाज प्रारंभ किया जाता है। छत्तीसगढ़ में राश्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम 15 अगस्त 2002 से 4 जिलों–रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं राजनांदगांव में प्रारंभ हुआ एवं 15 अगस्त 2004 तक समस्त जिलों में प्रारंभ किया गया।

राज्य में कुल 28 जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र, 155 टीबी यूनिट तथा 719 डेजिग्नेटेड माईक्रोस्कोपिक सेंटर द्वारा टीबी का उपचार एवं निदान की निः शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

15.9.1 मुख्य उद्देश्य–

- 90% सभी प्रकार के टीबी मरीजों के टीबी नोटिफिकेशन (खोज) प्राप्त करना।
- 90% उपचाररत नये धनात्मक टी.बी. मरीजों का सफल उपचार करना एवं 85% पुनः उपचार प्राप्त कर रहे टी.बी. मरीजों का सफल उपचार करना।

तालिका 15.8 भौतिक प्रगति			
क्र.	सूचक (Indicator)	अप्रैल 2021 से मार्च 2022	अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022
1	टीबी नोटिफिकेशन	33463	19.424
2	उपचार सफलता दर	86.08%	83.26%
3	टीबी मरीजों की एचआईव्ही की जॉच	96.9%	96.7%
4	संभावित ड्रग रजिस्टेंश टीबी मरीज की जॉच	15,789	9,012
5	जॉच में पाए गये ड्रग रजिटेंस टीबी मरीज	523	247

15.9.2 वर्ष 2022–23 में कार्यकम की मुख्य उपलब्धि :

- **टी.बी. खोज अभियान -** माह जनवरी.फरवरी 2021 तक उच्च जोखिम समूहो में सघन टी.बी. खोज अभियान चलाया गया जिसमें 5,78,854 लोगों का स्क्रीनिंग किया गया जिसमें से 76,00 का जॉच उपरांत 189 टी.बी. मरीज पाये गये। माह सितंबर–अक्टूबर 2021 को सघन टी.बी. खोज अभियान चलाया गया जिसमें 2,63,73,567 लोगों का स्क्रीनिंग किया गया जिसमें से 33,268 का जॉच उपरांत 2,298 टी.बी. मरीज पाये गये। माह मई–जुलाई 2022 को सघन टी.बी. खोज अभियान चलाया गया जिसमें 2.6 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग किया गया जिसमें से 33,628 का जॉच उपरांत 1,119 टी.बी. मरीज पाये गये।

15.10 अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम – राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 से प्रारंभ किया गया था। प्रदेश में यह कार्यक्रम 1,978 से प्रारंभ हुआ । इसके अंतर्गत निःशुल्क मोतियाबिन्द आपरेशन, शालेय छात्रों को निःशुल्क चश्मा तथा अन्य नेत्र रोगों का उपचार किया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम राज्य के समस्त जिलों में संचालित है।

15.10.1 विशेष कार्यक्रम –

- ❖ दिनांक 25 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है।
- ❖ प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरूवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है।
- ❖ 12 मार्च को विश्व ग्लाकोमा दिवस मनाया जाता है।

तालिका 15.9 अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम भौतिक उपलब्धि						
क्र.	कार्यक्रम	अपेक्षित	2021–22		2022–23 अपैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक	
			उपलब्धियॉ	प्रतिशत	उपलब्धिया	प्रतिशत
1	मोतियाबिन्द आपरेशन	1,25,000	85178	68	59381	48
2	शालेय छात्र परीक्षण	6,00,000	800319	133	539682	90
3	चश्मा वितरण	35,000	23731	68	9479	27
4	प्रेसबायोपिक चश्मा	40,000	46741	117	23206	58
5	नेत्रदान	400	100	25	94	24

15.10.2 एम्बेसडर फॉर आई केयर :– राज्य में राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के सहयोग से शालाओं के 47,029 शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 'एम्बेसडर फॉर आई केयर' बनाया गया है। इनके द्वारा प्राथमिक जॉच की जाती है और दृष्टि कम होने पर नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा चश्मा प्रदाय किया जाता है। इसमें अब तक लगभग 27 लाख छात्र लाभान्वित हो चुके हैं।

15.10.3 कॉम्प्रिहेन्सिव आई केयर :– इस कार्यक्रम अंतर्गत सितंबर माह में राज्य के समस्त जिलों के एक–एक विकासखण्ड का चयन कर उसके प्रत्येक ग्राम में घर–घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति का नेत्र परीक्षण किया जाता है । अब तक 20,442 ग्रामों के 2,55,72,745 व्यक्ति लांभावित हो चुके हैं।

15.10.4 बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह :– राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बालदिवस के उपलक्ष्य में **राज्य में** दिनांक 14–20 नवम्बर 2022 तक **''बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह''** का आयोजन किया जा रहा है । जिसमें स्कुलों के छात्रों को नेत्र परीक्षण एवं दृष्टि दोष पाये गये छात्रों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया जाना है तथा अन्य नेत्र रोग के छात्रों का उपचार किया जाता है।

15.10.5 टेली ऑफ्थल्मिक विजन सेंटर की स्थापना :– राज्य के 146 सी.एच.सी. में टेली ऑफथल्मिक विजनसेंटर की स्थापना की योजना है। विजन सेंटर में नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा मरीजों का नेत्र परीक्षण कर केन्द्रों के विशेषज्ञों से, उपचार हेतु आनलाइन परामर्श एवं रोगियों से वार्तालाप होगा। पायलट प्रोजेक्ट में 12 सीएचसी में टेली ऑफथल्मिक विजन सेंटर की स्थापना हो चुकी है एवं 20 केन्द्रों में प्रक्रियाधीन है। इससे दूरस्थ स्थानों के मरीजों को भी नेत्र विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ मिलेगा।

15.10.6 राष्ट्रीय राजमार्ग वाहन चालक नेत्र परीक्षण सप्ताह :– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समन्वय से दिसंबर से 18–24 दिसंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग में आने वाले स्वास्थ्य संस्था में वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण किया जाना है। राज्य के 18 स्थानों

पर टोल प्लाजा में भी वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण कर नेत्र सुरक्षा हेतु जागरूक किया जायेगा।

15.10.7 स्पेशल क्लीनिक :– सोमवार को ग्लोकोमा क्लीनिक, गुरुवार को रेटिना क्लीनिक, शनिवार को पीडियाट्रिक ऑथाल्मोजी क्लीनिक का आयोजन जिला अस्पताल में किया जाता है।

15.10.8 कार्ययोजना :– राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में घर–घर जाकर नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों की जाँच कर बेस हॉस्पिटल एप्रोच के तहत् मोतियाबिन्द आपरेशन तथा अन्य जटिल नेत्र रोगों का उपचार किया जा रहा है, नेत्र आपरेशन शिविर नहीं लगाये जा रहे हैं।

15.10.9 नेत्र बैंक :– राज्य में कुल 6 नेत्र बैंक तथा 4 कार्निया ट्रांस्प्लांट सेंटर है । नेत्रदान को बढ़ावा देने हेतु मेडिकल कालेज रायपुर एवं बिलासपुर में आई डोनेशन काउन्सलर को नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2025 तक राज्य को कार्निया ब्लाइंडनेस फ्री बनाने की योजना है ।

15.10.10 नेत्र वार्ड एवं नेत्र शल्य कक्ष का निर्माण :– बेमेतरा एवं मुगेली में डेडीकेटेड नेत्र अस्पताल निर्माण हो चुका है तथा बालोद में डेडीकेटेड नेत्र अस्पताल हेतु 70 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जो कि निर्माणाधीन है।

अन्य कार्यक्रम एवं उपलब्धियां

15.11 मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना

15.11.1 उद्देश्य – राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुये जनवरी 2020 से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंम्भ किया गया। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज हेतु प्रदान कर रहा है जिससे स्वस्थ एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके।

15.11.2 आवेदन हेतु पात्रता –_प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार (छत्तीसगढ़ सरकार की अद्यतन सूची अनुसार)

15.11.3 बीमारियों हेतु सहायताः–

बीमारियों के उपचार में सहायता प्रदान किए जाने हेतु अनिवार्य शर्तें–

- बीमारी का उपचार योग्य होना।
- जीवन की प्रत्याशा अवधि में औसत न्यूनतम् 2 वर्ष के वृद्धि की संभावना होना।
- एक बीमारी के उपचार हेतु एक ही बार स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

15.12 बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम, केन्द्र प्रवर्तित योजना :– राष्ट्रीय स्तर पर ''वृद्ध व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय नीति'' और ''माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियिम 2007'' को ध्यान में रखते हुये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए ''राष्ट्रीय वयोवृद्ध स्वास्थ्य परिचर्या'' योजना राज्य के समस्त जिलों में प्रारंभ किया गया है।

वर्ष 2022–23 में अप्रेल 2022 से सितम्बर 2022 तक ओपीडी 1058032, आईपीडी 65808, लैब सुविधा 440524, फिजियोथेरेपी सुविधा 79417, पीला कार्ड/फिटनेस गाइड बुकलेट 424005, होम विजीट 59194, supportive appliances 4068 सुविधा प्रदान किया गया। वयोवृद्ध दिवस सभी संचालित जिलों द्वारा मनाया गया, जिसमें वृद्धजनों को निःशुल्क वाकर एवं वाकिंग स्टिक बांटे गये। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए विशेष कार्ड (पीला कार्ड) प्रदाय कर निःशुल्क ओपीडी सेवायें दी जा रही है।

राज्य में ''माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा को राज्य के प्रत्येक जिलों में लागू किया गया है एवं सभी जिलों में वृद्धजनों हेतु जिला चिकित्सालयों में पृथक से ओपीडी सुविधा की व्यवस्था की गई है।

15.13 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा :– प्रदेश की जनता को आकस्मिक दुर्घटनाओं में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए 300 चिकित्सा सुविधा से सुसज्जित 108 संजीवनी एक्सप्रेस के नाम से निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा कंर्सोटियम ऑफ JAES संस्था द्वारा 300 एम्बुलेसों के माध्यम से प्रदाय की जा रही है, जिसमें 30 ALS (एडंवास लाइफ सपोर्ट) एम्बुलेंस भी शामिल है।

108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है तथा एम्बुलेंस का परिचालन 24 घंटे 365 दिन किया जाता है। शुरूआत से 30 सितंबर 2022 तक कुल 27,77,348 मरीजों का 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुॅचा कर सेवा प्रदाय किया गया।

तालिका 15.10 बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23 (सितम्बर 2022 की स्थिति में
ओपीडी	1500353	1058032
आईपीडी	69604	65808
लैब सुविधा	605778	440524
फिजियोथेरेपी सुविधा	100769	79417
पीला कार्ड/फिटनेस गाइड बुकलेट	611817	424005
होम विजीट	31162	59194
Supportive appliances	16562	4068

15.14 महतारी एक्सप्रेस सेवा :– छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का लाभ लेने हेतु 102 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस योजना का आरंभ किया। छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 23 अगस्त 2013 को 21 एम्बुलेंस के साथ बिलासपुर जिले से इस सेवा की शुरूआत की गयी। तत्पश्चात् वर्तमान में 324 एम्बुलेंसों का परिचालन 24 घंटे 365 दिन किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का प्रसव संबंधी सहायता, प्रसव पूर्व जॉच, नसबंदी एवं 01 वर्श के बीमार नवजात शिशुओं हेतु निःशुल्क 102 महतारी एक्सप्रेस सेवा का लाभ टोल फ्री नम्बर 102 पर कॉल कर लिया जा सकता है। शुरूआत से 30 सितंबर 2022 तक 63.33 लाख हितग्राहिओं को सेवा प्रदान किया गया है।

15.15 चिरायु योजना (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) :– चिरायु कार्यक्रम अंतर्गत 0–6 सप्ताह की आयु के नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण डिलवरी प्वाइंट के स्टॉफ द्वारा, 06 सप्ताह से 06 वर्ष की आयु क बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से तथा 6–18 वर्ष की आयु के बच्चों का शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से चिरायु दलों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं 44 बीमारियों के अंतर्गत चिन्हित बच्चों को उच्च संस्था में उपचार हेतु संदर्भन किया जाता है।

वर्ष 2022–23 (April to Sep 22) में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिरायु दलों के द्वारा कुल 19,951 स्कूलों तथा 39,608 आंगनबाडी केन्द्रों का भ्रमण कर कुल 30,24,569 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 466656 बच्चे बीमारी से ग्रसित पाये गये एवं 4,35,578 बच्चों का सफल उपचार किया गया है तथा 31,042 बच्चों को उच्च स्वास्थ्य संस्था में उपचार हेतु संदर्भित किया गया है।

समूह 'A' में 1002, समूह 'B' में 14213, समूह 'C' में 8,142, समूह 'D' में 3087 बच्चों का सफल उपचार RBSK अंतर्गत किया गया है।

15.16 डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना :–

15.16.1 योजना का उद्देश्य – योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा तक पहुंच में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की संख्या में विस्तार किया गया है। साथ ही पूर्व की योजनाओं के अंतर्गत अलग–अलग पात्रता मापदंड एवं प्रक्रियाओं, जिनके कारण मरीजों को उपचार हेतु औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए भटकना पड़ता था, को सरल बनाकर उपचार प्राप्त करने की आसान प्रक्रिया सुनिश्चित किया गया है।

15.16.2 योजनाओं का एकीकरण राज्य में मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) आदि योजनाओं को एकीकृत कर माह जनवरी 2020 से डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के साथ राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित है।

15.16.3 डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:– योजनांतर्गत् पंजीकृत अस्पतालों में योजना के निर्धारित पैकेज अंतर्गत् भर्ती होने की दशा में अन्त्योदय व प्राथमिकता के राशन कार्डधारी परिवारों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत् सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना (SECC) में निर्धारित वंचित श्रेणी (Deprived category) के अनुसार कुल 62 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष रू. 5 लाख तक नगद–रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध है। शेष सभी प्रकार के अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को रू. 50 हजार तक के नगद–रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

15.16.4 योजनांतर्गत् उपचार हेतु पात्रता के विभिन्न आधार – मरीज/हितग्राही निम्न आधार पर निःशुल्क ई–कार्ड बनवाकर उपचार सुविधा प्राप्त कर सकते हैं:–

- नवीनीकृत राशन कार्ड के माध्यम से।
- ऐसे हितग्राही जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है किंतु वे यदि आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत् पात्र परिवारों की सूची में शामिल हैं, तो वे सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में दर्ज एच.एच.आई.डी. नंबर या आयुष्मान भारत योजना के पी.एम. लेटर के माध्यम से।

- ऐसे परिवार/हितग्राही जो पूर्व में योजना का लाभ ले चुके हैं या फिर जिनके पास योजनांतर्गत् पूर्व में निर्मित ई–कार्ड उपलब्ध है, तो वे इस ई–कार्ड के माध्यम से।
- ऐसे परिवार/हितग्राही जिनके पास राशनकार्ड/सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में दर्ज एच.एच. आई.डी./आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत् पी.एम. लेटर/पूर्व में निर्मित ई–कार्ड कुछ भी उपलब्ध न हो तब भी वे अपने नाम से search करा कर योजनांतर्गत् लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

➢ **अस्पतालों का नेटवर्क** – योजनांतर्गत हितग्राही मरीज के लिए पंजीकृत शासकीय या निजी अस्पताल में पात्रतानुसार नगद–रहित उपचार की सुविधा है। राज्य में योजनांतर्गत् कुल 1,554 अस्पताल पंजीकृत हैं जिनमें से शासकीय अस्पताल 1,008 एवं निजी अस्पताल 546 हैं। ई–कार्डधारक हितग्राही देश में योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकता है।

योजनांतर्गत माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक रू. 970.02 करोड़ की राशि के 9.03 लाख से अधिक क्लेम एवं अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक रू. 652.36 करोड़ की राशि के 6.26 लाख से अधिक क्लेम किए जा चुके हैं।

15.17 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

15.17.1 राज्य में एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम :– राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नाको, नई–दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति की स्थापना वर्ष 2002 में की गयी। राज्य में एच.आई.वी. पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए सत्त रूप से अनेकों कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें क्रमशः 147 आई.सी.टी.सी. (समेकित परामर्श एवं जांच केन्द्र) केन्द्र, एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर लगभग सभी केन्द्रों मे एफ.आई.सी.टी.सी के माध्यम से एच.आई.वी. की जांच की सुविधा उपलब्ध है। 31 एस.टी.आई. (यौन रोग उपचार) केन्द्र, 08 ए.आर.टी. केन्द्र, 18 लिंक ए.आर.टी. केन्द्र, 33 ब्लड बैंक, 44 लक्षित हस्तक्षेप 06 लिंक वर्कर परियोजनाएं संचालित की जा रही है।

वर्ष 2007 से अक्तूबर 2022 तक कुल 67,47,668 लोगों को एच.आई.वी. जांच की सुविधा प्रदान की गयी जिसमें कुल 39,939 लोग एच.आई.वी. संक्रमित पाए गये। एच.आई.वी पाजीटीव का प्रतिशत 0.58% है।

राज्य के सभी एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों को वर्ष 2006 के पश्चात ए.आर.टी. की सुविधा प्रदान करने हेतु 05 ए.आर.टी. केन्द्र क्रमशः डॉ.बी.आर. अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय मेकाहारा रायपुर, सिम्स बिलासपुर, महारानी चिकित्सालय जगदलपुर, जिला चिकित्सालय दुर्ग एवं सरगुजा में स्थापित किये गये थे। मार्च 2021 से राज्य में तीन नये ए.आर.टी. केंद्र कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिलों में प्रारम्भ किये जा चुके है। वर्तमान में कुल 08 ए.आर.टी.केंद्र राज्य में संचालित है।

कुल एच.आई.वी. संक्रमित लोगों में से 33,757 लोग ए.आर.टी. केन्द्र में पंजीकृत हुए हैं। जिनमें से आवश्यकतानुरूप 17,461 लोगों को माह अक्टूबर 2022 तक ए.आर.टी. की दवा निःशुल्क प्रदाय की जा रही है।

15.17.2 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण :–

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फेस–1 (1992–1999)

- प्रथम चरण में मुख्यतः राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के द्वारा प्रचार–प्रसार करते हुए राज्यों में एच.आई.वी. की रोकथाम के लिए प्रयास किये गये।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फेस–2 (1999–2007)

- द्वितीय चरण में मुख्य रूप राज्यों में राज्य एड्स नियंत्रण समितियों का गठन किया गया।
- राज्य समितियों द्वारा कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण एवं सहभागिता बढ़ायी गयी।
- स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से उच्च जोखिम समूहों (एच.आर.जी.) के व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास प्रारम्भ किया गया।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फेस–3 (2007–2012)

- तृतीय चरण में नए संक्रमणों की रोकथाम।
- एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों की सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित करना।
- उच्च जोखिम समूहों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फेस–4 (2013–2021)

- इस चरण में नये संक्रमण को शून्य के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया तथा कम

से कम 90% एच.आई.वी संक्रमित लोगों के ए.आर.टी केन्द्रों में पंजीकृत कराना और आवश्यकता अनुरुप ए.आर.टी. की दवा उपलब्ध कराना एवं अन्य विभागों के सम्मलित प्रयासों से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराना।

- चतुर्थ चरण में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई–दिल्ली भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 तक के लिये 95–95–95 का लक्ष्य दिया गया है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फेस–5 (2021):

- इस चरण में ए.आर.टी केन्द्रों में शत प्रतिशत मरीजों को पंजीकृत कराना और आवश्यकता अनुरुप ए.आर.टी. की दवा उपलब्ध कराना है, साथ ही एच.आई.वी एक्ट को लागु करते हुये भेदभाव रहित वातावरण निर्मित करना है।

तालिका 15.11 छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अर्न्तगत वर्तमान में उपलब्ध सेवाएं

केंद्र	संख्या	स्थान
एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र (ICTC)	147	छह मेडिकल कॉलेज में – 12 (रायपुर–3, बिलासपुर–2, जगदलपुर–1, राजनांदगांव–1, रायगढ़–1, अंबिकापुर–1), जिला अस्पताल – 26 सामुदायिक स्वा.केंद्र – 95 सिविल अस्पताल – 9, प्राथमिक स्वा. केंद्र – 4, शहीद अस्पताल – 1,
चलित समेकित परामर्श एवं जांच केंद्र	03	दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़
ए.आर.टी. केंद्र	08	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़
लिंक ए.आर.टी. केंद्र	18	दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बालौद, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, बलोदा बाज़ार, मुंगेली, कोरिया, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, जशपुर, केंद्रीय जेल रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर, ICC बिलासपुर जिला अस्पताल
केयर एंड सपोर्ट सेंटर	03	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर
ब्लड बैंक (नाको सहायतित)	33	जिला अस्पताल – 23 मेडिकल कालेज – 7, रेड क्रॉस, रायपुर – 1
रक्त संग्रहण हेतु मोबाईल वेन	02	मेडिकल कॉलेज रायपुर द्वारा संचालित
ब्लड ट्रांसपोर्टशन वेन	04	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर
शा. एस.टी.डी. क्लिनिक	31	मेडिकल कॉलेज – 6 जिला अस्पताल – 24 सिविल अस्पताल –01
एन.जी.ओ. (लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम) (शहरी क्षेत्रों में कार्यरत)	44	राज्य के 20 जिलों में संचालित (सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा एवं बलरामपुर जिलों में संचालित नहीं है।
लिंक वर्कर स्कीम (ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत)	06 कुल–50 एन.जी.ओ. (लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम)	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव
OST सेंटर	06	बिलासपुर.–2, दुर्ग, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर

तालिका 15.12 वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु नई सुविधायें		
ए.आर.टी.केंद्र (शासकीय)	03	* राज्य में तीन नये ए.आर.टी. केंद्र **कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़** जिलों में मार्च 2021 में खोले जा चुके हैं।
ए.आर.टी. केंद्र (गैर सरकारी)	02	राज्य में दो गैर सरकारी ए.आर.टी. केंद्र रिम्स (RIMS) एवं शंकराचार्य मेडिकल कालेज में खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

तालिका 15.13 राज्य में एच.आई.वी.की अघतन स्थिति	
छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी.की अद्यतन स्थितिः– (वर्ष 2007 से अक्टूबर 2022 तक)	
कुल एच.आई.वी. जांच की संख्या (वर्ष अगस्त 2007 से अक्टूबर **2022** तक)	67,47,668
कुल एच.आई.वी. पॉज़िटिव की संख्या (वर्ष अगस्त 2007 से अक्टूबर **2022** तक)	38,939
छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी.की अद्यतन स्थितिः– (अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2022 तक)	
एच.आई.वी. जांच की संख्या (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	5,58,424
एच.आई.वी. पॉज़िटिव की संख्याः (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	1664
कुल ए.एन.सी. जांच (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	3,01,769
कुल ए.एन.सी. पॉज़िटिव (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	218
पॉज़िटिव महिलाओं का प्रतिषत (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	41 %
पॉज़िटिव पुरुषों का प्रतिशत (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	59 %
सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	24-49
सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग का प्रतिशत (25–49) (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	72%
कुल ए.एन.सी. पॉजिटिव का ए.आर.टी. में पंजीयन एवं उपचार (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	80 %
राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान का प्रतिशत (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	40 %
कुल संभावित टी.बी. मरीजों का रेफरल (अप्रैल से अक्टूबर **2022** तक)	9712(7.2%)
छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी.की अद्यतन स्थितिः– (वर्ष नवम्बर 2007 से अक्टूबर 2022 तक)	
HIV Care के लिये ARTC में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या (वर्ष नवम्बर 2007 से अक्टूबर **2022**)	33,757
HIV Care के लिये अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या (वर्ष नवम्बर 2007 से अक्टूबर **2022**)	17,461
जो मरीज अब उपचार नही ले रहें है, उनकी संख्या (on ART , Pre ART ,Opted Out) (वर्ष नवम्बर 2007 से अक्टूबर **2022**)	8343
HIV Care के लिये ARTC में कुल पंजीकृत मरीजों की मृत्यु संख्या (वर्ष नवंबर 2007 से अक्टूबर **2022**)	7953

तालिका 15.14 वर्षवार एच0आई0वी जांच एवं पाजिटिव का विवरण (कलेन्डर वर्ष)			
वर्ष	एचआईवी जांच संख्या	एचआईवी पॉजिटिव संख्या	प्रतिशत दर
2007	25048	1119	4.47%
2008	51333	1508	2.94%
2009	108479	2184	2.01%
2010	147482	2287	1.55%
2011	144287	2563	1.78%
2012	208522	2910	1.40%
2013	251547	2838	1.13%
2014	283346	3146	1.11%
2015	346083	2894	0.84%
2016	494850	3041	0.61%
2017	703788	3301	0.47%
2018	867040	2829	0.33%
2019	1128476	3229	0.29%
2020	874498	2123	0.24%
2021	958528	2373	0.25%
2022 (sep)	558424	1788	0.32%
Total	**6747668**	**38939**	**0.58%**

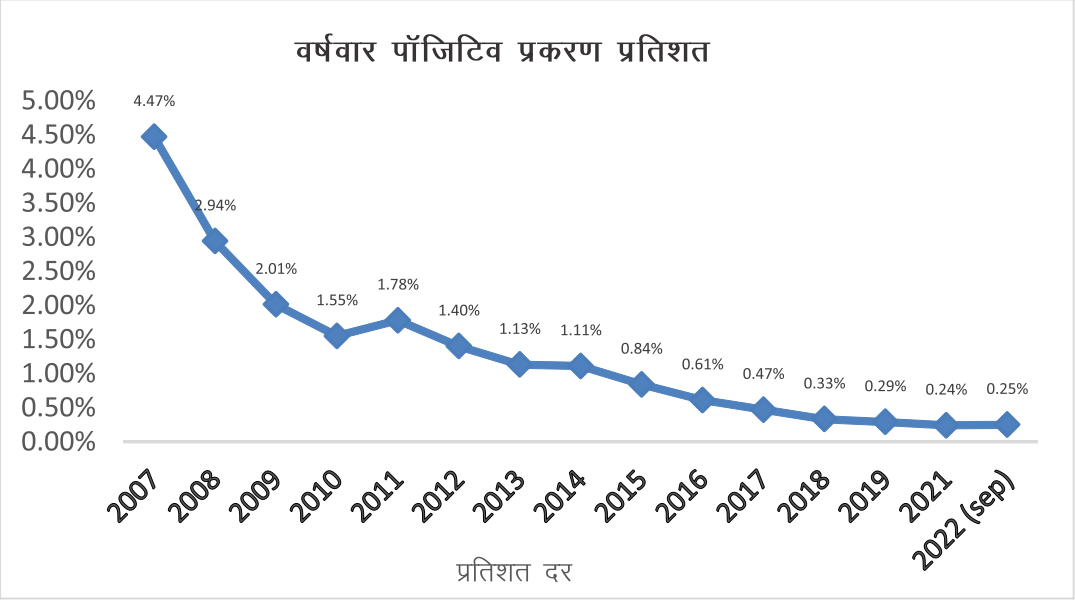

महिला एवं बाल विकास विभाग

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण दायित्व महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया है। एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण के साथ–साथ महिलाओं और बच्चों से संबंधित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी विभाग के पास है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम एवं योजनाएं गुणवत्ता उन्नयन, सामुदायिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, सहभागिता एवं प्रभावी पहुँच पर केन्द्रित हो रही है। विभाग, महिलाओं एवं बच्चों के विकास के मुद्दे के साथ–साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। बच्चों को सुपोषण की दिशा में निरंतर अग्रसर कर बेहतर पीढ़ियों के निर्माण करने के लिए विभाग निरंतर कार्य कर रहा है।

15.18 समेकित बाल विकास सेवा योजना :– भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ 02 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया।

15.18.1 समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य :–

- बच्चों के उचित मानसिक (मनोवैज्ञानिक) शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना।
- 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
- मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रूग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
- उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

15.18.2 समेकित बाल विकास परियोजना की सेवायें :–समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित छः सेवायें प्रदान की जाती है :–

तालिका 15.15 समेकित बाल विकास परियोजना की सेवायें:–		
क्र.	सेवा	हितग्राही
1	टीकाकरण	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, किशोरी बालिकाएँ एवं 0–6 वर्ष तक के समस्त बच्चे।
2	स्वास्थ्य जॉच	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, धात्री माताएँ, 0–6 वर्ष तक के बच्चे तथा किशोरी बालिकायें।
3	संदर्भ सेवाएँ	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के 0–6 वर्ष तक के गम्भीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलायें/शिशुवती माताएँ।
4	पूरक पोषाहार	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, शिशुवती मातायें, 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे
5	स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त 15–45 साल की महिलायें, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं किशोरी बालिकायें।
6	शाला पूर्व शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की, 03–06 वर्ष तक के समस्त बच्चे

आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदण्ड:–

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केन्द्र :

1. 400–800 जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र
2. 800–1600 जनसंख्या पर – 2 आंगनबाड़ी केन्द्र
3. 1600–2400 जनसंख्या पर – 3 आंगनबाड़ी केन्द्र

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :

150–400 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

आदिवासी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र :

300–800 जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र

मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :

150–300 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

15.19 आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण :– आईसीडीएस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए सुदूर अंचलों में स्थित बसाहटों में भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत परियोजनाओं एवं केंद्रों की स्थिति निम्नानुसार है–

तालिका 15.16 आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण								
क्र.	केंद्र/परियोजना	छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व स्वीकृत	प्रथम चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2005–06)	द्वितीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2007–08)	तृतीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2010–11) एवं 2011–12	सर्वव्या–पीकरण के तहत नवीन स्वीकृत आं.बा./मिनी आं.बा. केन्द्र	कुल स्वीकृत	वर्तमान में संचालित
1.	बाल विकास परियोजना	152	06	05	57	0	220	220
2.	आंगनबाड़ी केंद्र	20289	9148	5500	8826	2967	46660	46059
3.	मिनी आंगनबाड़ी केंद्र	836	0	1483	4229	532	5814	5644
	योग (2+3)	**21125**	**9148**	**6983**	**13055**	**3499**	**52474**	**51703**

15.20 वजन त्यौहार :– कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्ययोजना बनाने के लिए 05 वर्ष तक के बच्चों का डाटा बेस तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से वजन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। वजन त्यौहार वर्ष 2022 के अनुसार कुपोषण की दर 17.76 प्रतिशत पर आ गई है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में कुपोषण की दर में 2.1 प्रतिशत् की कमी आई है। राज्य शासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों से कुपोषण मुक्ति की दिशा में अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (2015–16) के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 37.7 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (2020–21) के अनुसार घटकर 31.3 प्रतिशत रह गई है। इस प्रकार कुपोषण की दर में लगभग 6.4 प्रतिशत् की कमी आई है।

उम्र के अनुसार वजन की स्थिति पर एनएफएचएस–5 और सीएनएनएस के आंकड़ों का विशलेषण करते हैं तो 2018 में राज्य में 40 प्रतिशत् कुपोषण दर्शाया गया था। एनएफएचएस–5 के प्रतिवेदन में कुपोषण 31.3 प्रतिशत् पाया गया है। स्पष्ट है कि 2018 से 2021 के मध्य कुपोषण में 8.7 प्रतिशत् की कमी हुई है। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 (एनएफएचएस–4) में कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 35.8 प्रतिशत् था जबकि छत्तीसगढ़ में 37.7 प्रतिशत् कुपोषण था। वर्तमान एनएफएचएस–5 में कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 32.1 प्रतिशत् है जबकि छत्तीसगढ़ में कुपोषण 31.3 प्रतिशत् है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से ऊपर आ गया है।

15.21 मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना :– मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्ट बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं, आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।योजना अंतर्गत वर्ष 22–23 में सितम्बर माह तक लगभग 42,737 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

15.22 शुचिता योजना :–

- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2017 को बालिका दिवस के अवसर पर शुचिता योजना का शुभारंभ किया गया।
- शुचिता योजना का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ अंचलों की स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत की सेनेटरी नेपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त उपयोग में आये नेपकिन को भस्मक मशीन द्वारा सुरक्षित तरीके से नष्ट करना है।
- शुचिता योजना अंतर्गत शासकीय शालाओं में जहां कन्याएँ अध्ययनरत है, सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन तथा इंसीनीरेटर की स्थापना, साथ–साथ 10,000 नेपकिन की निःशुल्क आपूर्ति तथा 01 वर्ष तक मशीनों के रखरखाव एवं निःशुल्क सर्विस सेंटर का प्रावधान किया गया है।
- शुचिता योजना का विस्तार करने महाविद्यालयों तथा हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भी इकाईयॉ स्थापित की जाएगी।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में प्रावधानित राशि रूपये 1,100 लाख में से 1,000 हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में सेनेटरी वेंडिग मशीन एवं भस्मक इकाईयां स्थापित किया गया है।
- आगामी चरण में शत्–प्रतिशत् शालाओं में कन्या महाविद्यालयों में स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

15.23 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी.) :– किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित सबला योजना एवं किशोरी शक्ति योजना को भारत शासन द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी) से प्रतिस्थापित किया गया है। इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष आयु समूह की शाला त्यागी बालिकाओं को पोषण आहार एवं गैर पोषण आहार सेवाओं से लाभान्वित किया जाना है।

भारत शासन द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशानुसार योजना अंतर्गत गैर पोषण आहार घटक का मुख्य उद्देश्य 11 से 14 वर्ष आयु समूह की शाला बाह्य बालिकाओं को शाला में प्रवेश/कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करना है। गैर पोषण आहार घटक अंतर्गत किशोरी बालिकाओं हेतु निम्नलिखित सेवाएं प्रदान किया जाना है :–

1. आयरन एवं फॉलिक एसिड अनुपूरण।
2. हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज।
3. पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा।
4. शाला बाह्य किशोरी बालिकाओं को शाला प्रवेश, ब्रिज लर्निंग/कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ना।
5. जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन इत्यादि।
6. सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच (Counselling Guidance on accessing public services) हेतु परामर्श/मार्गदर्शन। यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित है।

15.24 संस्कार अभियान :– महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ECCE) प्रदाय हेतु **''संस्कार अभियान''** संचालित किया जा रहा है। संस्कार अभियान के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था की सभी उप अवस्थाओं अर्थात गर्भावस्था, जन्म से 03 वर्ष एवं 03 से 06 वर्ष आयु समूह को शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत क्षमता विकास, संसाधन सामग्री का विकास, वातावरण निर्माण, अनुश्रवण तंत्र एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदाय संबंधी घटकों को शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय किये जाने हेतु बाल केन्द्रित एवं आयु आधारित पाठ्यचर्या विकसित की गई है। इस पाठ्यचर्या में बाल विकास के विविध क्षेत्रों यथा शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक विकास, सामाजिक विकास, शाला पूर्व पढ़ने एवं लिखने की तैयारी तथा शाला पूर्व गणित का विकास शामिल है। पाठ्यचर्या के साथ 360 शाला पूर्व गतिविधि युक्त गतिविधि कोष भी तैयार किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु 52 सप्ताह के लिए एक सुव्यवस्थित समय सारिणी बनायी गयी है। जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को सभी आवश्यक विकास क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों का अनुभव प्राप्त होगा। एक विषयवस्तु से विविध अवधारणाएं सीखने का अवसर प्रदान करने हेतु थीम पुस्तिका तैयारी की गई है। 03 से 06 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चे का सतत् समग्र मूल्यांकन करने हेतु आयु आधारित आकलन पत्रक भी विकसित किये गये हैं।

संस्कार अभियान अंतर्गत विभागीय अमले की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा विषय पर क्षमता निर्माण हेतु व्यापक क्षमता विकास रणनीति निर्धारित की गई है।

15.25 मुख्यमंत्री सुपोषण योजना :–

6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 02 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रदेश के सभी 27 जिलों में प्रारंभ किया गया। वर्तमान में यह अभियान प्रदेश के समस्त जिलों में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के नाम से संचालित है।

योजनांतर्गत हितग्राहियों को पौष्टिक आहार, परामर्श सेवाएं एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को गरम भोजन एवं अन्य पौष्टिक आहार यथा– अण्डा, दूध, लड्डू, चिकी आदि प्रदान किया जा रहा है। योजना का संचालन जिला स्तर पर जिले में उपलब्ध जिला खनिज न्यास निधि, सी.एस.आर. मद, जनसहयोग एवं जिले में उपलब्ध अन्य निधि से किया जा रहा है। योजनांतर्गत स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर योजना का संचालन किया जाता है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 2022 तक लगभग 5 लाख 20 हजार हितग्राहियों को गर्म भोजन एवं अन्य पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया है। योजना प्रारंभ से माह सितम्बर 2022 तक लगभग 2 लाख 45 हजार बच्चे कुपोशण से मुक्त हुये हैं।

15.25.1 पूरक पोषण आहार कार्यक्रमः–

3–6 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे :–

- आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य मध्यम व गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन में चावल, रोटी, मिक्स दाल, सब्जी व गुड़ तथा सप्ताह में तीन दिन नाश्ते में रेडी टू ईट फूड का हलुवा, व तीन दिन पोहा का वितरण किया जा रहा है।

- नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन में शामिल कच्ची सामग्री (चावल छोड़कर) शेष सामग्री का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश में लगभग 17,844 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा नाश्ता तथा गर्म भोजन का प्रदाय किया जा रहा है।

6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाएँ :–

- टेक होम राशन अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है। 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं मध्यम कुपोषित बच्चों को 125 ग्राम तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को 150 ग्राम के मान से रेडी टू ईट प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) प्रदाय किया जा रहा है।

- रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर द्वारा किया जा रहा है।

- पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 6 माह से 3 वर्ष आयु के लगभग 10.77 लाख बच्चों, 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के लगभग 8.29 लाख बच्चों तथा लगभग 4.38 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को, इस प्रकार लगभग कुल 23.44 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है।

15.25.2 पोषण अभियान :–

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक वृहत अभियान के रूप में राज्य के सभी जिलों में **पोषण अभियान** का शुभारंभ किया गया है। वर्तमान में दिनांक 01.08.2022 को भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान को नवीन स्वरूप सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में लागू किया गया है ।

- पोषण अभियान का उद्देश्य – बच्चों किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के कुपोषण एवं एनीमिया के दर में कमी लाना है ।

पोषण अभियान के मुख्य बिन्दु :–

- **आईसीटी–आरटीएम (पोषण ट्रेकर एप्प) के माध्यम से डाटा संप्रेषण :–** इस घटक के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों को मोबाईल प्रदाय कर आंगनबाड़ी के समस्त सूचकांको का प्रेषण व अनुश्रवण की व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर एप्प मोबाईल फोन आधारित एप्लीकेशन तैयार किया गया है जो आंगनबाड़ी केन्द्र के रिपोर्टिंग को डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान करता है। यह एप्प आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा संधारित पंजी के स्थान पर डिजिटल रिकार्ड का

काम करेगा। पोषण ट्रेकर पोर्टल अंतर्गत डैशबोर्ड के माध्यम से राज्य जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिए जाने वाले सेवाएँ, पोषण की स्थिति आदि जानकारी प्राप्त किया जा रहा है । पोषण ट्रेकर एप्प के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 13 जून 2022 से 17 जून 2022 तक किया गया । उक्त प्रशिक्षण में NeGD भारत सरकार के रिसोर्स पर्सन द्वारा समस्त जिलों के 154 मास्टर ट्रेनर्स (चयनित परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं जिला समन्वयक) को प्रशिक्षित किया गया । पोषण ट्रेकर एप्प के नवीन वर्जनों पर समय–समय पर ऑनलाईन द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

- **विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण (Convergence)** :– अंतर्विभागीय अभिसरण का उद्देश्य विभिन्न विभागों के माध्यम से बच्चों, किशोरी बालिकाएँ, गर्भवती, धात्री महिला एवं कुपोषण एवं एनीमिया में कमी लाने हेतु अभिसरण गतिविधियां करते हुए इस अभियान के माध्यम से कुपोषण दूर करने के लक्ष्य है । इस हेतु राज्य, जिला व विकासखण्ड स्तर पर अभिसरण बैठक का आयोजन किया जा रहा है । राज्य स्तर पर सहयोगी विभागों के नोडल अधिकारियों एवं डेव्हलपमेंट पार्टनर जैसे – युनिसेफ, वर्ल्ड विजन, न्यूट्रिशन इन्टरनेशनल, एविडेन्स एक्शन, अंतरा फॉउंडेशन आदि के साथ अभिसरण बैठक अंतर्गत गतिविधियों की समीक्षा एवं कार्ययोजना तैयार कर गतिविधियॉ क्रियान्वित किया जा रहा है । माह सितम्बर 2022 में आयोजित पोषण माह में सभी सहयोगी विभागों का सक्रिय सहभागिता प्राप्त हुआ ।

- **प्रोत्साहन राशि का प्रावधान (Incentive)**:– पोषण अभियान के आईसीटी–आरटीएम घटक अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किए जाने पर प्रतिमाह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर राशि रू. 500/– तथा सहायिकाओं को राशि रू. 250/–प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

- **जन आंदोलन (Public Movement - BCC - IEC)**:– पोषण अभियान के घटक जनआंदोलन का रूप देकर समुदाय की सहभागिता से कुपोषण से सुपोषण की ओर यात्रा का व्यापक स्वरूप दे रहा है। वर्ष 2022–23 अंतर्गत कुल 7,08,740 गतिविधि आयोजित की गई जिसमें कुल 2,25,45,647 प्रतिभागी शामिल हुए। विभिन्न

गतिविधियों का आयोजन किया गया । जैसे – राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं मैदानी स्तर पर साईकल रैली, एनिमिया कैम्प, सुपोषण रथ के माध्यम से प्रचार–प्रसार, ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों की बैठक, मातृवंदन सप्ताह गतिविधियॉ, पुरूषों की सहभागिता संबंधी गतिविधियॉ, बाल संदर्भ शिविर, छत्तीसगढ़ योग आयोग के साथ ऑनलाईन प्रशिक्षण, युनिसेफ एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर ऑनलाईन प्रशिक्षण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से सुरक्षित पेयजल एवं जल संचयन पर ऑनलाईन प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग के सहयोग से पोषण भी पढ़ाई भी पर ऑनलाईन वेबीनार का आयोजन किया गया । वृक्षारोपण, स्व–सहायता समूह की बैठक, पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता, गृहभेंट एवं परामर्श, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएँ, वीएचएसएनडी के माध्यम से जागरूकता, गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन, कृषक समूह की बैठक, नारे लेखन, योग गतिविधियॉ, युवक समूह बैठक, पोषण रैली, सुपोषण चौपाल, स्थानीय त्योहारों को जोड़ते हुए गतिविधियॉ आदि ।

- **पोषण वाटिका** – उद्यानिकी, आयुष एवं पंचायत विभाग के साथ अभिसरण करते हुए राज्य में 17,376 आंगनबाड़ी केन्द्रों में, 3838 शासकीय भवनों में, 28,741 गांव/शहर के उपयुक्त स्थानों में एवं 87,160 घरों की बाड़ियों/छतों में पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया गया है।

15.26 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) :– 'अल्प पोषण' माँ एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। गर्भावस्था में काम नहीं कर पाने के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपायी, पर्याप्त विश्राम तथा अच्छे पोषण हेतु भारत शासन महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से पूरे देश में एक साथ लागू की गयी है।

योजनान्तर्गत 5,000/– रू. की सहायता राशि तीन किश्तों में क्रमशः गर्भ का पता चलने पर पंजीयन पश्चात् 1,000/– रू., 6 माह में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच उपरांत 2,000/– रू. तथा बच्चे के जन्म एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात् 2,000/– रू. की राशि सीधे ही हितग्राही को उनके खाते के माध्यम से दी जाती है। यह केवल प्रथम जीवित जन्म के लिए लागू है।

- राज्य में 28 जिलों के 220 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक 62,461 हितग्राहियों को कुल राशि रूपये 25.57 करोड़ का भुगतान किया गया है।

15.27 नोनी सुरक्षा योजना :– जनगणना वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ के बाल लिंगानुपात 1000:975 था जो जनगणना वर्ष 2011 में घटकर 1000:969 हो गया है। राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए ''नोनी सुरक्षा योजना'' शीर्षक से योजना दिनांक 01.04.2014 से लागू की गई है।

15.27.1 उद्देश्य :–

- प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना एवं बाल विवाह की रोकथाम करना है।

- छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 01 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी अधिकतम दो बालिका योजनांतर्गत लाभ की पात्र है।

- योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12 वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 01 लाख रूपये परिपक्वता राशि दी जायेगी।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक की स्थिति में 5,096 हितग्राहियों को योजना अंतर्गत पंजीकृत किया जा चुका है।

15.28 सखी–वन स्टॉप सेंटर :– घर के भीतर अथवा घर के बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित व संकटग्रस्त महिला को आवश्यकतानुसार सुविधा/सहायता तत्काल उपलब्ध कराते हुए जरूरतमंद महिला को चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा, परामर्श सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना।

- छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत एवं संचालित है। वित्तीय वर्श 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक इन केन्द्रों में कुल 3,336 प्रकरण दर्ज किये गये जिसमें से 2,600 प्रकरणों का निराकरण तथा 1,419 प्रकरणों में आश्रय प्रदान किया गया है।

15.29 महिला हेल्पलाईन 181 :– महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा/घटना के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उददेश्य से 181 महिला हेल्पलाईन का राज्य में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर अथवा अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय करना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाईन 181 का संचालन वर्ष 2016 से ही प्रारंभ किया गया है । वित्तीय वर्श 2022–23 में सितम्बर 2022 तक 1,680 प्रकरण दर्ज किये गये जिसके विरूद्ध में 882 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

- टोल फ्री नंबर 181 पर किसी भी सेवा प्रदाता के लैंडलाईन या मोबाईल नं. से 181 डॉयल किया जा सकता है। इसके अलावा वेबसाईट, ईमेल, फेसबुक, टिवट्र, व्हाटसएप इत्यादि माध्यमों से राज्य के किसी भी कोने से कोई भी महिला/बालिका सहायता की मांग कर सकती है। यह निःशुल्क सेवा है।

15.30 नवाबिहान योजना :– घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रावधानों के अनुरूप घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार परिवहन, चिकित्सा, आश्रय एवं पुनर्वास तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में नवाबिहान योजना संचालित है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाता की नियुक्ति की गई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक की अवधि में कुल 1,588 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 768 प्रकरणों का डी.आई.आर. तैयार किया गया एवं 730 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

15.31 मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता केन्द्र :– छत्तीसगढ़ में मानसिक बीमार एवं अवसादग्रस्त महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप इस तरह की महिलाओं/किशोरी बालिकाओं को समय–समय पर आवश्यकतानुसार परामर्श, सुरक्षा, संरक्षण तथा सहयोग उपलब्ध कराया जाकर मानसिक बीमार महिलाओं का समाजीकरण किये जाने हेतु रायपुर में आश्रयगृह संचालित किया जा रहा है। आश्रय गृह का संचालन लार्ड बुद्धा एजुकेशन सोसायटी के द्वारा वर्श 2014 से किया जा रहा है। आश्रय गृह की स्वीकृति क्षमता 50 महिलाओं की है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 86 महिलाओं एवं 01 बच्चे को आश्रय सुविधा प्रदान किया गया। वर्ष 2021–22 में सितंबर तक 66 महिलाओं को आश्रय प्रदान किया गया है।

15.32 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :– भारत शासन द्वारा लिंगानुपात दर में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करने, बालिकाओं की उत्तरजीविता व उनकी सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित

करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की औसत दर से 943 से निम्न स्तर पर आने वाले पूरे देश के 100 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दिनांक 22 जनवरी 2015 से लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022–23 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। इस संबंध में वर्ष 2022–23 के अनुपूरक अनुदान में 1.60 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

15.33 छत्तीसगढ़ महिला कोष अन्तर्गत ऋण योजना :–

महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने, महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपाय करने तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, सुदृढ़ीकरण एवं आर्थिक गतिविधि के लिए वित्तीय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत दिनांक 2.2.2002 को किया गया है ।

- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व–सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ''ऋण योजना'' का संचालन दिनांक 15.8.03 से किया जा रहा है। योजनांतर्गत स्व–सहायता समूहों को अधिकतम 50000.00 रूपये तक का ऋण प्रथम बार में प्रदाय किया जाता है तथा प्रथम बार प्रदत्त ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर 200000.00 रूपये तक का ऋण द्वितीय बार में प्रदान किया जाता हैं। योजना के तहत यह ऋण 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 में 176 महिला समूहों को ऋण प्रदाय किया गया।

- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में ''सक्षम योजना'' आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तो पर 1.00 लाख रूपये तक का ऋण प्रदाय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से यौन उत्पीड़न, एचआईवी पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) हितग्राही भी इन योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता रखेगी। इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 में 25 महिला हितग्राहियों को ऋण प्रदाय किया गया।

- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में ''स्वावलंबन योजना'' आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत निर्धन वर्ग की ऐसी महिलाओं को जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो कानूनी तौर पर तलाकशुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें है, व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उनके स्वावलंबी बनने का आधार हेतु आय उपार्जन गतिविधि का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से यौन उत्पीड़न, एचआईवी पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) हितग्राही भी इन योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता रखेगी। जिला स्तर पर व्यायवसायिक दक्षता प्रदान करने एवं उनके स्वावलंबी बनने का आधार हेतु आय उपार्जन गतिविधि का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत व्ही.टी.पी. के माध्यम से प्रदाय किया जाता है।

15.34 उज्जवला गृह योजना :– बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण की पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए उज्जवला योजना प्रदेश में संचालित है।

- भारत शासन द्वारा राज्य में बिलासपुर, कोरबा तथा कोरिया में स्वैच्छिक संगठनों को संरक्षण एवं पुनर्वास गृह (पी एण्ड आर होम) संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- इस योजना में केन्द्र शासन, राज्य शासन तथा स्वैच्छिक संगठन का अशंदान का अनुपात 60:30:10 है।

- उज्जवला गृहों में इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक 55 महिलाएं एवं 19 बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया है।

15.35 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :– योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर विवाह कराया जाता है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रूपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। जिसमें 19000 रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 1,000.00 रूपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या

राशि रूपये 5,000.00 तक व्यय की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक 235 कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया।

15.36 मिशन वात्सल्य योजना :– मिशन वात्सल्य का प्राथमिक लक्ष्य है बच्चों के संरक्षण के लिए समर्पित और दक्ष कर्मियों, संरचनाओं और सेवाओं के लिए सुरक्षा तंत्र की स्थापना करना। योजना को कार्यक्रम में तब्दील कर बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण की कल्पना को साकार करना जिसकी अवधारणा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 में दी गई है, जिसके तहत उनके अधिकार सुनिश्चित किये गये है, ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता अनुसार विकास कर सके।

इस योजना का उद्देश्य है ''बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना'' ताकि मुश्किल परिस्थितियों में भी उनका विकास और कल्याण अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जा सके, इन प्रयासो से उन असुरक्षित परिस्थितियों को कम किया जा सकता है जो बच्चों को उनके परिजनों से दूर करती है और बच्चों से दुर्व्यवहार, उनकी उपेक्षा, शोषण का कारण बनती है।

राज्य बाल संरक्षण समिति एवं ईकाई – सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित यह समिति राज्य में बाल संरक्षण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करती है। समिति में बाल संरक्षण/विकास/कल्याण के लिए कार्यरत सभी शासकीय विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।

- **राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण**– राज्य में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के समुचित क्रियान्वयन हेतु यह अभिकरण स्थापित है। दत्तक ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन है। केयरिंग्स पोर्टल के माध्यम से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया संपादित की जाती है। दत्तक ग्रहण हेतु अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाता है। राज्य में दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी कार्यवाहियों का समन्वय इस अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। राज्य में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया या प्रणाली की प्रचालनात्मक के साथ–साथ संभारीय मुददों को हल करने और अवरोधों को मिटाने के लिये सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में शासी निकाय का गठन किया गया है।

- **जिला बाल संरक्षण इकाई** – राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई गठित है। इकाई में बाल संरक्षण/विकास/कल्याण के लिए कार्यरत सभी शासकीय विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।

- **विधि से संघर्षरत तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख कार्यक्रम :–**

किशोर न्याय अधिनियम/मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत राज्य में संस्थागत देखरेख कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। देखेरख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए राज्य में शासकीय एवं अशासकीय बालगृह, खुला आश्रय गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित है जबकि विधि विरूद्ध कार्य करने वाले बालकों के लिए राज्य में शासकीय सम्प्रेक्षण गृह, शासकीय विशेष गृह एवं शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है।

- **बाल सम्प्रेक्षण गृह :–**
- विधि विरूद्ध कार्य करने वाले अण्डर ट्रायल बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल सम्प्रेक्षण गृह में रखा जाता है।
- राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, दंतेवाड़ा, जशपुर रायगढ़ राजनांदगांव तथा महासमुंद में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर में बालिकाओं के लिए सम्प्रेक्षण गृह संचालित है।
- **विशेष गृह :–**
- किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दोषी पाये जाने उपरांत बच्चों को सुधारात्मक उपचार हेतु विशेष गृह में रखने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष आयु तक के ऐसे बालक जिनके विरूद्ध अपराध दोष सिद्ध है किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर विशेष गृह में रखा जाता है।
- वर्तमान में दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में बालिकाओं के लिए विशेष गृह संचालित है।
- **प्लेस ऑफ सेफ्टी :–**
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 की धारा 19(3) के अनुसार विधि विरूद्ध कार्य करने वाले ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जिनके विरुद्ध जघन्य अपराध कारित करने का आरोप है या दोषसिद्ध है तथा 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन पर अपराध कारित करने का आरोप है जो अपराध कारित करते समय 18 से कम आयु

के रहे हों, को किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय के आदेश पर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जा सकता है।

- वर्तमान में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं सरगुजा में बालकों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है।

- **खुला आश्रय गृह** :– घुमन्तू, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे जिन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिलता अथवा संकटग्रस्त ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक है पर बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत नही हैं। ऐसे बच्चों को मुख्यधारा में लाने व दिन–रात आश्रय प्रदान करने हेतु खुला आश्रय गृह बालकों के लिए राज्य के दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कोरबा में तथा बालिकाओं के लिए रायपुर एवं जशपुर में स्वीकृत है।

- **बालगृह** :– देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए आश्रय, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है उन्हें, बालक कल्याण समिति के आदेश पर बालगृह में रखा जाता है। राज्य में 06 शासकीय एवं 37 अशासकीय बालगृह संचालित हैं।

- **विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण**:– अनाथ, परित्यक्त तथा अभ्यर्पित बच्चे जिन्हें दत्तक पर दिया जाना होता है, उन बच्चों के लिए कार्यवाही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा की जाती है। इनकी क्षमता 10 बच्चों की होती है। वर्तमान में राज्य में कुल 13 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण रायपुर एवं बिलासपुर (दो ईकाई), रायगढ़, दंतेवाडा, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर, कवर्धा, जशपुर, बस्तर, कोरबा, राजनांदगांव एवं सरगुजा जिले में संचालित हैं।

- **''चाइल्डलाइन''(1098) द्वारा आकस्मिक सेवा** :– चाइल्डलाइन सुरक्षा एवं देख–रेख के जरूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे आकस्मिक फोन सेवा है जो उन्हें आपातकालीन सेवा एवं दीर्घावधि देख–रेख एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ती है। इस सेवा का प्रयोग कोई भी संकटग्रस्त बच्चा या उसकी ओर से कोई अन्य 1098 (टोल फ्री नं.) पर फोन कर सकता है। वर्तमान में कुल 25 जिलों क्रमशः बलरामपुर, बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, जांजगीर, गरियाबंद, कोण्डागांव, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, नारायणपुर, मुंगेली एवं सरगुजा में चाइल्ड लाईन की सेवाऐं उपलब्ध है, साथ ही रायपुर एवं बिलासपुर 02 स्थानों पर रेलवे चाइल्ड लाइन संचालित है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

छत्तीसगढ़ शासन का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य में भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी मापदण्डों एवं राज्य शासन के अवधारणानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था कराने एवं नगरीय क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य संपादित करता है। विभाग की संक्षिप्त एवं सारगर्भित उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

15.37 ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम – (2022–23) (सितंबर, 2022 की स्थिति में)

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 19,678 ग्रामों के 75,233 बसाहटों में 2,51,042 हैंडपंप, शालाओं में 16,716 एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में 14,577 हैण्डपम्प इस प्रकार कुल 2,82,335 हैण्डपम्प स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राज्य में 4,583 नलजल प्रदाय योजनाएं एवं 2,201 स्थल जलप्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।
- प्रदेश की 44,905 शालाओं एवं 39,448 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।

जल जीवन मिशन :– जल जीवन मिशन की वर्ष 2022–23 की छत्तीसगढ़ राज्य की वार्षिक कार्ययोजना अनुमानित लागत रु. 8,089.88 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 23,57,000 कार्यरत ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022–23 में सितंबर, 2022 की स्थिति में कुल 4,83,034 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है। सितंबर 2022 की स्थिति में कुल 14,94,614 परिवारों को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है एवं सितंबर 2022 की स्थिति में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:–

तालिका 15.16 जल जीवन मिशन

क्र.	विवरण	संख्या	लागत (रु. करोड़ में)	प्रस्तावित FHTC की संख्या
1	सोलर आधारित जल प्रदाय योजना	7413	3212.58	4,71,422
2	रेट्रोफिटिंग/एकल ग्रामीण जल प्रदाय योजना	21011	17414.17	39,24,445
3	स्मूह जल प्रदाय योजना	46	2367.60	5,46,375

- **सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प स्थापना** – सौर ऊर्जा पर आधारित ड्यूल ऑपरेटिंग सोलर पम्प के द्वारा जलप्रदाय का अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम में सोलर पम्प के साथ–साथ नलकूप का उपयोग हैण्डपम्प से भी जल प्राप्त किया जाता है। राज्य में अब तक 5,062 सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प की स्थापना की गई है तथा 2,600 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना भी संचालित की गयी है जिसमें पाइप लाइन बिछाकर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार राज्य में कुल 7,662 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना संचालित है।

  उपरोक्त के अतिरिक्त जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4,190 सोलर पंप स्थापित किये गये हैं।

- **जल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित जल प्रदाय योजना :–**

  राज्य के जल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गंभीरता के साथ प्रयास किये गये हैं, जिसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले में आर्सेनिक से प्रभावित चौकी क्षेत्र के 23 ग्रामों के लिए रु. 33.85 करोड़ की समूह जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण कर पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। योजना से 46,855 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।

  प्रदेश के खारे पानी से प्रभावित जिला बेमेतरा के विकासखंड नवागढ़, बेमेतरा एवं साजा के प्रभावित 152 ग्रामों के लिए रु. 201.97 करोड़ की समूह जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण कर पेयजल प्रदाय किया जा रहा है जिससे 1,68,736 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।

  जिला बस्तर के आयरन एवं फ्लोराईड से प्रभावित 33 ग्रामों के लिए रु. 49.68 करोड़ की कोसारटेडा समूह जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण कर पेयजल प्रदाय किया जा रहा है जिससे 60,000 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।

  उपरोक्त के अतिरिक्त जिला राजनांदगांव में झोला एनीकट पर आधारित 24 ग्रामों, मोहारा एनीकट पर आधारित 23 ग्रामों की समूह जल प्रदाय योजना, जिला दंतेवाड़ा के गीदम विकासखंड के 9 ग्रामों की छिंदनार समूह जल प्रदाय योजना, 17 ग्रामों की धुरली समूह जलप्रदाय योजना, 8 ग्रामों की नेरली समूह जल

प्रदाय योजना, जिला कबीरधाम की 11 ग्रामों की पोड़ी समूह जल प्रदाय योजना, जिला सूरजपुर के 18 ग्रामों की हर्राटिकरा समूह जल प्रदाय योजना तथा जिला बीजापुर की भोपालपट्नम–रालापल्ली समूह जल प्रदाय योजना पूर्ण कर जल प्रदाय कर दिया गया है।

इस प्रकार 13 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजनाओं से 334 ग्रामों को सतही स्रोत के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

- शासन द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल परीक्षण हेतु राज्य में 27 जिला स्तरीय प्रयोगशाला तथा 24 उपखंड स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिससे निरंतर पेयजल का परीक्षण किया जा रहा है। 16 जिलों की 16 जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को NABL से मान्यता प्राप्त हो चुकी है।

15.38 शहरीय जल प्रदाय कार्यकम –

- 124 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजनाएं पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है।
- 44 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

15.39 पेयजल हेतु जन समस्या निवारण व्यवस्था –

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 1800–233–0008 स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाता है। यह व्यवस्था सतत् जारी है।

सामाजिक सेवाएं

16

सामाजिक सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में 4,61,168 हितग्राही लाभान्वित।
- सुखद सहारा योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में 2,20,450 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में 6,51,958 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में 1,99,578 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में 32,274 हितग्राही लाभान्वित।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में 9,848 हितग्राही लाभान्वित।
- नर्सिंग प्रशिक्षण योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में सितंबर तक अनुसूचित जाति के 153 तथा अनुसूचित जनजाति के 186 विद्यार्थी लाभान्वित।

समाज सेवा

16 विभाग द्वारा निःशक्तजनों, निराश्रितों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बौने व्यक्तियों, तृतीय लिंग के व्यक्तियों, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के पुनर्वास के साथ–साथ नशामुक्ति के संबंध में सकारात्मक वातावरण बनाने संबंधी विस्तृत कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु विभाग अन्तर्गत विभिन्न अधिनियम प्रभावशील है।

16.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रम

16.1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :–राज्य शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के मूल निवासी को राशि रूपये 350/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्न में से किसी एक श्रेणी का हो :–

- 6–17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6–14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी।
- 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
- बौने व्यक्ति।

16.1.2 सुखद सहारा योजना :–योजना का उद्देश्य विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। जिसके तहत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिलाओं को राशि रूपये 350/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

16.1.3 मुख्यमंत्री पेंशन योजना:–योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। जिसके तहत राशि रूपये 350/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। योजना का निम्नानुसार पात्रता है–

- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें।
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो,
- ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो,
- नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित –
  - घास का छत / छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
  - प्लास्टिक / पॉलिथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
  - पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा
  - बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो।

16.1.4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :–राज्य में इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू. 350/– प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रू. 650/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 150/– राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन येाजना :–यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रूपये 350/–प्रतिमाह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 50/– राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना :–यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहु निःशक्तता वाले निःशक्तजन को रूपये 500/–प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रूपये 200/– राज्यांश सम्मिलित हैं।

16.1.7 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–योजना अन्तर्गतगरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम हो प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को राशि रूपये 20,000/– की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

सारणी 1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति

योजना	2021-22		2022-23 (सित. की स्थिति में)	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	33327.69	461168	16737.30	457733
सुखद सहारा योजना	9246.69	220450	4686.17	223011
मुख्यमंत्री पेंशन योजना	20558.18	538036	12336.76	610217
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	18921.17	651958	9725.54	664673
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	7229.65	199578	3778.05	206867
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	1194.69	32274	605.72	32845
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	2040.44	9848	1075.01	5277

16.2 निःशक्त कल्याण की योजनाएं

16.2.1 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :–निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण–प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में

स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। जिसके अन्तर्गत अस्थि बाधितों हेतु रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर एवं जशपुर में विशेष विद्यालय, मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ में विशेष विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं।

16.2.2 निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजनांतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन अध्ययनरत् निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रू. 150 से 190 प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रू. 100 प्रतिमाह वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है।

16.2.3 कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत निःशक्तजनों को कैलीपर्स, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5,000 मासिक तक निःशुल्क तथा रू. 5,001 से रू. 8,000 मासिक तक 50% छूट के साथ संसाधन सेवाऐं उपलब्ध कराई जाती हैं। अधिकतम राशि रूपये 6,900/– तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

16.2.4 सामर्थ्य विकास योजना :–प्रदेश के निःशक्त हितग्राहियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार आधुनिक एवं मानकीकृत सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदाय करने की दृष्टि से "सामर्थ्य विकास योजना" आरंभ की गई है। सामर्थ्य विकास योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों हेतु मेले/शिविर का आयोजन कर कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय किये जाते हैं। इस योजना में अधिकतम राशि रूपये 6,900/– तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

16.2.5 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :–निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हे स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष की निःशक्त महिला तथा 21 से 45 वर्ष के निःशक्त पुरूष जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो, को विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के निःशक्त होने पर राशि रूपये 50,000/– तथा दोनों (वर–वधू) के निःशक्त होने पर राशि रूपये 1,00,000/– की सहायता राशि दी जाती है।

16.2.6 निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं:—विभाग द्वारा निःशक्तजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। जिसमें निःशक्त बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण—प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में 19 शासकीय संस्थाएं संचालित तथा 1 दिव्यांग महाविद्यालय संचालित है।

16.2.7 निःशक्तजनों के लिए ''क्षितिज अपार संभावनाएं '' अन्तर्गत एकीकृत योजना :—प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए ''क्षितिज अपार संभावनाएं'' नाम से 03 एकीकृत योजना प्रारंभ की गई है।

16.2.7.1 निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना—निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं निःशक्तता के कारण मेधावी निःशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्यार्थियों एवं तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् नियमित निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

दिए जाने वाले लाभ :—

- जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2,000/— एकमुश्त।
- जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 5,000/— एकमुश्त।
- आई. टी. आई./पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/—रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
- चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000/— रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।

  वित्तीय वर्ष 2021—22 में उच्च शिक्षा हेतु 299 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है।

16.2.7.2 निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना–

निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निःशक्त मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे अन्य निःशक्त व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित होंगे तथा आगामी तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

दिये जाने वाले लाभ :–

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 20,000/– एकमुश्त।
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 30,000/– एकमुश्त।
- संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर राशि रूपये 50,000/– एकमुश्त।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 37 निःशक्त प्रतिभागियों को सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है।

16.2.7.3 निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना–निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित, उन्हें संबल प्रदान करने एवं उनके अधिकारों का संरक्षण हेतु 5 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराये के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी। योजना से राज्य के निःशक्त विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे।

दिये जाने वाले लाभ :–

05 बच्चों के समूह को रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन का अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित किया गया है –

1- A श्रेणी के शहर हेतु 10,000/– (दस हजार) तक देय होगी।

2- B श्रेणी के शहर हेतु 7,000/– (सात हजार) तक देय होगी।

3- C श्रेणी के शहर हेतु 5,000/– (पांच हजार) तक देय होगी।

योजना अन्तर्गत 1 निःशक्त बच्चों के समूह को सुविधा प्रदान की जा रही है।

सारणी 2. निःशक्त कल्याण की योजनाओं की प्रगति

तालिका 16.2 निःशक्त कल्याण की योजनाओं की प्रगति				
योजना	2021–22		2022–23 (सितंबर)	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)
स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान	621.46	2744	88.93	2818
निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना	233.66	14758	12.25	1139
कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना	81.88	1255	18.21	598
सामर्थ्य विकास योजना	319.48	2336	67.00	578
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	338.00	560	87.50	160
निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं	1438.21	1097	508.79	956

16.3 समाज रक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाएं

16.3.1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम :–वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष ''अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस'' जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता हैं तथा निराश्रित वृद्धजनों के लिए प्रदेश में 31 वृद्धाश्रम संचालित है। जहॉ 744 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं।

60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी एवं बिस्तर पर रहकर अपनी सम्पूर्ण दिनचर्या, क्रियाकलाप का निर्वहन करने हेतु बाध्य हैं उनकी समुचित देखरेख एवं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 04 प्रशामक देखरेख गृह जिला रायपुर, दुर्ग, कबीरधाम एवं बालोद में संचालित है।

16.3.2 तीरथ बरत योजना :–योजना को दिनांक 04 दिसम्बर 2012 से प्रभावशील किया गया है। इस योजना अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से करायी जाती है। योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों को भी तीर्थयात्रा योजना में शामिल कर उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाती है।

16.3.3 उभय लिंगी के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यकम/योजना :–उभय लिंगी (तृतीय लिंग) के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास तथा उनके कौशल उन्नयन हेतु विभाग द्वारा कार्यकम चलाये जा रहे हैं।

16.3.4 वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना :–

60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले वृद्ध/निराश्रित वृद्ध/वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में होने वाली समस्या के निराकरण हेतु उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण, चिकित्सीय देखभाल की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना प्रारंभ की गयी है। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार अधिकतम रूपये 6900/– तक के डायबिटिक शू, नी–स्पिलिन्ट, स्पिलिन्ट् (विभिन्न प्रकार के), ब्रेसेस (विभिन्न प्रकार के), कॉलर, वाकर, बैशाखी, छड़ी, व्हील चेयर, चश्मा, श्रवण यंत्र, डेन्चर एवं अन्य उपकरण चिकित्सक के परामर्श अनुसार एक या एक से अधिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

तालिका 16.3 समाज रक्षा कार्यक्रम अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति

योजना	2021–22		2022–23 (सितंबर)	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम	355.61	22744	73.20	744
तीरथ–बरत योजना	0.00	0	0.00	0
तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यक्रम/योजना	20.05	3058	2.70	3060
प्रशामक देखरेख गृह	45.00	64	4.50	64

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

16.4.1 विशिष्ट संस्थाएं:–

राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा छात्रावास प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1636 प्री.मैट्रिक, पिछड़ा वर्ग के 08 प्री.मैट्रिक एवं अनुसूचित जनजाति के 395 पोस्ट मैट्रिक तथा पिछड़ा वर्ग के 29 संचालित है एवं अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1175 आश्रम शालाएं संचालित है।

प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर के आश्रम के लिए शालाएं संचालित है। विभाग द्वारा 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 14 कन्या शिक्षा परिसर, 01 गुरूकुल (आदर्श) विद्यालय, 73 आदर्श एकलब्य आवासीय विद्यालय, 09 प्रयास, 01 आस्था गुरूकुल विद्यालय एवं 19 क्रीडा परिसर संचालित है।

16.4.2 जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की योजना :–

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने एवं नये सोच के साथ नये कैरियर चयन का अवसर प्रदान के उद्देश्य से योजना संचालित है। योजना अंर्तगत प्रति वर्ष कक्षा 6 वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के 70 तथा अनुसूचित जन जाति वर्ग के कक्षा 6 वी के 130 इस प्रकार दोनो वर्गो हेतु कुल 200 विधार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.4 में दर्शित है।

तालिका 16.4 जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की

वर्ष	योजना वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जाति	208	201.24
	अनुसूचित जनजाति	425	257.06
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	320	414.25
	अनुसूचित जनजाति	645	682.80
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	279	143.64
	अनुसूचित जनजाति	571	298.83

16.4.3 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना :–नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो कि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के पद रिक्त रह जाते हैं क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की सूची विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्याथियो को विज्ञान एवं वाणिज्य के विषय में अध्यापन को प्रोत्साहन करने हेतु संस्था दुर्ग एवं जगदलपुर में 500–500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य विषय केन्द्र स्थापित किया गया है। इस योजनान्तर्गत चयनित विद्यार्थियो जिन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी गई हो। विज्ञान के पदों एवं आयोजित की जाने वाली प्रीबीएड तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु आपरेटर एवं अध्यापक उपलब्ध कराया जावेगा। उपयोजना अन्तर्गत 500 सीटर बलिकाओं को प्रदाय हेतु दुर्ग जिला के मुख्यालय में 2013–14 मे प्रारम्भ की गई है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.5 में दर्शित है।

तालिका 16.5 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जनजाति	593	-
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जनजाति	593	76.00
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022)	अनुसूचित जनजाति	674	60.20

16.4.4 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियॉ :– कक्षा 12वीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शासन द्वारा संचालित की जा रही है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अ0ज0जा0)

- **आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,**
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू है :–

तालिका 16.6 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अ0ज0जा0)

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	अनुसूचित जनजाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह–1– (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा–एम .फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरी, प्रौद्योगि की, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैश न टेक्नालॉजी, पशु– चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रषासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी–इं जन रेटिंग पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./ आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा– डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550
समूह–2– (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे– फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी. एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे– रिहायबिलिटेश न, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रंबधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रवेल/टूरिज्म/हॉस्पिटायलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज– सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे– बैंकिंग, इन्शयूरेन्श इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–1 में शामिल न हो जैसे– एम.ए., एम. एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530
समूह–3– स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे– बी.ए., बी.एस.सी.,बी.कॉम.,बी.एड इत्यादि	570	300
समूह –4– सभी पोस्ट मैट्रिकुलेश न स्तरीय नॉ न डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनुसूचित जाति)

- **आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,**
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 2020–21 से वर्ष 2024–25 निम्नानुसार लागू है :–

तालिका 16.7 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनुसूचित जाति)

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह) अनुसूचित जाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह –1– डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम	135000	7000
समूह –2– डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट से संबंधित अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	9500	6500
समूह –3– स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)	6000	3000
समूह –4– सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेष परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो।	4000	2500

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय–सीमा– रू. 1,00,000/– तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.8 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

समूह	अध्ययन का वर्ष	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये) छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ – मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ– डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ– सर्टीफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
ई– सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स– कक्षा – 11 वीं	100	110	110	50	60
स– कक्षा – 12 वीं	100	110	110	55	70

वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.8 छात्रवृत्ति वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	–	
	अनुसूचित जनजाति	–	
	पिछड़ा वर्ग	–	
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	62314	4430.86
	अनुसूचित जनजाति	82144	5509.04
	पिछड़ा वर्ग	175944	10216.62
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2023)	अनुसूचित जाति	ऑन–लाईन पो.मै.छा. की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
	अनुसूचित जनजाति		
	पिछड़ा वर्ग		

16.4.5 छात्रावास :–अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अच्छे परिवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में इन वर्गों के लिए छात्रावास संचालित किये जा रहे है, बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक छात्रावास संचालित है, इन छात्रावासों में छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, भोजन, बिजली, पानी, पलंग, बिस्तर, पुस्तकें एवं समाचार पत्र आदि उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1636 प्री.मैट्रिक, पिछडा वर्ग के 08, प्री मैट्रिक एवं अनुसूचि जनजाति के 395, पोस्ट मैट्रिक तथा पिछडा वर्ग के 29 संचालित है। प्री. मैट्रिक छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थियों को 10 माह, 15 दिवस के लिए शिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता है।

तालिका 16.9 छात्रावास योजना भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जाति	8485	909.81
	अनुसूचित जनजाति	45035	3657.12
	पिछड़ा वर्ग	248	22.00
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	8485	909.81
	अनुसूचित जनजाति	45035	4053.15
	पिछड़ा वर्ग	248	26.04
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	13360	912.52
	अनुसूचित जनजाति	61584	3662.62
	पिछड़ा वर्ग	378	22.00

वित्तीय वर्ष 2021–22 अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक एवं 2022–23 में माह–अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ हैः–वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.9 में दर्शित है।

16.4.6 आश्रम शाला योजना :—प्रदेश में वनॉचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहॉ शैक्षणिक सुविधा नहीं है ऐसे स्थानो में आश्रम शाला योजना की व्यवस्था की जाती हे। इन आश्रमों में कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक की कक्षाऐं चलाई जाती है, इन आश्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र—छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ—साथ आवास एवं भोजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए **51** एवं अनुसूचित जनजाति के लिए **1175** आश्रम शालाएँ संचालित है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.10 में दर्शित है।

तालिका क्र. 16.10 आश्रम शाला योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2021—22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जाति	2280	206.53
	अनुसूचित जनजाति	60741	4409.22
2021—22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	2280	286.29
	अनुसूचित जनजाति	60741	5562.09
2022—23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	2588	206.53
	अनुसूचित जनजाति	72312	4409.22

16.4.7 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों छात्रों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना:—खाद्यन्न सुरक्षा योजना अधिनियम 2012 के अंर्तगत विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रम के साथ—साथ शासकीय अनुदान प्राप्त छात्रावास/आश्रमों में तथा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विभाग द्वारा संचालित निजी छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करने हेतु योजना संचालित है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.11 में दर्शित है।

तालिका क्र. 16.11 खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्धता की प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2021—22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जाति	10765	180.00
	अनुसूचित जनजाति	105776	1152.00
	पिछड़ा वर्ग	248	90.00
2021—22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	10765	450
	अनुसूचित जनजाति	105776	2880.00
	पिछड़ा वर्ग	248	22.50
2022—23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	15948	180.00
	अनुसूचित जनजाति	133896	960.00
	पिछड़ा वर्ग	378	9.00

16.4.8 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना :–विशेष कोचिंग के अंतर्गत दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रो में कठिन विशयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है जिसके कारण छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी जो कठिन विशयों में कमजोर रह जाते हैं फलस्वरूप परीक्षा परिणाम में अपेक्षित स्तर पर कमी रहती है। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के छात्रावास / आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे – गणित/विज्ञान/ वाणिज्य इत्यादि विशयों में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किया जाता है। उक्त योजना का कियान्वयन माह नवंबर, दिसम्बर एवं जनवरी में किया जाता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.12 में दर्शित है।

तालिका 16.12 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना प्रगति (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जाति	–	22.00
	अनुसूचित जनजाति	–	57.20
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	3267	33.00
	अनुसूचित जनजाति	21500	85.80
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	कार्यवाही प्रक्रियाधीन	-
	अनुसूचित जनजाति		-

16.4.9 छात्र भोजन सहाय योजना :–

पोस्ट मेट्रिक छात्रावासी विद्यार्थियों बढती उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोशण की आवश्यकता को दृश्टिगत रखते हुएछात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है, इसके अंर्तगत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग विद्यार्थियों को भोजन सहाय हेतु प्रति छात्र प्रति माह राशि रूपये 700/– की दर से उपलब्ध कराई जाती है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.13 में दर्शित है।

तालिका 16.13 छात्र भोजन सहाय योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जाति	4135	151.48
	अनुसूचित जनजाति	14749	516.00
	पिछड़ा वर्ग	993	29.40
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	4135	290.85
	अनुसूचित जनजाति	14749	1033.34
	पिछड़ा वर्ग	993	67.62
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	4920	191.10
	अनुसूचित जनजाति	18224	650.80
	पिछड़ा वर्ग	1111	54.25

16.4.10 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाः–

16.4.10.1 नर्सिंग प्रशिक्षण योजना :– यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 155 तथा अनुसूचित जनजाति के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिंग पाठयक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा दिये जाने का लक्ष्य है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.14 में दर्शित है।

तालिका 16.14 नर्सिंग प्रशिक्षण योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जाति	288	10786
	अनुसूचित जनजाति	497	180.75
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	288	138.97
	अनुसूचित जनजाति	497	222.95
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	153	123.27
	अनुसूचित जनजाति	186	148.28

16.4.10.2 हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना :–राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को एअर होस्टेज, एविएशन हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेंजमेंट डिप्लोमा की प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006–07 से आरम्भ की गई है। वर्ष 2013–14 में योजना में संशोधन किया गया जिसके तहत हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेंजमेंट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.15 में दर्शित है।

तालिका 16.15 हास्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जाति	26	12.44
	अनुसूचित जनजाति	8	3.83
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	26	22.83
	अनुसूचित जनजाति	8	11.56
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	76	34.96
	अनुसूचित जनजाति	24	11.04

16.4.10.3 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना :—इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008—09 से योजना लागू की गई है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.16 में दर्शित है।

तालिका क्र. 16.16 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना की प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2021—22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जाति	0	0.00
	अनुसूचित जनजाति	0	0.00
2021—22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	25	3.74
	अनुसूचित जनजाति	6	2.32
2022—23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	–	0.00
	अनुसूचित जनजाति	–	0.00

16.4.11 रविदास चर्म शिल्प योजना :— प्रदेश में चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008—09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.17 में दर्शित है।

तालिका 16.17 रविदास चर्म शिल्प योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2021—22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जाति	56	8.40
2021—22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	240	21.80
2022—23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	100	9.00

16.4.12 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास :—वर्ष 2015—16 से आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित योजना संचालित है :—

- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों की पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुडी) के निर्माण एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2006—07 से योजना संचालित है। योजनान्तर्गत प्रति देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण हेतु राशि रू. 1,00,000 दिया जाता है।

- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासियों के सांस्कृतिक वाद्ययंत्र खरीदने हेतु अनुदान स्वरूप प्रतिदल रू. 10,000 की राशि दिये जाने का प्रावधान है।

- शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव– शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान जिला–बलौदा बाजार में किया जाता है। प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.25 लाख दिया जाता है। उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत चीर विस्मरणीय बनाना एवं आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

तालिका 16.18 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास (राशि लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	164	164.20
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	236	23.60
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	0	0.00
	4. शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	2	4.70
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	400	400
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	590	59.00
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	3	79.66
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	2	4.70
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	186	279.00
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	230	23.00
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	0	0.00
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	0	0

- शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार–छ0ग0 राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को राशि रू. 2 लाख से पुरस्कृत तथा प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाता है।

- स्व. डॉ भंवरसिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार–छ0ग0 राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी 01 संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.18 में दर्शित है।

16.4.13 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :–अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा मे सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु राशि रू. 1.0 लाख प्रदान की जाती है।

यह योजना वर्ष 2010–11 से प्रारंभ की गई है। इस योजना हेतु कुल राशि रू. 28.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.19 में दर्शित है।

तालिका क्र. 16.19 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियां (राशि लाख रू. में)
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जाति	01	1.00
	अनुसूचित जनजाति	02	2.00
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	01	1.00
	अनुसूचित जनजाति	01	1.00
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	–	-
	अनुसूचित जनजाति	01	1.00

16.4.14 राजीव युवा उत्थान योजना :– वर्ष 2003 से यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से संचालित है। इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटें स्वीकृत हैं, इसके माध्यम से 50 सीटें जिला–रायपुर एवं 50 सीटें जिला दुर्ग में प्रशिक्षण संचालित है। इसके अतिरिक्त बैकिंग, रेलवे, व्यापम, एस.एस.सी. आदि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में 100–100 सीटें स्वीकृत हैं। ट्रायबल यूथ हास्टल द्वारका नई दिल्ली मे रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 50 सीटें स्वीकृत हैं एवं वर्ष 2018–19 मे ड्रॉपर/रिपीटर बैच के अंतर्गत 15 अन्य सीटों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.20 में दर्शित है।

तालिका क. 16.20 राजीव युवा उत्थान योजना (राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक))	अनुसूचित जाति	–	-
	अनुसूचित जनजाति	48	20.00
	पिछड़ा वर्ग	–	-
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	100	16.35
	अनुसूचित जनजाति	450	147.69
	पिछड़ा वर्ग	100	16.55
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	100	18.72
	अनुसूचित जनजाति	450	170.30
	पिछड़ा वर्ग	100	17.72

16.4.15 मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना :–नक्सल प्रभावित क्षेत्रो के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2010 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के 04 घटक हैः–

- **आस्थाः**– नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चों के लिए अध्ययन कार्य किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के तहत नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के 204 बालक एवं कन्या दंतेवाडा जिला मुख्यालय पर स्थित गुरूकुल आवासीय विद्यालय में कक्षा 1ली से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, भोजन एवं आवासीय सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।

- **सहयोगः**– इस योजना अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान की जाती है। उक्त योजना संचालित वर्तमान में दंतेवाडा मुख्यालय योजना सम्मिलित है।

- **निष्ठाः**– इसके तहत पीड़ित परिवारों के लिए कक्षा 1ली से 12वीं के विद्यार्थियों को निष्ठा जिले के निजी शालाओं में अध्ययनरत है। वर्तमान में कुल 81 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

- **प्रयासः**–छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित (LWE) जिलो के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियो को कक्षा 9वीं से 12वी तक शालेय शिक्षा के साथ–साथ इंजीनियरिग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा (NTSE) CA,CS,CMA तथा CLAT इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं की कोंचिग प्रदान कर इन विद्यार्थियों की स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफल होने योग्य बनने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में जिला रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, कोरबा तथा जशपुर जिला मुख्यालय में कुल 90 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें 4144 विद्यार्थियो लाभान्वित हो रहे हैं।

- **16.4.16 विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजनाः–**

16.4.16.1 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम :– एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उददेश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है। प्रदेश में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं, 09 माडा पाकेट एवं 02 लघ्ु अंचल तथा 18 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण/प्रकोष्ठ गठित हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.21 पर दर्शित है।

तालिका 16.21 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं स्थानीय विकास कार्यक्रम
(राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जनजाति	–	-
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जनजाति	–	-
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जनजाति	9589	15595.80

16.4.16.2 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार :–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत अंधोसरंचना/व्यक्ति मूलक परिवार मूलक कार्य पूंजी मद एवं राजस्व मद के अंतर्गत स्वीकृत किये जाते हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार हैः–

तालिका क्र. 16.22 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जनजाति	709 कार्य	5779.64
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जनजाति	381 कार्य	3764.66
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जनजाति	782 कार्य	3707.63

16.4.16.3 पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरणः– पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हतु जूता, मोजा, एवं स्वेटर वितरण, आपातकालीन चिकित्सा (रिफरल) सहायता प्राप्त रोगियो/कुपोषित

बच्चो/माताओं के लिए चिकित्सा तथा अन्य विपरीत परिस्थितियों में रहात सहायता एवं अन्य व्यय (जिला कलेक्टर के विकल्प पर) मच्छरदानी का विवरण, निमोनिया के संक्रमण से बचाव एवं कमजोर PVTG बच्चो के लिए न्यूमोकोकल टीकाकरण कार्यक्रम, PVTG क्षेत्रो के पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती बच्चो के परिवारजनो (Faimly Attendants) हेतु भोजन व्यवस्था प्रावधान कार्यक्रम (NRC के Norms) के अतिरिक्त PVTG बस्तियो में चिकित्सासह स्वास्थ्य जॉच सुविधा एवं जागरूकता शिविर तथा शिविर में पोषण सहायता , डेडिकेटेड मोबाईल मेडिकल वैन,सोलर पंप के साथ बोरवेल की स्थापना (एफ.आर.ए. लाभार्थियो के लिए), पांरपरिक जनजातीय खेलो एवं स्पर्धाओ हेतु सहायता, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहो की महिलाओ, संग्राहको/स्व–सहायता समूहो/सहकारी समितियों के लिये मूल्यवर्धन एवं विक्रम योग्य सामग्रियो के संबंध में प्रशिक्षण, चिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहो के युवाओ एवं महिलाओं को पांरपरिक आभूषण, कलाकृतियों, कला एवं आदिवासी संस्कृति को बढावा देने वाली कला कौशल का प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएं संचालित है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.23 में दर्शित है।

तालिका 16.23 पण्डो एवं भुंजिया विकास

(राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जनजाति	03 कार्य	40.00
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जनजाति	12 कार्य	100.00
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जनजाति	08 कार्य	44.00

16.4.16. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :– भारत सरकार अल्वसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंर्तगत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामो के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015–16 में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योतना लागू की गई है। उक्त योजनान्तर्गत छ0ग0 राज्य में जिला बेमेतरा के 30, बलौदाबाजार के 40 एवं जांजगीर–चांपा के 35 ग्रामों , द्वितीय चरण मे मुंगेली के 40, बिलासपुर के 35 ग्राम इस प्रकार कुल 175 ग्रामों का चयन किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में आज दिनांक तक कुल 648 ग्रामों का चयन किया गया। उक्त चयनित ग्रामो में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकता यथा–आवास, पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य

एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार फोर लाईन सर्वेक्षण कर डेव्लापमेन्ट प्लान तैयार किया जाता है। 12वी पंचवर्षीय योजना के अवधि में सेक्टर चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में संतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यो का बुनियादी सुविधाऐ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई योजना में केन्द्रीय 50 प्रतिशत और राज्यांश 50 प्रतिशत है वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.24 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	274 ग्राम	3650.00
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	290 ग्राम	3890.00
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022)	अनुसूचित जाति	315 ग्राम	8190.00

16.4.16.5 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) :– भारत सरकार अल्वसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। अल्संख्यक समुदाय के शैक्षाणिक एवं समग्र विकास के लिए ''मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम'' (संशोधित योजना का नाम–प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) को जशपुर जिले में लागू किये गये हैं। इस योजना के अंतर्गत जशपुर जिले के 05 विकास खण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदला, कुनकुरी एवं कासांबेल) को अल्पसंख्यक विकास खण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

इस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा के लिए आाधारभूत संरचना विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, सडक, पेयजल और आय के अनेक अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.25 में दर्शित हैः–

तालिका 16.25 मल्टी सेक्टर डेवल्पमेंट प्रोग्राम (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अल्प संख्यक वर्ग	05 कार्य	22.43
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अल्प संख्यक वर्ग	17 कार्य	396.55
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अल्प संख्यक वर्ग	24 कार्य	447.54

16.4.17 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:–

- **अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता** :– स्वर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के

फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति तथा अधिनियम के अधीन सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जरूरतमंद अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों को तुरन्त राहत देने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता दी जाती है।

तालिका 16.26 अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉं (राशि लाखों में)
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनुसूचित जाति	800	1424.60
	अनुसूचित जनजाति	454	422.00
	पिछड़ा वर्ग	–	-
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनुसूचित जाति	1408	2609.20
	अनुसूचित जनजाति	790	824.36
	पिछडा वर्ग	–	-
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	620	1650.00
	अनुसूचित जनजाति	320	401.05
	पिछड़ा वर्ग	–	-

- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो को अत्याचार से पीडित व्यक्ति को अधिनियम धारा के तहत राहत सहायता एंव पुर्नवास दिया जाता है। अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन जिलों में अस्पृश्यता निवारण शिविरों का आयोजन किया जाता है। अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक पर सद्भावना शिविरों का आयोजना किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी रूढियों और व्यक्तियों के विरूद्ध स्वच्छ, निर्मल एवं सामाजिक वातावरण बनाने की पहल है। अर्न्तजातीय विवाह योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा को प्रोत्साहित किया जाना है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार हैः–

16.4.18 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं

16.4.18.1आदिवासी विशेष पिछड़े समूह :– योजनान्तर्गत विशेष पिछडी जनजाति क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ–साथ व्यक्तिमूलक/परिवारमूलक एवं रोजगार वृद्धि कारक कराये जाते हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.27 आदिवासी विशेष पिछड़े समूह			(राशि लाख में)
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक)	अनु. जनजाति	20 कार्य	1628.71
2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	अनु. जनजाति	10 कार्य	996.90
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनु. जनजाति	08 कार्य	GOI से आंबटन अप्राप्त

16.5 छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

- **स्वदेश दर्शन योजना (ट्रायबल टूरिज्म सर्किट)**:– भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत **"ट्रायबल टूरिज्म सर्किट"** परियोजना का कार्य राशि रु. 94.23 करोड़ की लागत से पूर्ण कर लिया गया है। इस परियोजना में जशपुर, कुनकुरी, मैनपाट, महेशपुर, कुरदर, सरोधादादर, गंगरेल, कोंडागांव नथियानवागांव, जगदलपुर, चित्रकोट एवं तीरथगढ़ स्थल शामिल हैं। परियोजना के तहत यहां पर विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का विकास किया गया है, जिसमें एथनिक पर्यटक रिसॉर्ट, डेस्टीनेशन डेव्हलपमेंट, वे साईड एमेनिटिस एवं साईनेजेस आदि निर्मित किये गये है।

प्रशाद योजना –भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की **''प्रशाद योजना''** के अंतर्गत **''माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ का विकास''** परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार से इस परियोजना के लिये राशि रु. 43.33 करोड़ स्वीकृत कराये गये है। इस परियोजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ में माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी एवं पिल्ग्रिम फेसीलिटेशन सेंटर का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना में अभी तक 45% कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं रु. 17.21 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।

तालिका क्र. 16.28 विभिन्न कार्यान्वित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी (राशि लाख रू. में)

क्र.	प्रस्तावित कार्य	(अप्रैल 20 से सितम्बर 20)		(अप्रैल 20 से मार्च 21)		(अप्रैल 21 से सितम्बर 21)	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	ट्रायबल्र टूरिज्म सर्किट का क्रियान्वयन।	कार्य प्रगति पर	359.03	कार्य पूर्ण	1094.13	–	–
2	प्रसाद योजना के तहत डोंगरगढ़ का विकास	कार्य प्रगति पर	451.50	कार्य प्रगति पर	1162.55	कार्य प्रगति पर	558.53
3	सरोधा दादर जिला कबीरधाम में एडवेंचर एक्टिविटी उपकरण	कार्य प्रगति पर	–	कार्य पूर्ण	8.70	–	–
4	ग्राम जबर्रा जिला धमतरी में होमेस्टे, कैपिंग उपकरण एवं सौर प्लांट की स्थापना (प्रथम चरण)	कार्य प्रगति पर	–	कार्य प्रगति पर		कार्य प्रगति पर	–
5	लुतरा शरीफ दरगाह जिला बिलासपुर में प्रवेश द्वार निर्माण कार्य विषयक।	कार्य प्रगति पर	5.97	कार्य प्रगति पर	–	कार्य प्रगति पर	–
6	बूढ़ादेव पहाड़ी डोंगरगढ़ जिला राजनादगांव में शौचालय निर्माण एवं ज्योति कक्ष निर्माण। (मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	प्रगति पर	–	प्रगति पर	11.095	प्रगति पर	–
7	बूढ़ादेव पहाड़ी डोंगरगढ़ जिला राजनादगांव में शौचालय निर्माण एवं ज्योति कक्ष निर्माण। (मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	कार्य अप्रारंभ	–	कार्य अप्रारंभ	–	कार्य अप्रारंभ	–
8	ग्राम जेमरा चैतुरगढ़ मेला स्थल एवं महामाया मंदिर ग्राम लाफा लाफागढ़ जिला कोरबा में शेड निर्माणं (विधानसभा आश्वासन क्र. 450/2018)	कार्य प्रगति पर	–	कार्य प्रगति पर	–	कार्य प्रगति पर	–
9	दामाखेड़ा स्थित कबीर सागर तालाब जिला बलौदाबाजार का विकास/सौंदर्यीकरण।	–	–				100.00
10	सोनाखान जिला बलौदाबाजार में सामुदायिक भवन का निर्माण। (मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	–	–	–	–	कार्य प्रारंभ किया जाना है।	25.00
11	रकसगंडा जिला सूरजपुर में हाई मास्ट लाईट, सेफ्टी रेलिंग, शेड निर्माण, चबुतरा (3 नग), साईनेजेस, सी.सी. रोड, हैंड पम्प (प्लेट फार्म सहित) निर्माण कार्य। (मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	–	–	–	–	कार्य प्रारंभ किया जाना है।	10.75
12	रमदहा जलप्रपात जिला कोरिया में रिटर्निंगवाल का निर्माण, रेलिंग कार्य, सीढ़ी निर्माण एवं रेस्टिंग गैलरी शेड निर्माण। (मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	–	–	–	–	कार्य प्रारंभ किया जाना है।	25.00
13	तामड़ा घूमर/मेन्द्री घूमर जिला बस्तर में विभिन्न सुविधाओं का विकास तामड़ाघूमर (मारडूम) में साईनेजएवं सीटिंग व्यवस्था का विकास। मेन्द्रीघूमर (मटनार) में साईनेज, रेलिंग, पुरुष एवं महिला शौचालय एवं स्नानागार, पाथवे एवं सीटिंग व्यवस्था का विकास। (मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	–	–	–	–	कार्य प्रारंभ किया जाना है।	11.45

14	**राम वगनगमन पर्यटन परिपथ**						
	1. चंदखुरी	चंदखुरी प्रथम एवं द्वितीय चरण –पूर्ण चंदखुरी तृतीय चरण –कार्य प्रगति पर चंदखुरी, वॉटर, लाईट एवं साउंड शो	418.00	कार्य प्रगति पर	803.00	कार्य प्रगति पर	307.00
	2. शिवरीनारायण	शिवरीनारायण प्रथम चरण–पूर्ण शिवरीनारायण द्वितीय चरण – कार्य प्रगति पर	357.00	कार्य प्रगति पर	850.00	कार्य प्रगति पर	0.00
	3. राजिम	कार्य प्रगति पर	386.00	कार्य प्रगति पर	386.00	कार्य प्रगति पर	0.00
	4. तुरतुरिया	कार्य प्रगति पर	250.00	कार्य प्रगति पर	250.00	कार्य प्रगति पर	0.00
	5. रामगढ़	कार्य प्रगति पर	250.00	कार्य प्रगति पर	250.00	कार्य प्रगति पर	0.00
	6. सीतामढ़ी हरचौका	कार्य प्रगति पर	0.00	कार्य प्रगति पर	122.00	कार्य प्रगति पर	0.00
	7. मुकुंदपुर नगरी (सिहावा) (माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	अप्रांरभ	0.00	प्रकियाधीन	166.00	कार्य प्रगति पर	0.00
	8. श्रृंगी ऋषि आश्रम (सिहावा)	अप्रांरभ	0.00	अप्रांरभ	0.00	कार्य प्रगति पर	0.22
	9. रामाराम (सुकमा)	कार्य अप्रारंभ	0.00	कार्य प्रगति पर	0.50	कार्य प्रगति पर	0.50
	10. जगदलपुर (चित्रकोट, तीरथगढ़ एवं दलपतसागर)	कार्यवाही प्रकियाधीन	0.00	कार्यवाही प्रकियाधीन	0.00	कार्यवाही प्रकियाधीन	0.00
	11 चम्पाण्रण (माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	अप्रांरभ	0.00	अप्रांरभ	0.00	टेण्डर की कार्यवाही प्रकियाधीन	0.00

16.6 नागरिक पंजीयन प्रणाली :

16.6 नागरिक पंजीयन प्रणाली :

जन्म पंजीयन को बच्चे के पहले अधिकार के रूप में जाना जाता है। ''**जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969**'' के अंतर्गत, हमारे देश में घटित हर एक जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीकरण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म मृत्यु की घटना का पंजीकरण **"छत्तीसगढ़ जन्म–मृत्यु पंजीयन नियम 2001**" के अंतर्गत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में, वर्ष 2008 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण पुलिस थानों में किया जाता था, जो जनवरी 2008 से ग्रामीण इकाइयों को हस्तांतरित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्राथमिक पंजीकरण इकाई है। राज्य के 28 जिलों में 11,654 ग्राम पंचायत में सचिव, पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म–मृत्यु पंजीयन करते हैं।

रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) ग्राम पंचायत सचिव, पंजीयन करने के पश्चात्, सभी वैधानिक भाग को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, एवं सभी सांख्यिकी भागों को जनपद पंचायत में हर महीने की मासिक बैठक में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) जनपद पंचायत सीईओ को प्रस्तुत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 146 जनपद पंचायत हैं। हर महीने जनपद पंचायत उनके अधिकार क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों से सांख्यिकी भाग मासिक सारांश के साथ एकत्र करके जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में जमा करते हैं।

राज्य में कुल 170 शहरी इकाइयां है, जो कि तीन भागों में विभाजित है : (1) नगर निगम, (2) नगर पालिका परिषद एवं (3) नगर पंचायत। नगर निगम में आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) है।

इसके अतिरिक्त राज्य में सभी शासकीय अस्पताल यथा – जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य शासकीय अस्पताल एवं सार्वजनिक उपक्रम के अस्पतालों में घटित जन्म–मृत्यु (संस्थागत घटनाओं) का पंजीयन इन संस्थाओं में होता है।

समस्त पंजीयन इकाइयों द्वारा जन्म–मृत्यु के ऑनलाईन पंजीयन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के वेबपोर्टल पर किया जाता है एवं संचालनालय द्वारा उक्त डाटा को वेबपोर्टल से डाउनलोड एवं विश्लेषण कर राज्य की रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

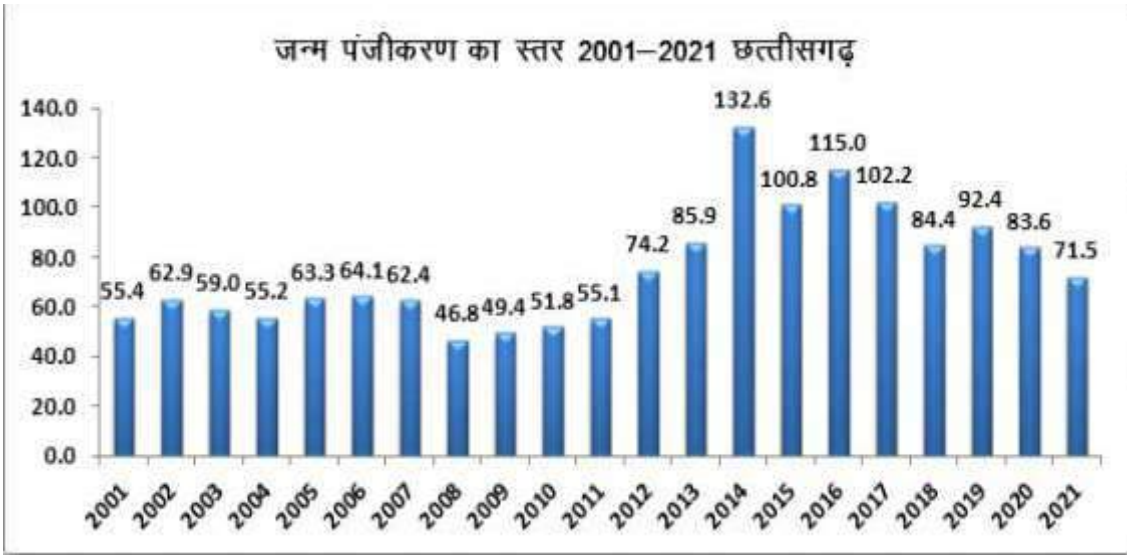

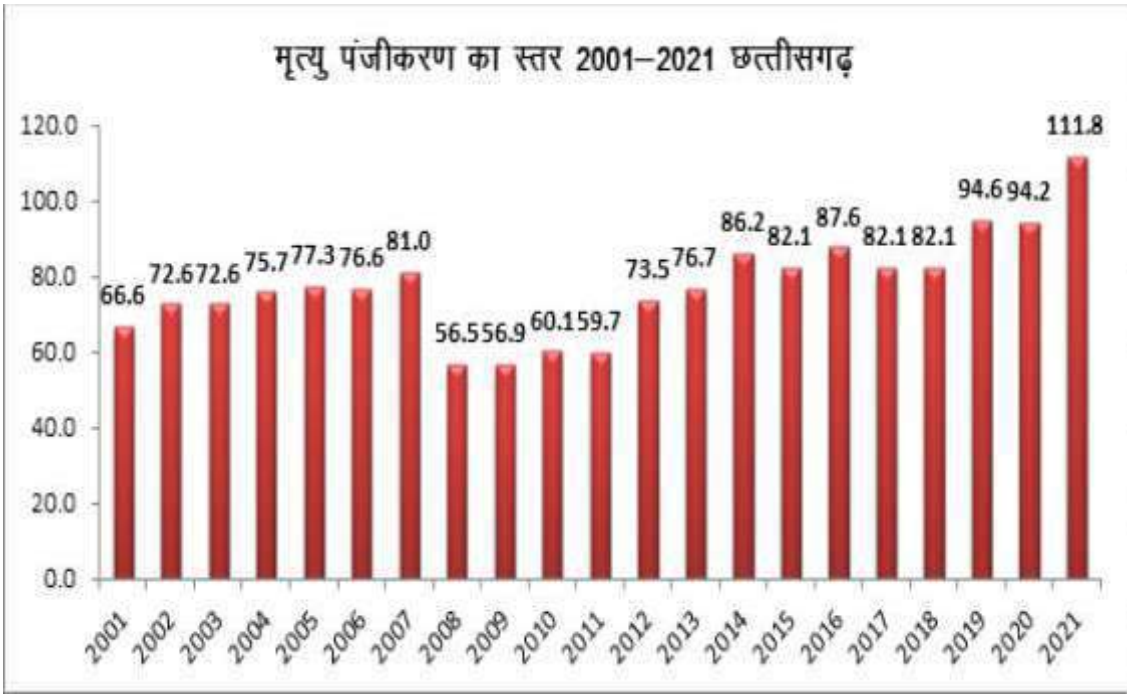

Source: Annual Vital Reports

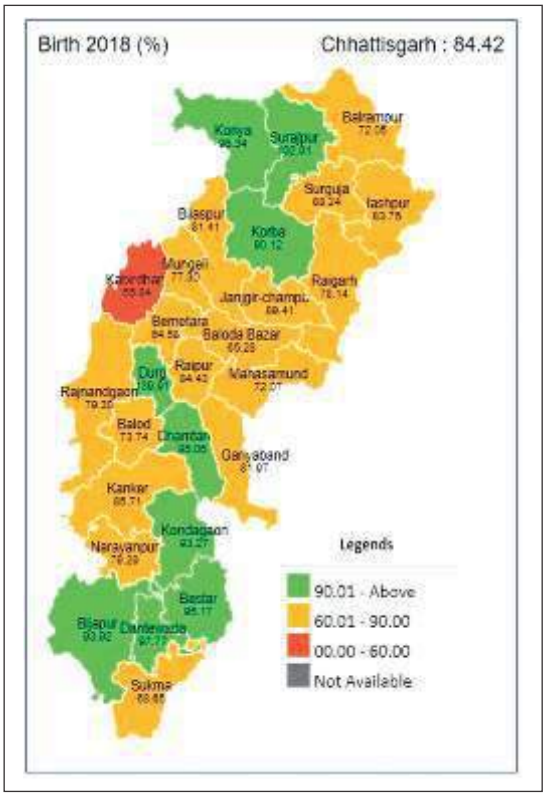
Birth 2018 (%)
Chhattisgarh : 84.42
Legends
90.01 - Above
60.01 - 90.00
00.00 - 60.00
Not Available

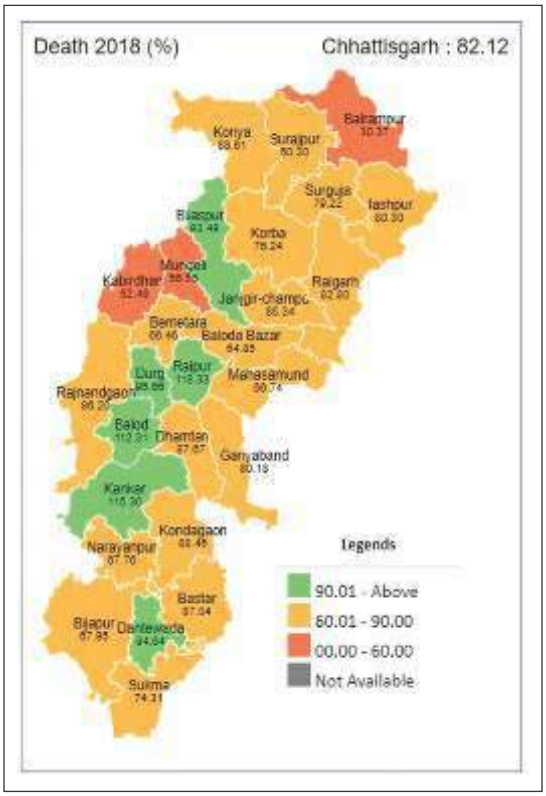
Death 2018 (%)
Chhattisgarh : 82.12
Legends
90.01 - Above
60.01 - 90.00
00.00 - 60.00
Not Available

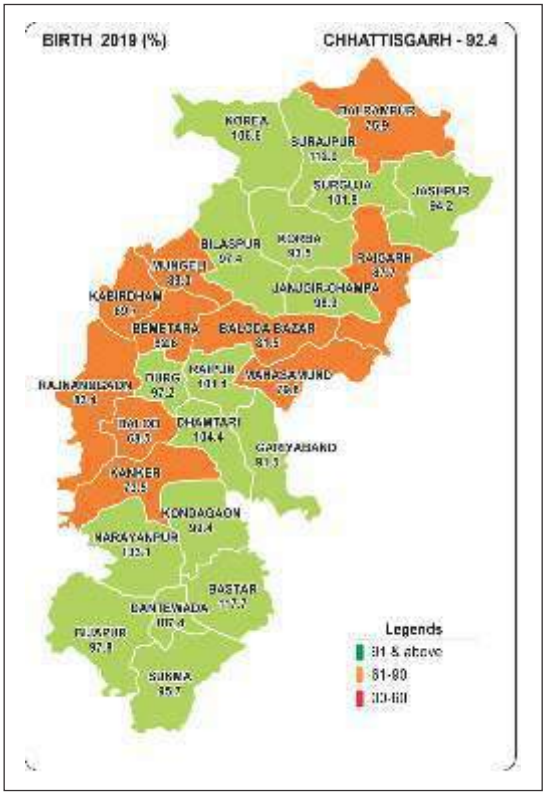
BIRTH 2018 (%)
CHHATTISGARH - 92.4
Legends
91 & above
61-90
00-60

DEATH 2019 (%)
CHHATTISGARH- 94.6
Legends
91 & above
61-90
00-60

BIRTH 2020 (%)
CHHATTISGARH - 83.6
KOREA
SURAJPUR
SURGUJA
JASHPUR
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI
KORBA
MUNGELI
BILASPUR
RAIGARH
JANJGIR-CHAMPA
KABIRDHAM
BEMETARA
BALODA BAZAR
RAJNANDGAON
DURG
RAIPUR
MAHASAMUND
BALOD
DHAMTARI
GARIYABAND
KANKER
KONDAGAON
NARAYANPUR
BASTAR
DANTEWADA
BIJAPUR
SUKMA
Legends
91 & above
61-90
00-60

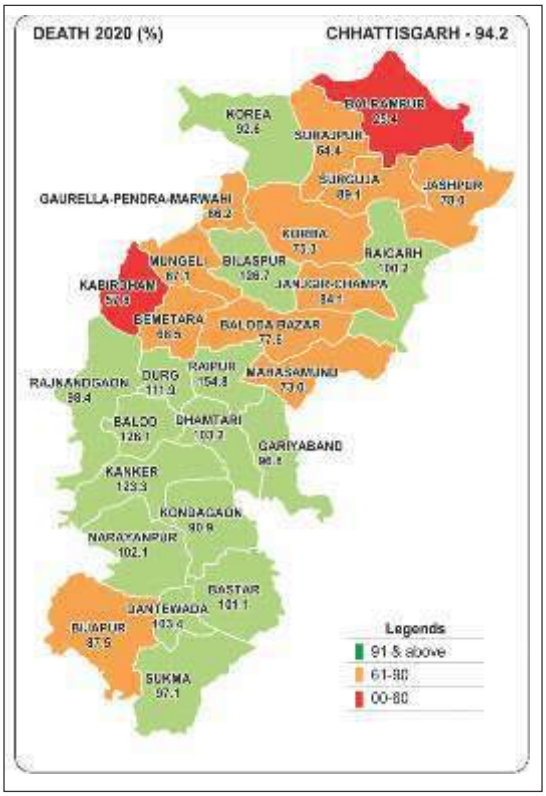
DEATH 2020 (%)
CHHATTISGARH - 94.2
KOREA
SURAJPUR
SURGUJA
JASHPUR
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI
KORBA
MUNGELI
BILASPUR
RAIGARH
JANJGIR-CHAMPA
KABIRDHAM
BEMETARA
BALODA BAZAR
RAJNANDGAON
DURG
RAIPUR
MAHASAMUND
BALOD
DHAMTARI
GARIYABAND
KANKER
KONDAGAON
NARAYANPUR
BASTAR
DANTEWADA
BIJAPUR
SUKMA
Legends
91 & above
61-90
00-60

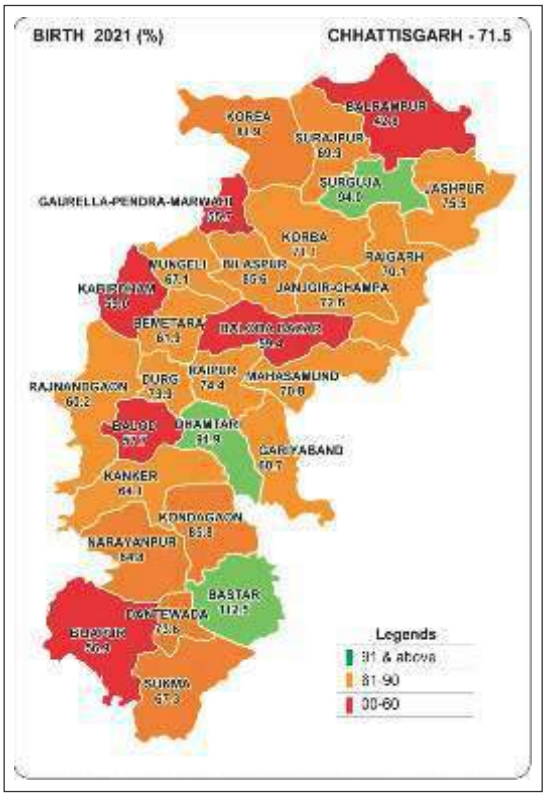
BIRTH 2021 (%)
CHHATTISGARH - 71.5
KOREA
SURAJPUR
SURGUJA
JASHPUR
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI
KORBA
MUNGELI
BILASPUR
RAIGARH
JANJGIR-CHAMPA
KABIRDHAM
BEMETARA
RAJNANDGAON
DURG
RAIPUR
MAHASAMUND
BALOD
DHAMTARI
GARIYABAND
KANKER
KONDAGAON
NARAYANPUR
BASTAR
DANTEWADA
BIJAPUR
SUKMA
Legends
91 & above
61-90
00-60

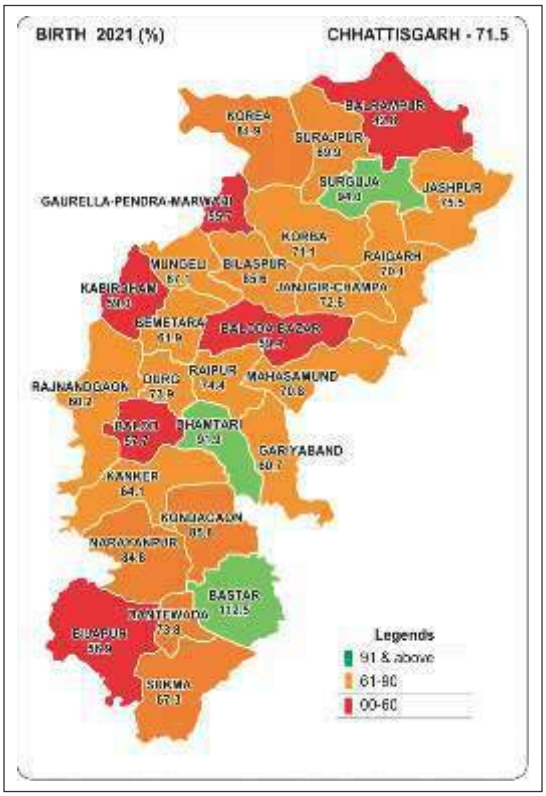
BIRTH 2021 (%)
CHHATTISGARH - 71.5
KOREA
SURAJPUR
SURGUJA
JASHPUR
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI
KORBA
MUNGELI
BILASPUR
RAIGARH
JANJGIR-CHAMPA
KABIRDHAM
BEMETARA
RAJNANDGAON
DURG
RAIPUR
MAHASAMUND
BALOD
DHAMTARI
GARIYABAND
KANKER
KONDAGAON
NARAYANPUR
BASTAR
DANTEWADA
BIJAPUR
SUKMA
Legends
91 & above
61-90
00-60